सत्यमेव जयते

# भारत के

# नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

## सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र

(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

## 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

रिपोर्ट 01–08–2014 को संसद में सदन के पटल पर रखी गई है

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2014 की प्रतिवेदन संख्या - 2

# भारत के
# नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

## सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
## 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
## वर्ष 2014 की प्रतिवेदन संख्या - 2

# विषय सूची


| विवरण | संदर्भ में | |
|---|---|---|
| | पैराग्राफ | पृष्ठ सं. |
| **प्राक्कथन** | | v |
| **विहंगावलोकन** | | vii - xi |
| **अध्याय-I: प्रस्तावना** | | |
| बजट रूपरेखा | 1.1 | 1 |
| राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग | 1.2 | 1 |
| निरंतर बचतें | 1.3 | 2 |
| भारत सरकार से सहायता अनुदान | 1.4 | 2 |
| लेखापरीक्षा की योजना तथा प्रबंधन | 1.5 | 3 |
| महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार का प्रत्युत्तर | 1.6 | 3 |
| लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली | 1.7 | 4 |
| लेखापरीक्षा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व में कमी | 1.8 | 4 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही | 1.9 | 5 |
| राज्य विधानसभा में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की स्थिति | 1.10 | 6 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गए पैराग्राफों एवं पुनरीक्षणों का वर्ष-वार विवरण | 1.11 | 6 |
| **अध्याय-II: निष्पादन लेखापरीक्षा** | | |
| **शहरी विकास विभाग** | | |
| दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड | 2.1 | 9 |
| **प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग** | | |
| प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय | 2.2 | 25 |
| **लोक निर्माण विभाग** | | |
| रा.रा.क्षे.दि.स. के लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण क्षेत्रों की कार्य प्रणाली | 2.3 | 46 |
| **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग** | | |
| दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण एवं निकास प्रणाली | 2.4 | 63 |
| **वित्त विभाग** | | |
| रा.रा.क्षे.दि.स. के वे.एवं ले. क्रियाकलापों के कम्प्यूटरीकरण की सूचना तकनीकी लेखापरीक्षा एवं विनियोग तथा वित्त लेखों को तैयार करना | 2.5 | 83 |

| अध्याय-III अनुपालना लेखापरीक्षा | | |
|---|---|---|
| **सहकारी सोसायटियों के विभाग** | | |
| रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार | 3.1 | 99 |
| **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** | | |
| दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन | 3.2 | 107 |
| दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 करोड़ का अधिक भुगतान | 3.3 | 111 |
| लोक नायक अस्पताल | 3.4 | 112 |
| निधियों का अवरोधन एवं व्यर्थ व्यय | 3.5 | 113 |
| लोक नायक अस्पताल में अस्थायी विद्युत कनेक्शन के नियमितीकरण न करने के कारण ₹ 4.63 करोड़ का अधिक व्यय | 3.6 | 115 |
| **उद्योग विभाग** | | |
| अतिरिक्त ब्याज अर्जन के सुअवसर का खोना | 3.7 | 116 |
| **सेवा विभाग** | | |
| दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड | 3.8 | 118 |
| **शहरी विकास विभाग** | | |
| दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुरक्षित सामुदायिक भवन | 3.9 | 122 |
| दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण | 3.10 | 130 |

## अनुलग्नक


| अनुलग्नक सं. | विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | पैराग्राफ | पृष्ठ |
| 1.1 | 31 मार्च 2013 को स्वायत्त निकायों के लेखों की स्थिति दिखाने वाला विवरण | 1.10 | 143 |
| 2.1 | दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का संगठन चार्ट | 2.1.1.1 | 145 |
| 2.2 | अनावश्यक प्रावधान | 2.2.2.1 | 146 |
| 2.3.1 | डबल टैक कोट उपलब्ध कराने पर व्यय | 2.3.5.9 | 147 |
| 2.3.2 | उद्देश्यों की गैर प्राप्ति के लिए न रोकी गई राशि | 2.3.5.13 | 149 |
| 2.4.1 | निकास प्रणाली के प्रबन्धन में भूमिका एवं उत्तरदायित्व | 2.4.1.1 | 150 |
| 2.4.2 | मानसून प्रारंभ होने के पहले कार्यों के पूरा होने में देरी | 2.4.4.1(i) | 151 |
| 2.4.3 | लो.नि.वि. की नालियों के गाद हटाए जाने की गतिविधियों में विलंब | 2.4.4.1(iii) | 153 |
| 2.4.4 | 2013 के मानसून के दौरान प्रकट होने वाले नये अति संवेदनशील स्थान | 2.4.4.3 | 154 |
| 2.4.5 | कार्य प्रदान करने में देरी | 2.4.4.4 | 155 |
| 2.4.6 | स्थान जहाँ की गई कार्रवाई/दिए गए आश्वासन के पश्चात् भी बार–बार जल भराव की सूचना दी गई थी | 2.4.5 (क) | 156 |
| 2.4.7 | वर्षा के दौरान रिपार्ट किए गए क्षेत्र जहाँ जल भराव हुआ था | 2.4.5 (ख) | 158 |
| 2.4.8 | चारदीवारी के निर्माण के लिए निर्माण कार्यों में किए गए विलम्ब के ब्यौरे | 2.4.6(v) | 159 |
| 2.4.9 | ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए गए स्थान जहाँ जल भराव हुआ था परन्तु लो.नि.वि. की स्थिति रिपोर्ट में नहीं दर्शाए गए थे | 2.4.10.2 (ख) | 160 |
| 2.5.1 | बिल प्रक्रिया का कार्य प्रगति चार्ट और वे. व ले. का. द्वारा उनका लेखांकन | 2.5.6 | 161 |
| 2.5.2 | विनियोग लेखे तथा वित्त लेखों की तैयारी का कार्यप्रगति चार्ट | 2.5.6 | 162 |
| 2.5.3 | वे. व ले. का. वार डीलिंग हैन्ड, स.ले.प.अ. व वे. व ले. अ. द्वारा 5 मिनट में पास हुए बिलों की स्थिति | 2.5.7.1 (ख) (i) | 163 |

## अनुलग्नक


| अनुलग्नक सं. | विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | पैराग्राफ | पृष्ठ |
| 2.5.4 | 31 मार्च 2013 तक वे व ले.का. वार बकाया चैकों की स्थिति जिसमें डम्मी चैक नम्बर शामिल है | 2.5.7.1(ख) (i) | 163 |
| 2.5.5 | लेखा शीर्षों की बुकिंग में विपथन/विषमता की सूची | 2.5.8.2 | 164 |
| 3.1.1 | 31 मार्च 2013 को विभाग में पंजीकृत सहकारी समितियों की स्थिति | 3.1.1 | 165 |
| 3.3.1 | दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 करोड़ की अधिक अदायगी और वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम/जलशोधन संयंत्र के अधिष्ठापन पर किया गया व्यय | 3.3 | 166 |
| 3.10.1 | सूचना तथा अभिलेखों का गैर–प्रस्तुतिकरण (21 फरवरी 2014 तक) | 3.10.1 | 167 |
| 3.10.2 | यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स (2004 तथा फरवरी 2007) और श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाईन्स (अक्टूबर 2007) की तुलना | 3.10.2 | 168 |
| 3.10.3 | कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 31 मार्च 2013 तक किए गए विकास कार्यों की प्रत्यक्ष स्थिति | 3.10.6 | 170 |

# प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2012-13 के दौरान लेखों की जांच से लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परंतु जिन्हें पिछली रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। 2012-13 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी सम्मिलित किए गए हैं।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुरूप किया गया है।

# विहंगावलोकन

# विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण क्षेत्र, बाढ़ नियंत्रण तथा निकास प्रणाली पर पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाएं और वे. व ले. का. के कार्यों के कम्प्यूटरीकरण तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोग एवं वित्त लेखों की बनाए जाने पर एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा तथा अधिक/व्यर्थ/निष्फल/अनावश्यक/परिहार्य व्यय, व्यर्थ निवेश, निधियों के अवरोधन इत्यादि से संबंधित ₹ 321.34 करोड़ सहित 10 पैराग्राफ सम्मिलित हैं। कुछ मुख्य उपलब्धियाँ निम्न हैं:

# निष्पादन लेखापरीक्षा

## दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

- बोर्ड ने शहरी आश्रय परामर्श समिति एवं बस्ती विकास पुनः स्थापन का निर्माण नहीं किया तथा झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के निवासियों के पुनः स्थापन के लिए किसी नई आवासीय योजना की पहल नहीं की।

***(पैराग्राफ 2.1.2)***

- बोर्ड ने न तो कोई दीर्घावधि प्रक्षेपण योजना और न ही वार्षिक योजना तैयार की थी।

***(पैराग्राफ 2.1.3)***

- झु.झो. बस्तियों में सड़कें तथा नालियां बहुत खराब स्थिति में थीं। यहाँ तक कि बोर्ड सार्वजनिक शौचालयों को मूल सुविधा भी उपलब्ध कराने में विफल रहा।

***(पैराग्राफ 2.1.4.1 एवं 2.1.4.2)***

- रात्रि शैल्टरों के संचालन तथा प्रबंधन हेतु ठेके के सौंपने में अनियमितताएँ पाई गई।

***(पैराग्राफ 2.1.5)***

- बोर्ड के पास अपनी संपत्तियों का पूर्ण तथा विश्वसनीय रिकॉर्ड नहीं था। इसकी संपत्तियों के आबंटियों से ₹ 232.10 करोड़ वसूल किया जाना बकाया था।

***(पैराग्राफ 2.1.6.2)***

## प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

- यहॉ योजनागत व्यय में बचत थी जो 2008-09 में ₹ 2.21 करोड़ (7.43 *प्रतिशत*) से बढ़कर 2012-13 में ₹ 21.41 करोड़ (30.58 *प्रतिशत*) हो गई।

***(पैराग्राफ 2.2.2)***

- 2008-12 के दौरान विद्यार्थियों की ड्रापआऊट दर 16 से 23 *प्रतिशत* की श्रेणी में थी।

***(पैराग्राफ 2.2.3)***

- आईटीआई में 1140 में से 292 संस्वीकृत पद रिक्त थे। पॉलिटेक्नीक में 1080 में से 309 तकनीकी पद रिक्त थे। प्रधानाचार्य के नौ में से आठ पद तथा विभागाध्यक्ष के 25 संस्वीकृत पदों में से 21 पद रिक्त थे। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर तथा ग्रुप इंस्ट्रक्टर पदों में रिक्तियाँ (क्रमशः 31 तथा 62 प्रतिशत) बहुत अधिक थी।

*(पैराग्राफ 2.2.4 एंव 2.2.4.1)*

- आईटीआई में आवश्यक उपकरणों एवं उपस्कर एनसीबीटी द्वारा निर्धारित 'स्टेंडर्ड टूल लिस्ट' की तुलना में कम पाए गए थे।

*(पैराग्राफ 2.2.5.2)*

- शिक्षा सत्र 2011-12 में विद्यमान व्यवसायों में नये व्यवसाय तथा अतिरिक्त 106 नई इकाईयों (2236 की इनटेक क्षमता वाली) को आवश्यक अवसंरचना तथा फैकल्टी सदस्यों की सुनिश्चितता के बिना आरंभ किया गया। सीओई के अन्तर्गत आरंभ किया गया कोई भी व्यवसाय एनसीबीटी के साथ संबंधित नहीं किया जा सका।

*(पैराग्राफ 2.2.7.4, 2.2.7.2 एवं 2.2.10.1)*

- 2008-13 के दौरान 17 आईटीआई के 170 लक्षित निरीक्षणों के प्रति निदेशक द्वारा केवल दो आईटीआईज़ में प्रत्येक में एक निरीक्षण किया गया।

*(पैराग्राफ 2.2.7.3)*

## रा.रा.क्षे.दि.स. के लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण क्षेत्रों की कार्यप्रणाली

- ई-इन-सि कार्यालय के बजट आवंटन तथा वास्तविक व्यय के आंकड़ों को उनके वेतन एवं लेखा कार्यालय से समायोजित नहीं किया गया था।

*(पैराग्राफ 2.3.2.1)*

- विभाग ने वित्त अनुभाग के अनुदेश के अनुसार डीएसआर 2012 (–) 12 *प्रतिशत* की बजाए या तो डीएसआर 2012 (+) 8 *प्रतिशत* या डीएसआर 2012 (–) 12 *प्रतिशत* (+) 8 *प्रतिशत* को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप 75 कार्यों में ₹ 58.72 करोड़ की अनुमानित लागत में बढ़ोतरी हुई।

*(पैराग्राफ 2.3.3.1)*

- ₹ 3.72 करोड़ की निविदाओं में न्यायोचित लागत के वैट, ई पी एफ तथा ई एस आई के अग्राह्य तत्व को सम्मिलित किया गया।

*(पैराग्राफ 2.3.4.2)*

- अनुमानों को बनाने में मात्राओं के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 17.73 करोड़ की राशि के 107 कार्यों में लागत बढ़ गई।

*(पैराग्राफ 2.3.5.7)*

## दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण तथा निकास प्रणाली

दिल्ली में सीवेज पुर्नस्थापना पर एक समर्पित मास्टर प्लान है। अनाधिकृत कॉलोनियों की आबादी का 46 *प्रतिशत* सीवेज स्ट्रोम वाटर नालियों में बहता है संबंधित एजेंन्सियों ने स्ट्रोम वाटर नालियों में बह रहे सीवेज के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया था।

*(पैराग्राफ 2.4.3.2 व 2.4.7 (क))*

2004 के बाद सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (सि. एवं बा.नि.वि.) ने यमुना नदी का नियमित स्थलाकृति सर्वेक्षण नहीं किया जिससे मानसून के कारण नदी के तल में आए बदलावों को निश्चित किया जा सके।

*(पैराग्राफ 2.4.3.4 (क))*

मानसून के लिए एजेंसियों के बनाए जाने में कमी थी जैसा कि मानसून आरंभ होने से पूर्व डि-सिल्टिंग तथा अन्य अनुरक्षण कार्यों को पूरा नहीं किया गया था, जल भराव के संवेदनशील स्थानों का पता लगाने के लिए कोई पर्याप्त तंत्र नहीं था। वर्तमान स्थानों में जल भराव को रोकने के आश्वासन के बावजूद बार - बार जल भराव पाया गया।

*(पैराग्राफ 2.4.4)*

सि. एवं बा.नि.वि. ने मई 2011 तक कोई नया कार्य प्रस्तावित नहीं किया जबकि यमुना 2008, 2009 तथा 2010 में खतरे के स्तर को पार कर गई थी। प्राधिकृत स्थानों में नालियों से गाद हटाने तथा हटाई गई गाद को इकट्ठा करने को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

*(पैराग्राफ 2.4.4.5, 2.4.4.1 व 2.4.4.2)*

**वे.व.ले. कार्यालय के कार्यों के कम्प्यूटरीकरण पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोग तथा वित्त लेखों का बनाया जाना**

- काम्पैक्ट पीएओ 2000 को रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखा कार्यों के लिए औचित्य अध्ययन के बिना अपनाया गया तथा एक पुराना सिस्टम जहाँ लेखाकंन के महत्वपूर्ण कार्य मैनुअली किये जा रहे है जारी था।

*(पैराग्राफ 2.5.7.1)*

- कान्टेक्ट सॉफ्टवेयर में बजट तथा व्यय नियंत्रण के लिए कोई सुविधा नहीं थी। कान्टेक्ट आँकड़ों से विनियोग तथा वित्त लेखों को तैयार करने की प्रक्रिया मैनुअल थी। मुख्य वित्तीय सूचना के वास्तविक समय आधार पर किए गए एकत्रण, प्रस्तुतिकरण तथा उपयोग के लिए शेयरधारियों के बीच कोई तारतम्यता नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलंब था।

*(पैराग्राफ 2.5.7.1)*

- यूजर मैनुअल, ऑपरेशन मैनुअल व सिस्टम मैनुअल तथा प्रशिक्षित स्टॉफ की सामान्य कमी, काम्पेक्ट का श्रेष्ठतम उपयोग नहीं किया जा सका। वे.व.ले. कार्यालय अपने मैनुअल अभिलेखों अथवा एम.आई.एस. उद्देश्यों के लिए एमएस एक्सल पर उपलब्ध आंकड़ों के समेकन पर अधिक निर्भर रहे।

*(पैराग्राफ 2.5.7.3 व 2.5.7.4)*

- विभाग में डाटा बैक-अप लेने की आवृति, इसके संग्रहण की अवस्थिति तथा पुनरूद्धार दर्शाने वाला कोई डिजास्टर रिकवरी प्लान नहीं था।

*(पैराग्राफ 2.5.7.7)*

- आँकड़ों के विश्लेषण आंकड़ों की असंगति के मामलों को दर्शा रहे थे जोकि ऑकड़ों की विश्वसनीयता का विस्तार दर्शाता था।

*(पैराग्राफ 2.5.8.1)*

# अनुपालना लेखापरीक्षा

## रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार ने रजिस्टर्ड सहकारी समितियों के वर्षवार विवरण नहीं रखे। उन समितियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई जो अपने लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत करने, सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान करने, वार्षिक सामान्य बैठकें करने, वार्षिक रिटर्न फाईल करने, चुनाव कराने इत्यादि में विफल रहीं। समितियों की शेयर पूंजी में बकाया ऋण तथा निवेश की कोई वसूली सुनिश्चित नहीं की गई। एसईईएफ निधि का वित्तीय प्रबन्धन कमजोर पाया गया।

***(पैराग्राफ 3.1)***

## दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा उपाय

दिसम्बर 2013 को दिल्ली के 37 सरकारी अस्पतालों में से 8 के पास अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं था। अग्नि सुरक्षा सिस्टमों का कार्य न करना और बेसमेंट का अनुचित प्रयोग देखा गया। इन चुने हुए अस्पतालों में दिल्ली अग्निशमन विभाग के सहयोग से न ही स्टाफ को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण और न ही मॉक फायर ड्रिल कराई गई।

***(पैराग्राफ 3.2)***

## दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 करोड़ का अधिक भुगतान

जल भण्डारण तंत्र (ज.भ.त.)/अपशिष्ट जल पुनःचक्रण संयंत्र (ज.पु.च.स.) स्थापित करने पर ₹ 2.61 करोड़ के व्यय के बावजूद दिल्ली सरकार के चिकित्सालय अपने पानी के बिलों पर 15 *प्रतिशत* छूट प्राप्त करने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.28 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

***(पैराग्राफ 3.3)***

## लोक नायक अस्पताल

अर्थोपेडिक ब्लाक के निर्माण तथा बिना प्रयोग किए गए सम्बन्धित उपकरणों की खरीद पर ₹ 20.66 करोड़ की निधियों का अवरोधन।

***(पैराग्राफ 3.4)***

## निधियों का अवरोधन और व्यर्थ व्यय

पश्चिमी तथा पूर्वी दिल्ली में दो सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के निर्माण व प्रचालन पर ₹ 191.80 करोड़ की निधियों का अवरोधन तथा ₹ 80.20 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ जो कि पूरी तरह से क्रियाशील नहीं थे।

***(पैराग्राफ 3.5)***

## दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

बोर्ड ने वार्षिक योजनाएं तैयार नहीं की और भर्ती के लक्ष्य निर्धारित कर दिए। भर्ती को अन्तिम रूप देने के लिए बहुत संख्या में मांग पत्र लंबित पड़े थे। बोर्ड द्वारा एक भी मांग पत्र को इसके प्राप्त होने के समय से निर्धारित 180 दिनों के समय में पूरा नहीं किया।

***(पैराग्राफ 3.8)***

## दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित किए जा रहे सामुदायिक भवन

सामुदायिक भवनों में पीने का पानी, सफाई, नालियां और सीवरेज, बिजली फिटिंग आदि बुनियादी आवश्यकताएं और सुविधाएं नहीं थी या घटिया स्तर की थी। पार्किंग सुविधाएं, रसोई सुविधाएं और अग्नि सुरक्षा इंतजाम संतोषजनक नहीं थे। समुदायिक भवनों के प्रकार्य की मॉनिटरिंग प्रभावी नहीं थी। सा. भा. अधिभोग इष्टतम से कम था।

***(पैराग्राफ 3.9)***

## दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करना

श.वि.मं. द्वारा गाइडलाईन्स में कुछ परिवर्तन किए गए थे जो यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित सुधारों जिनके आधार पर नियमन 2008 बनाए गए थे, के अनुरूप नहीं थे। दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों के नियमन के लिए यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों से हटकर नियमन 2008 में जून 2008 तथा जून 2012 में संशोधन किए गए। अस्थायी नियमन प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में दिशा-निर्देशों पर विचार नहीं किया गया था। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सीमाओं के नियतन में कुछ विसंगतियाँ पाई गईं। राजस्व विभाग द्वारा खसरों को सत्यापित किए बिना सीमाएँ निर्धारित की गई जिसके परिणामस्वरूप आ.क.स. को अधिक खसरे आबंटित हो गए। संशोधित नियमनों के उल्लंघन में सीमाओं के निर्धारण के दौरान निषिद्ध क्षेत्रों, दि.वि.प्रा. के अवरोधों तथा सीमाओं के अतिव्यापन पर विचार नहीं किया गया। रा.रा.क्षे.दि.स. का शहरी विकास विभाग मार्च 2013 तक ₹ 3029.21 रोड़ व्यय करने के बावजूद भी सभी 895 अनधिकृत कालोनियों में सीवर लाइनें, पानी की लाईनें, सड़कें तथा नालियों जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने में विफल रहा है।

***(पैराग्राफ 3.10)***

# अध्याय-I
# प्रस्तावना

# अध्याय-I
# प्रस्तावना

## 1.1 *बजट रूपरेखा*

रा.रा.क्षे.दिल्ली में 66 विभाग एवं 73 स्वायत्त निकाय हैं। 2008-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों एवं उनके विरूद्ध वास्तविकों की स्थिति **तालिका 1.1** में दी गई है:

**तालिका 1.1**
**2008-13 के दौरान राज्य सरकार का बजट एवं व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक |
| **राजस्व** | | | | | | | | | | |
| सामान्य सेवाएं | 1047.57 | 3434.55 | 1304.63 | 3629.67 | 1273.48 | 3728.95 | 1589.55 | 4347.23 | 3128.74 | 5738.57 |
| सामाजिक सेवाएं | 7047.55 | 6599.37 | 8370.95 | 8103.58 | 9345.57 | 8718.80 | 11567.05 | 10717.11 | 12616.68 | 11737.43 |
| आर्थिक सेवाएं | 1352.72 | 1272.69 | 1703.20 | 1650.28 | 1542.56 | 1392.46 | 2253.06 | 2172.22 | 2611.64 | 2350.82 |
| सहायता अनुदान एवं योगदान | 455.95 | 455.95 | 521.44 | 517.35 | 555.84 | 541.53 | 736.23 | 728.29 | 833.77 | 832.53 |
| **कुल (1)** | **9903.79** | **11762.56** | **11900.22** | **13900.88** | **12717.45** | **14381.74** | **16145.89** | **17964.85** | **19190.83** | **20659.35** |
| **पूँजी** | | | | | | | | | | |
| पूँजीगत व्यय | 4082.16 | 3995.40 | 4883.55 | 4717.27 | 4433.08 | 3984.80 | 4209.53 | 4004.27 | 4835.80 | 4176.63 |
| वितरित ऋण एवं अग्रिम | **4247.03** | 4217.32 | 5702.05 | 5701.30 | 6378.47 | 6364.73 | **3404.58** | **3345.42** | **4082.37** | **3734.83** |
| लोक ऋण का शोधन | **386.06** | 386.03 | 699.50 | 606.47 | 800.00 | 793.06 | **1090.00** | **1087.88** | **1288.00** | 1287.99 |
| आकस्मिकता निधि | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| लोक लेखों का विवरण | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| अन्त रोकड़ शेष | **0** | **5775.13** | **0** | **3387.70** | **0** | **7713.20** | **0** | **4636.28** | **0** | **1985.75** |
| **कुल (2)** | **8715.25** | **14373.88** | **11285.10** | **14412.74** | **11611.55** | **18855.79** | **8704.11** | **13073.85** | **10206.17** | **11185.20** |
| सकल जोड़ (1+2) | **18619.04** | **26136.44** | **23185.32** | **28313.62** | **24329.00** | **33237.53** | **24850.00** | **31038.70** | **29397.00** | **31844.55** |

***स्रोत:*** *राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन पत्र*

## 1.2 *राज्य सरकारकेसंसाधनों का अनुप्रयोग*

2012-13 के दौरान बजट के ₹ 29397.00 करोड़ की कुल लागत के विरूद्ध, कुल व्यय ₹ 29858.80 करोड़ का था। 2008-13 के दौरान राज्य का कुल व्यय (लोक ऋण के शोधन के अतिरिक्त) ₹ 19975.28 रोड़ से बढ़कर ₹ 28570.81 करोड़ हो गया था, राज्य का राजस्व व्यय 2008-09 में ₹ 11762.56 रोड़ से 2012-13 में ₹ 20659.35 करोड़ तक 75.64 *प्रतिशत* से बढ़ा था। 2008-13 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय ₹ 7818.42 करोड़ से ₹ 14160.64 करोड़ तक 81.12 *प्रतिशत* से बढ़ा था एवं पूँजी व्यय ₹ 3995.40 करोड़ से ₹ 4176.63 रोड़ तक 4.53 *प्रतिशत* से बढ़ा था।

2008-13 वर्षों के दौरान राजस्व व्यय ने कुल व्यय का 58.89 से 72.31 *प्रतिशत* संस्थापित किया था एवं पूँजी व्यय 20.00 से 14.62 *प्रतिशत* था। इस अवधि के दौरान, कुल व्यय 10 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर से बढ़ा था, जबकि राजस्व प्राप्तियाँ 2008-13 के दौरान 11.80 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत विकास दर से बढ़ी थीं।

## 1.3 *निरंतर बचतें*

पाँच मामलों में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचतें थीं जिनका विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है:

**तालिका 1.2**
**2008-13 के दौरान अनुदानों की निरन्तर बचतों के साथ सूची**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान संख्या एवं नाम | बचतों की राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| राजस्व–प्रभारित | | | | | | |
| 1 | 05-गृह | 6.24 (52.34%) | 2.56 (20.71%) | 2.85 (23.53%) | 6.49 (39.28%) | 4.89 (29.33%) |
| राजस्व–दत्तमत्त | | | | | | |
| 2 | 07-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 10.83 (82%) | 12.22 (81.47%) | 2.04 (20.40%) | 7.45 (74.50%) | 1.93 (42.89%) |
| 3 | 11-शहरी विकास एवं लोक निमार्ण विभाग | 198.71 (100%) | 198.93 (98.51%) | 64.45 (31.06%) | 300.93 (100%) | 189.87 (55.86%) |
| पूँजी–दत्तमत्त | | | | | | |
| 4 | 08- सामाजिक कल्याण | 46.71 (38.93%) | 30.00 (50%) | 10.00 (100%) | 240.75 (96.30%) | 8.39 (83.90%) |
| 5 | 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग | 29.00 (72.68%) | 14.59 (24.31%) | 8.16 (20.40%) | 23.32 (66.62%) | 19.54 (39.08%) |

*स्रोत: विनियोग लेखे*

महत्वपूर्ण बचतें अनुदान संख्या 11 (राजस्व दत्तमत)-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग (2011-12 के दौरान ₹ 300.93 करोड़ एवं 2012-13 के दौरान ₹ 189.87 करोड़) एवं अनुदान संख्या 08 (पूँजी दत्तमत)-सामाजिक कल्याण (2011-12 के दौरान ₹ 240.75 करोड़) में पाई गयीं। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

## 1.4 *भारत सरकार से सहायता अनुदान*

2008-09 से 2012-13 वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता **तालिका 1.3** में दी गई हैं:

**तालिका 1.3**
**भारत सरकार से अनुदान सहायता**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| गैर-योजनागत अनुदान | 948.09 | 1913.12 | 2338.71 | 978.85 | 333.57 |
| राज्य योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान | 793.11 | 1430.94 | 1743.49 | 728.54 | 861.81 |
| केन्द्रीय योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान | 57.22 | 60.92 | 144.81 | 86.22 | 57.92 |
| केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान | 72.37 | 131.10 | 130.39 | 167.03 | 249.22 |
| **कुल** | **1870.79** | **3536.08** | **4357.40** | **1960.64** | **1502.52** |
| पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत | 42.49 | 89.02 | 23.23 | (-)55.00 | (-)23.37 |
| राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत | 11.44 | 17.29 | 17.41 | 8.76 | 5.88 |

2008-11 की अवधि के दौरान भारत सरकार से कुल सहायता अनुदान ₹ 1870.79 करोड़ से बढ़कर ₹ 4357.40 करोड़ हो गया। तदन्तर भारत सरकार द्वारा 2011-13 के दौरान 'गैर-योजनागत अनुदान' तथा 'राज्य योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान' में महत्वपूर्ण कमी की गई। यद्यपि, 2008-13 की अवधि के दौरान 'केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान' ₹ 72.37 करोड़ से बढ़कर ₹ 249.22 करोड़ हो

गया था। 2008-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान का राजस्व प्राप्तियों से 5.88 *प्रतिशत* तथा 17.41 *प्रतिशत* के मध्य था।

## 1.5 *लेखापरीक्षा की योजना तथा प्रबंधन*

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि, गतिविधियों की विवेचनात्मक/जटिलता, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा ऋणधारकों के विषयों तथा पूर्व लेखापरीक्षा प्राप्तियों के जोखिम निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा विस्तार तय किए जाते हैं एवं एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा प्राप्तियों को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय प्रमुख को एक माह में उत्तर प्रदान करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है लेखापरीक्षा आपत्तियों का या तो निपटान किया जाता है अथवा आगे अनुपालना के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में निर्देशित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2012-13 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय से राज्यों के 149 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा आठ स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा की गई। इनके अतिरिक्त, पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी आयोजित की गई।

## 1.6 *महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ तथा लेखापरीक्षा को सरकार का प्रत्युत्तर*

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियाँ साथ ही चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रण विभिन्न की गुणवत्ता जिसका विभाग के क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव था, को बताया है। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा तथा कार्यकारी अधिकारी को उपचारात्मक कार्रवाई करने एवं नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के उन्नयन के लिए उपर्युक्त सिफारिशें देने पर फोकस था।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा तथा लेखाओं के नियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए जाने के लिए ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट पैराग्राफों पर अपने प्रत्युत्तर सामान्यतः 6 सप्ताह में भिजवाने होते हैं। यह बात उनके ध्यान में लाई गई कि दिल्ली विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में ऐसे पैराग्राफों को शामिल करने के लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी टिप्पणियाँ मामले में समाहित की जाए। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे निष्पादन लेखापरीक्षा के ड्राफ्ट प्रतिवेदनों को प्रधान महालेखाकार के साथ बैठक में चर्चा करें। प्रतिवेदन में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित इन ड्राफ्ट प्रतिवेदनों तथा पैराग्राफों को संबंधित प्रधान सचिवों/सचिवों को भी उनके उत्तर प्राप्त करने हेतु भेजा गया। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 11 ड्राफ्ट पैराग्राफ (विषयक लेखापरीक्षा शामिल करते हुए) संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजे गए किन्तु सिर्फ नौ मामलों में ही सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ।

## 1.7 *लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली*

राज्य सरकार के विभागों के लेखों की केन्द्रीय लेखापरीक्षा के समय नमूना जाँच परीक्षा के दौरान वसूली शामिल करते हुए लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ पाई गईं जिन्हें विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ. एवं सं.अ.) की पुष्टि तथा लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

2012-13 के दौरान इंगित 70 मामलों में ₹ 2.21 करोड़ की वसूली के प्रति संबंधित आ. एवं सं.अ. ने 2012-13 के दौरान 69 मामलों में ₹ 3.23 करोड़ की वसूली (पूर्व वर्षों की वसूली सहित) को प्रभावित किया था।

## 1.8 *लेखापरीक्षा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व में कमी*

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली सरकारी विभागों के लेन-देन की नमूना जाँच द्वारा आवधिक निरीक्षण आयोजित करता है तथा निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य दस्तावेजों का रखरखाव साक्ष्यांकित करती है। इन जॉचों के पश्चात् लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (निरीक्षण प्रतिवेदन) जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा जाँच के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताऐं इत्यादि पाई जाती हैं एवं तत्काल नहीं निपटाई जाती हैं, तो उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा को निरीक्षित कार्यालयाध्यक्ष को जारी किया जाता है। कार्यालयाध्यक्ष को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के चार हफ्तों के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अपनी अनुपालना सूचित करनी होती है।

नमूना जाँच के परिणामों पर आधारित, 31 मार्च 2013 को 920 निरीक्षण प्रतिवेदन में बकाया 3987 अभ्युक्तियॉ **तालिका 1.4** में दी गई हैं:

**तालिका 1.4**
**बकाया लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/पैराग्राफ**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | क्षेत्र का नाम | निरीक्षण प्रतिवेदन | पैराग्राफ | शामिल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सामाजिक क्षेत्र | 709 | 2910 | 89.27 |
| 2 | सामान्य क्षेत्र | 51 | 550 | 167.16 |
| 3 | आर्थिक क्षेत्र (गैर सासा.क्षे.उ.) | 160 | 527 | 4653.81 |
| **कुल** | | **920** | **3987** | **4910.24** |

सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित 1455 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ. एवं सं. अधि.) को जारी निरीक्षण प्रतिवेदन की विस्तृत संवीक्षा से पता चला कि लगभग ₹ 4743.08 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 869 निरीक्षण प्रतिवेदन के 3437 पैराग्राफ 31 मार्च 2013 के अंत तक बकाया थे। इनमें से सबसे पुरानी मद वर्ष 1987-88 में जारी निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित है तथा एक पैराग्राफ जिसमें ₹ 21 हजार का वित्तीय प्रभाव शामिल था उसे 25 सालों से निपटाया नहीं गया था।

विभागीय अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल अभ्युक्तियों पर निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही में कमी हुई।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उचित एवं तत्काल प्रत्युत्तर को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान करें।

## 1.9 *लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही*

लोक लेखों पर समिति के आंतरिक कार्यों के लिये प्रक्रियाओं के नियम के अनुसार, प्रशासनिक विभाग नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में छपने वाले सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफ एवं रिव्यू पर, इस तथ्य पर ध्यान दिये बगैर कि क्या इनका लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षण किया गया है अथवा नहीं स्वतः कार्यवाही करेगा जो कि राज्य विधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के अन्दर, उठाये गये या उनके द्वारा प्रस्तावित किये गये उपचारी क्रियाकलापों को प्रदर्शित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा उचित रूप से पुनरीक्षित किया गया विस्तृत नोट भी प्रस्तुत करना होगा।

31 दिसम्बर 2013 को 31 मार्च 2012 की समाप्त होने वाली अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफों पर एक्शन टेकन नोट (एटीएन) की प्राप्ति से संबंधित स्थिति **तालिका 1.5** में दी गयी है:

**तालिका 1.5**
**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफों पर एटीएन की प्राप्ति से संबंधित स्थिति**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | वर्ष | विभाग | 31 दिसम्बर 2013 को लंबित एटीएन | राज्य विधान सभा को प्रस्तुतीकरण की तिथि | एटीएन की प्राप्ति की नियत तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| सिविल/ सामाजिक/ सामान्य और आर्थिक क्षेत्र गैर–सा.क्षे.उ. | 2009-10 | लोनिवि | 7 | 05.09.2011 | 04.12.2011 |
| | | दि.रा.औ.एवं सं.वि.नि. | 2 | | |
| | | दि.प.नि. | 2 | | |
| | | दिल्ली पॉवर | 1 | | |
| | | डीटीटीडीसीएल | 1 | | |
| | | स्वा. एवं परिवार कल्याण | 1 | | |
| | | एमपीलैड्स | 1 | | |
| | 2010-11 | लोनिवि | 3 | 06.06.2012 | 05.09.2012 |
| | | खाद्य आपूर्ति विभाग | 1 | | |
| | | दिल्ली पॉवर | 3 | | |
| | | दि.रा.औ.एवं सं.वि.नि. | 1 | | |
| | | दि.प.नि. | 1 | | |
| | | दिननि | 1 | | |
| | | सूचना एवं प्रसार निदेशालय | 1 | | |
| | | शिक्षा विभाग | 1 | | |
| | 2011-12 | लोनिवि | 1 | 02.04.2013 | 01.07.2013 |
| | | दि.प.नि. | 1 | | |
| | | दिल्ली जल बोर्ड | 2 | | |
| | | दि.रा.औ.एवं सं.वि.नि. | 1 | | |
| | | ज.ने.रा.श. एवं ग्रा.भि. | 1 | | |
| | | स्वा. एवं परिवार कल्याण | 5 | | |
| | | शहरी विकास | 1 | | |
| | | महिला एवं बाल विकास विभाग | 1 | | |
| | | दिननि | 1 | | |
| राज्य वित्त | 2009-10 | वित्त एवं अन्य विभाग | सभी अध्याय | 05.09.2011 | 04.12.2011 |
| | 2010-11 | वित्त एवं अन्य विभाग | सभी अध्याय | 06.06.2012 | 05.09.2012 |
| | 2011-12 | वित्त एवं अन्य विभाग | सभी अध्याय | 02.04.2013 | 01.07.2013 |

## 1.10 *राज्य विधानसभा में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की स्थिति*

कई स्वायत्त निकाय राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये गये हैं। इन निकायों की एक बड़ी संख्या उनके लेनदेनों, परिचालानात्मक गतिविधियां और लेखे, नियमितता अनुपालना लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की संवीक्षा, वित्तीय नियंत्रण तथा प्रणाली एवं प्रक्रियाओं की संवीक्षा इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित की जाती है। राज्य में नौ स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी, लेखापरीक्षा को लेखाओं का सौंपना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करना तथा विधानमण्डल में इसको रखा जाना **अनुलग्नक 1.1** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2003-04 से 2012-13 के लिये लेखापरीक्षा द्वारा जारी किये गये चार स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प.प्रति.) अभी भी दिल्ली विधान सभा में प्रस्तुत की जानी है **(अनुलग्नक 1.1)**। इन्हें शीघ्र ही राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।

## 1.11 *लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गए पैराग्राफ एवं पुनरीक्षणों का वर्ष-वार विवरण*

पिछले दो वर्षों के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए पैराग्राफों एवं पुनरीक्षणों उनकी धनराशि के साथ **तालिका 1.6** में दिये गये हैं:

**तालिका 1.6**
**2010-12 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गए पैराग्राफ एवं पुनरीक्षणों का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | निष्पादन लेखापरीक्षा/सीसीओ आधारित लेखापरीक्षा/विषयक लेखापरीक्षा | | पैराग्राफ | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | धनराशि | संख्या | धनराशि |
| 2010-11 | 2 | 2.93 | 9 | 11.71 |
| 2011-12 | 11 | 8951.52 | 7 | 12.15 |

2012-13 के दौरान, ₹ 94.77 करोड़ धनराशि की पॉच निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 226.57 करोड़ धनराशि के 10 पैराग्राफ इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये इनमें से चार निष्पादन लेखापरीक्षा एवं पॉच पैराग्राफ के उत्तर प्राप्त हुए (फरवरी 2014)।

# अध्याय-II
# निष्पादन लेखापरीक्षा

# अध्याय-II
# निष्पादन लेखापरीक्षा

## शहरी विकास विभाग

### 2.1 दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

**दिल्ली को स्लम फ्री बनाने के उद्देश्य के साथ जुलाई 2010 में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अस्तित्व में आया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दर्शाए गए हैं:**

*विशिष्टताएं:*

- *बोर्ड ने शहरी आश्रय परामर्श समिति एवं बस्ती विकास समितियों का निर्माण नहीं किया तथा झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के निवासियों के पुनःस्थापन के लिए किसी नई आवासीय योजना की शुरूआत नहीं की।*

  *(पैराग्राफ 2.1.2)*

- *बोर्ड ने न तो कोई दीर्घ परिप्रेक्ष्य योजना और न ही वार्षिक योजना तैयार की थी।*

  *(पैराग्राफ 2.1.3)*

- *झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में सड़कें व नाले जीर्णावस्था में थे। बोर्ड सार्वजनिक शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाऐं भी प्रदान कराने में असफल रहा।*

  *(पैराग्राफ 2.1.4.1 एवं 2.1.4.2)*

- *रात्रि विश्राम गृहों के प्रबंधन एवं संचालन के लिए किए गए अनुबन्ध में अनियमितताएं पाई गई थीं।*

  *(पैराग्राफ 2.1.5)*

- *बोर्ड के पास अपनी संपत्तियों का पूरा एवं विश्वसनीय अभिलेख नहीं था जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड की संपत्तियों के आबंटियों पर ₹ 232.10 करोड़ बकाया थे।*

  *(पैराग्राफ 2.1.6.2)*

#### 2.1.1 प्रस्तावना

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या ₹ 1.67 करोड़ थी, शहरी विकास विभाग (रा.रा.क्षे.दि.स.) के वर्ष 2001 के आकलन के अनुसार, 728 झुग्गी बस्तियों में, जिसमें से 78 *प्रतिशत* सरकारी जमीन पर बसी थी, के ₹ 21.48 लाख लोग रह रहे थे। जुलाई 2010 से पहले स्लम और झुग्गी-झोपड़ी स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.) विभाग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती थीं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (अधिनियम) (अप्रैल 2010) के लागू होने के बाद दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (बोर्ड) दिल्ली को स्लम मुक्त करने के उद्देश्य से लिए जुलाई 2010 से प्रभाव में आया। तदन्तर में स्लम विभाग एवं झु.झो. विभाग के सभी क्रिया-कलाप व संपत्तियों को बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया गया।

### 2.1.1.1 संगठनात्मक ढांचा

अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार बोर्ड में एक अध्यक्ष (मुख्य मंत्री), एक उपाध्यक्ष (मंत्री, श.वि.वि.), रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नामांकित किया गया एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), 13 अन्य सदस्य एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रतिनिधि होता है। बोर्ड के संरचनात्मक ढांचों को **अनुलग्नक 2.1** में दर्शाया गया है।

### 2.1.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिये थे कि क्या:

- बोर्ड ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं,
- बोर्ड के अधिदेशाधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अग्रदर्शी प्लान और वार्षिक प्लान बनाये गये हैं,
- वित्तीय प्रबंधन पर्याप्त था,
- स्कीमों का कार्यान्वयन दक्ष था और इसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया,
- आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र प्रभावी था।

### 2.1.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में जुलाई 2010 में बोर्ड के गठन से लेकर मार्च 2013 तक के कार्यों को सम्मिलित किया गया था। निम्नलिखित पांच में से चार चालू स्कीमों को जांच के लिए चुना गया:

(i) शहरी स्लमों में पर्यावरण सुधार,

(ii) जन सुविधा समूहों का निर्माण,

(iii) निर्मित सुविधायें/बरात घर/बस्ती विकास केन्द्र उपलब्ध कराना, और

(iv) शिशु वाटिकाओं का निर्माण।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने सभी 298 बस्ती विकास केन्द्र (ब.वि.के), झु.झो. बस्तियों के सभी 229 शिशु वाटिका एवं कुल 175 में से 117 रैन बसेरों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता के निर्धारण के लिए दौरा किया। दौरों के दौरान पायी जाने वाली विसंगतियां ब.वि.के., शिशु वाटिका तथा रैन बसेरों के देखभाल करने वालों या फिर उस क्षेत्र के जिम्मेदार निवासी को दिखाई गई और उनके द्वारा पृष्ठांकित करायी गई।

लेखापरीक्षा बोर्ड के सी.ई.ओ के साथ 17 मई 2013 को हुए प्रवेश सम्मेलन में लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र व क्रियाविधि पर विचार-विमर्श करने के साथ आरंभ हुई। 17 जनवरी 2014 को प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए निकासी सम्मेलन भी आयोजित हुआ और सरकार द्वारा दिए गए जवाबों को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर दिया गया है।

### 2.1.1.4 लेखापरीक्षा मानक

लेखापरीक्षा मानक निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये थे:

- दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010,

- स्लम क्षेत्र (सुधार एवं निकासी) अधिनियम,1956,
- सामान्य वित्तीय नियम 2007 और प्राप्ति और भुगतान नियम,
- योजनागत स्कीमों के उद्देश्य, लक्ष्य, दिशानिर्देश, और
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश और निर्देश।

### 2.1.2 अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन

अधिनियम के विविध प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति की परवर्ती पैराग्राफ में परिचर्चा की गई है:

अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ-साथ एक पूर्णकालिक सदस्य (प्रशासन), सदस्य (अभियांत्रिकी) सदस्य (पावर) और सदस्य (वित्त) सभी भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के होने चाहिए। यद्यपि, दिसम्बर 2013 तक सदस्य (अभियांत्रिकी) की नियुक्ति नहीं हुई है। सदस्य (प्रशासन) का पद जनवरी 2012 से रिक्त पड़ा था। इसी प्रकार सदस्य (पॉवर) का पद भी इसके सृजन के समय से रिक्त पड़ा है।

बोर्ड ने अपने जवाब में उद्घृत किया (जनवरी 2014) कि रा.रा.क्षे.दि.स. में अधिकारियो की कमी थी। आरंभ में सदस्य (प्रशासन) एवं सदस्य (वित्त) तैनात किये गये किन्तु सदस्य (प्रशासन) का स्थानांतरण कर दिया गया।

अधिनियम की खण्ड 8 के अनुसार बोर्ड एक शहरी आश्रय परामर्शदाता समिति (श. आ.प.स.) का गठन करेगा जोकि जेजे बस्तियों की आवश्यकता और समस्याओं पर बोर्ड के पुनर्विकास और अन्य कार्यो की स्थिति पर अपना फीडबैक देगा तथा इन सेवाओं की मूलभूत अवसंरचना के प्रभावी प्रावधानों के लिये नीतियाँ प्रस्तावित करेगा। तथापि, कमेटी का गठन नहीं किया गया।

बोर्ड ने तथ्यों को स्वीकारा (जनवरी 2014) एवं शीघ्र ही समिति गठित करने का आश्वासन दिया।

अधिनियम की धारा 13 के अनुसार बोर्ड को झु.झो. बस्तियों से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श देने तथा सहायता प्रदान करने के लिए झु.झो. बस्तियों के लिए बस्ती विकास समितियों (ब.वि.स.) का गठन करना था। यद्यपि जनवरी 2014 तक बोर्ड ने समितियों का गठन नहीं किया था।

जवाब में बोर्ड ने आश्वासन दिया (जनवरी 2014) कि जैसे ही इसके अधिदेश सदस्यों इत्यादि का विवरण पूर्ण होगा, ब.वि.स. का गठन कर दिया जायेगा।

अधिनियम के खण्ड 21 के अनुसार झु.झो. बस्तियों का पुनर्वास करने तथा इसके निवासियों को पुनर्स्थापित करने के लिये, जिन्हें झु.झो. बस्ती को हटाने पर खण्ड 10 या अधिनियम की खण्ड-12 के अन्तर्गत वैकल्पिक आवास की सुविधा प्रदान करनी है, के लिये बोर्ड को आवासीय योजना तैयार करनी चाहिये। खण्ड 21 की उपखण्ड 2 बोर्ड को गरीब वर्ग और निम्न आय वर्ग के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिये आवासीय योजना तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है। तथापि, यह पाया गया कि बोर्ड द्वारा कोई भी आवासीय योजना तैयार नहीं की गयी।

बोर्ड ने अपने जवाब में कहा (जनवरी 2014) कि उसने पहले से ही चार जगहों पर ज.ला.ने.रा.श.ग्रा.मि. के तहत आवासीय परियोजना की पहल की हुई है। जवाब स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि ज.ला.ने.रा.श.ग्रा.मि. परियोजना विशेष रूप से झु.झो. वासियों के लिए नहीं बल्कि वह निश्चित मानकों को पूरा करने वाले शहरी गरीबों के

लिए थी। झु.झो. वासी जो इन निश्चित मानकों को पूरा नहीं करते इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। बोर्ड ने 4675 परिवारों में से 3282 परिवारों को आवासीय इकाईयां आबंटित की जो 27 जेजे बस्तियों में रह रहे थे बाकी 1393 बेघर परिवारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ज.ला.ने.रा.रा.ग्रा.मि. के तहत अयोग्य पाए गए थे एवं पुर्नवास नीति के तहत योग्य थे।

अधिनियम के खण्ड 24 (2) के अनुसार बोर्ड वास्तविक लेखा एवं दूसरे प्रासंगिक अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और जिस रूप में सरकार नियमतः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर निर्धारित करती है उसी रूप में बैलेन्सशीट सहित वास्तविक लेखा तैयार करेगा। धारा 24 (5) आगे प्रावधान करती है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उसके स्थान पर उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रमाणित बोर्ड के लेखों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक रूप से सरकार को भेजा जाएगा और सरकार इसकी प्रतिलिपि को दिल्ली के विधान सभा में प्रस्तुत करेगी। फिर भी लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2013 तक पाया कि उपरोक्त व्यवस्था का पालन नहीं किया गया।

सितम्बर 2010 में ₹ 19.44 करोड़ के गबन का एक मामला देखा गया जहां रोकड़िया ने नामित बैंक में कैश जमा नहीं कराया जो कि आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

मामला रा.रा.क्षे.दि.स. की अपराध शाखा के अन्तर्गत विचाराधीन था (दिसम्बर 2013)।

बोर्ड ने बताया (जनवरी 2014) कि घोटाला उस समय की स्लम एवं झु.झो. की कार्य प्रणाली की असफलता के कारण हुआ। लेखा पुस्तिकाओं के लेखन एवं पुनर्निरीक्षण का काम एक वेंडर को दे दिया गया है और पूरा होने के बाद लेखे, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। फिर भी, लेखों के प्रारूप तथा नियमों के गठन के बारे में उत्तर मौन है।

अधिनियम की खण्ड 12 (1), बोर्ड को सामुदायिक पुनर्वास, पुनर्नियोजन या उन्नयन के लिए कार्यगत नीतियां बनाने का अधिकार देती है और निजी क्षेत्रों एवं झुग्गी सहकारी समितियों को बस्तियों के पुनर्विकास एवं रहन-सहन को सुधारने और इसके वातावरण के सुधार के लिए सहयोग लेती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि ग्यारहवीं योजना में ₹ 19.48 करोड़ का परिव्यय था किन्तु बोर्ड ने आरंभ से अब तक झु.झो. बस्तियों के स्वस्थाने विकास के लिए कोई योजना लागू नहीं की।

बोर्ड ने बताया (जनवरी 2014 ) कि मई 2013 में हुई बैठक के दौरान पीपीपी मॉडल के आधार पर तीन समूहों के स्वस्थाने उन्नयन के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

यद्यपि अधिनियम के लागू होते ही बोर्ड स्लम और दि.न.नि. के झु.झो. विभाग की सभी संपत्तियों का मालिक हो गया। फिर भी इसके पास स्थानांतरित हुई संपत्तियों के उचित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि बोर्ड की अधिकतर संपत्तियां या तो पट्टे पर दी गयी थी, या विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए आबंटित तथा किराये पर दी गयी थी, इन पट्टेधारकों या किरायेदारों से प्राप्त राजस्व संबंधी दस्तावेजों का सही रख-रखाव जरूरी है। वर्ष 2012 में, बोर्ड ने एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को एक निजी कंसलटैंट के रूप में दिल्ली में फैली अपनी संपत्तियों की सूची बनाने के लिए नियुक्त किया जबकि परामर्शदाता ने संपत्तियों की केवल अंतरिम सूची तैयार की।

बोर्ड ने बताया (जनवरी 2014) कि संपत्तियों का विवरण विभिन्न अनुभागों में उपलब्ध था किन्तु समेकित रूप में व्यवस्थित नहीं किया गया। सम्पत्तियों के वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण को बाह्य स्रोत से कराने का प्रस्ताव विचाराधीन था। सम्पत्तियों के ब्यौरों पर समेकित सूचना के तैयार करने की जरूरत को पुनः आवश्यक बताया है।

### 2.1.3 भावी योजना का तैयार न किया जाना

झु.झो. बस्ती के निवासियों को बेहतर आवासीय सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से बोर्ड का गठन किया गया था। अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दीर्घगामी योजना बनाने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि बोर्ड ने न तो कोई दीर्घकालिक भावी योजना और न ही वार्षिक योजना बनाई। रा.रा.क्षे.दि.स. ने अगले 20 वर्षों के लिए दिल्ली के स्लमों के लिये भावी योजनाओं की तैयारी एवं अध्ययन के लिए वर्ष 2012-12 में ₹ 1.20 करोड़ जारी किये जिसमें से वर्ष 2010-13 के दौरान ₹ 15.58 लाख का खर्चा किया गया पर कोई भी भावी योजना तैयार नहीं की गई।

बोर्ड ने कहा (जनवरी 2014) कि भावी योजना तैयार की जा रही थी।

### 2.1.4 योजनागत स्कीमों/परियोजनाओं की उपलब्धियाँ एवं कार्यान्वयन

बड़ी संख्या में लोगों के पुनर्वास को आश्रय की एक अनौपचारिक व्यवस्था माना गया है, अतः झु.झो. बस्तियों की समस्याओं को हल करने के लिये रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा त्रिआयामी नीतियों का गठन किया गया। यह है (i) झुग्गी के लोगों का पुनःस्थापन (ii) झु.झो. बस्तियों का स्वस्थाने उन्नयन और (iii) झु.झो. बस्तियों में न्यूनतम मूलभूत नागरिक सुविधाओं का विस्तार। जिस समय बोर्ड का गठन किया गया था, दि.न.नि. का स्लम और झु.झो. विभाग चार मुख्य योजना स्कीमों को चला रहा था, जिसे बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया गया था। योजनाओं के कार्यान्वयन में संलग्न बोर्ड के किसी भी मंडल के पास उन चालू योजनाओं से संबंधित उद्देश्य, मानदण्ड, नियम एवं उपनियम उपलब्ध नहीं थे। बोर्ड द्वारा लागू की गई चार योजनागत स्कीमों के अभिलेखों की जांच पड़ताल करने पर निम्नलिखित पाया गयाः

#### 2.1.4.1 शहरी स्लमों में पर्यावरण सुधार

इस योजना के अन्तर्गत झु.झो. बस्तियों में जलापूर्ति, सीवर एवं तीव्र गति वाले नाले, सामुदायिक स्नानागार, वर्तमान पथों पर खडंजा एवं उनको चौड़ा करना, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाऐं प्रदान की जानी थी। पिछले तीन वर्षों के लिये हर वर्ष का आबंटन तथा व्यय का ब्यौरा **तालिका 2.1.1** में दिया गया हैः

**तालिका 2.1.1**
**बजट और व्यय का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | वर्ष | उपलब्ध निधियाँ | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010-11 | 6.00 | 5.04 |
| 2 | 2011-12 | 40.96 | 22.55 |
| 3 | 2012-13 | 21.91 | 21.49 |
| **कुल** | | **68.87** | **49.08** |

685 झु.झो. बस्तियों में से केवल 158 में नल के पानी की सुविधा थी जहां पर 150 व्यक्तियों के अनुपात के विपरीत 250 से 300 व्यक्तियों की अनुपातिक जनसंख्या को सार्वजनिक नल द्वारा जल उपलब्ध कराया जा रहा था। सार्वजनिक नल पर 20 से 30

मिनट तक पानी के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी और केवल 72 बस्तियों में सीवर की सुविधाएं थी। झु.झो. बस्तियों में सड़कें और नालियां टूटी-फूटी अवस्था में थी जबकि गलियों की सड़कों और खुली नालियों पर सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ और ईंटों की फर्श बनाने की स्कीम के अंतर्गत ₹ 49.08 करोड़ का व्यय किया गया।




**झु.झो. बस्ती में स्थित इन्दिरा कैम्प नं. 5, और काली बस्ती, (विकास पुरी) में सड़कों और गलियों की दशा**

बोर्ड ने कहा (जनवरी 2014) कि झु.झो. कालोनियों में पांच वर्ष के अन्तराल के बाद सीमेंट कंक्रीट के फर्श, खडंजे एवं नालियां उपलब्ध करायी गयी थी इसलिए कुछ झु.झो. समूहों में सड़कों एवं नालियों की स्थिति जर्जर हो सकती है। बोर्ड ने इन सुविधाओं को भविष्य में प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

### 2.1.4.2 जन सुविधा काम्प्लेक्स का निर्माण

स्कीम कॉ मुख्य उद्देश्य झु.झो. बस्तियों के निवासियों द्वारा खुले में मल त्याग के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं की देख-भाल करना है। परियोजना के अंतर्गत झु.झो. बस्तियों के विभिन्न स्थानों पर जन सुविधा समूहों का निर्माण होना था। 11वीं योजना में ₹ 9.51 लाख स्लमवासी जो अधिसूचित स्लम क्षेत्रों में एवं 21 लाख लोगों को जो झु.झो. बस्तियों में रह रहे हैं को समावेशित करने की योजना के लिए ₹ 24.35 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान रखा गया था। बजट आबंटन का वर्षवार विवरण, वास्तविक व्यय, पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्य एवं उपलब्धियां **तालिका 2.1.2** में दी हुई हैं:

**तालिका 2.1.2**

**बजट, व्यय, लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | वर्ष | आबंटन | खर्चा | लक्ष्य (डब्ल्यूसी)* | उपलब्धि (डब्ल्यूसी)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010–11 | 2.50 | 2.38 | 400 | 220 |
| 2 | 2011–12 | 5.12 | 3.62 | 200 एवं 10 एमटीवी" | 20 एवं शून्य एमटीवी" |
| 3 | 2012–13 | 3.50 | 3.44 | 300 | 54 |
| **कुल** | | **11.12** | **9.44** | **900 एवं 10 एमटीवी **** | **294 एवं शून्य एमटीवी**** |

*'वाटर क्लोजैट, "मोबाईल टोयलेट वैन*

पिछले तीन वर्षों में जोड़े गए सभी 294 वाटर क्लोजेट इस्तेमाल हुए।




*उत्तम नगर और हरिजन बस्ती, (तिलक नगर) जेएससी उपयोग करने की हालत में नहीं थे*

राष्ट्रीय मानदण्ड 20-25 लोगों के लिए एक (डब्ल्यूसी) वाटर क्लोजैट का प्रावधान करता है। बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 685 झु.झो. बस्तियों के लगभग 21 लाख लोगों के लिए आवश्यक 83687 वाटर क्लोजैट के विरूद्ध 605 बस्तियों में मात्र 17626 वाटर क्लोजैट थे जो पूर्णरूपेण अपर्याप्त थे।

इसलिए बोर्ड झु.झो. बस्तियों में 294 वाटर क्लोजैट के निर्माण के लिए तथा वर्तमान वाटरक्लोजैट के लिए 2010-13 के दौरान ₹ 9.44 करोड़ खर्च करने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा।

बोर्ड ने बताया (जनवरी 2014) कि दि.श.आ.स.बो. के गठन से पहले झु.झो. कलस्टर के काम्प्लेक्स का अनुरक्षण दि.न.नि. करता था। जोकि बोर्ड को दिन प्रतिदिन परिचालन अथवा अनुरक्षण के लिए स्थानांतरित नहीं किया गया और अभी तक दि.न.नि. के पास है। तथापि, निकासी सम्मेलन में सी.ई.ओ ने सूचित किया कि उन्होंने जैसा है और जहां है के आधार पर इन शौचालयों को दि.न.नि. से अपनी देख-रेख में लेने का फैसला लिया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इन शौचालयों को झु.झो. बस्तियों के साथ ही दि.न.नि. से अपने देख-रेख में लिया जाना था।

### 2.1.4.3 झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में शिशु वाटिका का निर्माण

इस स्कीम के तहत झु.झो. बस्तियों में खाली भूमि पर ग्रिल सहित बाउण्डरी वाल का निर्माण करवाना है और झु.झो. बस्तियों में रहने वाले बच्चों की मनोरंजन सुविधाओं के लिए खेल उपकरणों जैसे सी.सॉ., रिवाल्विंग प्लेटफार्म, झूले एवं स्लाइडस आदि उपलब्ध कराना था। 2010-13 के दौरान 13 नई शिशु वाटिकाओं का निर्माण हुआ (बोर्ड के द्वारा 12) और पहले से विद्यमान 216 के साथ शामिल किया। बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण **तालिका 2.1.3** में दिया गया है:

**तालिका 2.1.3**
**बजट और व्यय का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं | वर्ष | आवंटन | खर्च | लक्ष्य | प्राप्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2010-11 | 2.00 | 1.11 | 20 | 3 |
| **2** | 2011-12 | 5.89 | 1.06 | 40 | 4 |
| **3** | 2012-13 | 4.83 | 2.40 | 10 | 6 |
| **कुल** | | **12.72** | **4.57** | **70** | **13** |

तालिका में दिए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बोर्ड पिछले तीन सालों में निर्धारित किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा ने शिशु वाटिकाओं से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा की एवं उनकी वास्तविक स्थिति के निर्धारण के लिए सभी 229 स्थानों का प्रत्यक्ष दौरा भी किया। दौरे का निष्कर्ष **तालिका 2.1.4** में प्रस्तुत है:

**तालिका 2.1.4**

**शिशु वाटिकाओं के सर्वेक्षण के नतीजे**

| शिशु वाटिकाओं (शि.वा.) की संख्या जिनका प्रत्यक्ष दौरा किया गया-229 | | |
|---|---|---|
| 1 | पर्याप्त खेल उपकरण उपलब्ध नहीं थे। | 167 |
| 2 | चारदिवारी का निर्माण नहीं हुआ या वह अब विद्यमान नहीं थी। | 23 |
| 3 | साफ–सफाई का स्तर पर्याप्त नहीं था। | 120 |

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वाटिकाओं के उपकरण टूटे हुए थे या कार्यरत नहीं थे। अपर्याप्त रखरखाव के कारण इन वाटिकाओं के स्थान कूड़े का ढेर बन चुके हैं जो बोर्ड के द्वारा निगरानी के अभाव का सूचक है।



*शिशु वाटिका, विकास पुरी, अतिक्रमण के अधीन कूड़ा डालने के उपयोग में लाई जा रही है।*



*आशा डिस्पेंसरी के नजदीक शिशु वाटिका, टिकरी कैंप*

बोर्ड ने कहा (जनवरी 2014) जहां भी कचड़े का ढेर पाया जायेगा, हटाया जाएगा और झु.झो. बस्तियों के लोगों की भलाई के लिए योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा। यद्यपि, खेल उपकरण एवं वाटिकाओं की स्थिति पर सामान्यतः उत्तर मौन है।

### 2.1.4.4 निर्माण सुविधाऐं/बारात घर/बस्ती विकास केन्द्र का प्रबन्ध करना

इस योजना के अन्तर्गत, बोर्ड अधिसूचित स्लमों में बहुद्देशीय सुविधाऐं/बारात घर, झु. झो. बस्तियों में बस्ती विकास केन्द्र एवं पुनः स्थापित कॉलोनियों का प्रबन्ध करता है। व्यय के साथ-साथ आबंटन का वर्ष-वार विवरण **तालिका 2.1.5** में दिया गया है:

**तालिका 2.1.5**

**बजट और व्यय का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | वर्ष | आबंटन | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010-11 | 2.80 | 2.76 |
| 2 | 2011-12 | 6.04 | 4.35 |
| 3 | 2012-13 | 17.20 | 15.17 |
| **कुल** | | **26.04** | **22.28** |

तालिका में दिए आंकड़े ये दर्शाते हैं कि बोर्ड द्वारा ₹ 26.04 करोड़ में से ₹ 22.28 करोड़ (86 *प्रतिशत*) का उपयोग किया। इस खर्चे में बस्ती विकास केन्द्रों और विद्यमान बारात घरों की मरम्मत और रख-रखाव पर किया खर्चा ₹ 12.81 करोड़ और नवनिर्माण पर ₹ 9.47 करोड़ का खर्च शामिल है। बस्ती विकास केन्द्रों और बरात घरों से संबंधित लेखों की जांच पड़ताल में निम्नलिखित दर्शाया है:

### (अ) बस्ती विकास केन्द्र

बोर्ड के गठन के समय 284 बी.वी.के. थे एवं वर्ष 2010-13 के दौरान झु.झो. बस्तियों के निवासियों को अनौपचारिक शिक्षा, चिकित्सा सुविधाऐं, कार्योन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 14 बी.वि.के. और निर्मित किये गये। लेखापरीक्षा में पाया गया था कि बी.वी.के. निजी एजेन्सियों द्वारा चलाये जा रहे थे तथा इन बि.वि.के. के आवंटन, इसे चलाने के क्रियाकलाप एवं आबंटिती से किराया या लाइसेंस शुल्क वसूल करने के लिए बोर्ड में कोई निर्धारित नीति नहीं थी। बोर्ड के पास ऐसा कोई तन्त्र नहीं था जो यह सुनिश्चित करे कि जिस कार्य के लिए बी.वि.के. आबंटित किये गये थे उसी उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। सभी 298 बी.वि.के. के दौरों में निम्नलिखित पाया गया:

**तालिका 2.1.6**
**बस्ती विकास केन्द्रों का सर्वे निष्कर्ष**

| निरीक्षण किए गए बस्ती विकास केन्द्रों की संख्या-298 | | |
|---|---|---|
| 1 | बी.वि.के. रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कार्यालयों के रूप में उपयोग किए जा रहे बस्ती विकास केन्द्र | 6 |
| 2 | बी.वि.के. जो खाली या उपयोग में नहीं हैं | 9 |
| 3 | बी.वि.के. नियमित रूप से कार्य नहीं कर रहे | 16 |
| 4 | बी.वि.के. जिनमें पर्याप्त जल सुविधा नहीं है | 57 |
| 5 | बी.वि.के. जिनमें पर्याप्त विद्युत सुविधा नहीं है | 21 |
| 6 | व्यापारिक या निजी मामलों में प्रयोग हो रहे बीवीके | 13 |
| 7 | रात्री शिविरों के रूप में प्रयोग हो रहे बस्ती विकास केन्द्र | 13 |

बोर्ड ने जबाव दिया कि सामाजिक उपभोक्ता सैक्टर के अन्तर्गत सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की दृष्टि से बोर्ड ने 298 बस्ती विकास केन्द्रों में 336 विभिन्न एन.जी.ओ. और ट्रस्टों या सरकारी अभिकरणों को स्थान आबंटित किये। ये अभिकरण स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं नारी सशक्तिकरण कार्यक्रमों का इनपुट प्रदान करते हैं जिससे कि झु.झो. समूहों में रहने वाले स्लमवासी अपनी आजीविका कमा सकें। हालांकि जवाब लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों के लिए पर्याप्त नहीं है।

### (ब) बारात घर (सामुदायिक केन्द्रों) का निर्माण

बोर्ड की सामुदायिक केन्द्र शाखा (सा.के.शा.) सामुदायिक केन्द्रों की देखभाल करती है एवं यह सामुदायिक केन्द्रों को उपभोक्ताओं को किराये पर देने, लाइसेन्स फीस की वसूली, केन्द्र के क्रियाकलापों का ध्यान रखना, बकायादारों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होती है।

बोर्ड के पास सामुदायिक केन्द्रों की संख्या के बारे में विसंगतियां थी जैसे कि सा.के. शाखा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 162 सामुदायिक केन्द्र थे जबकि बोर्ड की अभियांत्रिकी विंग तथा परामर्शदाता ने बताया कि क्रमशः 165 और 140 सामुदायिक केन्द्र थे। लेखापरीक्षा की जांच के अनुसार समुदायिक केन्द्रों की उपयोगिता का ब्यौरा **तालिका 2.1.7** में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 2.1.7

सामुदायिक केन्द्रों की स्कीम में कमियाँ

| 162 सामुदायिक केन्द्रों के परिणाम | | |
|---|---|---|
| 1 | विशेष रूप से रैन बसेरों के रूप में प्रयुक्त सामुदायिक केन्द्र | 13 |
| 2 | सरकारी कार्यालय, स्कूल, बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में प्रयुक्त सामुदायिक केन्द्र | 39 |
| 3 | अनुपयुक्त अवस्था में सामुदायिक केन्द्र | 17 |
| 4 | निजी पार्टियों के अधिकार में सामुदायिक केन्द्र | 8 |
| 5 | अन्य उद्देश्य जैसे सरकारी कार्यालय, रैन बसेरों आदि के रूप में प्रयुक्त सामुदायिक केन्द्र परन्तु कुछ स्थान सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध | 52 |
| 6 | विशेष रूप से सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध सामुदायिक केन्द्र | 33 |

सामुदायिक केन्द्रों के लिए निर्मित 162 भवनों में से केवल 85 ही वांछित उद्देश्य के लिए पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में किसी तरह उपलब्ध थे। बाद में यह भी संज्ञान में आया कि सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध 85 सामुदायिक केन्द्रों में से 8 में बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं थी एवं 36 में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं थी।





*भलस्वा डेयरी पर सामुदायिक केन्द्र दयनीय अवस्था में थे। दायीं ओर की तस्वीर इसके आस-पास के वातावरण को व्यक्त करती है।*

बोर्ड ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया है (जनवरी 2014) और व्यक्त किया कि उनके पास सम्पत्तियों के केन्द्रीय समेकित अभिलेख या सम्पत्तियों का विवरण नहीं था।

## 2.1.5 रैन बसेरों का प्रबंधन

### 2.1.5.1 स्थायी रैन बसेरों के प्रबंधन के कार्य को अनियमित रूप से सौंपना

बोर्ड ने 44 रैन बसेरों के प्रबंधन के लिए गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये एवं निजी पार्टियों को ₹ 31,646 प्रति रैन बसेरा प्रति माह (वर्ष 2012-13 से संशोधित ₹ 35,087) की दर से आबंटित (दिसंबर 2011) किये। जांच दर्शाती है कि कार्य के लिए निजी पार्टियों का चयन करने वाले आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये। किसी भी चयनित पार्टी के पास बेघर लोगों से संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव नहीं था। आगे, सा.वि.नि. का नियम 204, जो अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों को परिभाषित करता है के अनुसार अनुबंध की शर्तें संक्षिप्तए निश्चित एवं विसंगतियों रहित होनी चाहिए। शर्तें किसी संदिग्ध या अनिश्चित उत्तरदायित्व से मुक्त होनी चाहिए। यद्यपिए जांच में पाया गया किः

- एस.एल.ए. में रैन बसेरों के उपभोक्ताओं को उनके चलाने वालों के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बारे में विशेष रूप से उल्लेख नहीं था; और

- दिया जाने वाला मासिक शुल्क रात्रि शिविरों में नियुक्त अभिरक्षकों की संख्या और उन्हें देय वेतन का उल्लेख किये बगैर निर्धारित किया गया।

बोर्ड ने बताया (जनवरी 2014) कि उसने रैन बसेरों को चलाने के लिए आवेदन उचित रूप से सुझाये हुए प्रारूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित किये हैं और गैर-सरकारी संगठनों में उनकी दक्षता के आधार पर एवं अनुभव के आधार पर चुना गया। बोर्ड ने घोषित किया कि यूँ तो करार में अभिरक्षकों की संख्या विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था किन्तु मासिक शुल्क रैन बसेरों को चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम श्रम शक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये गये। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न तो समाचार पत्र की अधिसूचना में और न ही आवेदन के आरूप में आवेदकों के लिए किसी कसौटी का उल्लेख यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल व्यवसायी ही अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं और रैन बसेरों में आवश्यक संख्या में अभिरक्षक उपलब्ध थे।

### 2.1.5.2 रात्रि शिविरों के लिए पोर्टा कैबिनों पर अनियमित व्यय

एक सोसाईटी (मदर एन.जी.ओ. सैंटस्टीफन हास्पिटल) ने बोर्ड को नवम्बर 2011 में एक प्रस्ताव यह बताते हुए कि वे शिविरों के लिए पोर्टा कैबिन का उन्मूलन और संचालन पहले तीन महीने के लिए ₹ 1.00 लाख के मासिक शुल्क पर तथा उसके पश्चात् ₹ 2500 प्रति माह पर करेंगे। तीन साल का कुल किराया ₹ 1.86 करोड़ परिकलित किया गया। सोसाईटी ने (तीसरी पार्टियों के द्वारा) ₹ 31,646 प्रति शैल्टर मासिक शुल्क पर इन ढांचों में ही चलाने का भी प्रस्ताव दिया।

बोर्ड ने दिसम्बर 2011 से जनवरी 2012 के बीच ₹ 1.26 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया और फरवरी 2012 में सोसाईटी के साथ सहमति पत्रक (एमओए) पर हस्ताक्षर किया, संस्था के ज्ञापन के अनुसार मजबूत जी.आई शीटों से बना जल एवं अग्नि अभेद्य ढांचा जोकि हर मौसम के अनुकूल हो, हवादार पोर्टा केबिन बनाने थे जिसमें यह नहीं बताया गया कि इन रैन बसेरों में क्या सेवायें दी जानी थी। 5 दिसम्बर 2011 एवं 30 जनवरी 2012 के बीच 62 ढांचे तैयार हुए एवं बोर्ड ने नवम्बर 2012 में ₹ 60 लाख का बकाया भुगतान कर कुल ₹ 1.86 करोड़ की अदायगी की। लेखापरीक्षा ने जांच में पाया कि अदायगी पोर्टा केबिनों के किराये के नाम पर की गई थी परन्तु व्यवहारिक रूप में यह अदायगी ₹ 3 लाख प्रति केबिन की कीमत पर पोर्टा केबिनों को स्थापित करने के लिए की थी जिसके लिए सरकार द्वारा सा.वि.नि. के अनुसार प्रतिस्पर्धी कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की जानी थी।

बोर्ड ने कहा (जनवरी 2014) कि विक्रेताओं की दरों को रा.रा.क्षे.दि.स. के मण्डलायुक्त की प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दरों से तुलना करने के बाद एवं उच्च न्यायालय की सतत निगरानी के कारण समय की कमी की वजह से कार्य सोसाइटी को सौंपा गया उसने आगे बताया किया कि प्रथम तीन माह के लिए ₹ 3.00 लाख प्रति माह सोसाइटी को किराया दिया गया था न कि यह एक पोर्टा केबिन की कीमत थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दरों की विभिन्न संगठनों की दरों के साथ तुलना बोर्ड को उसकी संहिता के प्रावधानों को निभाने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता। इसके अतिरिक्त पोर्टा केबिन में रैन बसेरे चलाने का आदेश न्यायालय का नहीं था अपितु पोर्टा केबिनों में रैन बसेरे चलाने का प्रस्ताव गैर-सरकारी संस्था का था।

### 2.1.5.3 असंगत मूल्य पर टेंटों को किराये पर लेना

7 जनवरी 2013 को 40 मेजों के साथ-साथ 1000 स्क्वेयर फीट क्षेत्रफल के परस्पर 5 टिन के ढांचे एवं अन्य वस्तुऐं ₹ 2667.43 प्रतिदिन के हिसाब से मुहैया कराने के लिए एक निजी पार्टी को आपूर्ति आदेश दिया गया था। यद्यपि, आपूर्तिकर्ता ने एक टिन ढांचा एवं 400 वर्ग फीट के चार कपड़े के तम्बू मुहैया कराये।

इसके अतिरिक्त 20 और ढांचे खड़े करने के लिए सी.ई.ओ. के अनुमोदन के लिए लिखी टिप्पणी में यह प्रस्तावित किया गया था कि क्योंकि टिन के ढांचे खड़े करने में काफी समय लगता जो आपात स्थितियों में संभव नहीं था इसलिए अल्प समय में पगोड़ा टाइप पूर्व गठित एल्यूमिनियम के ढांचे स्थापित किये जाएंगे। सी.ई.ओ. ने प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि जहां अधिक आवश्यक हो टिन के ढांचे खड़े करने चाहिए जबकि जहां कम संख्या में लोगों के समायोजन की आवश्यकता हो पगोड़ा टाइप शेड उपयोग में लाने चाहिए थे एवं शेड के प्रकार का यह निर्णय ओ.एस.डी. (रैन बसेरे), क्षेत्र के कार्यकारी अभियंता एवं गैर सरकारी संस्था द्वारा बनी एक समिति को लेना था। हालांकि ऐसी कोई समिति नहीं बनी किन्तु लगाये जाने वाले पगोड़ा किस्म के टेंट एवं टिन संरचना की संख्या स्पष्ट किये बिना तीन एजेंसियों को 11 जनवरी 2013 को 20 ढांचों का आपूर्ति आदेश जारी हुआ जिससे आपूर्तिकर्ताओं को उनकी इच्छानुसार शेड़ खड़ी करने की खुली छूट दी गई। आपूर्ति आदेश के अनुसार टिन शेड का क्षेत्र 1000 वर्ग फीट एवं कपड़े के टेंटों का क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट था। किन्तु दोनों तरह के टेंटों का किराया बराबर था जो ₹ 2667.43 प्रतिदिन या ₹ 82,690 प्रतिमाह था। ठेकेदारों ने केवल 15 पैगोड़ा टाईप कपड़े के तम्बू एवं 5 टिन संरचनाऐं खड़ी कीं। क्योंकि बोर्ड ने दोनों तरह के टेंटों (भिन्न-भिन्न क्षेत्र के लिए) के किराये को नियोजित नहीं किया इसलिए बोर्ड को वित्तीय हानि हुई जो कि टाली जा सकती थी।

बोर्ड ने जनवरी 2014 में घोषणा की कि 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल के तम्बू उपलब्ध नहीं थे और यह प्रयास किये जा रहे थे कि उन तम्बुओं को पूर्व गठित पोर्टा केबिन या टिन शेड से बदला जाय। हालांकि यह वर्णित नहीं था कि उनके आकार के हिसाब से कपड़े के तम्बुओं का किराया कम क्यों नहीं किया गया था।

### 2.1.5.4 रैन बसेरों का भौतिक सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा ने यादृच्छिक चयन के आधार पर दिसम्बर 2013 में प्रथम-दृष्ट्या एवं उनकी क्रियात्मक स्थिति देखने के लिए 58 रैन बसेरों का दौरा किया। दौरे के परिणामों का विवरण **तालिका 2.1.8** में है:

**तालिका 2.1.8**

**रैन बसेरों के सर्वेक्षण का विवरण**

| प्रकार | कुल संख्या | दौरे | जल सुविधा का न होना | बिजली के बिना | बिना शौचालय के | नियमित सफाई का अभाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्थायी | 66 | 22 | - | - | 1 | 6 |
| पोर्टा केबिन | 84 | 28 | 5 | 1 | 5 | 8 |
| अस्थायी | 25 | 8 | 1 | 8 | 5 | 6 |

यह देखा गया कि:

- सभी रैन बसेरों में कम्बल हालांकि पर्याप्त थे किन्तु गन्दी स्थिति में थे,

- कपड़े के तम्बुओं में पूर्ण रूप से अस्थायी रैन बसेरे चल रहे थे जो सर्दियों के लिए अनुपयुक्त थे,
- तम्बुओं वाले रैन बसेरे चारदिवारी से घिरे हुए नहीं थे यहां तक कि लावारिस पशुओं एवं गैर सामाजिक तत्वों को रोकने के लिए टिन की शीट भी नहीं लगी थी,
- सभी 58 रैन बसेरों की सफाई की स्थिति स्वास्थ्यकर नहीं थी, एवं
- आठ अस्थायी रात्रि शिविरों में से किसी में भी प्रकाश की व्यस्था नहीं की गई थी।




*चांदनी चौक और आदर्श नगर में बिना बाउंड्री कपड़ों से निर्मित रैन बसेरे*

## 2.1.6 वित्तीय प्रबंधन

### 2.1.6.1 निधियों का मण्डलों के लिए अनाधिकृत स्थानांतरण

बोर्ड ने जनवरी 2011 में हुई अपनी मीटिंग में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पालन किये जाने वाले वित्तीय प्रावधान को अपनाने का निर्णय लिया। इस पद्धति के अन्तर्गत, ठेकेदारों के बिल की सदस्य (वित्त) के नेतृत्व में बोर्ड के वित्तीय स्कंध द्वारा संवीक्षा की जाती है तथा पारित बिल कार्यकारी अभियंता के बैंक खाते में ठेकेदार को भुगतान करने के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रक्रिया का मार्च 2013 तक पालन किया गया। उसके बाद वित्तीय स्कंध ने एकमुश्त निधियों को अग्रिम रूप से बोर्ड के सभी 17 मंडलों की कार्यकारी अभियंताओं के खाते में डालना आरंभ कर दिया। नई प्रक्रिया में बदलने के लिए बोर्ड का अनुमोदन (सक्षम प्राधिकारी) नहीं लिया गया था। इसलिए नई वित्तीय पद्धति को अपनाना अनाधिकृत था एवं कमजोर वित्तीय व्यवस्थ का द्योतक इस प्रकार था:

(i) नई प्रणाली के अन्तर्गत, कार्यकारी अभियंता ठेकेदार के बिल को संवीक्षा के लिए वित्त स्कंध को प्रस्तुत नहीं करता अपितु सीधे ठेकेदारों को भुगतान करता है। वित्तीय स्कंघ के पास मंडल के अन्तर्गत भुगतान किये जाने वाले बिलों की प्रमाणिकता को जांचने का कोई साधन या प्रणाली नहीं थी, और

(ii) मंडल के खाते में अगस्त 2013 को ₹ 118.11 लाख की राशि बेकार पड़ी हुई थी जो मंडल की निधियों का अवास्तविक स्थानांतरण दर्शाती है।

अपने जवाब में बोर्ड ने कहा कि ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान में देरी से बचने के लिए एवं मंडल स्तर पर अबाध क्रियान्वयन को सरल बनाने के लिए अनुमोदित योजना कार्यक्रम के अनुसार आवश्यकताओं पर आधारित मंडलों को त्रैमासिक अनुदान जारी किये गये।

### 2.1.6.2 राजस्व संग्रहण में सुधार के लिये पहल की कमी

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना और दस्तावेजों की जाँच से पता चला कि अगस्त 2013 तक, बोर्ड की संपत्तियों के 4034 आबंटितों से पट्टा किराये के

₹ 232.10 करोड़ वसूल किए जाने थे। बकाया किराये की अनिवार्यता 57 साल तक की परिधि में थी। बकाया राशि के विवरण का सारांश **तालिका 2.1.9** में दिया है:

**तालिका 2.1.9**

**बकाया राजस्व का विवरण**

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | अनुभाग | आबंटन का उद्देश्य | केसों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सामुदायिक भवन | कार्यालय | 12 | 96.53 |
| 2 | बस्ती विकास केन्द्र | कार्यालय | 51 | 6.99 |
| 3 | आर.पी.सेल | दुकानें | 51 | 23.91 |
| 4 | लीज़ और परिसमापन | आवासीय | 30 | 6.54 |
| 5 | एस.सी.पी. | दुकानें | 61 | 10.13 |
| 6 | संस्थात्मक आबंटन | संस्थान | 18 | 138.26 |
| 7 | पशु डेयरी | डेयरी फार्म | 1250 | 834.75 |
| 8 | आबंटन सैल | आवासीय | 52 | 23.04 |
| 9 | संपति सैल | आवासीय | 60 | 2.16 |
| 10 | हाउसिंग | आवासीय | 2449 | 22067.61 |
| **कुल** | | | **4034** | **23209.92** |

चूँकि बोर्ड ने समेकित मांग पंजिका नहीं बनाई थी इसलिए बकाया राशियों की निगरानी व्यक्तिगत फाइलों के द्वारा की जा रही थी। जिस कारण वसूल की जाने वाली सही राशि का निर्धारण नहीं हो सकता था। बकाया राशि इसकी वसूली के लिए बोर्ड द्वारा ठोस कदम उठाने में लापरवाही को इंगित करती है।

बोर्ड का कहना था कि (जनवरी 2014) बकाया राशि दि.न.नि. के स्लम एवं झु.झो. विभाग के कार्यकाल से संबंधित थी और अब उन्हें प्राप्त हुई थी। आगे यह भी कहा गया कि बकाया राशि की वसूली के लिए कुछ कदम उठाये गये और राजस्व के नये साधन बनाये गये।

### 2.1.6.3 पार्किंग स्थल के आबंटन में देरी के कारण नुकसान

जुलाई 2010 में गठित बोर्ड के परिणाम स्वरुप स्लम और झु.झो. विभाग की सारी संपत्तियाँ बोर्ड की संपत्ति हो गयी और इस प्रकार इनको उपरोक्त वर्णित पार्किंग साइट से प्राप्त होने वाली पूर्ण लाइसेंस फीस पर अधिकार प्राप्त हो गया।

**(अ)** दि.न.नि. की स्लम बस्ती और झु.झो. विभाग ने (सितंबर 2007) राजा गार्डन, जिला केन्द्र के भू-खण्ड को पार्किंग हेतु एक ठेकेदार को ₹ 13.53 लाख वार्षिक की दर से आबंटित किया था। करार 10 सितंबर 2007 से 5 वर्ष के लिये प्रभावी था। सितंबर 2009 में तय किया गया था कि लाइसेंस शुल्क को बराबरी से स्लम और झु. झो. विभाग तथा दि.न.नि. मे बाँटा जायेगा। यद्यपि भूमि का स्वामित्व दि.न.नि. ने बोर्ड को जुलाई 2010 में परिवर्तित कर दिया गया था, 9 सितम्बर 2012 तक ठेका लागू रहा तथा बोर्ड द्वारा लाइसेंस फीस की राशि को नवम्बर 2010 तक दि.न.नि. के साथ साझा किया। जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड को इस गणना पर ₹ 11.07 लाख का नुकसान हुआ।

**(ब)** करार की शर्त की समय सीमा की समाप्ति के उपरांत भी बोर्ड ने ₹ 2.05 लाख प्रति माह की उसी दर से करार में समय वृद्धि को 10 जनवरी 2013 तक बढ़ा दिया। इसके बाद खुली निविदा के माध्यम से बोर्ड ने भूखण्ड को 13 जून 2013 को

₹ 1.26 करोड़ सालाना की दर पर दूसरे ठेकेदार को दो वर्ष के लिये आबंटित किया। इस प्रकार, भू-खण्ड 11 जनवरी 2013 से 12 जून 2013 तक बगैर आबंटन के रहा। यदि बोर्ड ने सितंबर 2012 में पहले के करार की समाप्ति के तुरंत बाद पार्किंग स्थान के आबंटन के लिए खुली निविदाओं का तरीका चुना होता तो उसे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता।

बोर्ड ने बताया कि (जनवरी 2014) अनजाने में लाइसेंस शुल्क को नवंबर 2010 तक दि.न.नि. के साथ बाँटा गया एवं वसूली का मामला दि.न.नि. के साथ उठाया जा चुका है। बोर्ड ने आगे कहा है कि उसे पार्किंग के नये आबंटन की निबंधन एवं शर्तें तैयार करने के लिए समय चाहिए था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के सितंबर 2012 में समाप्त होने की बोर्ड को जानकारी थी। बोर्ड को नये आबंटनों की प्रक्रिया समय रहते आरंभ करनी चाहिए थी।

### 2.1.7 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग में एक डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एकांउट, एक एकाउंट ऑफिसर और दो जूनियर एकाउटेंट हैं। यह अनुभाग विभिन्न विभागो और शाखाओं, जिसमें बोर्ड के निर्माण मण्डल भी शामिल हैं के नमूना लेखा परीक्षण का कार्य करता है। बोर्ड की स्थापना के समय से सिर्फ एक मंडल के लेखाओं की लेखापरीक्षा अगस्त 2013 में की गई है। आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशालय रा.रा.क्षे.दि.स. के द्वारा भी बोर्ड की जनवरी 2014 तक कोई लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

इस प्रकार आंतरिक लेखा परीक्षण की अनुपस्थिति और आंतरिक गड़बडियों एवं कमियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया कमजोर थी और बोर्ड के कार्य को नियंत्रित करने के साधन अपर्याप्त थे।

बोर्ड का कथन है कि (जनवरी 2014) स्टाफ की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं था तथा इस स्कंध को मजबूत करने के प्रयास किये जा रहे थे।

### 2.1.8 निष्कर्ष

बोर्ड अभी तक पूर्ण रुप से गठित नही हुआ है क्योंकि बोर्ड के शीर्ष पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जानी शेष थी। बोर्ड ने सोच-विचार के साथ नियमों के मूलभूत वैधानिक प्रावधानों के प्रतिपादन को सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपायों की पहल नहीं की और परियोजना को प्रस्तुत नहीं किया बोर्ड का दृष्टिकोण उसके लेखे, लेखों संबंधी नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति लापरवाही पूर्ण था। पूर्ववत् दि.न.नि. द्वारा पहल की गई कार्यरत परियोजनाओं का कार्यान्वयन विसंगतियों, कमियों एवं वित्तीय अनियमितताओं से बाधित हुआ। बोर्ड द्वारा चलाई जा रही रैन बसेरों की योजना दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से कार्यान्वित नहीं हो सकी निविदाओं के बिना संविदा दिए जाने से ठेकेदारों को अवांछित लाभ पहुँचाया गया।

अपनी संपतियों के प्रबंधन और राजस्व वसूली में बोर्ड के प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता है क्योकि इसके पास अपनी संपतियों से संबंधित पर्याप्त और विश्वसनीय अभिलेख नहीं थे।

### 2.1.9 अनुशंसायें

सरकार और बोर्ड निम्न सुझावों पर विचार कर सकते है:

- वर्तमान लेखा विधि पद्धति का पुनरावलोकन किया जाए और कोई भी नई पद्धति जिसको उचित समझें को लागू करें;

- बोर्ड को अतिरिक्त आय प्राप्ति के स्त्रोतों की खोज करना चाहिए उसके पास अपनी सम्पत्तियों के उचित अभिलेख होने चाहिए। और आबंटितों से बकाये की वसूली के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए; और
- इस प्रकार के कार्य करने वाले निपुण संगठनों को इनको सौंप कर रात्रि शिविरों के प्रबंधन में सुधार करें।

# प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

## 2.2 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को औद्योगिक उत्पादन, सेवाओं, उत्पादकता, नवीनीकरण और दिल्ली की अर्थव्यवस्था के नियोजित सुधार के लिए प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति मुहैया कराता है। कुछ मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैः

*मुख्य बिन्दुः*

- *योजनागत व्यय में बचत थी जो कि 2008.09 में ₹ 2.21 करोड़ (7.43 प्रतिशत) से 2012-13 में ₹ 21.41 करोड़ ( 30.58 प्रतिशत) बढ़ गयी।*

*(पैराग्राफ 2.2.2)*

- *2008-12 के दौरान विद्यार्थियों की प्रशिक्षण छोड़ने की दर 16 से 23 प्रतिशत थी।*

*(पैराग्राफ 2.2.3)*

- *आईटीआई में 1140 संस्वीकृत पदों में से 292 पद रिक्त थे। पॉलिटेक्निको में 1080 तकनीकी पदों में से 309 रिक्त थे। प्रधानाचार्यों के नौ में से आठ तथा विभागाध्यक्षों के 25 संस्वीकृत पदों में से 21 पद रिक्त थे। शिल्प प्रशिक्षकों तथा समूह प्रशिक्षकों की दो प्रमुख श्रेणियों में रिक्तियाँ (31 व 62 प्रतिशत तक) बहुत अधिक थीं।*

*(पैराग्राफ 2.2.4 एवं पैराग्राफ 2.2.4.1)*

- *आईटीआई में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित 'मानक उपकरण सूची'' के अनुसार आवश्यक औजारों तथा उपकरणों का अभाव था।*

*(पैराग्राफ 2.2.5.2)*

- *शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में, आवश्यक अवसंरचना तथा संकाय सदस्य सुनिश्चित किए बिना ही नए ट्रेड तथा वर्तमान ट्रेडों में अतिरिक्त 106 नई इकाईयाँ (प्रवेश क्षमता 2236 सहित) प्रारंभ की गई। सीओई के अंतर्गत आरंभ किए गए किसी भी ट्रेड को एनसीवीटी से सम्बध्दता प्राप्त नहीं हो सकी।*

*(पैराग्राफ 2.2.7.2 एवं पैराग्राफ 2.2.10.1)*

- *2008-13 के दौरान 17 आईटीआई के 170 लक्षित निरीक्षण के प्रति निदेशक द्वारा केवल दो आईटीआई में प्रत्येक में एक-एक निरीक्षण किया गया।*

*(पैराग्राफ 2.2.7.3)*

### 2.2.1 भूमिका

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय (निदेशालय), रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार दिल्ली में व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा हेतु नियंत्रक विभाग है। निदेशालय को औद्योगिक उत्पादन, सेवाएँ, उत्पादकता, नवाचार के उन्नयन की अर्थव्यवस्था के

योजनाबद्ध विकास में सहयोग हेतु प्रशिक्षित तकनीकी श्रमशक्ति प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निदेशालय का लक्ष्य नवीन शैक्षणिक प्रणालियों का प्रयोग कर तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा में अग्रणी बनना और उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने हेतु छात्रों को तकनीकी तथा नवाचार के छात्रों को कौशल से लैस करना है।

### 2.2.1.1 संगठनात्मक ढांचा

निदेशालय सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन कार्य करता है और एक निदेशक तीन उप निदेशक, तीन सहायक निदेशक, एक नियंत्रक और एक रजिस्ट्रार इसकी सहायता करते है। निदेशालय के अधीन तकनीकी शिक्षा बोर्ड (त.शि.बो.) नौ पॉलिटेक्निक संस्थान (पॉलिटेक्निक) और 17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कार्यरत हैं। यह दिल्ली में पाँच प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों पर भी प्रशासकीय नियंत्रण रखता है।

### 2.2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- निदेशालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वित्तीय स्रोत दक्षतापूर्ण, प्रभावी ढंग से तथा मितव्ययतापूर्वक प्रबंधित किये गये थे;
- संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु अवसंरचना तथा योग्य श्रम शक्ति उपलब्ध है; और
- समुचित आन्तरिक नियन्त्रण तथा निगरानी प्रणाली है जो निदेशालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले आईटीआई, पॉलिटेक्निकों तथा महाविद्यालयों की कार्य पद्धति का निरीक्षण करती है।

### 2.2.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2008-13 की अवधि को सम्मिलित करने वाली निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2013 से सितम्बर 2013 के बीच आयोजित हुई। लेखापरीक्षा ने छः योजनाओं (आईटीआई की 13 में से चार और पॉलिटेक्निकों की 14 में से दो) को किए गए व्यय के आधार पर चुना। चयनित योजनाओं की नमूना जाँच पाँच आईटीआई[1] तथा चार पॉलिटेक्निको[2] में की गई, जिनका चयन इन योजनाओं के तहत किए गए व्यय के आधार पर किया गया। इसके अतिरिक्त निदेशालय (मुख्यालय), बीटीई और दो प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों[3] के अभिलेखों की भी नमूना जाँच की गई।

मई 2013 में किए गए एक प्रवेश सम्मेलन में निदेशक के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदण्डों, क्षेत्र तथा कार्यपद्धति की चर्चा की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा पर ड्राफ्ट रिपोर्ट सचिव, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा विभाग रा.रा.क्षे., दि.स. को 14 नवम्बर 2013 में जारी की गई। सरकार का उत्तर जनवरी 2014 को प्राप्त किया गया था

[1] पूसा, सिरीफोर्ट, अरब की सराय, शाहदरा और धीरपुर

[2] आर्यभट्ट, पूसा, गुरू नानकदेव और इन्टीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी द्वारका।

[3] अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, गीता कॉलोनी और जी.बी. पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, ओखला।

तद्नुरूप इसे सम्मिलित किया गया। एक समापन सम्मेलन निदेशक डीटीटीई के साथ 21 जनवरी 2014 को हुआ तथा विभाग के उत्तर को उचित रूप से रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया।

### 2.2.1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न स्त्रोतों से प्राप्त किए गए हैः

- निदेशालय की पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाएँ;
- भा.स. तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी नीतियाँ, दिशानिर्देश व आदेश;
- प्रशिक्षुता अधिनियम 1961;
- महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण (डीजीईटी) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी), और बीटीई के मानक; और
- सामान्य वित्तीय नियम और अन्य सरकारी नियम।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.2.2 वित्तीय प्रबन्ध

2008-13 की अवधि के लिए निदेशालय (मुख्यालय, आईटीआई व पॉलिटेक्निक) का बजट आवंटन तथा व्यय **तालिका 2.2.1** में दिया गया हैः

**तालिका 2.2.1**

**2008-13 के लिए बजट आबंटन व व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | गैर–योजनागत | | | | योजनागत | | | | कुल | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट | व्यय | बचत | बचत (%) | बजट | व्यय | बचत | बचत (%) | बजट | व्यय | बचत | बचत (%) |
| 2008-09 | 74.85 | 61.37 | 13.48 | 18.00 | 29.71 | 27.50 | 2.21 | 7.43 | 104.56 | 88.87 | 15.69 | 15.00 |
| 2009-10 | 80.81 | 75.64 | 5.17 | 6.40 | 37.84 | 29.08 | 8.76 | 23.15 | 118.65 | 104.72 | 13.93 | 11.74 |
| 2010-11 | 98.92 | 95.43 | 3.49 | 3.52 | 40.04 | 30.24 | 9.80 | 24.48 | 138.96 | 125.67 | 13.29 | 9.56 |
| 2011-12 | 93.53 | 90.14 | 3.39 | 3.62 | 45.55 | 32.17 | 13.38 | 29.37 | 139.08 | 122.31 | 16.77 | 12.05 |
| 2012-13 | 107.60 | 103.92 | 3.68 | 3.42 | 70.00 | 48.59 | 21.41 | 30.58 | 177.60 | 152.51 | 25.09 | 14.12 |
| **कुल** | **455.71** | **426.50** | **29.21** | **6.40** | **223.14** | **167.58** | **55.56** | **24.89** | **678.85** | **594.08** | **84.77** | **12.49** |

*(1)* स्रोतः सूचना निदेशालय द्वारा प्रदत *(2)* **आंकड़ों में कॉलेजों के बजट तथा व्यय सम्मिलित नहीं हैं।**

निदेशालय को 2008-13 के दौरान योजनागत बजट पर ₹ 223.14 करोड़ तथा गैर-योजनागत बजट के लिये ₹ 455.71 करोड़ आबंटित किया था। इसमें से ₹ 167.58 करोड़ (75 *प्रतिशत*) योजनागत के अन्तर्गत खर्च किये गये। तालिका प्रदर्शित करती है कि योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत बचत 2008-09 में ₹ 2.21 करोड़ (7.43 *प्रतिशत*) से बढ़कर 2012-13 में ₹ 21.41 करोड़ (30.58 *प्रतिशत*) हो गयी थी। लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी वित्तीय अनियमितताओं की आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

### 2.2.2.1 अनावश्यक प्रावधान

निदेशालय ने 14 उप-शीर्षो (योजनागत) के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं किया, जिनमें इसे ₹ 6.63 करोड़ का कुल बजट आबण्टित हुआ था **(अनुलग्नक 2.2)**। इन

उप-शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण बजट को या तो इन शीर्षों के अन्तर्गत या अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित किया गया अथवा वह अप्रयुक्त रह गया।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि अवसंरचना की अनुपलब्धता के कारण बजट का उपयोग नहीं किया जा सका तथा आश्वासन दिया कि भविष्य में निधियों के उपयोग पर सावधानी रखी जायेगी।

### 2.2.2.2 विद्युत प्रभारों पर परिहार्य व्यय

(क) घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू टैरिफ स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक पुस्तकालयों आदि पर लागू होती है। उत्तरी दिल्ली विद्युत लिमिटेड गैर-घरेलू आपूर्ति हेतु कालेजों के लिये ₹ 12 प्रति के.वी.ए. की तुलना में ₹ 150 प्रति के.वी.ए. की दर पर मांग प्रभार लगाती है। पूसा पॉलीटेक्निक के पास दो विद्युतीय कनेक्शन थे-एक पॉलीटेक्निक भवन (संस्वीकृत भार 414 के.डब्ल्यू. तथा अनुबंध भार 295 के.डब्ल्यू.) तथा दूसरा मुद्रण तकनीकी भवन (संस्वीकृत भार 255 के.डब्ल्यू. तथा अनुबंध भार 300 के.डब्ल्यू.)। बिलों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि उ.दि.वि.लि. ने पूसा पॉलीटेक्नीक के दोनों कनेक्शनों पर घरेलू दरों के स्थान पर गैर-घरेलू दर लगाया था। यह अप्रैल 2006 से जनवरी 2012 की अवधि के लिए ₹ 56.64 लाख के परिहार्य व्यय में परिणत हुआ।

**(ख)** लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह भी पता चला कि 2006-13 के दौरान पूसा पॉलटेक्निक में पहले कनेक्शन के लिए अधिकतम वास्तविक उपभोग 170 कि.वा. (मई 2010) था और दूसरे कनेक्शन के लिए 110 कि.वा. (अक्तूबर 2010), जो दोनों संविदागत भारों क्रमशः 295 कि.वा. व 300 कि.वा. से कम था। यदि भविष्य में विस्तार के लिये 20 प्रतिशत का अतिरिक्त मार्जिन जोड़ा जाता है तो अधिकतम वास्तविक माँग 204 कि.वा. तथा 132 कि.वा. की आती है जोकि क्रमशः 91 कि.वा. तथा 168 कि.वा. से कम है। चूँकि एनडीपीएल ने संविदागत माँग पर नियत प्रभार लगाए, इसलिए पॉलिटेक्निक को वास्तविक आवश्यकता से ऊँचे नियत प्रभारों का भुगतान करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2006 से अगस्त 2013 की अवधि हेतु ₹ 28.31 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और कहा (जनवरी 2014) कि मामले को टाटा पॉवर (पहले एनडीपीएल), लो.नि.वि. प्राधिकारियों तथा पॉवर विभाग के समकक्ष उठाया गया है।

### 2.2.2.3 कॉशन-मनी के लिये अलग से कैश-बुक का न बनाया जाना

डीजीईटी नियमावली के मैनुअल के पैरा 13 के परिशिष्ट 5 के अनुसार प्रत्येक छात्र से ₹ 500 की धनराशि 'कॉशन-मनी' के रुप में प्रवेश के समय ली जाती है तथा इसकी प्रविष्टि एक अलग कैश-बुक में की जाती है। यह कॉशन-मनी प्रशिक्षण की समाप्ति पर देयता, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद उसे लौटा दी जानी चाहिए। उन्हें लौटा दिये जाने की पहली तिथि से तीन पूर्ण लेखा वर्षों से अधिक समय तक दावा न किए गए सभी अधिशेषों को प्रत्येक वर्ष में मार्च के अंत में सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए।

चयनित आईटीआई में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि धीरपुर और अरब की सराय (ए.के.एस.) आईटीआई को छोड़कर अन्य सभी आईटीआई द्वारा कोई पृथक कैश-बुक का रखरखाव नहीं किया जाता था अतः लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या वापसी से संबंधित अन्य प्रावधानों की अनुपालना की गयी थी।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सभी प्रधानाचार्यों को सुधारत्मक उपाय अपनाने की सलाह दे दी गयी है।

### 2.2.2.4 विद्यार्थी निधियों का कम उपयोग

निदेशालय द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निधियों का उपयोग विद्यार्थियों की कल्याणकारी क्रियाओं जैसे खेलकूद, सह-पाठचर्या एवं पाठ्येत्तर क्रियायें, प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट क्रियाओं तथा वार्षिक संगोष्ठी आदि में किया जायेगा। इस निधि के लिये प्रत्येक प्रशिक्षक से प्रवेश के दौरान ₹ 200 प्रभारित किये जाते हैं।

2008-13 के दौरान चयनित आईटीआई में विद्यार्थी निधि के लिये प्रचालन का विवरण **तालिका 2.2.2** में दिया गया है:

**तलिका 2.2.2**

**चयनित आईटीआई में विद्यार्थी निधियों का उपयोग**

(₹ लाख में)

| आईटीआई का नाम | संग्रहित राशि | व्यय | बचत | बचत (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|
| अरब की सराय | 21.44 | 12.46 | 8.98 | 42 |
| धीरपुर | 12.47 | 1.70 | 10.77 | 86 |
| शाहदरा | 10.47 | 2.56 | 7.91 | 76 |
| सिरीफोर्ट | 8.42 | 4.88 | 3.54 | 42 |
| **कुल** | **52.8** | **21.6** | **31.2** | **59** |

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि बचतें 42 से 86 *प्रतिशत* तक थी जो कि निर्दिष्ट उद्देश्य के लिये धनराशि का व्यय न किया जाना प्रदर्शित करती है। आगे यह भी पाया गया कि 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान अधिकतर व्यय आईटीआई बाउचर की छपाई तथा नौकरी मेला, ''सोपान'' की तैयारियों में किया गया था। आईटीआई पूसा में विद्यार्थी निधि से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और कहा (जनवरी 2014) कि संस्थानों को विद्यार्थी निधि का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

### 2.2.3 आईटीआई में प्रशिक्षकों का प्रवेश व प्रशिक्षण बीच में छोड़ना

दिल्ली में आईटीआई विभिन्न ट्रेडों (इंजीनियरिंग व गैर-इंजीनियरिंग) में एक से तीन वर्षों की अवधि के पाठ्यक्रम चलाते हैं। प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 8वीं से उच्चतर माध्यमिक (बारहवीं) और न्यूनतम आयु सीमा सभी श्रेणियों के लिए 14 वर्ष है, यद्यपि कोई उच्चतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। प्रवेश वार्षिक रूप से योग्यता के आधार पर होते हैं। 2008-12 के दौरान चयनित आईटीआई में प्रवेश व प्रशिक्षण बीच में छोड़ने वालों का विवरण **तालिका 2.2.3** में दिया गया हैं:

**तालिका 2.2.3**

**प्रवेश तथा प्रशिक्षण छोड़ने वाले छात्रों का विवरण**

| | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | | कुल (*4 वर्ष*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आईटीआई | (क) | (ख) *(%)* | क | ख *(%)* | क | ख *(%)* | क | ख *(%)* | क | ख *(%)* | क | ख *(%)* |
| अरब की सराय | 1005 | 221 (22) | 1004 | 178 (18) | 1211 | 289 (23) | 1239 | 249 (20) | 1071 | 87 (8) | 4459 | 937 (21) |
| धीरपुर | 999 | 266 (27) | 1128 | 304 (27) | 1160 | 270 (23) | 1436 | 240 (17) | 1092 | लाग. | 4723 | 1080 (23) |
| पूसा | 1093 | 196 (18) | 1089 | 201 (18) | 1255 | 283 (23) | 1308 | 279 (21) | 1371 | 294 (21) | 4745 | 959 (20) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शाहदरा | 640 | 164 (26) | 696 | 56 (8) | 729 | 122 (17) | 689 | 97 (14) | 479 | लाग. | 2754 | 439 (16) |
| सिरीफोर्ट | 526 | 90 (17) | 514 | 202 (39) | 430 | 71 (17) | 681 | 142 (21) | 664 | लाग. | 2151 | 505 (23) |

*क–प्रवेश; ख–प्रशिक्षण छोड़ना*

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि छात्रों की प्रशिक्षण बीच में छोड़ने की दर 16 से 23 *प्रतिशत* थी। यद्यपि पिछले पांच वर्षों के दौरान धीरपुर व शाहदरा आईटीआई के मामले में प्रशिक्षण छोड़ने की दर में कुछ कमी आयी फिर भी अन्य आईटीआई के मामले में कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निदेशालय ने प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण छोड़ने की प्रतिशतता को कम करने के लिये परामर्श तथा जागरूकता लाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। पाँच चयनित आईटीआई में से मात्र आईटीआई, सिरीफोर्ट ने अकादमिक सत्र 2013-14 के लिये प्रशिक्षकों व उनके अभिभावकों को संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों व ट्रेडों तथा तत्सम्बन्धी प्लेसमेंट के अवसरों पर परामर्श व जागरूकता प्रदान करना प्रारंभ किया (जुलाई 2013)।

विभाग ने आईटीआई में प्रवेश लेने के बाद प्रशिक्षण बीच में छोड़ने का कारण प्रशिक्षुओं के मध्य जागरूकता की कमी (जनवरी 2014) तथा उनके अपने व्यक्तिगत कारण बताये और कहा कि आईटीआई के सभी प्रधानाचार्यों को "प्रवेश की मुहिम" पर एक कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्देश जारी कर दिया गया था, जोकि प्रशिक्षण छोड़ने की दर को कम करने के लिये आईटीआई सीरीफोर्ट में पहले ही प्रारंभ हो चुका था।

### 2.2.4 मानव संसाधन प्रबंधन

31 मार्च 2013 को निदेशालय जिसमें निदेशालय (मुख्यालय), आईटीआई व पॉलिटेक्निक शामिल हैं, में संस्वीकृत कार्मिक संख्या तथा तैनात कार्मिकों की सम्पूर्ण स्थिति **तालिका 2.2.4** में दी गई है:

**तालिका 2.2.4**

**संस्वीकृत कार्मिकों की संख्या की तुलना में तैनात कार्मिकों की स्थिति**

| संवर्ग | संस्वीकृत कार्मिक संख्या | तैनात कार्मिक | कमी (%) |
|---|---|---|---|
| तकनीकी स्टाफ-(आईटीआई) | 1140 | 848 | 292(26) |
| तकनीकी स्टाफ-पॉलिटेक्निक) | 1080 | 771 | 309(29) |
| लिपिकीय पद | 671 | 353 | 318(47) |
| **कुल** | **2891** | **1972** | **919 (32)** |

***स्रोतः निदेशालय की प्रशासन शाखा द्वारा प्रदत्त सूचना***

उपरोक्त तालिका निदेशालय में 919 स्टॉफ (32 *प्रतिशत*) की कमी दर्शाती है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, दो चयनित इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टॉफ की कमी पर समग्र रूप से चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

#### 2.2.4.1 आईटीआई में शैक्षणिक स्टाफ की कमी

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) ने अपनी 37वीं बैठक (दिसम्बर 2008) में आईटीआई में प्रति ट्रेड प्रति ईकाई एक प्रशिक्षक के वर्तमान मानदण्डों के अतिरिक्त 20 *प्रतिशत* अतिरिक्त प्रशिक्षकों की अनुशंसा की, जिससे उन्हें संस्थान के

नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित किए बिना नियमित आधार पर प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियोजित किया जा सके। तदनुसार सभी राज्यों के सचिवों तथा निदेशकों को प्रशिक्षण रिजर्व के रूप में 20 *प्रतिशत* अधिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

31 मार्च 2013 को शिल्प प्रशिक्षक (शि.प्र.) व समूह प्रशिक्षक (स.प्र.) की कार्मिक स्थिति **तालिका 2.2.5** में दी गई है:

**तालिका 2.2.5**

**मार्च 2013 को संस्वीकृत पद तथा तैनात कार्मिकों की स्थिति**

| संवर्ग | संस्वीकृत पद | 20% जोड़कर कार्मिक संख्या | तैनात कार्मिक | रिक्ति (%) |
|---|---|---|---|---|
| **शिल्प प्रशिक्षक** | 824 | 989 | 679 | 310 (31) |
| **समूह प्रशिक्षक** | 96 | 115 | 44 | 71 (62) |

दो प्रमुख श्रेणियों, शिल्प प्रशिक्षकों (शि.प्र.) तथा समूह प्रशिक्षकों (स.प्र.) में रिक्तियां (क्रमशः 31 तथा 62 *प्रतिशत*) विशेष चिंता का विषय थीं। वस्तुतः, शिल्प प्रशिक्षकों की वास्तविक कमी 55 *प्रतिशत* थी क्योंकि 230 प्रशिक्षकों को इस श्रेणी में संविदागत आधार पर नियुक्त किया गया था। चयनित आईटीआई की नमूना जांच में पता चला कि छः *प्रतिशत* शैक्षणिक स्टाफ को निदेशालय मुख्यालयों या अन्य संस्थानों में दूसरे कामों पर नियुक्त किया गया था और 12 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य के अतिरिक्त प्रशासकीय कार्य भी सौंप दिया गया था।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि रिक्त पदों की भर्ती के लिये डीएसएसएसबी के साथ मिलकर प्रयास किया जा रहा है। भर्ती नियमों में परिवर्तन द्वारा बाजार से सेवायें प्राप्त करने व संवीदा पर नियुक्ति की संभावनाओं की खोज की जा रही थी।

### 2.2.4.2 आईटीआई में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी

एनसीवीटी मानदण्डों के अनुसार, प्रशिक्षकों को सभी माड्यूलों में प्रशिक्षित होना चाहिए, उनके पास प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का दर्जा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) होना चाहिए और उन्हें एनसीआईसी प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने पर ही ऊँचे पद पर प्रोन्नत किया जाना चाहिए। एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई को प्रतिवर्ष 'प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक कार्यक्रम' हेतु 20 से 30 *प्रतिशत* प्रशिक्षकों को प्रतिनियोजित करना चाहिए जिससे तीन वर्षों के एक चक्र में सभी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण हो जाए। तथापि पांच चयनित आईटीआई में इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। पांच चयनित आईटीआई में प्रशिक्षकों की स्थिति **तालिका 2.2.6** में दी गई है:

**तालिका 2.2.6**
**प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की उपलब्धता**

| आईटीआई का नाम | कुल प्रशिक्षक | प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षक | प्रशिक्षण प्राप्त न किए हुए प्रशिक्षक | प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का % |
|---|---|---|---|---|
| अरब की सराय | 81 | 11 | 70 | 14 |
| धीरपुर | 90 | 8 | 82 | 9 |
| पूसा | 107 | 14 | 93 | 13 |
| शाहदरा | 42 | 5 | 37 | 12 |
| सिरीफोर्ट | 25 | 2 | 23 | 8 |
| **कुल** | **345** | **40** | **305** | **12** |

उपरोक्त तालिका के अनुसार 345 प्रशिक्षकों में से मात्र 40 (12 *प्रतिशत*) प्रशिक्षित थे। अतः, निदेशालय आईटीआई में अध्यापकों की क्षमता तथा मानक को ऊँचा उठाने हेतु एनसीवीटी द्वारा निर्धारित कसौटी को पूर्ण नहीं कर पाया।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा प्रशिक्षण को राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के द्वारा आयोजित किया गया था।

### 2.2.4.3 पॉलीटेक्निकों में स्टॉफ की कमी

पॉलीटेक्निकों में 1080 संस्वीकृत तकनीकी पदों में से 309 (29 *प्रतिशत*) रिक्त थे। यहां तक कि प्रधानाचार्यों के आठ पद और विभागाध्यक्षों के 21 पद क्रमशः नौ और 25 संस्वीकृत पदों की तुलना में रिक्त थे। व्याख्याताओं के मामले में 579 संस्वीकृत पद थे और मात्र 470 पद भरे गए थे जिनमें संविदागत आधार पर भरे गये 124 पद सम्मिलित है। इसके अलावा लैब टैक्निशियन के 57 संस्वीकृत पदों में से 45 पद तथा तकनीकी सहायक के 168 संस्वीकृत पदों में से 53 पद भी रिक्त थे।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि रिक्त पदों की भर्ती के लिये डीएसएसएसबी के साथ मिलकर प्रयास किया जा रहा है। भर्ती नियमों में परिवर्तन द्वारा बाजार से सेवायें प्राप्त करने तथा संवीदा पर नियुक्ति की संभावनाओं की खोज की जा रही थी।

### 2.2.4.4 लिपिकीय स्टाफ की कमी

आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटीई सहित निदेशालय में लिपिकीय स्टाफ की भी कमी थी, क्योंकि 671 पदों में से 318 (47 *प्रतिशत*) पद रिक्त थे। विशेषतः लिपिकीय संवर्ग में 281 में से 141 पद (50 *प्रतिशत*) रिक्त थे। इसी प्रकार, शैक्षणिक व तकनीकी स्टाफ को मुख्यालय व अन्य संस्थानों में प्रशासकीय कार्यों पर लगाया गया था।

इस प्रकार, शैक्षणिक स्टाफ की कमी के साथ-साथ उपलब्ध शैक्षणिक स्टाफ द्वारा प्रशासकीय कार्य किए जाने से प्रशिक्षुओं को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता स्पष्टतः प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त, स्टाफ की कमी से समुचित अभिलेख व सूचना के अनुरक्षण में भी गतिरोध हुआ जो कि विभिन्न प्रशासकीय उपायों तथा योजनाओं के नियोजन व क्रियान्वयन का आधार है।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

### 2.2.4.5 जी.बी. पंत कॉलेज में तकनीकी स्टाफ हेतु भर्ती नियमों का निर्धारण न होना

जी.बी. पंत कॉलेज के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि नवम्बर 2007 में सृजित 98 तकनीकी पदों पर नियमित भर्तियाँ नहीं की जा रही थीं क्योंकि भर्ती नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। भर्ती नियमों के निर्धारण हेतु ठोस प्रयत्न करने के बजाय कॉलेज ने अपवर्तन, संविदा गत या आउटसोर्सिंग के आधार पर 57 पद (58 *प्रतिशत*) भरे, जबकि 41 पद (42 *प्रतिशत*) रिक्त थे। इसके अतिरिक्त, 32 लिपिकीय पदों (53 *प्रतिशत*) में से 17 पद भी मार्च 2013 तक रिक्त थे।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि तकनीकी स्टॉफ के लिये भर्ती नियमों का निर्धारण प्रगति पर है।

### 2.2.4.6 अम्बेडकर कॉलेज में तकनीकी स्टाफ की कमी

109 संस्वीकृत शैक्षणिक व तकनीकी पदों में से 60 (55 *प्रतिशत*) रिक्त थे। विशेषतः प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेण्ट प्रोफेसर के 74 पदों में से 45 पद (61 *प्रतिशत*) रिक्त थे। कॉलेज ने बताया कि इस कमी की पूर्ति अतिथि अध्यापकों और संविदागत आधार पर नियुक्त अध्यापकों को बुलाकर की जा रही है।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि इन पदों को भरने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

### 2.2.5 योजनागत स्कीमों का क्रियान्वयन और देखरेख

निदेशालय आईटीआई के लिए 13 एवं पोलिटेक्निक के लिए 14 योजना स्कीमें चला रही हैं। निदेशालय की योजना शाखा योजनाओं के क्रियान्वयन और देखभाल के लिए नोडल शाखा का कार्य करती है। यह विभिन्न पोलिटेक्निक और आईटीआई में चल रही योजनाओं के लिए निधियों का आबंटन करती है। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि योजना शाखा ने बिना स्पष्ट विभेद किए विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों का आबंटन तकनीकी शिक्षा सामुदायिक सहायता योजना तथा तकनीकी शिक्षा संस्थान कल्याण समिति और सामान्य लेखा शीर्षकों जैसे मशीनरी और उपकरण (एमएंडई), सामग्री और आपूर्ति (एमएंडएस) आदि के नाम से किया। अंतिम बिंदु पर जहां पर फंड का उपयोग होना था वहां योजनाओं के स्पष्ट रूप से विभेद न होने के कारण बजट में स्पष्टता नहीं थी। योजनाओं के क्रियान्वयन पर उपयोग होने वाले बजट के लिए निदेशालय द्वारा इन आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों को कोई पृथक निर्देश या नियमावली नहीं दिए गए थे। अतः आईटीआई तथा पालिटेक्निक कालेजों द्वारा केवल नियमित शीर्षों के तहत खर्च किया तथा बुक किया गया। चूँकि निधियों का आबंटन स्कीम वार नहीं किया गया था। अतः संस्थान को यह पता भी नहीं था कोई योजनागत स्कीम भी चल रही थी जिससे संस्थानों द्वारा स्कीमों के लिये विशिष्ट रूप से कोई फाइल या रिकार्ड नहीं बनाया गया था। योजनाओं पर होने वाले खर्च का निर्धारण अंतिम रूप से योजनागत शाखा के द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत किया जाता है। यद्यपि लेखापरीक्षा जाँच में यह पता नहीं चल सका कि विभिन्न स्कीमों में किस आधार पर योजनागत शाखा के द्वारा बजट का आबंटन किया गया और खर्च बुक किया गया।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि लेखा शीर्ष मशीनरी तथा उपकरण के अन्तर्गत किया गया व्यय नयी मशीनरी की खरीद तथा पुरानी मशीनरी को नये के द्वारा बदले जाने पर किये गये व्यय पर बुक किया गया है। आगे यह भी देखा गया कि संस्थान को योजनागत स्कीमों का ज्ञान है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संस्थानों द्वारा निधियां स्कीम-वार आबंटित करने के बजाय उप-शीर्षवार आबंटित की गयी तथा उप-शीर्षवार ही व्यय बुक किया गया। संस्थानों ने स्कीम-वार अभिलेख नहीं रखे थे। यद्यपि विभाग ने कहा कि निदेशालय के अन्तर्गत चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जागरूक बनाने के बारे में संस्थानों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

जाँच हेतु लेखापरीक्षा ने योजनागत स्कीम से आईटीआई के लिए चार एवं पॉलिटेक्निक के लिए दो योजनाओं का चयन किया। वर्ष 2008-13 की अवधि के लिए इन छः चयनित योजनाओं के मद में बजट का आबंटन एवं कार्यों का विवरण नीचे **सारणी 2.2.7** में दिया गया:

### तालिका 2.2.7

### चयनित योजनाओं का बजट और व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | योजनाऐं | बजट | व्यय |
|---|---|---|---|
| | **आईटीआई** | | |
| 1. | आईटीआई/बीटीसी का आधुनिकीकरण एवं पुनर्संरचना | 1347.48 | 945.87 |
| 2. | नये आईटीआई स्थापना एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का पुनरोद्धार | 995.00 | 299.86 |
| 3. | प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधार के लिए उन्मेषी कौशल विभिन्न रूपों में नये पाठ्यक्रम को शामिल करना | 2515.52 | 2327.78 |
| 4 | आईटीआई को 'उत्कृ□ केन्द्र के रूप में उन्नत करना" | 913.00 | 491.02 |
| | **पोलिटेक्निक्स** | | |
| 5. | पोलिटेक्निक में उपलब्ध सुविधाओं का पुर्नस्थापना एवं पुर्नसंरचना | 3537.50 | 2894.35 |
| 6 | मशीनों तथा उपकरणों का पुर्नविस्थापन और आधुनिकीकरण | 1022.50 | 747.92 |

लेखापरीक्षा ने चयनित पाँच आईटीआई और चार पोलिटेक्निक में चलायी जा रही चयनित योजनाओं के चलाये जाने में निदेशालय के निष्पादन का निर्धारण किया जिसका विवरण नीचे के पैराग्राफों में दिया गया है।

#### 2.2.5.1 आईटीआई का आधुनिकीकरण और पुनर्संरचना

योजना का मुख्य उद्देश्य पुराने मशीनों और उपकरणों को हटाना और कार्य में न आ सकने वाले औजारों की जगह नये औजार मुहैया कराना था ताकि कमियों को पूरा किया जा सके। निदेशालय के द्वारा इन पांच चयनित आईटीआई की स्कीमों हेतु वर्ष 2008-13 के दौरान ₹ 7.10 करोड़ खर्च किए।

#### 2.2.5.2 औजारों और उपकरणों की कमी

एनसीवीटी के नियमानुसार, आईटीआई कॉलेजों में संबंधित व्यवसाय की मानक औजार सूची (एसटीएल) में विनिर्दिष्ट उपकरण एवं औजार होने चाहिये। प्रत्येक संकाय के प्रशिक्षणार्थियों को 16 और एक अतिरिक्त औजार सैट मुहैया कराया जाना था। लेखापरीक्षा ने एसटीएल के मानदंड के अनुरूप औजार और उपकरणों की उपलब्धता में कमियां पायी जिसका सारांश नीचे दिया गया है:

- आईटीआई पूसा के पास प्रत्येक संकाय के लिए एसटीएल मानदंड के अनुरूप पूर्ण औजार और उपकरण नहीं थे। उपकरण जैसे कि स्क्रू डाइवर, रिंग स्पॉनर, कटिंग प्लायर, प्लायर कांबिनेशन, सोल्डिग आयरन, मल्टीमीटर, टांग टेस्टर, आदि या तो उपलब्ध नहीं थे या उपयोग योग्य नहीं थे। औजारों और उपकरणों को विद्यमान संकायों के साथ साझा करके पूरा किया जा रहा था।

- आईटीआई धीरपुर में डिजिटल फोटोग्राफी संकाय को वर्ष 2009 में शामिल किया गया जबकि इसके लिए एसटीएल मानदंड के अनुरूप (फोटोग्राफी बैकग्राउंड कम्प्लीट स्टैंड, स्टूडियो वीडियो लाइट, क्रोम लाइट आदि) औजार सितम्बर 2013 तक नहीं खरीदे गए थे।

- आईटीआई सीरीफोर्ट में विभिन्न संकायों जैसे स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी), सिलाई और कढ़ाई टेक्सटाईल डिजाइन, कम्प्यूटर आपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट (कोपा),

सूचना प्रोद्योगिकी और इएसएम, आर्किटेक्ट असिस्टेंट, फूड प्रोडक्सन और हेयर और स्कीन फैशन टेक्नोलॉजी के लिए एसटीएल के मानदंड के अनुरूप उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार निदेशालय ने एसटीएल के मानदंड के अनुरूप उपकरणों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित नहीं किया।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि योजनागत निधियों को बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जा रही थी जिससे कि कच्चा माल तथा अन्य मदें मानकों के अनुरूप उपलब्ध करायी जा सके।

### 2.2.5.3 डीजल जेनरेटर सैट की अनुपलब्धता

एनसीवीटी ने डीजल जेनरेटर सैट के बैक-अप का प्रावधान किया ताकि बिजली जाने की स्थिति में भी प्रशिक्षण कार्य प्रभावित न हो। यद्यपि चयनित आईटीआई के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि लोड शेडिंग के दौरान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तीनों आईटीआई (शाहदरा, सीरीफोर्ट, पूसा) में डीजी सैट उपलब्ध नहीं थे।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सभी प्रधानाचार्यों को डीजी सैट को स्थापित करने हेतु स्थान की उपलब्धता के निर्धारण तथा इस संबंध में आगे कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

### 2.2.5.4 प्रशिक्षण के लिए कच्चे माल एवं उपभोज्य की कमी

आईटीआई पूसा के वर्ष 2012-13 के दस्तावेजों के जांच यह पता चला कि तात्कालिक आधार पर प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्य के लिए 667 मदों (कच्चे माल एवं उपभोज्य) की आवश्यकता थी और जिन पर ₹ 22.93 लाख व्यय होने थे। वर्ष 2011-12 से संकाय ईंचार्ज द्वारा सामग्रियों को उपलब्ध कराने के लिए दबाव डाला जा रहा था क्योंकि प्रशिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। हालांकि अगस्त 2013 तक इन 667 मदों में से सिर्फ 204 मदें ही ₹ 8.99 लाख में खरीदी गयी। संस्थान ने बताया कि बोलीकर्ताओं/आपूर्तिकर्ताओं ने सिर्फ 204 मदों के लिये ही मूल्य उदृत किए।।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वह प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिये पहले से ही कच्चे माल/उपभोज्य की आवश्यकता का निर्धारण करे।

### 2.2.6 नये आईटीआई की स्थापना और आईटीआई का पुनरूद्धार

इस योजना के अंतर्गत नये आईटीआई की स्थापना और पूर्व स्थापित आईटीआई का पुनरूद्धार किया जाना था। वार्षिक योजनाओं (2008-13) के अनुसार निदेशालय में पांच नये आईटीआई की स्थापना क्रमशः रनहोला, द्वारका, छतरपुर, बवाना और मंगोलपुरी में करने की योजना थी। इसके अतिरिक्त, आईटीआई शाहदरा के पुराने भवन की जगह एक नये भवन का भी निर्माण करने की योजना मार्च 2008 में बनाई गई थी।

यद्यपि, अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि निदेशालय ने इन कार्यों के पूर्ण करने के लिए कोई नियत समय सीमा निर्धारित नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप भवन निर्माण का कार्य सितंबर 2013 तक भी प्रारंभ नहीं हो सका। आईटीआई बवाना एवं द्वारका के मामले में विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि निर्माण कार्य के बारे में शुरूआत तक नहीं की गई तथा इसकी वर्तमान स्थिति भी

उपलब्ध नहीं है। मंगोलपुरी आईटीआई के बारे में विभाग ने कहा कि प्रशासनिक अनुमोदन एवं ₹ 51.53 करोड़ की व्यय की संस्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष दो आईटीआई में इन कार्यों की वर्तमान स्थिति और विलंब के कारणों पर नीचे के उप-पैराग्राफ में चर्चा की गयी है।

### 2.2.6.1 आईटीआई छतरपुर

नेब सराय के भूखण्ड के स्थान पर निदेशक (पंचायत) ने (जून 2006 ) ₹ 1.16 करोड़ के मूल्य की (4.18 एकड़ भूमि) ग्राम सभा की आईटीआई (छतरपुर) के निर्माण के लिए आबंटित की जिसका भौतिक स्वामित्व अक्टूबर 2006 में लो.नि.वि. को सौंप दिया गया। नेब सराय के भूखण्ड की लागत (₹ 40.69 लाख) को समायोजित कर ₹ 75.31 लाख की राशि का भुगतान किया जाना था। ड्राइंग को अंतिम रूप दिये जाने तथा प्रारंभिक संरचना पर वित्त विभाग की आपत्तियों के पश्चात् लो.नि.वि. ने परामर्श हेतु ₹ 91.11 लाख का तथा मुख्य परियोजना हेतु जनवरी 2012 में ₹ 58.64 करोड़ का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया। तदनुरूप भूखण्ड उपयोग के परिवर्तन के संबंध में फरवरी और मई 2012 में दि.वि.प्रा. को और फरवरी 2012 एवं फरवरी 2013 में प्रखंड विकास पदाधिकारी (दक्षिण) को भेजा गया।

निदेशालय ने सूचित किया (अगस्त 2013) कि भूमि को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को हस्तांतरित किया जाना था जो कि उस पर पैरा-मेडिकल कोर्स के लिए आईटीआई का निर्माण करती। अतः दो विभागों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण आईटीआई का निर्माण नहीं हो सका, जिसकी आवश्यकता 2006 में ही समझी गयी थी।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि आईटीआई के निर्माण का प्रस्ताव अभी भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/दिल्ली कैंसर सोसाइटी से अभी तक प्रतीक्षित है। यह भी कहा गया कि मामलों को उप-आयुक्त (दक्षिण) के साथ भूखण्ड उपयोग की स्थित सुनिश्चित करने के लिये उठाया गया।

### 2.2.6.2 आईटीआई रनहोला

ग्राम सभा की 6.22 एकड़ भूमि ₹ 1.01 करोड़ की राशि पर आईटीआई के निर्माण के लिए (जुलाई 1999) निदेशक (पंचायत) द्वारा निदेशालय को आबंटित की गई तथा भूमि का स्वामित्व अगस्त 2002 में लो.नि.वि. को सौंप दिया। नवंबर 2002 में लो.नि. वि. के वरिष्ठ परामर्शदाता की नियुक्ति भवन योजना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिये की गयी। अप्रैल 2003 में लो.नि.वि. के द्वारा भूमि से संबंधित मुद्दों को उठाया गया जिसमें जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य से बदलकर संस्थानिक कार्य हेतु किया जाना था, इस मुद्दे को दि.वि.प्रा. के समक्ष भेजा गया। जब अक्टूबर 2007 में एक वास्तुशिल्पीय परामर्शदाता को नियुक्त किया गया तो परामर्शदाता ने स्वामित्व, प्रारंभिक योजना व भूमि उपयोग में किये बदलाव प्रदान करने का अनुरोध किया। यद्यपि अभिलेखों से पता चला कि भूमि उपयोग को सुलझाया नहीं गया। अतः भूमि के आबंटन के 13 वर्षों के बाद भी निर्माण आरंभ नहीं कराया गया (सितम्बर 2013)।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि भूमि सीमांकन के ले-आउट प्लान, बी.डी.ओ. (नांगलोई) तथा लो.नि.वि. से प्रतीक्षित है। तथ्य यह है कि आईटीआई का निर्माण नहीं किया जा सका जिसके कारण निर्माण कार्य कराने का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

### 2.2.6.3 शाहदरा में नए आईटीआई भवन का निर्माण

आईटीआई, शाहदरा में एक नए भवन का प्रस्ताव 2007 में किया गया, क्योंकि वर्तमान भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। पुराने भवन में एक प्रशासन खण्ड और तीन कार्यशालाएँ थीं। निदेशालय ने लो.नि.वि. को फरवरी 2009 में नए भवन हेतु आवश्यकताएँ भेजीं। इसी बीच आईटीआई, शाहदरा को "सेंटर ऑफ एक्सिलेंस" योजना के तहत चुना गया और इसे सार्वजनिक निजी भागिदारी (पीपीपी) प्रणाली के माध्यम से उन्नत बनाया जाना था। तदनुसार प्रधान सचिव, डीटीटीई ने संस्थान प्रबंधन समिति (सं.प्र.स.) को हास्पीटिलिटी सैक्टर में पाठ्यक्रम प्रारंभ कर विश्वस्तरीय सुविधाओं युक्त विश्वस्तरीय संस्थान तैयार करने का निर्देश दिया (नवंबर 2010) जिसमें नए ट्रेड प्रारंभ किए जाने थे। निदेशालय ने लो.नि.वि. को संशोधित भवन आवश्यकताएँ अग्रेषित कीं (सितम्बर 2011)। लेखापरीक्षा ने पाया कि लो.नि.वि. ने जुलाई 2013 तक भी निर्माण कार्य हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति नहीं की थी।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु निविदा की प्रक्रिया लो.नि.वि. में प्रक्रियाधीन है।

## 2.2.7 आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने हेतु उभरते कौशलों और अनुशासनों में नए पाठ्यक्रम का प्रारंभ व पाठ्यक्रमों का वैविध्यकरण

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य नए ट्रेड प्रारंभ करना, अनुपयोगी ट्रेडों के स्थान पर रोजगार की संभावनाओं व बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए नए ट्रेड रखना और प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारना, पुस्तकालयों का उन्नयन, तथा आईटीआई का निरीक्षण, इत्यादि थे। चुने हुए संस्थानों की नमूना जांच से निम्नलिखित का पता चला:

### 2.2.7.1 नए ट्रेडों को प्रारंभ करने में कमी

निदेशालय की वार्षिक योजना 2008-09 के अनुसार डीजीईटी द्वारा चिन्हित 32 नए ट्रेड प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने हेतु आरंभ किए जाने थे जिसके लिए ₹ 3.25 करोड़ का परिव्यय भी निश्चित किया गया। तथापि यह देखा गया कि 2012-13 तक मात्र 13 पाठ्यक्रम ही प्रारंभ किए गए थे।

विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि उपलब्ध अवसरंचना तथा वर्तमान बाजार माँग के आधार पर नये व्यापारों के आरंभ की सिफारिशों के लिए समिति का गठन किया गया था।

### 2.2.7.2 समान बुनियादी ढांचे के बगैर ट्रेडों में 106 नई इकाईयों का प्रारंभ

एक नए ट्रेड अथवा वर्तमान ट्रेड में अतिरिक्त इकाईयों हेतु मान्यता चाहने वाले आईटीआई को आवश्यक बुनियादी ढांचा तथा प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। आईटीआई के लोकप्रिय तथा विशेष मांग वाले ट्रेडों में प्रशिक्षकों की वर्तमान प्रवेश क्षमता को कम से कम 20*प्रतिशत* बढ़ाने का निर्णय लिया गया (अगस्त 2011)। तदनुसार शैक्षणिक वर्ष 2011-12 हेतु प्रवेश के लिए विभिन्न आईटीआई में वर्तमान ट्रेडों में 2236 प्रवेश क्षमता के साथ 106 नई इकाईयाँ प्रारंभ की गईं। इसके लिए निदेशालय की प्रशासन शाखा को संकाय सदस्य सुनिश्चित करने थे तथा योजना विभाग को आवश्यक बुनियादी ढांचे की खरीद हेतु सम्बन्धित प्रधानाचार्यों से बातचीत करनी थी। लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित कमियां पायी गयी:

शिल्प प्रशिक्षकों (शि.प्र.) की संस्वीकृत कार्मिक संख्या 824 को 2010-11 से 2012-13 के दौरान संशोधित नहीं किया गया, जो यह दर्शाता है कि नई इकाईयों के लिए अतिरिक्त संकाय सदस्य हेतु आवश्यकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि जनवरी 2012 में 123 संविदागत शि.प्र. की भर्ती की गई परंतु 2010-11 से 2012-13 में कार्मिकों की स्थिति 690 से 679 हो गयी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निदेशालय ने विद्यमान रिक्तियों को नहीं भरा तथा शि.प्र. की रिक्तियों को नयी स्थापित इकाई के लिये छोड़ दिया।

- आईटीआई द्वारा उपकरण व बुनियादी ढांचे की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव निदेशालय को अगस्त 2011 में प्रवेश लिए जाने के बाद ही प्राप्त हुए। इस प्रकार सत्र आवश्यक मशीनरी व उपकरण की उपलब्धता के बगैर ही प्रारंभ हुए। उदाहरणस्वरूप, आईटीआई, पूसा ने बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित किए बगैर सात नई इकाईयों को प्रारंभ किया। ट्रेडों के सम्बन्धित प्रभारियों ने प्रधानाध्यक से तात्कालिक आधार पर 56 ड्यूअल डेस्कों की खरीद हेतु अनुरोध किया (अगस्त 2011), इसकी प्राप्ति दिसम्बर 2012 (अर्थात् नए सत्र के प्रारंभ के 15 माह बाद) में ही हो सकी।
- आईटीआई, अरब की सराय में 16 नई इकाईयाँ प्रारंभ की गईं। तथापि यह देखा गया कि नवीन प्रारंभ की गई इकाईयों हेतु शिल्प प्रशिक्षकों के पास वांछित अर्हता नहीं थीं। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता निरीक्षक के ट्रेडों हेतु शिल्प प्रशिक्षकों के पद अब भी रिक्त थे।
- आईटीआई, धीरपुर में निधियों, स्थान व संकाय सदस्यों की कमी के कारण नई कक्षाओं का प्रबंध विद्यमान सुविधाओं के साथ ही किया गया।
- आईटीआई, शाहदरा में 2011-12 में प्रारंभ किए गए छः नए ट्रेडों में से चार को 2012-13 में उनके लोकप्रिय न होने के आधार पर, जैसा कि संस्थान ने बताया, बंद कर दिया गया।

अतः निदेशालय ठोस नीति एवं एक कार्यात्मक ढांचे के बगैर ही आईटीआई में नई इकाइयों की संख्या बढ़ाता गया जिसके परिणामस्वरूप वह उसी के समान आवश्यक बुनियादी ढांचे तथा संकाय सदस्यों की सुनिश्चितता में विफल रहा।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि आईटीआई के प्रधानाचार्यों को उपलब्ध स्थान एवं उपकरणों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिये संस्थानों को दो शिफ्टों में चलाने का निर्देश दिया गया।

### 2.2.7.3 आईटीआई का निरीक्षण

डीजीईटी नियमावली के अनुसार, राज्य प्रशिक्षण निदेशालय के निरीक्षण अधिकारियों को अपने प्रभार में आने वाले आईटीआई का जितनी बार संभव हो, निरीक्षण करना चाहिए और प्रशिक्षण पर सलाह देनी चाहिए और राज्य निदेशक को प्रत्येक आईटीआई में प्रत्येक वर्ष में दो बार निरीक्षण करना चाहिए। मानक के अनुसार 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान 17 सरकारी आईटीआई में 170 निरीक्षण किए जाने अपेक्षित थे। जबकि निरीक्षक ने इस अवधि में मात्र दो आईटीआई में प्रत्येक में एक-एक निरीक्षण किया।

इसके अतिरिक्त, एक संस्थान का नियमित आन्तरिक निरीक्षण समूह प्रशिक्षक व प्रधानाचार्य के स्तर पर किया जाना चाहिए। यह निरीक्षण एक समय में एक अनुभाग तक सीमित होना चाहिए व सघन व सम्पूर्ण होना चाहिए जिसमें अनुभाग की

गतिविधियों के सभी पहलू और प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले सभी घटक सम्मिलित हों तथा अधिमानतः रूप से प्रति सप्ताह में चार दिन किया जाना चाहिए। यद्यपि चुने गये आईटीआई में से किसी में भी ये निरीक्षण नहीं किए गए।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि आईटीआई का निरीक्षण तत्काल प्रभाव से निरंतर किया जायेगा।

### 2.2.8 पॉलीटेक्निकों में विद्यमान सुविधाओं की पुर्नव्यवस्था तथा पुनर्गठन

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य पॉलीटेक्निकों को उन्नत कर डिग्री कॉलेज बनाना, बुनियादी ढांचे में सुधार, पॉलीटेक्निकों में प्रशिक्षण के स्तर व गुणवत्ता में सुधार करना, इत्यादि है।

#### 2.2.8.1 पॉलिटेक्निकों का डिग्री कॉलेज के रूप में उन्नयन न किया जाना

इस योजना के अन्तर्गत, कस्तूरबा महिला पॉलीटेक्निक व अम्बेडकर पॉलिटेक्निक को 2008-09 में उन्नत करके डिग्री कॉलेज बनाने का प्रस्ताव किया गया था परंतु सितम्बर 2013 तक यह नहीं किया जा सका था। निदेशक ने कहा (जून 2013) कि पॉलिटेक्निकों का उन्नयन नहीं किया जा सका क्योंकि इसके लिये अतिरिक्त अवसंरचना तथा कार्मिकों के उन्नयन की आवश्यकता है।

### 2.2.9 मशीनरी व उपकरण का प्रतिस्थापन व आधुनिकीकरण

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुपयोगी मशीनरी तथा उपकरण जोकि पुराने हो चुके हैं, को आधुनिक उपकरण से बदलना, सभी संस्थानों में नेटवर्किंग तथा प्रापण किए गए उपकरण से मेल खाती सहायक सुविधाओं से कार्यशालाओं को सुसज्जित करना, इत्यादि है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि पॉलीटेक्निकों में वहाँ चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु मानक औजार सूची (एसटीएल) नहीं थी। इसलिए पॉलीटेक्निकों ने विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा दी गईं आवश्यकताओं के आधार पर मशीनरी व उपकरण को क्रय किया। अतः एसटीएल न होने के कारण लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या वर्तमान या नवीन क्रय की गई मशीनरी तथा उपकरण छात्रों की संख्या हेतु पर्याप्त थे।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि पॉलिटेक्निक के मामले में मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर आधारित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विवाद की स्थिति से बचने के लिये मानक औजार सूची होनी चाहिये।

### 2.2.10 आईटीआई का 'उत्कृष्टता केन्द्र' के रूप में उन्नयन

भा.स. ने (2004-05) आगामी पाँच वर्षों में भारत भर के 500 आईटीआई का उन्नयन कर 'उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)' बनाने की योजना प्रारंभ की। इस योजना हेतु निधीय दो स्रोतों-विश्व बैंक सहायता (400 आईटीआई के लिए) और घरेलू निधीयन (100 आईटीआई के लिए) से प्राप्त होना था। 2007-08 में भा.स. ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से 1396 अतिरिक्त आईटीआई का उन्नयन कर सीओई बनाने की घोषणा कर इस योजना में वृद्धि की। इस योजना का उद्देश्य आईटीआई को नवीनतम औजारों, उपकरण, मशीनरी, शिक्षण विधि, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता के उपयोग द्वारा उन्नत कर विश्वस्तरीय बनाना था जिससे प्रशिक्षकों को उद्योग में उपयुक्त रोजगार मिल सके। इसके लिए इस उद्योग से घनिष्ठ सम्बन्ध आवश्यक है जिससे प्रशिक्षकों को अपने प्रशिक्षण के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में 'ऑन द जॉब' प्रशिक्षण और अन्ततः सुरक्षित रोजगार सुलभ हो सके।

दिल्ली में तीन आईटीआई (धीरपुर, अरब की सराय और जेल रोड) को विश्व बैंक सहायता के माध्यम से उन्नयन हेतु चुना गया और इस योजना पर व्यय को भा.स. तथा राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में बांटा जाना था। आईटीआई, पूसा को घरेलू निधीयन के अन्तर्गत तथा नौ आईटीआई (चयनित आईटीआई, शाहदरा सहित) को पीपीपी के अन्तर्गत चरणवार ढंग से उन्नत किया जाना था। लेखापरीक्षा में आईटीआई की नमूना जांच के लिये सीओई के अन्तर्गत बजट व व्यय **तालिका 2.2.8** में दर्शाए गए हैं:

**तालिका 2.2.8**

**सीओई हेतु आबंटित निधियॉं तथा व्यय**

(₹ लाख में)

| आईटी आई | क्षेत्र | केन्द्र अंश | राज्य अंश | कुल निधियॉं | व्यय (केन्द्र) | व्यय (राज्य) | कुल व्यय | बचत | बचत का % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अरब की सराय | उत्पादन व निर्माण | 223 | 69 | 292 | 207 | 69 | 276 | 16 | 5 |
| धीरपुर | वैद्युत | 174 | 99 | 273 | 88 | 29 | 117 | 156 | 57 |
| पूसा | ऑटोमोबाईल | 73 | 25 | 98 | 73 | 25 | 98 | 0 | 0 |
| शाहदरा | हास्पिटिलिटी | 250 | 0 | 250 | 0.02 | 0 | 0.02 | 249.98 | 99 |
| **कुल** | | **720** | **193** | **913** | **368.02** | **123** | **491.02** | **421.98** | **46** |

तालिका से यह देखा जा सकता है कि अरब की सराय तथा पूसा के अतिरिक्त आवण्टित निधियों में 57 से 99 प्रतिशत की बचत थी। इस प्रकार आईटीआई धीरपुर तथा शाहदरा समुचित नियोजन के अभाव के कारण इस योजना के क्रियान्वयन में उपलब्ध निधियों का उपयोग करने में विफल रहे, जैसा कि आगे के पैराग्राफों में बताया गया है।

### 2.2.10.1 विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत सीओई के क्रियान्वयन में कमियॉं

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि एनसीवीटी के साथ ट्रेडों से मान्यता हेतु मानकों के अनुसार मशीनरी तथा उपकरण, संकाय, कार्यशालाओं इत्यादि में आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने से पहले ही प्रशिक्षकों को प्रवेश दे दिया गया। विवरण निम्नलिखित है:

- किसी भी आईटीआई में सीओई के अन्तर्गत प्रारंभ किया गया कोई ट्रेड एनसीवीटी द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मशीनरी, उपकरण, श्रमशक्ति जैसे आवश्यक बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता न होने के कारण एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त नहीं कर सके,

- आईटीआई, अरब की सराय में सम्बन्धित ट्रेड में प्रवेश जुलाई 2006 में प्रारंभ किए गए, जबकि इस योजना के लिए औजारों तथा उपकरण (अनुमानित लागत ₹ 1.48 करोड़) की खरीद हेतु प्रस्ताव फरवरी 2007 में अनुमोदित किया गया। आगे, 2007-13 के दौरान ₹ 2.75 करोड़ की लागत पर खरीदे गए यन्त्र व औजार अक्टूबर 2013 तक कार्यशाला सं. 2 में आवश्यक सिविल व विद्युत कार्य पूरे न होने के कारण प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे;

- आईटीआई, पूसा में 2012-13 में 81 मशीनरी एवं उपकरण मदों (अनुमानित लागत ₹ 11.57 लाख) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यद्यपि कोई भी मद 2012-13 में क्रय नहीं की गई,

- आईटीआई, धीरपुर में कक्षाएं चल रही थीं जबकि एसटीएल के अनुसार मशीनरी व उपकरणों की 61 मदों की कमी थी।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सीओई के उन्नयन के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु अन्य सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए जा रहे थे। यह भी कहा गया कि मशीनों एवं उपकरणों की कमी को मदों की खरीद के द्वारा दूर किया जा रहा था।

### 2.2.10.2 आईटीआई, शाहदरा को सीओई के रूप में उन्नत न किया जाना

पीपीपी प्रणाली के अन्तर्गत आईटीआई के उन्नयन की प्रक्रिया का नेतृत्व करने हेतु एक उद्योग भागीदार को सहयोगी बनाया जाता है तथा एक संस्थान प्रबन्धन समिति (सं.प्र.स.) का गठन व एक सोसाईटी के रूप में पंजीकरण किया जाता है जिसका अध्यक्ष उद्योग भागीदार होता है। भा.स. द्वारा ₹ 2.50 करोड़ तक का ब्याज मुक्त ऋण आईटीआई में प्रशिक्षण अवसंरचना के उन्नयन हेतु सीधे स.प्र.स. को जारी किया जाता है तथा सं.प्र.स. को आईटीआई में प्रवेशों के 20*प्रतिशत* तक का निर्धारण करने की भी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। आईटीआई का स्वामित्व पूर्ववत् राज्य सरकार के ही पास रहता है और प्रवेशों का नियंत्रण वही करती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि दिसम्बर 2010 में भा.स. से आईटीआई, शाहदरा को हास्पिटिलिटी क्षेत्र की प्रशिक्षण सुविधाओं के उन्नयन हेतु ₹ 2.5 करोड़ प्राप्त हुए। तथापि आईटीआई के उन्नयन की दिशा में कोई प्रगति नहीं की जा सकी और यह धन बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ा था। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि आईएमसी के चेयरमैन ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर ₹ 7.00 लाख की लागत पर एक परामर्शदाता नियुक्त किया जिसके कारण चेयरमैन एवं संस्थान/निदेशालय के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया क्योंकि आईएमसी एवं निदेशालय के मध्य विवाद के कारण सीओई से संबंधित कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकी, इसलिए प्रस्ताव ठप हो गया।

### 2.2.11 गैर-सम्बद्ध ट्रेड तथा इकाईयाँ

सम्बद्धता हेतु मानदण्ड के अनुसार आईटीआई के सर्वांगीण विकास को लक्ष्य करते हुए प्रभावशाली प्रबंधन तथा परिणाम आधारित प्रशिक्षण हेतु रूपरेखा तैयार करना है। प्रशिक्षण नियमावली के अनुसार किसी प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाए जाने वाले ट्रेडों के लिए प्रस्ताव सामान्यतः राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदों (एससीवीटी), जो प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु प्राधिकृत है, द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि एनसीवीटी के अन्तर्गत नामित ट्रेड तथा लंबे समय से विभिन्न आईटीआई में चलने वाले विभिन्न ट्रेड (उदाहरण के लिए स्वास्थ्य व स्वच्छता निरीक्षक, फ्रंट ऑफिस असिस्टेण्ट, मेकेनिक-मेडिकल, इलेक्ट्रानिक्स, सेक्रिटेरियल प्रैक्टिस, आर्किटेक्चरल असिस्टेण्ट इत्यादि) एनसीवीटी से सम्बद्ध नहीं हैं। कुछ सम्बद्ध प्राप्त ट्रेडों में असम्बद्ध ईकाईयों की कक्षाएं (जैसे टर्नर, ड्राफ्टस्मैन-सिविल व मैकेनिकल, मशीनिस्ट, इत्यादि) चल रहीं थीं। आईटीआई में आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव नईं ट्रेडों व ईकाईयों के एनसीवीटी से सम्बद्धता प्राप्त न होने का प्रमुख कारण है। सिरीफोर्ट में 18 (35 ईकाईयों) में से नौ ट्रेड (18 ईकाईयाँ) एनसीवीटी से सम्बद्ध नहीं थे परंतु एससीवीटी के अन्तर्गत चल रहे थे। इसी प्रकार धीरपुर में 28 (76 इकाईयॉ) में से पांच ट्रेड (25 ईकाईयॉ) गैर सम्बद्ध थीं तथा एससीवीटी के अन्तर्गत चलाई जा रही थीं।

इसके अतिरिक्त, कुछ ट्रेडों के अन्तर्गत चलने वाली ईकाईयों को एससीवीटी से अनंतिम रूप से सम्बद्धता प्राप्त थी, जबकि उनमें भी एनसीवीटी से सम्बद्धता प्राप्त

करने के मानदंडों के अनुसार बुनियादी ढांचे और अन्य आवश्यकताओं की कमी थी। 2008-12 के दौरान आठ आईटीआई ने ट्रेडों व ईकाईयों के लिए मान्यता हेतु आवेदन किया तथा उन्हें शर्तबद्ध सम्बद्धता प्राप्त हुई। जबकि इन संस्थानों ने इन कमियों को दूर करने हेतु अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की। एनसीवीटी द्वारा गैर सम्बद्ध पाठ्यक्रम चलाने से प्रशिक्षकों के रोजगार प्राप्त करने की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं क्योंकि एनसीवीटी प्रमाणपत्र के बगैर वे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र परीक्षा, जो अधीनस्थ पदों पर भर्ती हेतु भा.स. द्वारा सम्बद्धता प्राप्त योग्यता मापदण्ड हैं, में बैठने के योग्य नहीं होंगे।

विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2104) कि सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिये गये थे कि कोई भी ट्रेड गैर-सम्बद्ध न रहें।

### 2.2.12 प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 का क्रियान्वयन

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना को प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जाता है जो इस उद्योग में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं के उपयोग द्वारा प्रशिक्षित शिल्पकार हेतु उद्योग की आवश्यकता को नियंत्रित करता है, जिससे प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिकों की उपलब्धता में वृद्धि हो सके। प्रशिक्षण की सुविधाओं युक्त प्रत्येक उद्योग व संस्थान का यह सांविधिक उत्तरदायित्व है कि वह राज्य प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा सौंपे गए निश्चित संख्या में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करें। प्रावधानों के अनुसार व्यवसाय प्रशिक्षुओं को नियोजित करने में विफलता अधिनियम की धारा 30(1) के अन्तर्गत एक अपराध होगा। नए और आईटीआई उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी दोनों इस योजना में भाग ले सकते हैं और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि व्यवसाय के अनुसार छः माह से चार वर्षों के बीच होती है। आईटीआई उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी आईटीआई में उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षण की तत्सम्बन्धी अवधि हेतु छूट के लिए योग्य है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी निदेशालय द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रवर्तित किए जाते हैं। निदेशालय के अन्तर्गत उप-प्रशिक्षुता परामर्शदाता (उ.प्र.प.) के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्न तथ्य सामने आए:

शिक्षार्थी प्रशिक्षण योजना उन उम्मीदवारो को अवसर प्रदान करती है जो दसवीं क्लास की जरूरी प्रतिशतता लिए बगैर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं जो कि आईटीआई में दाखिले के लिये न्यूनतम आवश्यकता है। तथापि वर्ष 2005 के बाद नवीन उम्मीदवारों को इस स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किया है और केवल तकनीकी शिक्षा पास प्रशिक्षणार्थियों को ही प्रशासनिक कारणों से पंजीकृत किया गया। विभिन्न सर्कलों में शिक्षार्थी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत खाली सीटों के साथ-साथ दाखिले की विवरणी **तालिका 2.2.9** में दी गई है:

**तालिका 2.2.9**

**शिक्षार्थी योजना के अन्तर्गत रिक्तियों एवं प्रवेश की विवरणी**

| वर्ष | पंजीकृत प्रतिष्ठान | रिक्तियाँ | आईटीआई पास छात्रों की संख्या | नामांकित छात्र | % सापेक्षित रिक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 867 | 3033 | 3761 | 137 | 5 |
| 2009-10 | 867 | 3033 | 4127 | 186 | 6 |
| 2010-11 | 867 | 3033 | 3611 | 207 | 7 |
| 2011-12 | 867 | 3033 | 3823 | 119 | 4 |
| अप्रैल-दिसम्बर 12 | 867 | 3033 | - | 157 | 5 |
| जनवरी-अप्रैल 13 | 615 | 2210 | - | 45 | 2 |
| **कुल** | **-** | **17375** | **-** | **851** | **4.90** |

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि इस स्कीम के अंतर्गत दाखिलों का स्तर और स्पांसरशिप, रिक्तियों का केवल पांच प्रतिशत था।

अधिनियम की धारा 29 के अनुसार राज्य शिक्षार्थी परियोजना परामर्शदाता किसी भी उपयुक्त समय किसी स्थापना की निरीक्षण एवं जांच के लिये अधिकृत है। यह नियुक्त प्रशिक्षार्थियों की जाँच कर सकता है तथा आवश्यक समझे गये रजिस्टर, रिकॉर्ड तथा अन्य दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए और एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है।

तथापि डीएए ने अधिनियम की धारा 29 में निहित शक्तियों का उपयोग नहीं किया। डीएए ने जून 2013 में सूचित किया कि उसके पास वर्ष 2013 के पहले के दस्तावेजों का कोई रिकार्ड नहीं था तथा इसने अधिनियम के प्रावधानों को प्रतिष्ठानों प्रशिक्षकों से फोन कर कार्य रूप में परिणित किया। और इसे इस संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि जवाब तथ्यात्मक रूप से सही नहीं थे क्योंकि निदेशालय को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत फर्जी संस्थानों के विद्यमान होने के बारे में शिकायत मिली थी (जुलाई 2012)। इसलिए शिकायत में दर्ज आपत्तियों को संतुष्ट करने के लिए डीएए ने एक सर्वे किया जिसमें प्रारंभ में 31 संस्थानों का सर्वे किया गया जिसमें 22 अस्तित्व में थे ही नहीं। इसके उपरांत सूचीबद्ध 867 स्थापनाओं को नोटिस भेजे गए जिसमें से डीएए को 200 नोटिस वापिस आ गये क्योंकि ये संस्थाऐं अस्तित्व में नहीं थी। मई 2013 तक केवल 50 स्थापनाओं से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई जबकि 617 स्थापनाओं की वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

निदेशालय ने पंजीकृत संस्थाओं तथा शिक्षार्थियों की सीटों की संख्या के बारे में न तो सही ढंग से स्थापनाओं का भौतिक परीक्षण किया और न ही चीफ इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली के साथ मिलकर दस्तावेजों को अद्यतन किया।

विभाग ने (जनवरी 2014) सूचित किया कि स्टॉफ की कमी के कारण यथोचित भौतिक परीक्षण नहीं किया गया इसलिये डाटा अप-डेटेड नहीं था। वर्तमान तथा नये उद्योगों की सर्वे प्रक्रिया जारी थी यह भी सूचित किया गया कि इस विषय में अग्रिम कार्रवाई करने के बारे में उप-प्रशिक्षण परामर्शदाता उद्योग विभाग दिल्ली सरकार के निरंतर संपर्क में थे।

**अन्य अभ्युक्तियां**

### 2.2.13 प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट

आईटीआई स्नातकों का उद्योगों में प्लेसमेंट करने हेतु एनसीवीटी ने अपने 36वें सम्मेलन (17 दिसम्बर 2007) में प्रत्येक आईटीआई में एक प्लेसमेंट सेल की स्थापना की अनुशंसा की। इन सैलों द्वारा यहां से स्नातक हुये प्रत्येक प्रशिक्षुओं का विवरण (नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता आदि) रखा जाना था तथा कैम्पस सेलेक्शन की व्यवस्था करना था जिससे कि कोई भी उद्योग आवश्यक योग्यताओं वाले व्यक्ति की नियुक्ति कर सके।

पांच चयनित आईटीआई दस्तावेजों के लेखाओं की जांच से पता चला कि आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा स्वतंत्र स्टॉफ वाले प्लेसमेंट सैल की स्थापना नहीं की गई थी।

चयनित संस्थानों ने प्लेसमेंट संबंधी दस्तावेजों को सही ढंग से नहीं रखा था और रखा भी था तो वह सही ढंग से नहीं थे। उदाहरण के रूप में आईटीआई अरब की सराय ने कुछ प्रशिक्षुओं के नाम और उनके संकाय के अलावा कोई रिकार्ड नहीं

बनाया गया था। आईटीआई शाहदरा के पास वर्ष 2011 और 2012 को छोड़कर प्लेसमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं था। आईटीआई धीरपुर में केवल वर्ष 2012 से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध था। उचित रिकॉर्ड के उपलब्ध न होने के कारण प्लेसमेंट की संख्या को लेखापरीक्षा में सिद्ध नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, एनसीवीटी की प्रशिक्षुओं की प्लेसमेंट के लिये सिफारिशों को योजनाबद्ध प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया।

विभाग ने (जनवरी 2014) सूचित किया कि ट्रेनिंग और प्लेसमेंट आफिसर के पद की पूर्ण उपलब्धता न होने से सफल प्रशिक्षुओं की प्लेसमेंट में दिक्कतें थी। फिर भी कैम्पस साक्षात्कार द्वारा प्रत्याशियों को स्पोन्सर करके, उद्योगों को आमंत्रित कर, रोजगार मेलों का आयोजन करके पासआउट प्रशिक्षुओं के प्लेसमेंट के लिये प्रयास किये गये। इसके साथ-साथ यह भी कहा कि प्लेसमेंट आफिसर के पद के सृजन हेतु प्रस्ताव भी किया गया है।

### 2.2.14 कम्प्यूटर लैब का गैर-स्थापन

एनसीवीटी के 40वें अधिवेशन (दिसम्बर 2011) में यह प्रस्ताव पारित किया कि प्रत्येक आईटीआई इंटरनेट सुविधा से युक्त कम्प्यूटर लैब की स्थापना करेगा। इसके पश्चात् अप्रैल 2012 में डीजीइटी ने प्रत्येक आईटीआई में अक्टूबर 2012 तक कम से कम 10 कंप्यूटर वाले कंप्यूटर लैब तथा इंटरनेट सुविधा युक्त वर्क स्टेशनों की स्थापना करना अनिवार्य कर दिया। सौ सीटों की क्षमता वाले सभी आईटीआई में ट्रेड से संबंधित कम्प्यूटर उपकरणों की उपलब्धता होने पर भी ये लैब स्थापित किए जाने थे।

लेखों की जाँच में यह पाया गया कि किसी भी चयनित आईटीआई में ऐसे लैब की स्थापना नहीं हुई थी। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि कम्प्यूटर लैब को स्थापित करने की प्रक्रिया जारी थी।

### 2.2.15 आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि

आंतरिक नियंत्रणों को किसी विभाग के लक्ष्यों को प्रभावी, दक्ष एवं मितव्यतापूर्वक ढंग से प्राप्त करने के लिये तार्किक आश्वासन प्रदान करने के लिये तैयार किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा एवं सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा पायी गयी आपत्तियों की अनुपालना विभाग में बनायी गयी प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का सूचक है। आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी कमियों को पिछले पैराग्राफों में इंगित किया गया है।

निदेशालय की आंतरिक लेखापरीक्षा, रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है। मार्च 2013 तक निदेशालय के 34 यूनिट से संबंधित, आंतरिक लेखापरीक्षा के कुल 1010 पैराग्राफ बकाया थे, उनमें से कुछ पैरे 1976 से बकाया थे (लम्बित मामलों का वर्षवार ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया)।

इसके अतिरिक्त 2000-13 की अवधि के लिये सांविधिक लेखापरीक्षा की 50 निरीक्षण प्रतिवेदन के 158 पैरे निदेशालय द्वारा अनुपालना के अभाव में लंबित थे।

लेखापरीक्षा पैरों का लम्बे समय से लंबित रहना, वित्तीय अनियमिततायें, निर्धारित मानकों का पालन न होना तथा पिछले पैराग्राफों में दर्शायी गयी अन्य कमियां एक कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को प्रदर्शित करता है जिसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है ।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा पैरों के निपटान हेतु उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया (जनवरी 2014)।

### 2.2.16 निष्कर्ष

आईटीआई में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण छोड़ने की दर 16 से 23 प्रतिशत थी । प्रशिक्षणार्थियों के लिये पेशेवरों एवं दक्ष लोगों द्वारा, साक्षात्कार में शामिल होने के लिये कोई सलाह या मार्गदर्शन नहीं प्रदान किया गया था। निदेशालय में स्टॉफ, विशेषकर प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी थी। यह प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव डाल रहा था। आईटीआई और पॉलीटेक्निक दोनों ही उनके लिये चलाई जा रही योजनाओं से अनभिज्ञ थे। नये आईटीआई खोलने का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि इनमें से अधिकतर अभी भी निर्माणाधीन है जबकि कार्य प्रारंभ हुये पांच वर्ष हो चुके हैं। चयनित आईटीआई में मूलभूत आधारभूत सुविधाओं जैसे मशीनों, उपकरणों, जगह आदि की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप कई ट्रेड और कुछ इकाइयां एनसीवीटी के साथ सम्बद्ध नहीं हो सकी, जिससे कई ट्रेड और इकाईयों के प्रशिक्षणार्थी एनसीवीटी से योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असफल रहे।

आईटीआई में एक औपचारिक प्लेसमेंट सैल आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ स्थापित नहीं किया गया था तथा विभाग में कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली थी।

### 2.2.17 सिफारिशें

निदेशालय को विचार करना चाहिए:

- सभी आईटीआई, पॉलीटेक्निक और कालेज द्वारा भुगतान किये गये बिजली एवं टैरिफ दरों की संविदा मांगों की संवीक्षा करनी चाहिये,
- बच्चों के मध्य विभिन्न ट्रेडों के क्षेत्र के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिये तथा सभी संस्थानों में आईटीआई छोड़ने की दर की जांच के लिये प्रवेश लेने के पहले एवं बाद में काऊंसलिंग का प्रबंध किया जाना चाहिए;
- गुणवत्ता प्रशिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एनसीवीटी तथा डीजीई टी के मानकों के अनुरूप आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिये; और
- ट्रेड एवं इकाइयों की संबद्धता को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

# लोक निर्माण विभाग

## 2.3 रा.रा.क्षे.दि.स. के लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण क्षेत्रों की कार्यप्रणाली

**लोक निर्माण विभाग के अधिदेश में सरकारी आवासीय तथा गैर-आवासीय इमारतों तथा सड़कों की योजना बनाना, डिजाइन करना, निर्माण तथा अनुरक्षण करना है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलब्धियॉ इस प्रकार हैं:**

*मुख्य बातें:*

- *ई-इन-सि कार्यालय तथा उन वेतन एवं लेखा कार्यालय के बजट आवंटन तथा वास्तविक व्यय के आंकड़ों को समायोजित नहीं किया गया था।*

*(पैराग्राफ 2.3.2.1)*

- *विभाग ने वित्त विभाग के अनुदेशों के अनुसार डी एस आर 2012 (-) 12 प्रतिशत की बजाए डी एस आर 2012 (+) 8 प्रतिशत अथवा डी एस आर 2012 (-) 12 प्रतिशत (+) 8 प्रतिशत को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप 75 कार्यों में अनुमानित लागत ₹ 58.72 करोड़ तक बढ़ गई।*

*(पैराग्राफ 2.3.3.1)*

- *₹ 3.72 करोड़ की निविदाओं में जस्टीफिकेशन लागत के वैट, ई पी एफ तथा ई एस आई के अग्राह्य तत्व को सम्मिलित किया गया।*

*(पैराग्राफ 2.3.4.2)*

- *अनुमानों को बनाने में मात्राओं के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप*
- *₹ 17.73 करोड़ की राशि के 107 कार्यों में लागत बढ़ गई।*

*(पैराग्राफ 2.3.5.7)*

### 2.3.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स). के लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के अनुरक्षण क्षेत्रों को सरकारी इमारतों (आवासीय तथा गैर-आवासीय), के अनुरक्षण, लो.नि.वि. के क्षेत्र के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों तथा ₹ 30 करोड़ तक की लागत से नयी इमारतों के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

### 2.3.1.1 संगठनात्मक ढांचा

लो.नि.वि. का मुख्य नियंत्रक अधिकारी सचिव है जिसके सहायक इंजीनियर इन-चीफ अभियंता, चीफ अभियंता, अधीक्षक अभीयंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता है। लो.नि.वि. के चार अनुरक्षण क्षेत्रों (अनु.क्ष.) दो भवन परियोजना क्षेत्रों तथा एक फ्लाईओवर क्षेत्र में विभाजित है प्रत्येक में अध्यक्ष एक मुख्य अभियंता है। क्षेत्रों को सर्किलों में विभाजित किया जाता है जिनके अध्यक्ष पर्यवेक्षक अभियंता होते हैं जिन्हें आगे डिविजनों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक का प्रभारी एक कार्यकारी अभियंता (ई.ई.) होता है सिवाय होर्टीकल्चर (बागवानी) डिविजनों जिनके अध्यक्ष उप-निदेशक (डी.डी.) होते हैं।

दिल्ली में कुल 59 अनुरक्षण डिविजन हैं जिनमें से 46 ऐसे डिविजनों के अध्यक्ष ई.ई. अथवा डी.डी. होते हैं जो आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) भी हैं।

### 2.3.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

मुख्य लेखापरीक्षा उद्देश्यों में निर्धारित करना था कि क्या अनु.क्षे. में:

- बजट अनुमान वास्तविक थे तथा वित्त प्रबंधन प्रभावी था;
- कार्य पूर्व अनुमानित थे तथा लागू नियमों के अनुरूप स्वीकृत थे; तथा
- स्थल पर एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र था।

### 2.3.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

2012-13 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा मई तथा अक्टूबर 2013 के बीच की गई। लेखापरीक्षा में 46 में से 23 अनुरक्षण डिविजनों को किए गए व्यय के आधार पर चयन किया गया। इसके अतिरिक्त लो.नि.वि. सचिवालय, इंजीनियर इन चीफ (ई.इन.सी.), दो क्षेत्रों[4] के मुख्य अभियंता कार्यालयों तथा चार सर्किलों[5] के पर्यवेक्षक अभियंताओं को भी कवर किया गया था चयनित डिविजनों में उच्च निविदा मूल्य रखने वाले कार्यों का चयन किया गया था जैसे (i) ₹ 2.50 करोड़ और उससे अधिक निविदा मूल्य रखने वाले 50 *प्रतिशत* कार्य (ii) ₹ 2.50 करोड़ से नीचे और ₹ 30 लाख से ऊपर के निविदा मुल्य के 15 *प्रतिशत* कार्य तथा (iii) ₹ 30 लाख तक के निविदा मूल्य के 10 *प्रतिशत* कार्य।

प्रवेश सम्मेलन 17 अप्रैल 2013 को सचिव (लो.नि.वि.) के साथ तथा 18 अप्रैल 2013 को ई-एन-सी के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली तथा कसौटी पर चर्चा करने के लिए किया गया। समापन सम्मेलन 22 जनवरी 2014 को सचिव (लो.नि.वि.) साथ किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उपलब्धियों, निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर सरकार के विचारों पर चर्चा की गई थी। प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को दिसंम्बर 2013 में जारी किया गया। फरवरी 2014 में प्राप्त उनके उत्तर को प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया।

### 2.3.1.4 लेखापरीक्षा कसौटी

लेखापरीक्षा उपलब्धियों को निम्नलिखित स्त्रोतों से ली गई कसौटी के प्रति चिन्हित किया गया:

- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) वर्क मैनुअल तथा केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा (के.लो.नि.ले.) कोड;
- दिल्ली दर सूची (डी.एस.आर.) तथा सरफेस परिहवन मंत्रालय (एम.ओ.एस.टी.) की मानक डाटा बुक;
- सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.) तथा प्राप्ति एवं भुगतान नियम;
- ठेके की सामान्य शर्तों में सम्मिलित प्रावधान; और

[4] एम–I तथा एम–II

[5] एम–11, तथा एम–13 एम–21 व एम–23

- रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवेस मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी.एच.) तथा इंडियन रोड कांग्रेस (आई.आर.सी.) के विनिर्देश।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.3.2 वित्तीय प्रबंधन

2012-13 के दौरान योजनागत तथा गैर-योजनागत शीर्षों के अंतर्गत लोक निमार्ण विभाग का कुल व्यय ₹ 2031.99 करोड़ था जिसमें से ₹ 1516.86 करोड़ चार अनु. क्षेत्रों द्वारा किया गया जैसाकि **तालिका 2.3.1** में दिया गया है।

**तालिका 2.3.1**
**अनु.क्षे. का बजट व वास्तविक व्यय**

(₹ करोड़ में)

| क्षेत्र | बजट अनुमान | | संशोधित अनुमान | | व्यय | | बचतें / अधिकता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजनागत | गैर–योजनागत | योजनागत | गैर–योजनागत | योजनागत | गैर–योजनागत | योजनागत | गैर–योजनागत |
| एम-I | 242.83 | 130.42 | 390.70 | 131.12 | 375.95 | 128.75 | (-) 14.75 | (-) 2.37 |
| एम -II | 179.99 | 129.02 | 195.05 | 134.06 | 190.23 | 127.40 | (-) 4.82 | (-) 6.66 |
| एम -III | 795.52 | 143.56 | 728.75 | 131.08 | 309.34 | 103.34 | (-) 419.41 | (-) 27.74 |
| एम-IV | 220.69 | 137.29 | 171.08 | 124.41 | 154.45 | 127.40 | (-) 16.63 | (+) 2.99 |
| **कुल** | **1439.03** | **540.29** | **1485.58** | **520.67** | **1029.97** | **486.89** | **(-) 455.61** | **(-) 33.78** |

तालिका में आंकड़ों के विश्लेषण तथा अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित पाया गया:

- चार अनु.क्षे. के योजनागत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1439.03 करोड़ के आरंभिक बजट को संशोधित करके ₹ 1485.58 करोड़ कर दिया गया जबकि वास्तविक व्यय केवल ₹ 1029.97 करोड़ था जिससे यह संकेत होता है कि जहाँ बचत ₹ 455.61 करोड़ थी वहाँ वर्ष के अंत में संशोधन अनावश्यक था।
- गैर-योजनागत के अंतर्गत चार क्षेत्रों में कुल ₹ 33.78 करोड़ की बचत थी, विशेषकर क्षेत्र III में यह ₹ 27.74 करोड़ थी जबकि क्षेत्र IV में ₹ 2.99 करोड़ का अधिक व्यय था।
- एम.जेड़- II में एक ओर व्यय संशोधित आवंटन की अपेक्षा कम था और दूसरी ओर होर्टीकल्चर डिविजन 214–(एम) में बजट के अभाव में ₹ 10.48 करोड़ की देयताएं वर्ष के अंत में बकाया रह गई।

#### 2.3.2.1 वे.व.ले.का. तथा ई-इन-सी कार्यालय के आंकड़ों में अंतर

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल की धारा 50.1 में निर्धारित है कि विभागाध्यक्ष तथा लेखा अधिकारी विभाग द्वारा रखे गए खातों में दिए गए आंकड़ों को लेखा अधिकारी की पुस्तिकाओं में दिखाए गए आंकड़ों के साथ समन्वय के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। सूचना की नमूना जांच में दर्शाया गया कि ई-इन-सी कार्यालय के बजट एवं व्यय के आंकड़े उनके वेतन एवं लेखा कार्यालय से भिन्न थे । विवरण **तालिका 2.3.2** में दिए गए हैं।

तालिका 2.3.2

ई-इन-सी तथा वे.व.ले.का. के बजट आंकड़ों में अंतर

(₹ करोड़ में)

| जोन | ई–इन–सी के आंकड़े | | | | वे.ले.का. के आंकड़े | | | | टंतर | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट आवंटन | | व्यय | | बजट आवंटन | | व्यय | | बजट आवंटन | | व्यय | |
| | योजना –गत | गैर– योजना गत | योजना– गत | गैर– योजना गत | योजना– गत | गैर– योजना गत | योजना– गत | गैर– योजना गत | योजना– गत | गैर– योजना गत | योजना– गत | गैर– योजना गत |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (1-5) | 10 (2-6) | 11 (3-7) | 12 (4-8) |
| एम -I | 390.70 | 131.12 | 375.95 | 128.75 | 403.38 | 91.22 | 386.02 | 91.00 | 12.68 | 39.9 | 10.07 | 37.75 |
| एम -II | 195.05 | 134.06 | 190.23 | 127.40 | 199.28 | 102.57 | 193.07 | 102.19 | 4.23 | 31.49 | 2.84 | 25.21 |
| एम -III | 728.75 | 131.08 | 309.34 | 103.34 | 566.43 | 100.34 | 501.73 | 100.02 | 162.32 | 30.74 | 192.39 | 3.32 |
| एम -IV | 171.08 | 124.41 | 154.45 | 127.40 | 220.12 | 101.72 | 156.16 | 100.77 | 49.04 | 22.69 | 1.71 | 26.63 |

अंतरों को समायोजित नहीं किया गया। यह भी पाया गया कि वर्ष 2012-13 के लिए क्षेत्र-I तथा उनके ई-इन-सी कार्यालय के बजट तथा व्यय आंकड़ों में अंतर थे जिनका चित्रण **तालिका 2.3.3** में किया गया है।

तालिका 2.3.3

क्षेत्र-I तथा ई-इन-सी के आंकड़ों में अंतर

(₹ करोड़ में)

| क्षेत्र 1 | | | | ई–इन–सी | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| योजनागत | | गैर–योजनागत | | योजनागत | | गैर–योजनागत | |
| बजट | व्यय | बजट | व्यय | बजट | व्यय | बजट | व्यय |
| 388.99 | 377.86 | 100.49 | 106.49 | 390.70 | 375.95 | 131.12 | 128.75 |

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि गैर योजनागत शीर्ष के अंतर्गत व्यय के आंकड़ों में अंतर मुख्यतः वेतन, चिकित्सा तथा या.भ. पर व्यय जिन्हें वे. व ले. का. द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया, के कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि ई-इन-सी कार्यालय गैर योजनागत शीर्षों के बजट तथा व्यय के उप-शीर्षवार ब्यौरे को प्रस्तुत करने में विफल रहा। उत्तर में भी योजनागत शीर्ष के अंतर्गत आंकड़ों के अंतर के मामले में नहीं बताया गया।

### 2.3.2.2 गैर-योजनागत व्यय का योजनागत शीर्षों में नियमित रूप से प्रभारित किया जाना प्रतीक्षित

यह निर्णय लिया गया (अक्तूबर 2012) कि योजनागत निधि के 15 *प्रतिशत* को आवश्यक प्रचालन लागतों जैसे गली की रोशनी का विद्युत प्रभार, कार्य प्रभारित स्टॉफ की मजदूरियों, पौधों को पानी देना इत्यादि के सिवाए गैर-योजनागत प्रकृति के अनुरक्षण तथा मरम्मत व्यय पर खर्च किया जा सकता है। ऐसे योजनागत व्यय को गैर-योजनागत शीर्षों में स्थानांतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी से ए.ए एवं ई.एस प्राप्त करनी चाहिए।

ई.एम. डिविजन (एम-451) ने योजनागत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 4.11 करोड़ की हस्तांतरण प्रविष्टियों को एए व ई.एस प्राप्त किए बिना गैर-योजनागत व्यय की बुकिंग से पास किय। इसी तरह होर्टीकल्चर डिविजन (एम-214) ने ₹ 2.63 करोड़ के गैर-योजनागत व्यय को योजनागत शीर्ष में हस्तांतरित किया, जबकि व्यय में प्रभारित स्टॉफ वेतन, टेलीफोन बिल, मिनरल वॉटर के बिल, फोटोकॉपीयर प्रभार इत्यादि शामिल हैं। इस प्रकार योजनागत शीर्ष के अंतर्गत एए व ई एस के बिना ₹ 6.74 करोड़ की राशि के अग्राह्य प्रकृति के गैर-योजनागत व्यय की बुकिंग में सुधार आवश्यक है।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि ई.ई.एस. को ऐसे व्यय के लिए कार्योत्तर अनुमोदन लेने हेतु निर्देश दिए जा रहे थे।

### 2.3.2.3 ₹ 35 लाख की बचतों का अनियमित पुनर्विनियोजन

के.लो.नि.वि मैनुअल की धारा 48.6 (3) (ख) के अनुसार मुख्य अभियंताओं ने बजट के एक समान उप-शीर्ष के अंतर्गत एक से दूसरे क्षेत्र में निधियों के पुनः आवंटन की शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ई.ई. (सी. बी.एम.डी.एम-132) ने मुख्य अभियंता के अनुमोदन के बिना हस्तान्तरण प्रविष्टियों के जरिए ₹ 25 लाख को 'भूमिगत जलाशय व पंप हाउस के निर्माण तथा संसाधित जल के ग्रिड का वितरण' के कार्य को 'तिहाड़ जेल के एस.टी.पी. का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना' के कार्य में तथा ₹ 10 लाख को 'केन्द्रीय जेल सं-4 के वार्ड सं.-2 में एस. पी.एस. टाइप बैरक की असाधारण मरम्मत' के कार्य से केन्द्रीय जेल संख्या-2 और 6 के बीच मार्ग को चौड़ा करने के कार्य में हस्तान्तरित कर दिए, जो कि अनियमित था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि ई.ई. को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर अनुमोदन लेने के लिए निर्देश दिया जा रहा था।

### 2.3.2.4 व्ययगत जमा को सरकारी खाते में जमा न कराना

के.लो.नि.ले. संहिता के पैरा 15.41 के अनुसार प्रतिभूति जमाएं पूरे तीन लेखा वर्षों से अधिक जिनके पश्चात वे भुगतान के लिए देय हो जाती हैं, के लिए अदावित रहने पर व्ययगत जमाएं मानी जाती हैं और उन्हें सरकारी खाते में जमा करना आवश्यक होता है। पांच डिविजनों ने ₹ 2.74 करोड़[6] की व्यपगत प्रतिभूति जमाओं को सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा के समय उप-निदेशक (एम-214) ने ₹ 6.98 लाख को अगस्त 2013 में सरकारी खाते में जमा किया। सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि सभी कार्यकारी अभियंताओं को अदावित व्यपगत जमाओं को जमा कराने के अनुदेश जारी किए गए थे।

### 2.3.2.5 बजट आवंटन पर डिविजन-वार सूचना का अभाव

रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए बजट को बाद में विधान सभा द्वारा पास किया जाता है, मु.अ. बजट का आवंटन क्षेत्रों को करते हैं जो आगे सर्किलों को आवंटित करते है जहां से इसे आगे संबंधित डिविजनों में आवंटित किया जाता है। अभिलेखों की संवीक्षा ने

[6] एम–111 (₹ 1.18 करोड़), एम–132 (₹ 0.24 करोड़), एम–211 (₹ 0.11 करोड़), एम–214 (₹ 0.07 करोड़), तथा एम–313 (₹ 1.14 करोड़),

दर्शाया कि ई-इन सी कार्यालय तथा मुख्य अभियंता कार्यालय ने बजट एवं व्यय की सूचना को डिविजन-वार नहीं रखा।

### 2.3.3 कार्य अनुमानों का बनाना

प्रारंभिक प्रतिवेदन तथा कच्चे अनुमान किए गए कार्य प्रस्तावों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु बनाए जाने चाहिए। उसके पश्चात पूर्ण विवरणों जैसे सभी मदों की अनुसूची, मात्रा, दर, लागत, ड्राइंग्स, विशेष निर्देश, दर विश्लेषण मापन ब्यौरे इत्यादि से समर्थित विस्तृत अनुमान सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिए बनाये जाने आवश्यक हैं। तकनीकी संस्वीकृति सुनिश्चित करती है कि प्रस्ताव आधारभूत रूप से सुदृढ़ है तथा अनुमान मितव्ययी हैं। इस क्षेत्र में देखी गई अनियमितताओं की चर्चा आगामी उप-पैराग्राफों में की गई है।

#### 2.3.3.1 बढ़े हुए अनुमान तथा तकनीकी संस्वीकृति

सितम्बर 2012 में रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग ने पूँजीगत कार्यों के लिए डी.एस.आर. 2007 के स्थान पर डी.एस.आर. 2012 को अपनाने हेतु आदेश जारी किए। आदेशों में निर्धारित था कि लो.नि.वि. सहित कार्यकारी एजेन्सियों को दिल्ली अनुसूचित दर (डी. एस.आर) 2012 (-)12 *प्रतिशत* विकास कार्य (सड़क तथा नाले) पर करने चाहिए।

10[7] सी.आर.एम. डिविजनों तथा दो[8] सिविल भवन अनुरक्षण सी.बी.एम. डिविजनों ने एए एंड ईएस प्राप्त करने के लिए 'डी.एस.आर 2012 (-) 12 *प्रतिशत* को अपनाकर प्रारंभिक अनुमान तैयार किए परन्तु विस्तृत अनुमानों की गणना हेतु डिविजनों ने वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के उल्लंघन में 'डी.एस.आर. 2012 (+) आठ *प्रतिशत* ' अथवा 'डी.एस.आर 2012 (-)12 *प्रतिशत* (+) आठ *प्रतिशत* को अपनाया और इसके परिणामस्वरूप 75 कार्यों के अनुमान ₹ 58.72 करोड़ तक बढ़ गए थे।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि निविदाओं में ली गई अनुमानित लागतों की गणना के.लो.नि.वि. के मानकों के अनुसार लागत सूचकांक से अनुसूचित मदों की अनुमानित लागत के समायोजन द्वारा की गई थी। आगे यह कहा कि कार्यों को कार्य की न्यायोचित लागत तैयार करने के बाद सौंपा गया था जो प्रचलित बाजार दरों के अनुसार है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग जारी आदेश बहुत विशिष्ट तथा स्पष्ट थे कि कार्यकारी एजेन्सियों को विकास कार्य डी.एस.आर. 2012 (-) 12 *प्रतिशत* पर करने चाहिए। समापन सम्मेलन में लो.नि.वि. के सचिव ने कहा कि के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के संबंध में लागत सूचकांक में बदलाव से संबंधित मामले को वित्त विभाग के साथ आगे बढ़ाया जायेगा।

### 2.3.4 निविदा प्रक्रिया तथा कार्य सौंपना

जी एफ आर के नियम 21 में निर्धारित है कि लोक धन से व्यय करने अथवा व्यय के लिए प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी वित्तीय उपयुक्तता के उच्च मानकों से निर्देशित किया जाना चाहिए तथा लोक धन से किए व्यय के संबंध में उसी सतर्कता की आशा की जाती है जैसे साधारण विवेक का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में करेगा।

---

7 एम–111, एम–112, एम–113, एम–141, एम–142, एम–311, एम–312, एम–313, एम–412 तथा एम–413

8 एम–121 तथा एम–341

### 2.3.4.1 मैनुअल में निर्धारित अवधि से परे कार्य के सौंपने में विलंब

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल की धारा 20.3.1 के अनुसार निविदाओं को शीघ्र अंतिम रूप देने में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पर्यवेक्षण अभियंता के अधिकार के अंतर्गत निविदाओं के मामले में निविदाओं की समीक्षा तथा निपटान हेतु कार्यकारी अभियंता के लिए सात दिन और पर्यवेक्षण अभियंता के लिए 15 दिन निर्धारित किए गए हैं।

दो सी.आर.एम. डिविजनों (एम-412 तथा एम-413), दो ई.एम. डिविजनों (एम-251 तथा एम-351) और एक सी.बी.एम. डिविजन (एम-132) ने 24 कार्यों में निर्धारित अवधि के भीतर निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया परिणामस्वरूप पाँच से 70 दिनों की रेंज में विलंब हुआ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि निविदा की वैधता निविदा के खुलने की तिथि से 90 दिन है तथा सभी कार्य निर्धारित अवधि के भीतर सौंपे गए थे तथा धारा में उल्लिखित अवधि संवीक्षा के लिए है और निविदा के निपटान हेतु अगले प्राधिकारी के लिए है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में इंगित सभी मामलों को पर्यवेक्षक अभियंता द्वारा स्वीकृत किया जाना था जिसके लिए संवीक्षा में शामिल प्रत्येक प्राधिकारी के लिए अवधि तथा निविदा का सौंपना सम्मिलित था।

### 2.3.4.2 कार्य को अनियमित सौंपना

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल की धारा 20.4.3.1 में प्रावधान है कि वैट के तत्व ठेकों की जस्टीफिकेशन लागत तथा सेवा के कार्य आदेशों जैसे कम्प्यूटर सेवाओं का संचालन अथवा अनुरक्षण, वाहनों का चलना तथा अन्य समान ठेकों में लागू नहीं होंगे। धारा 20.4.3.2 आगे बताती है कि निविदा दरों में जस्टीफाइड दरों से पांच *प्रतिशत* तक का विचलन नजर अंदाज किया जा सकता है।

**क)** ई.एम. डिविजनों (एम-251 व एम-252) ने लागत में ₹ 1.27 करोड़ की निविदा लागत वाले छः कार्यों (जैसे इलैक्ट्रीकल अधिष्ठापन, जल आपूर्ति, पंप सैट, डीजी सैट, फायर सिस्टम तथा लिफ्ट इत्यादि का संचालन) के मामले में वैट के तत्व को शामिल किया।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि तदनुसार ई ईस को भविष्य में सुधारक कार्रवाई करने हेतु अनुदेश जारी किए जा रहे थे।

**ख)** नवम्बर 2012 में कार्यों के महा-निदेशक (डी.जी.डब्ल्यू.) द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार ठेके के अंतर्गत मजदूरों को देय ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. के घटकों को न्यायोचित लागत में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ईएम डिविजनों (एम-252 व एम-253) के ₹ 2.45 करोड़ की निविदा लागत वाले तीन कार्यों में न्यायोचित लागत में ई.पी.एफ, ई.एस.आई, तथा वैट के घटकों को निविदा लागत को सम्मिलित किया गया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि (फरवरी 2014) कि सभी ई.ईस को कार्य की न्यायोचित लागत की गणना करते समय सख्ती से मैनुअल निर्देश के अनुपालन के निदेश जारी किए जा रहे थे।

### 2.3.5 कार्यों का निष्पादन

ठेका प्रबंधन में आवश्यक है कि कार्य को अति महत्वपूर्ण तथा व्यावसायिक ढंग से निर्देशों के संबंध में तथा कार्य के संबंध में लिखित डिजाइन, ड्रांइग्स व अनुदेशों के अनुरूप पूरी तरह से पूर्ण व विश्वसनीय तथा इंजीनियर प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठेकेदार को सभी कार्यों की पर्याप्तता, उपयुक्तता तथा सुरक्षा और निर्माण के

तरीके के लिए पूरा उत्तरदायित्व लेना चाहिए। वर्ष 2012-13 के दौरान 2330 कार्य चयनित डिविजनों में सौंपे गए थे। नमूना जांच के लिए चयनित ₹ 494.72 करोड़ के 445 कार्यों में से 183 कार्य (₹ 406.63 करोड) समय पर पूरे नहीं किए गए थे, प्रगति पर थे तथा 107 कार्यों में (₹ 55.65 करोड़) लागत बहुत बढ़ गई थी। ₹ 32.44 करोड़ के शेष 155 कार्यों को या तो समय पर पूरा किया गया अथवा किसी बढ़ोतरी का भुगतान नहीं किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा उत्तरवर्ती में की गई हैं।

### 2.3.5.1 तकनीकी संस्वीकृति के बिना कार्य का निष्पादन

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल की धारा 2.1 (2) में निर्धारित है कि सामान्यतः कोई कार्य तब तक आरंभ नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसके लिए तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त न हो जाए। ई.एम डिविजन (एम 153) में वर्ष 2012-13 के दौरान शीर्ष 2059 तथा 2216 के अंतर्गत ₹ 5.42 रोड़ के 63 गैर-योजनागत कार्यों के संबंध में तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि संबंधित ई.ई. को सक्षम प्राधिकारी से पूर्व प्रभावी तकनीकी संस्वीकृति लेने के लिए निर्देश दिया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने मैनुअल के प्रावधान का पालन नहीं किया तथा पूर्व प्रभावी तकनीकी संस्वीकृति संलग्न होगी तथा अभीष्ट उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी।

### 2.3.5.2 तकनीकी संस्वीकृति का गैर-संशोधन

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल की धारा 2.5.2 में निर्धारित है कि तकनीकी संस्वीकृति वास्तविक व्यय से 10 *प्रतिशत* तक बढ़ सकती हे इससे अधिक के लिए संशोधित तकनीकी संस्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। होर्टीकल्चर डिविजन (एम 214) तथा दो सी.आर.एम. डिविजन (एम 412 व एम 413) में 17 कार्यों के बिलों ने तकनीकी संस्वीकृति को 10 *प्रतिशत* से अधिक (₹ 1.61 करोड़ तक) कर दिया।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि संबंधित ई ईस को संशोधित तकनीकी संस्वीकृति लेने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे थे और भविष्य में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी सामान्य अनुदेश जारी किए जा रहे थे।

### 2.3.5.3 अनुमोदित कार्यों के अलावा कार्यों का निष्पादन

अनुमान कार्य की आवश्यकताओं तथा निष्पादन के स्थान का संकेत देते हुए एक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए जाने थे। यह देखा गया कि दो सी.आर.एम. डिविजनों (एम 211 व एम 213) और एक ई एम डिविजन (एम 252) के पाँच कार्यों में ₹ 1.95 करोड़ के अतिरिक्त कार्यों को निष्पादित किया गया। मूल कार्य फुटपाथ का सुधार, रोड का प्रोफाइल सुधार तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित थे परन्तु विपथन तथा अतिरिक्त मदों का संबंध डी बी एम, डी बी सी तथा मास्टिक वीयरिंग कोर्स को उपलब्ध कराने तथा बिछाने, वोल्टेज स्टैबलाइजरों को लगाना तथा अधिष्ठापन व आपूर्ति तथा आऊटडोर टाइप वैदर प्रूफ होस कैबिनेट व अग्नि शमन यंत्रों की स्थापना तथा आपूर्ति से संबंधित था जैसाकि सौंपे गए कार्य तथा अतिरिक्त व विपरित मदों के निष्पादन के बीच कोई संबंध नहीं था, अतः यह अनियमित था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि अतिरिक्त कार्य मूल कार्य के साथ जोड़ दिए गए थे जबकि उनकी आवश्यकता कार्य के निष्पादन के दौरान बढ़ गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी कार्य पृथक प्रकृति के थे और मूल कार्य से भिन्न थे तथा पृथक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति के लिए भेजे बिना मुख्य समझौते/संस्वीकृतियों के अंतर्गत निष्पादित किए गए।

### 2.3.5.4 कार्यक्षेत्र में पहले से आने वाले कार्य के लिए अग्राह्य भुगतान

स्थल के शर्तों की संबंध में ठेके (2) की सामान्य शर्तों के अनुसार ठेकेदार स्थल की शर्तों के सभी पहलुओं से स्वयं संतुष्ट होगा और इस अनुरोध पर कोई दावा नहीं किया जाएगा कि विभाग द्वारा दी गई सूचना गलत अथवा अपर्याप्त थी।

एम 2 क्षेत्र के अंतर्गत 'पटरी के सुधार' का कार्य में स्थलों में नाली पर विद्यमान आर.सी.सी. स्लैबों के विघटन, ईंटें लगाकर नाली ऊपर करने के पश्चात उस की पूर्व लागत तथा नाली से कीचड़ व गाद निकालने सहित पुताई के कार्य की अतिरिक्त मदों के लिए ₹ 54.83 लाख का भुगतान किया गया जो अग्राह्य था जैसाकि ये मदें मूल कार्य क्षेत्र के भीतर शामिल की जानी चाहिए थी।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि सलैबों के विघटन की मद को मात्रा अनुसूची में नहीं लिया गया परन्तु स्थल की आवश्यकता के अनुसार कुछ सलैबों का विघटन किया जाना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वयं माना कि मद की आवश्यकता स्थल की आवश्यकता के अनुसार थी जिससे लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि होती है कि इसे मूल कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

### 2.3.5.5 खण्ड 10 सी.ए. के अंतर्गत अग्राह्य भुगतान

बैठक की सामान्य शर्ते-2010 के खण्ड 10 सी.ए. के अनुसार यदि निविदा की प्रस्तुति के पश्चात अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट सामग्री की कीमत निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि के समय पर प्रचलित कीमतों से परे बढ़ती अथवा कम होती है तब ठेके की राशि तदानुसार भिन्न हो जाएगी। दो कार्यों नामतः (i) न्यू रोहतक रोड के गुरुरवि दास मार्ग से पूरा रोड तथा डी.बी. गुप्ता रोड के मिलिटरी रोड से न्यू रोहतक रोड, करोल बाग का सुदृढ़ीकरण तथा (ii) नजफगढ़ रोड (राजा गार्डन से सुभाष नगर चौक) के सुदृढ़ीकरण के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि अनुसूची 'एफ' में केवल बिटुमिन सी.आर.एम.बी.-60 तथा बिटुमिन इमलशन ठेकदार को बिटुमिन 85/25 के लिए ₹ 6.37 लाख और ₹ 14.49 लाख वापिस किए जो अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट नहीं था। इस प्रकार बिटुमिन 85/25 के लिए ₹ 20.86 लाख का भुगतान अग्राह्य था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि भुगतान अग्राह्य था और ठेकदारों से वसूली की जा रही थी।

### 2.3.5.6 बढ़ी हुई कीमत के भुगतान हेतु गलत आधार दर को अपनाना

ठेका की सामान्य शर्तें 201 के खण्ड 10 सी.ए. (संशोधित)) के अनुसार कीमत विभिन्ता के उद्देश्य से मदों की आधार कीमत अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित होनी चाहिए। सी.आर.एम. डिविजन (एम 111) के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि चार कार्यों में अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित बिटुमिन की आधार कीमत 'आई.ओ.सी., पानीपत के अनुसार' थी और उसमें उत्पाद शुल्क अथवा वैट के सम्मिलन का कोई उल्लेख नहीं था। तथापि यह देखा गया कि खण्ड 10 सी.ए. के अंतर्गत बिटुमिन की कीमत नियत करते समय डिविजन ने आधा कीमत में उत्पाद शुल्क तथा वैट की राशि शामिल की जिससे ₹ 42.83 लाख का अधिक भुगतान का भार पड़ गया

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि सभी मुख्य अभियंताओ को अनुसूची 'एफ' में स्पष्टतः उल्लेख करते हुए अनुदेश जारी किए जा रहे थे कि सभी करों इत्यादि में दर शामिल होगी।

### 2.3.5.7 अवास्तविक अनुमानों के कारण अधिक भुगतान

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल की धारा 4.2.1(2) निर्धारित करती है कि विस्तृत अनुमान पूर्ण तथा जितने संभव हो व्यापक होने चाहिए और शामिल कार्य के विभिन्न घटकों विस्तृत ड्राइंग्स] प्रारंभिक ढांचागत योजनाओं, विभिन्न सेवाओं की प्रारंभिक योजना ड्राइंग्स तथा विनिर्देशन इत्यादि द्वारा समर्थित होने चाहिए।

**(क)** सात[9] सी.आर.एम. डिविजन, पांच[10] ई.एम. डिविजन तथा दो[11] सी.बी.एम. डिविजनों के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि 106 कार्यों में ₹ 31.50 करोड़ की निविदा राशि के प्रति ₹ 48.60 करोड़ का भुगतान किया गया। ₹ 17.18 करोड़ (54.54 *प्रतिशत*) की वृद्धि मुख्यतः कार्य के क्षेत्र में वृद्धि, अतिरिक्त कार्य के निष्पादन व निष्पादन के दौरान ड्राइंग्स और डिजाइनों में बदलाव के कारण थी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित थे। इस प्रकार निविदा राशि तथा वास्तविक व्यय की राशि के बीच भारी अंतर लो.नि.वि. द्वारा अनुमान तैयार करने के समय पर उचित रूप से संख्याओं के निर्धारण की विफलता के कारण था।

इस अनियमितता को मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 3 में भी दर्शाया गया था फिर भी अनियमितता निरन्तर बनी रही।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि सभी ई.ई. को वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित अनुमान तैयार करने तथा मदों की आवश्यक मात्रा का जितना संभव हो उचित निर्धारण करने के निर्देश दिए जा रहे थे।

**(ख)** एक अन्य कार्य कॉमन वेल्थ गेम्स (एम-313) के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के मालरोड से छत्रसाल स्टेडियम तक (3.60 कि.मी.) गलियां बिछाने के कार्य में यह देखा गया कि नौ मदों में वास्तविक मात्राओं में 21 से 3870 प्रतिशत की रेंज तक विपथन हुआ था। ठेकेदार को भुगतान अनुसूची 'एफ' में प्रदत्त सीमा तक समझौता दरों पर और अधिकतम सीमा से अधिक मात्राओं के लिए बाजार दरों पर किया गया था। जब से बजार दरें उच्चतर थी, डिविजन ने अशुद्ध अनुमानों के कारण ₹ 55.20 लाख का अधिक भुगतान कर दिया था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि विपथन किसी समय स्थल आवश्यकता के कारण भी हुआ जिसका निर्धारण प्रारंभिक अनुमान तैयार करते समय नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लो.नि.वि. अनुमान तैयार करते समय आवश्यकता तथा कार्य की मात्रा का विश्लेषण करने में विफल रहा परिणामस्वरूप विपथित मात्राओं के कारण अधिक परिहार्य भुगतान किया गया।

### 2.3.5.8 कार्य सौंपने के पश्चात विनिर्देशों में परिवर्तन

तीन[12] सी.आर.एम. डिविजनों के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि मदों के विनिर्देशों में कार्य सौंपने के पश्चात परिवर्तन किया गया जैसा कि **तालिका 2.3.4** में संकेतिक है:

[9] एम-111, एम-112, एम-211, एम-213, एम-311, एम-412 तथा एम-413

[10] एम-251, एम-351, एम-352, एम-451, तथा एम-453

[11] एम-121 तथा एम-132

[12] एम-213, एम-312 तथा एम-313

**तालिका 2.3.4**

**कार्यों के सौंपने के बाद विनिर्देशों के बदलाव वाले विवरण**

(₹ करोड़ में)

| कार्य का नाम/एजेन्सी सं. | मद | अधिक व्यय | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| सड़क सं. 59 की मरम्मत एवं रखरखाव, उप कार्यः डोवल के निर्माण से यमुना विहार तथा बृजपुरी के बीच दक्षिण की ओर सी.सी. पेवमेंट को जोड़ा गया (78/एम-213/11-12)। | (i) आर.एम.सी., स्थिति में पी/एल, और (ii) तैयार सब–बेस पर एम 35 के कमजोर डॉवल जोड़ प्लेन सी.सी. पेवमेंट का निर्माण। | 0.52 | मद की सतह की मोटाई (i) 0.08 मी. से 0.15 मी. (ii) 0.25 मी. से 0.30 मी. तक बढ़ गई। |
| रोहणी में 'अहिंसा मार्ग' पर फुटपाथ के एस/आई तथा पी एंड एफ रिटरों–रिफ्लैक्सिव रोड सिगनेचर, उप कार्यः सड़क का सुदृढ़ीकरण व फुटपाथ का सुधार (57/एम-312/12-13)। | इंटरलोकिंग टाइल्स। | 1.02 | इंटरलोकिंग टाइल्स के स्थान पर रोड़ी मिक्सड कंक्रीट एम-25 लगाई गई। |
| माल रोड एक्सटेंशन पर कैरिजवे का सुधार उप कार्यः मुख्य कैरिजवे का सुदृढ़ीकरण व पुनः सतहीकरण तथा सी. सीः सड़कों व फुटपाथ इत्यादि का निर्माण (45/एम-313/12-13) | सड़क व पटरी पर एम-40 ग्रेड की गुण्वत्ता के डॉवल ज्वाइंटेड का निर्माण। | 0.20 | सतह की मोटाई 20 मी. मी. से 30 मी. मी. तक बढ़ गई। |
| **कुल** | | **1.74** | |

इस प्रकार सौंपने के पश्चात विनिर्देशनों के बदलाव के परिणामस्वरूप ₹ 1.74 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि विनिर्देशनों में बदलाव स्थल की स्थितियों के अनुसार तकनीकी रूप से आवश्यक थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमान तैयार करते समय आवश्यकता का निर्धारण किया जाना चाहिए। कार्य सौपंने के पश्चात किए गए बदलाव पारदर्शिता, स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना के विरूद्ध तथा अन्य निविदाकारों के प्रति अनुचित था।

### 2.3.5.9 डबल टैक कोट प्रदान करने पर परिहार्य व्यय

एम.ओ.आर.टी.एच. विनिर्देशनों के खण्ड 503.1 में विद्यमान बिटुमिनीयस सड़क सतह जिस पर प्रारंभ में बिटुमिनीयस मिक्स लगा था, के लिए निम्न विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमिनीयस सामान (टैक कोट) के एक कोट के उपयोग की व्यवस्था है। आगे खण्ड 503.4.3 में प्रावधान है कि जहां एक सतह का सामान नयी वृद्धि बिटुमिनीयस सतह है जो ट्रैफिक अथवा धूल के प्रदूषण से संबंधित है, टैक कोट अनिवार्य नहीं है। पांच[13] सी.आर.एम. डिविजनों के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि 27 कार्यों (**अनुलग्नक 2.3.1**) में सभी नयी वृद्धि हुई बिटुमिनीयस सतहों पर टैक कोट प्रदान किया गया था जबकि टैक कोट केवल विद्यमान बिटुमिनीयस सतह पर आवश्यक था परिणामस्वरूप ₹ 1.36 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि बिटुमीनियस कार्य एक लेन में कार्य का निष्पादन ट्रैफिक को जुड़ी हुई लाइनों में विपथित करके किया गया तथा ट्रैफिक की भीड़भाड़

[13] एम-111, एम-113, एम-142, एम-312 व एम-313

को रोकने के लिए ट्रैफिक को नयी बिछी बिटुमीनियम सरफेस पर जितनी जल्दी संभव हो खोला जाना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार ने डबल टैक कोट के मामले में उत्तर नहीं दिया यदि बिटुमिनीयस सतहें 48 घंटों के भीतर बिछाई जाती। आगे समापन सम्मेलन में विभाग ने कहा कि मामले को दिल्ली में निष्पादित कार्यों के संबंध में होने वाले बदलावों के लिए सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

### 2.3.5.10 मुख्य एवं गौण उत्पादकों के स्टील की लागत के गैर-सामंजस्य के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ

के.लो.नि.वि. की गुणवत्ता आश्वासन इकाई की टिप्पणी तथा इसके का.ज्ञा.डी.जी. डब्ल्यू/एम.ए.एन./168 की शर्तों के अनुसार मुख्य उत्पादकों से गैर-उपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के मामले में गौण उत्पादकों से स्टील केवल लागत समायोजन के साथ अनुमत किया जाना चाहिए। आगे इसमें निर्धारित है कि गौण उत्पादकों के नाम अनुमोदित सूची में मुख्य उत्पादकों के साथ निर्दिष्ट नहीं किए जाने चाहिए।

एम-2 क्षेत्र के अंतर्गत 'विभिन्न सड़कों पर रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस का प्रबंध व अधिष्ठापन' के कार्य से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि ठेके की सामान्य शर्तों के अनुसार ठेकेदार को थर्मो मैकेनिकल ट्रीटिड (टी.एम.टी.) बार तथा स्टील रि-इनफोर्समेंट बार मुख्य उत्पादकों अथवा गौण उत्पादकों से तथा ढांचागत स्टील केवल मुख्य उत्पादक से प्राप्त किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि ठेकेदार ने सभी टी.एम.टी. बार तथा ढांचागत स्टील गौण उत्पादकों से प्राप्त तथा उपयोग किया। तथापि लो.नि.वि. ने गौण उत्पादकों तथा मुख्य उत्पादकों से प्राप्त स्टील की लागत में अंतर को समायोजित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 21.78 लाख का अनुचित लाभ हुआ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि मुख्य और गौण उत्पादकों दोनों से प्राप्त स्टील के उपयोग को एक साथ निर्धारित नहीं करना चाहिए। जस्टीफिकेशन में तथा समझौते के खंड़ 42 में अपनाई गई स्टील की दर ₹ 37000 प्रति एमटी थी, जो गौण स्टील की दर है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ई ई (एम–211) ने अन्य कार्य 'लो.नि.वि. के एम–2 क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सड़कों पर केन्दीय मेडियन उपलब्ध कराना' को गौण उत्पादकों से प्राप्त स्टील का उपयोग करते हुए ठेकेदार से वसूली का प्रस्ताव रखा।

### 2.3.5.11 कार्य का पूरा न होना

के.लो.नि.वि. वर्ष मैनुअल की धारा 29.1 में निर्धारित है कि ठेके में शामिल कार्य के लिए अनुमत समय का सख्ती से पालन करेगा और ठेकेदार की तरफ से कार्य को ठेके की पूरी निर्धारित अवधि में पूरे परिश्रम से आगे बढ़ाना चाहिए। आठ[14] सी.आर. एम. डिविजनों, सात[15] ई.एम. डिविजनों, दो सी.बी.एम. डिविजनों (एम-121 तथा एम-132) और होर्टीकल्चर डिविजन (एम-214) के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि 181 कार्य सितम्बर 2013 तक पूरे नहीं हुए थे जबकि उनकी निर्धारित अविध पहले ही बीत चुकी थी और पाँच दिन से 1610 दिन की रेंज में विलंब था।

[14] एम-111, एम-112, एम-211, एम-311, एम-312, एम-313, एम-412 व एम-413
[15] एम-253, एम-351, एम-252, एम-353, एम-451, एम-452, व एम-453

सरकार ने स्वीकार किया (फरवरी 2014) कि विलंब के कारणों को अवरोध रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए तथा ई.ई. को निर्देश दिए जा रहे थे कि लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने पर अभिलेख दिखाएं जाए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलंब के कारणों को अवरोध रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था।

### 2.3.5.12 कार्यों में विलंब के लिए प्रतिपूर्ति का गैर-उद्ग्रहण

ठेके की सामान्य शर्तों के खण्ड 2 के अनुसार यदि ठेकेदार कार्य की आवश्यक प्रगति को बनाए रखने में विफल रहता है, विभाग को विलंब के लिए 1.5 *प्रतिशत* प्रति माह की दर से प्रतिपूर्ति उद्ग्रहीत करनी चाहिए जिसकी गणना कार्य के निविदा मूल्य के 10 *प्रतिशत* प्रतिदिन के आधार पर की जानी थी।

चार[16] ई.एम. डिविजनों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 156 कार्यों में ई.ई. ने ₹ 11.57 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति को उद्ग्रहीत नहीं किया यद्यपि कार्य निर्धारित तिथियों के भीतर पूरे नहीं किए गए थे।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कार्यों की समाप्ति के पश्चात यदि यह पाया गया कि कार्य की समाप्ति में विलंब ठेकेदार की ओर से था, जुर्माना उद्ग्रहीत किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब निर्धारित अवधि बीत गई तो भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

### 2.3.5.13 लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति के लिए भुगतान को रोकना

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल की धारा 2.9.1 (4) के अनुसार निष्पादन के दौरान कार्य की अच्छी प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु ठेकेदार इन सभी मामलों में अनुसूची 'एफ' में दिए लक्ष्यों के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य होगा। वित्तिय प्रगति से निर्धारित आवश्यक प्रगति, कार्य के दिए गए मूल्य का प्रतिशत जोकि अनुसूची 'एफ' में उल्लेखित है कि प्रत्येक माईलस्टोन के उपार्जन की असफलता के लिए रोका जाएगा तथापि, यद्यपि वहां छः कार्यों में माईलस्टोन के उपार्जन में देरी थी, ई.ई. (एम 311) ने ₹ 0.82 करोड़ नहीं रोके गए। (**अनुलग्नक 2.3.2**) माईलस्टोन के खंड को लागू न करने से, लो.नि.वि. ठेकेदारों द्वारा निष्पादित कार्या की प्रगति पर कोई नियंत्रण करने में सक्षम नहीं था, जो कार्य की निगरानी की कमी दर्शाता है।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014 ) कि लक्ष्यो की गैर-उपलब्धि के लिए आवश्यक राशि को रोक लिया गया। आगे यह कहा गया कि सभी ई.ई. को लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि के मामले में राशि रोकने के लिए अनुदेश जारी किए जा रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राशि वास्तव में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात रोकी गई जिससे उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त सभी छः कार्य लेखापरीक्षा की तिथि तक अपूर्ण थे।

### 2.3.5.14 विचलनों तथा अतिरिक्त मदों की संस्वीकृति

तीन[17] सी.आर.एम. डिविजनों तीन[18] ई.एम. डिविजनो तथा दो[19] सी.बी.एम. डिविजनों के अभिलेखों के नमूना जांच ने दर्शाया कि 95 कार्यों में बिना किसी विशेष कारण और नित्य निगरानी व स्थान की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विपथन तथा

[16] एम-253, एम-352,, एम-353 व एम-451

[17] एम-311, एम-412 व एम-413

[18] एम-251, एम-252 व एम-351,

[19] एम-121 व एम-132

अतिरिक्त मदों पर कुल ₹ 5.60 करोड़ संस्वीकृति थे, अनुमोदित प्रतिवेदन में इस प्रकार इन मदों की वास्तविक आवश्यकता पर एक विश्वसनीय आश्वासन नही दिया जा सकता था। सामान अनियमित्ताओं को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की मार्च 2012 वर्ष में समाप्त प्रतिवेदन सं. 3 में दर्शाया गया था, तथापि लो.नि.वि. ने कोई उपचारी कार्रवाई नही की तथा अनियमित्ताए बिना जाँच के जारी रही।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि सभी ई.ई. को जितनी संभव हो उतनी ठीक कार्य की आवश्यकता निश्चित करने हेतु अनुदेश जारी किए जा रहे थे। उत्तर विचलनों तथा अतिरिक्त मदों के लिए उचित न्यायोचित दर्ज न करने के लेखापरीक्षा निष्कर्ष के लिए विशेषतः नहीं था।

### 2.3.5.15 मात्राओं में विपथन का अनियमित अनुमोदन

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के परिशिष्ट-1 के अनुसार ई.ई. संविदा मदों की मात्राओं में विपथन, ठेका राशि का 15 *प्रतिशत* तक या अपने अधिकार से तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त करने का 50 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 22.50 लाख जो भी कम है, की संस्वीकृति कर सकता है। आगे यह निर्धारित है कि प्रतिवेदित विपथन की राशि, सभी एकल मदों की विपथन राशि के सुनिश्चित मूल्य का योग होगा।

ई.एम. (एम 251) में यह पाया गया कि शास्त्री पार्क पूर्वी दिल्ली में 200 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण कार्य में, उप शीर्षः आपूर्ति, अधिष्ठापन, वातानुकूलन की जांच व चालन तथा वातायन कार्य में, वहां मात्राओं में कुल विपथन की राशि ₹ 32.53 लाख थी। मात्राओं में विपथन का सुनिश्चित मूल्य जोड़ने पर कुल विपथन (जैसाकि घनात्मक व ऋणात्मक मूल्य दोनों) में आय के बजाय ई.ई. ने बीजगणितीय विपथन जोड़ा तथा राशि ₹ 5.16 लाख की राशि अनुमोदित की। अतः विपथन ₹ 32.53 लाख की बजाय ₹ 5.16 लाख की राशि सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना संस्वीकृत हुई जो मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि कार्यकारी अभियंता को उसकी गलत कार्रवाई के लिए चेतावनी दी जा रही है।

### 2.3.6 मानवीय संसाधन प्रबंधन

दो क्षेत्रों में 31 मार्च 2013 को जनशक्ति की स्थिति **तालिका 2.3.5** में चित्रित है।

**तालिका 2.3.5**
**संस्वीकृत पद तथा तैनात व्यक्ति**

| | | अनुरक्षण क्षेत्र–1 | | | अनुरक्षण क्षेत्र–2 | | | अनुरक्षण क्षेत्र–3 | | | अनुरक्षण क्षेत्र–4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं. | पद का नाम | संस्वीकृत पद | तैनात व्यक्ति | कमी | संस्वीकृत पद | तैनात व्यक्ति | कमी | संस्वीकृत पद | तैनात व्यक्ति | कमी | संस्वीकृत पद | तैनात व्यक्ति | कमी |
| तकनीकी | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | मुख्य अभियंता | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | अधीक्षण अभियंता | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | कार्यकारी अभियंता (सिविल) | 17 | 16 | 1 | 15 | 15 | 0 | 16 | 16 | 0 | 17 | 15 | 2 |
| 4 | कार्यकारी अभियंता (इलैक्ट्रीकल) | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | सहायक अभियंता (सिविल) | 66 | 62 | 4 | 63 | 52 | 11 | 61 | 57 | 4 | 64 | 59 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | सहायक अभियंता (इलैक्ट्रीकल) | 15 | 13 | 2 | 15 | 15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 15 | 13 | 2 |
| 7 | कनिष्ठ अभियंता (सिविल) | 120 | 57 | 63 | 108 | 56 | 52 | 120 | 58 | 62 | 116 | 57 | 59 |
| 8 | कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रीकल) | 27 | 16 | 11 | 27 | 19 | 8 | 27 | 27 | 0 | 27 | 17 | 10 |
| | **उप–जोड़** | **255** | **173** | **82** | **238** | **167** | **71** | **248** | **180** | **68** | **249** | **170** | **79** |
| 9 | गैर–तकनीकी | 388 | 260 | 128 | 353 | 251 | 102 | 343 | 252 | 91 | 360 | 207 | 153 |
| | **कुल** | **643** | **433** | **210** | **591** | **418** | **173** | **591** | **432** | **159** | **609** | **377** | **232** |

तकनीकी स्टाफ की औसत कमी क्षेत्र I, क्षेत्र II, क्षेत्र III, क्षेत्र IV में क्रमशः 32 *प्रतिशत*, 30 *प्रतिशत* 27 *प्रतिशत* और 32 *प्रतिशत* थी। कनिष्ठ अभियंताओं की कमी क्षेत्र I, क्षेत्र II, क्षेत्र III, क्षेत्र IV के क्रमशः, 50.34, 44.44, 42.18, तथा 48.25 *प्रतिशत* थी।

सरकार ने कहा कि (फरवरी 2014) कि योजना पदों को रिक्त रखते हुए कम से कम दलीय पदों को अधिकतम संभव सीमा तक भरने के प्रयास किए जा रहे थे।

### 2.3.7 विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक एकीकृत प्रक्रिया है जिससे एक संगठन यह आश्वासन प्राप्त करता है कि इसकी गतिविधियां कुशल है तथा वे अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सही दिशा में है। एक अन्तस्थ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक इकाई के दैनिक कार्यों में त्रुटियों तथा अनियमितताओं के जोखिम को कम करने के लिए अध्यादेशों के अनुपालन निर्धारित संहिताओं और मैनुअलों के प्रावधानों को सुनिश्चित करती है। आंतरिक नियंत्रणों में पाई गई कमियों को पूर्व पैराग्राफों में इंगित किया गया है।

विभाग का अपना स्वयं का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है परन्तु इसकी आंतरिक लेखापरीक्षा रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है। चयनित 23 डिविजनों में एक डिविजन की मार्च 2008 तक, आठ डिविजनों की मार्च 2009 तक, पांच डिविजनों की मार्च 2010 तक, तीन डिविजनों की मार्च 2012 तक आंतरिक लेखापरीक्षा की गई और जुलाई 2012 में निर्मित छः डिविजनों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि चार[20] सिविल रोड मेनटेनेंस (सी आर एम) डिविजनों के उप डिविजनों तथा दो[21] इलैक्ट्रिकल मेनटेनेंस (ई एम) डिविजनों और एक होर्टीकल्चर डिविजन (एम-214) का निरीक्षण डिविजनल एकाऊंटेंट द्वारा कभी नहीं किया गया था। पाँच[22] सी आर एम डिविजनों तथा तीन[23] ई एम डिविजनों ने दर्शाया कि डी ए द्वारा एम.बी. को पुनरीक्षित नहीं किया गया था क्योंकि सहायक अभियंताओं ने डिविजनल कार्यालय में एम.बी. को प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त चयनित डिविजनों में बिलों का रजिस्टर तथा ठेकेदार के बहीखाते नहीं रखे गए थे।

[20] एम-111, एम-112, एम-211 व एम-313
[21] एम-151 व एम-251
[22] एम-111, एम-112, एम-113, एम-211 व एम-113
[23] एम-151, एम-153 व एम-251

### 2.3.8 विभाग का मॉनीटरिंग तंत्र

किसी विभाग के साथ-साथ कार्यों के सफल निष्पादन की कुशलता तथा प्रभावित्का अन्तस्थ संतुलित मॉनीटरिंग व मूल्यांकन तंत्र की विद्यमानता पर निर्भर है जो सुनिश्चित करता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों (प्रत्यक्ष तथा वित्तीय) और समय सीमाओं के प्रति कार्यक्रम के उद्देश्यों की उपलब्धि को आवधिक रूप से मॉनीटर तथा मूल्यांकित किया जाता है तथापि लो.नि.वि. में कुछ तथ्यों पर मॉनीटरिंग व मूल्यांकन तंत्र की कमी पाई गई जैसाकि उप-पैराग्राफों में चर्चा की गई।

### 2.3.8.1 कार्यों की अनुचित मॉनीटरिंग

डिविजन चालू कार्यों के विवरणों जैसे आरंभ की तिथि, समापन की तिथि, कार्यों के समापन की निर्धारित तिथि तथा स्थिति को शामिल करते हुए मासिक प्रगति प्रतिवेदन को पर्यविक्षेण अभियंता को प्रस्तुत कर रहे थे। तथापि यह देखा गया कि कार्यों में विलंब के लिए विशेष कारणों को उन प्रतिवेदनों में नहीं दिया गया जो आगे मुख्य अभियंता को भेजे गए। रिकार्ड में इन प्रतिवेदनों पर कोई अनुपालन कार्रवाई न तो मुख्य अभियंता अथवा नई पर्यवेक्षण अभियंता स्तर पर पाई गई। विलंब अथवा गत्यवरोध के लिए विशेष कारणों के न दिए जाने और उन पर आवश्यक अनुपालन कार्रवाई न होने से मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में निर्धारित मानकों के अनुपालन में दैनिक अनुशासन के अलावा कोई अन्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि कार्यों को नियमित रूप से मुख्य अभियंताओं तथा इंजीनियर इन चीफ द्वारा मॉनीटर किया गया था परन्तु बैठकों के कार्यवृत्त जारी नहीं किए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समर्थित दस्तावेजों के अभाव में यह निश्चित नहीं किया जा सकता था कि कार्यों की उचित मॉनीटरिंग हो रही थी तथा प्रभावी थी।

### 2.3.8.2 कार्यों का निरीक्षण

विभिन्न कार्यकारियों के लिए यह आवश्यक है कि कार्यों का निरीक्षण करके ठेके में उद्धृत डिजाइनों, ड्राइंग्स तथा विशिष्टताओं के अनुसार उनके निष्पादन को सुनिश्चित करें। निरीक्षण अधिकारियों (सी.ई. तथा एस.ई.) के लिए आवश्यक है कि वह अपनी स्थल पर निरीक्षण रजिस्टर में आवश्यक अनुदेशों का रिकार्ड रखें, उपलब्धियों अथवा जारी निरीक्षण नोट पर आधारित जिनकी प्रतियॉ निरीक्षण रजिस्टर में लगानी चाहिए। पूर्व अभ्युक्तियों का तदंनतर निरीक्षणों के दौरान उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। तथापि यह देखा गया कि चयनित डिविजनों में न तो निरीक्षण अधिकारियों ने अपने अनुदेशों को अभिलेखित किया और न ही अपने निरीक्षण नोट निरीक्षण रजिस्टरों में लगए। निरीक्षण ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा आश्वासन नहीं दे सकी कि क्या निरीक्षण किए गए थे और डिविजनों द्वारा निरीक्षणों के दौरान चिन्हित कमियों पर कार्रवाई की गई थी।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि निरीक्षण नियमित रूप से किए जा रहे थे तथा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि निरीक्षण पुस्तिकाओं में न तो की गई प्रविष्टियां/न ही लगाए गए पृथक प्रतिवेदन उपलब्ध थे।

### 2.3.9 निष्कर्ष

विभाग में वित्तीय प्रबंधन वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था जैसाकि वहाँ पर पी.ए.ओ. का तथा उनके ई-ईन-सी के वित्तीय आंकड़ो में असंगतता, गैर-योजनागत व्यय को योजनागत शीर्षों में प्रभारित करना, व्यपगत जमा को सरकारी

खातों में जमा न कराना इत्यादि के बहुत उदाहरण थे। कार्यों के अनुमान, तकनीकी संस्वीकृति तथा निष्पादन में कमियाँ विभाग में कार्यों का उचित आश्वासन तथा प्रभावी मानीटरिंग प्रदान नहीं करती हैं। ठेका प्रबंधन अपर्याप्त था जैसाकि कार्य के सौंपने के पश्चात विनिर्देशनों को बदल दिया गया था, एम.ओ. आर.टी.एच. के निर्धारित विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं किया गया था तथा गैर-विनिर्दिष्ट सामग्री के उपयोग के संबंध में लागत समायोजन नहीं किया गया था। वैट, ई.एस.आई. तथा ई.पी.एफ. के घटक जस्टीफीकेशन लागत में निविदा लागत को जस्टीफीकेशन लागत की अनुमत सीमा के भीतर रखने के लिए शामिल किए गए थे। कार्यों को पूरा करने में विलंब थे और लो.नि.वि. ने ऐसे विलंबो को न्यूनतम सुनिश्चित करने के लिए पैनल प्रावधान का उपयोग नहीं किया। नियुक्त अधिकारियों द्वारा डिविजनल कार्यालयों के आवधिक निरीक्षण और विभाग में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की सामयिक अनुपालना की अनदेखी थी।

### 2.3.10 सिफारिशें

विभाग विचार कर सकता है:

- विभागाध्यक्ष तथा वे. एवं ले.अ. द्वारा रखे गए खातों को समायोजित करने पर;
- वास्तविक आधार पर अनुमान तैयार करना, निर्धारित नियमों तथा सरकारी निर्देशों के अनुरूप सख्ती से कार्यों के निष्पादन हेतु ठोस प्रयास करना;
- विभिन्न स्तरों पर आवधिक तथा नियमित आधार पर कार्यों की प्रगति का ठोस पुनरीक्षण; और
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करना।

## 2.4 दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण एवं निकास प्रणाली

*2013 के मानसून के दौरान, यातायात की भीड़-भाड़ तथा जनसाधारण के दुर्भाग्यवश बहुत से क्षेत्रों में जल भराव को देखा गया था। यह निष्पादन लेखापरीक्षा दिल्ली में बाढ़ नियन्त्रण तथा निकास प्रणाली को कम करने में जुटी विभिन्न एजेंसियों की भूमिका का विश्लेषण तथा इन सभी के कारणों को जानने के लिए की गई है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ नीचे दी गई हैं:*

विशिष्टाएं:

- *दिल्ली का अब तक का सीवेज पुनर्सुधार पर अभ्यर्पित मास्टर प्लान है। अप्राधिकृत कालोनियों को शामिल करते हुए आबादी का 46 प्रतिशत सीवेज स्ट्रोम वाटर ड्रेन्स में गिराया जाता है। स्ट्रोम वाटर ड्रेन्स में गिराए जा रहे सीवेज के प्रभाव का निर्धारण सम्बन्धित एजेन्सियाँ नहीं कर रही थीं।*

  *(पैराग्राफ 2.4.3.2 तथा 2.4.7 (क))*

- *2004 के पश्चात्, सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण विभाग (सिं.बा.नि.वि.) ने मानसून के कारण नदी तल की वार्षिक रुपरेखा में आए बदलावों को सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के नियमित स्थालाकृति सर्वेक्षण को कार्यान्वित नहीं किया।*

  *(पैराग्राफ 2.4.3.4 (क))*

- *मॉनसून के प्रारंभ से पूर्व डिसिल्टिंग तथा अन्य अनुरक्षण कार्य पूरा न होने के कारण मॉनसून के लिए एजेंसियों की तैयारी पूरी नहीं थी। जलभराव वाले खराब स्थानों की पहचान करने के लिए कोई उपयुक्त तंत्र नहीं बनाया गया था। बचाव के आश्वासन की अपेक्षा विद्यमान स्थानों में पुनः जल भराव पाया गया था।*

  *(पैराग्राफ 2.4.4)*

- *सिं.बा.नि.वि ने मई 2011 तक किसी नए कार्य को प्रस्तावित नहीं किया, जबकि 2008, 2009 तथा 2010 में यमुना खतरे के स्तर से ऊपर आ गई थी। प्राधिकृत क्षेत्रों में ड्रेन्स की डिसिल्टिंग तथा गाद के ढेर को हटाया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया।*

  *(पैराग्राफ 2.4.4.5.,2.4.4.1 तथा 2.4.4.2)*

- *बाढ़ तथा ड्रेनेज अवरोधन की चिरस्थायी समस्या का सामना को करने में शामिल विभिन्न एजेंसियों में समन्वय में कमी को देखा गया था।*

  *(पैराग्राफ 2.4.9)*

### 2.4.1 प्रस्तावना

दिल्ली में, बारिश के मौसम के दौरान प्राकृतिक बाढ़ के खतरे का रुख मुख्यतः दो नदियों के कारण है- यमुना और सहिबी (नजफगढ़ नाले को पार करने वाली)। यमुना नदी दिल्ली क्षेत्र में पाला गाँव से प्रवेश करती हुई 48 कि.मी. यात्रा करने के बाद जैतपुर गाँव छोड़ती है। यह दिल्ली में दोनों रुप में, जल पूर्ति के स्रोत एवं प्राकृतिक निकास प्रणाली की तरह काम करती है। यमुना में पानी का स्तर एवं प्रवाह हरियाणा

में हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से प्रभावित होता है। कभी-कभी, विशेष रुप से मॉनसून में, इस बैराज से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी, नदी में पानी के स्तर को बढ़ा देता हैं जो शहर के नालों में उल्टे प्रवाह का कारण बनता है। दिल्ली में स्टोर्म वॉटर निकासी तन्त्र जटिल है, जिसमें पाँच निकासी कुण्ड (नजफगढ़, कंझावला, अलीपुर, शाहदरा और महरौली), बड़े प्राकृतिक नाले, स्टोर्म नाले और यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में जुड़े हुए सीवर-सह-स्टोर्म नाले भी समाविष्ट हैं। मुख्य नालियों, जुड़ी हुई नालियों तथा छोटे नालों के द्वारा जमा किए गए पानी जो कि अन्ततः यमुना में जाता है, को जमा करने के लिए दिल्ली के निकासी नेटवर्क को डिजाईन किया गया है।

दिल्ली में विद्यमान निकासी प्रणाली ''निकासी मास्टर प्लान'' पर आधारित है, 1981 में बहुत पहले अंतिम रूप दिया जा चुका था, शहर के द्रुतगामी शहरीकरण के बढ़ते हुए दवाब का सामना करने के लिए पुराना हो चुका है।

### 2.4.1.1 बाढ़ नियंत्रण एवं निकास प्रणाली हेतु सरकारी कार्यप्रणाली

'निकासी एवं तटबंध' संविधान की राज्य सूची का विषय है। अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण एवं निकास प्रणाली के लिए उत्तरदायी है। दिल्ली में बाढ़ एवं निकास प्रणाली बहुगुण एजेंसियों[24] द्वारा प्रबन्धित है।

मुख्यतः, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (सि.बा.नि.वि.), दिल्ली शहर को बाढ़ों से बचाने के लिए उत्तरदायी है। दिल्ली में निकास प्रणाली विभिन्न विभागों एवं अपने-अपने अधिकारिक क्षेत्रों में एजेंसियों द्वारा प्रबन्धित होती है लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए पाँच एजेंसियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, **अनुलग्नक 2.4.1** में दिए गए हैं:

### 2.4.1.2 यह निष्पादन लेखापरीक्षा क्यों?

सड़कों व कालोंनियों में बाढ़ आने की रिपोर्ट प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दी गई थी। यह निष्पादन लेखापरीक्षा विभिन्न एजेंसियों की भूमिका, पानी का भराव एवं निकास संकुलन के कारणों तथा सरकार द्वारा लिए गए सुधारक उपायों की क्षमता के विश्लेषण के लिए की गई थी।

### 2.4.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के विस्तृत उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए थे कि क्याः

- परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक योजनाएँ बाढ़ नियंत्रण एवं स्टोर्म पानी निकासी के लिए तैयार किए गए थे एवं वे योजनाएँ और अधिक कार्यान्वयनकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं में स्पष्ट समय-सीमाओं, लक्ष्यों एवं हर विभाग एवं नागरिक एजेंसी हेतु उत्तरदायित्व के सीमांकन में विभाजित की गई थीं;
- जल भराव की समस्या को ठीक करने के लिए शहर के निकास प्रबंधन एवं आधुनिकीकरण का सिस्टम दक्ष एवं प्रभावी था;

---

[24] सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग (सि.बा.नि.वि.), लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.), नई दिल्ली नगर पालिका (न.दि.न.प.), दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.), दिल्ली केन्टोमेन्ट बोर्ड (दि.के.बो.), दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.), आदि।

- उपलब्ध स्रोत, अर्थात् वित्तीय, मानवशक्ति एवं सामग्री मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभावी तरीके से प्रयोग लाई जा सकी; और
- आन्तरिक नियंत्रण एवं निगरानी तन्त्र दक्ष एवं प्रभावी थे।

### 2.4.1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यविधि

निष्पादन लेखापरीक्षा 2010-13 की अवधि को सम्मिलित करते हुए शहर में बाढ़ नियंत्रण एवं निकास प्रणाली के संदर्भ में चयनित पाँच सरकारी विभागों एवं एजेंसियों (सिं.बा.नि.वि., लो.नि.वि., दि.न.नि., न.दि.न.प. एवं दि.ज.बो.) की भूमिका, योजना, तत्परता एवं पहल की संवीक्षा हेतु आयोजित की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष चयनित नमूनों पर आयोजित नमूना जाँच पर आधारित है।

लेखापरीक्षा का आरंभ अगस्त 2013 में एक प्रवेश सम्मेलन से हुआ तथा फरवरी 2014 में समापन सम्मेलन में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की चर्चा पर समाप्त हुआ। समापन सम्मेलन में विभाग के प्रत्युत्तर तथा सिं.बा.नि.वि. तथा लो.नि.वि. से प्राप्त प्रत्युत्तर प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए। जबकि शहरी विकास विभाग (नोडल विभाग), दि.न.नि., न.दि.न.प. तथा दि.ज.ब. से मई 2014 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

### 2.4.1.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए प्रयोग किए गए लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए हैं:

- विभागों द्वारा जारी किए गए बाढ़ नियंत्रण एवं मानसून आदेश;
- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) नियमावली, शहरी निकास पर इंडियन रोड्स कांग्रेस (आई आर सी) दिशानिर्देश, शहरी सड़कों की नियमावली एवं सीवेज नियमावली; और
- रा.रा.क्षे.दि.स. केन्द्रीय जल आयोग, एवं माननीय न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश, निर्देश, ज्ञापन एवं आदेश।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.4.2 वित्तीय स्थिति

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग ने बाढ़ नियत्रंण तथा निकास प्रणाली से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए पृथक बजट या विशेषतः शीर्ष लेखा प्रदान नहीं किया। परिणामस्वरूप, बाढ़ नियत्रंण तथा निकास प्रणाली पर निधियों का समेकित आवंटन तथा वास्तविक व्यय को लेखापरीक्षा में निश्चित नहीं किया जा सका।

### 2.4.3 योजना

### 2.4.3.1 निकासी के मास्टर प्लॉन का गैर-अध्यतन होना

दिल्ली के विद्यमान निकासी नेटवर्क (निकासी मास्टर प्लॉन-1981) के लिए आवश्यक था, इसे दिल्ली के मॉस्टर प्लॉन (एम.पी.डी.)-2001 के साथ एकीकृत करके इसका पुनरीक्षण किया जाना था। नवम्बर 2005 में, एम.पी.डी. 2021 प्रारूप के क्रम में निकास प्रणाली के सुधार हेतु एक एक्शन प्लॉन को तैयार करने के लिए अपेक्स कमेटी का गठन किया गया था जून 2012 में कैबिनेट के अनुमोदन के बाद सरकार ने सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आई.आई.टी. दिल्ली के प्रमुख की नियुक्ति परामर्शदाता

के रूप में की। जुलाई 2012 में कार्य प्रारंभ होकर 18 महीनों के अंदर समाप्त होना था। विचारार्थ विषय (टी.ओ.आर) बताते हैं कि निकास के लिए मास्टर प्लॉन को एम. पी.डी. 2021 के साथ, दि.ज.बो. द्वारा बनाए गए सीवेज के मास्टर प्लॉन के साथ मेल खाता होना चाहिए था। अध्ययन के उद्देश्य से सिं.बा.नि.वि. को आवश्यक डाटा जैसे उबड़-खाबड़ जमीन, बहाव की दिशा, निकास का प्रवेश परामर्शदाता को प्रदान करना था। सिं.बा.नि.वि. ने डाटा नहीं दिया। चूँकि आवश्यक डाटा दिल्ली राज्य स्पेशियल डाटा अवसंरचना प्रोजेक्ट (दि.रा.स्पे.डा.अ.प्रो.) के पास भी नहीं था इसलिए सभी सम्बन्धित एजेंसियों को निर्देश दिया गया था कि स्वतंत्र रूप से सर्वेक्षण करें तथा दिसम्बर 2013 आईआईटी को तक डाटा प्रस्तुत करें।

सरकार द्वारा कमेटी के गठन में पाँच साल का समय लग गया तथा अन्य सात साल का समय कार्यवाही योजना को तैयार करने में परामर्शदाता की नियुक्ति और परामर्शदाता को आवश्यक डाटा कि गैर प्राप्ति दोनों ने दिल्ली में निकासी की समस्या को पर्याप्त रूपरेखा को बनाने की प्रक्रिया में विलम्ब किया। सिं.बा.वि.न. ने स्वीकार किया (मार्च 2014) कि दि.रा.स्पे.डा.अ.प्रो./जी.एस.डी.एल./शेयरधारी विभागों के साथ डाटा के अनुपलब्धता के कारण मॉस्टर प्लान बनाने में विलम्ब हुआ।

### 2.4.3.2 सीवरेज के मास्टर प्लॉन की तैयारी में विलम्ब

स्ट्रोम ड्रेन्स की क्षमता को कम किए जाने के बहुत से कारणों में एक कारण, शहर में अपर्याप्त सीवरेज निपटान के कारण बहुत सी आंतरिक सहायक नालों में सीवेज के साथ स्ट्रोम वाटर का मिलना है जबकि शहर में केवल दिल्ली की 54 *प्रतिशत* जनसंख्या सीवरेज नेटवर्क से जुड़ी हुई है। लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि दिल्ली जल बोर्ड को ए.इ.सी.ओ.एम. तथा डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. को अप्रैल 2010 में सीवरेज की योजना के लिए ₹ 12.36 करोड़ की लागत का कार्य सौंपा गया जो कि 36 महीने यानि अप्रैल 2013 तक पूरा किया जाना था। फर्म ने अपनी पहली ड्रॉफ्ट रिपोर्ट (अप्रैल 2013) ''दिल्ली 2031 की सीवेज प्रणाली के लिए मॉस्टर प्लान'' प्रस्तुत किया जबकि दि.ज.बो. तथा सरकार द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना शेष था इस प्रकार, दि.ज.बो. की स्थापना (6 अप्रैल 1998 को) के डेढ़ दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दिल्ली सीवेज पुनर्स्थापना में समर्पित मॉस्टर प्लॉन का होना अभी शेष है।

### 2.4.3.3 निकास प्रणाली पर अनधिकृत कालोनियों के प्रभाव का गैर-निर्धारण एवं तीव्र शहरीकरण

दिल्ली में मुख्य सड़कों के साथ-साथ अनधिकृत कालोनियों का अनियोजित विकास तथा तीव्र कंक्रिटीकरण हुआ, जबकि यह कंक्रिटीकरण से पहले वर्षा के जल को बड़ी मात्रा में सोखने में सहायता प्रदान करता था तथा भूतल जल संग्रहण में सहायता भी करता था। अनधिकृत कालोनियों की (आईएफसीडी एवं डीएसआईआईडीसी के द्वारा विकसित) नालियों को उचित निकास बिंदु सुनिश्तित किये बगैर बड़े नाले के साथ जोड़ने से समस्या ज्यादा बढ़ गयी है। लो.नि.वि. तथा दि.न.नि. ने इन कालोनियों के प्रभाव का निर्धारण पूरे निकास प्रणाली पर नहीं किया।

आईएफसीडी ने कहा (दिसम्बर 2013) कि वह श.वि.वि. की ओर से इकलौती कार्यकारी एजेंसी थी और उसने इन कालोनियों में ''जैसा और जहां है के आधार पर'' सड़कों के फुटपाथ तथा प्राकृतिक मिट्टी के स्तर पर सड़क के किनारे की नालियां उपलब्ध करायी। नलियों के लिये निकास उपलब्ध कराना हमेशा संभव नही है। क्योंकि यह निकास बिंदु के स्तर की तुलना में निचले स्तर पर हो सकता है। अतः निकास प्रणाली पर अनधिकृत कालोनियों के बेतरतीब विकास के प्रभाव को निकास अवसंरचना की योजना बनाते समय ध्यान में नही लिया गया।

### 2.4.3.4 आवश्यक डाटाबेस की अनुपस्थिति

केन्द्रीय जल आयोग के निर्देशों के अनुसार, तटबन्धन, तल पर प्लास्टर, निकासी तथा चैनल सुधार कार्य की योजना में टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलोजिकल तथा मेट्रोलोजिकल डाटा, पिछली बाढ़ों का इतिहास, तटबंध का क्षरण तथा नालियों में अवरोधन भी सम्मिलित होता है।

यद्यपि, यह देखा गया कि विभागों के पास ये प्लानिंग के लिए आवश्यक ऐसे डाटा नहीं थे जैसा कि आगामी पैराग्राफों में वर्णित है।

#### (क) यमुना नदी का ट्रोपोग्राफिकल सर्वेक्षण

अक्टूबर के मध्य में जब मानसून लौट जाता है, तब पिछले चार महीनों में भारी-वर्षा के कारण नदी तल क्षेत्र के वार्षिक वैशिष्ट में आए परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सिं.बा.नि.वि. द्वारा ट्रोपोग्राफिकल सर्वेक्षण कराया जाता है ताकि अगले मानसून के शुरू होने से पहले उपचारी कार्रवाई प्रारंभ एवं पूर्ण की जा सके।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि यद्यपि सिं.बा.नि.वि. नियमित रूप से वर्ष 2004 तक यमुना नदी का वार्षिक ट्रोपोग्राफिकल सर्वे कराया, किंतु इसने वर्ष 2005-2011 के मध्य प्रशिक्षित कर्मचारियों एवं सर्वेयर की कमी के कारण कोई सर्वे नहीं कराया, वर्ष 2008 को छोड़कर जब एक प्राइवेट फर्म को ₹ 33.20 लाख की लागत पर काम पर लगाया। वर्ष 2012 का सर्वे पुनः ₹ 40.70 लाख पर आउटसोर्स किया। 2008 के सर्वे की अंतिम रिपोर्ट अप्रैल 2011 में प्राप्त हुई, जबकि वर्ष 2012 की रिपोर्ट दिसम्बर 2013 तक प्रतीक्षित थी। इस प्रकार, सर्वे को अनुपस्थिति में सिं.बा.नि.वि. इस अवधि के दौरान क्षरणरोधी कार्यों को कराने हेतु पूर्णतः सक्षम नहीं था।

अपने उत्तर में (मार्च 2014) सिं.बा.नि.वि. ने कहा कि यमुना नदी का ट्रोपोग्राफिकल सर्वे यह तय करने के लिए किया जाता है कि नदी के मार्ग में कितना परिवर्तन आया है। यमुना नदी के दोनों किनारों पर तटबंध का निर्माण शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किया जाता है जिसे कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार मरम्मत/रखरखाव किया जाता है। नदी तल के अंतर्गत भूमि का स्वामित्व दि.वि.प्रा. के पास है। यद्यपि, कर्मचारियों अथवा किसी निजी एजेंसी से समय पर तकनीकी सर्वे नहीं कराए जाने के बाद, सिं.बा.नि.वि. उपरोक्त अवधि के दौरान बाढ़ तथा निकास की समस्या का हल करने हेतु पूर्णतः नहीं था।

#### (ख) हाइड्रोजिकल डाटा

लो.नि.वि. द्वारा प्रदत्त रिकार्डों तथा डाटा से पता चला कि इसके पास कुल उत्सर्जन की निकासी के लिए सूचना नहीं थी जिससे नालियों की दिशाएँ तर्कपूर्ण तरीके से तय नहीं की जा सकी। लो.नि.वि. ने स्वीकारा (अक्टूबर 2013) कि उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में तीव्र प्रवाह वाले नालों की क्षमता तथा प्रवाह की गति के मद्देनजर इनके डिजाइन की पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया। मार्च 2014 में, उन्होंने आगे कहा कि सिं.बा.नि.वि. ने दिल्ली के समस्त निकास प्रणाली के अध्ययन का कार्य आई.आई.टी. दिल्ली को सौंप दिया, अतः जलविज्ञान संबंधी अध्ययन करना व्यर्थ तथा निष्फल कार्य होगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग के पास दिल्ली शहर की आवश्यकता का निर्धारण करने तथा तदनुरूप योजना बनाने तथा कार्य कराने हेतु आँकड़े नहीं थे विशेषकर तब जबकि प्रत्येक नाले का स्पष्ट हाइड्रोलोजिकल तथा ट्रोपोग्राफिकल विशेषताएँ हैं।

इसी प्रकार, एनडीएमसी, उत्तर एमसीडी तथा एसडीएमसी ने अपने अधिकार में आने वाले नालों के संबंध में कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया।

### 2.4.4 मानसून के लिए अपर्याप्त तैयारी

मई 1995 में संस्थापित "प्रचालन अभियान" के अनुसार तीव्र प्रवाह नालियां तथा सीवरों की डिसिल्टिंग का कार्य मानसून की तैयारी के एक भाग के रूप में, मानसून से पूर्व (30 जून) पूरा किया जाना था। अभियान में यह भी आवश्यक था कि सभी एजेंन्सियों द्वारा श.वि.वि. को यह प्रमाणपत्र कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी निकासी/सीवर डिसिल्टेड हैं तथा पूर्ण रूप से प्रचालित हो गये हैं, प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा ने चयनित एजेंन्सियों की लेखापरीक्षा का मूल्यांकन किया तथा पाया कि मानसून से पूर्व निकासी तथा सीवरेज़ अवरोधन तथा जल-जमाव के निवारण में एजेंन्सियों की तैयारी प्रचालन अभियान द्वारा निर्धारित मानकों से मेल नहीं खाती तथा पाई गई कमियों का उल्लेख आगामी पैराग्राफों में किया गया है:

#### 2.4.4.1 नालियों की डिसिल्टिंग में कमियाँ

(i) यह देखा गया कि सिं.बा.नि.वि. ने प्रत्येक वर्ष मानसून से पूर्व डिसिल्टिंग/अनुरक्षण कार्य के निकास तथा इस कार्य को पूरा करने में सौंपे गये कार्य की सामयिक अवधि का निर्धारण नहीं किया गया था जैसाकि प्रचालन अभियान के निर्देशों के अन्तर्गत आवश्यक था। सिं.बा.नि.वि. के दो डिवीजनों (सी.डी.VI तथा सी.डी.IV) में डिसिल्टिंग तथा नालियों की सफाई के 58 कार्यों को 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान सौंपा गया था इनमें से 27 कार्य मानसून के प्रारंभ के बाद निर्धारित तिथि के पूर्ण होने के बाद ठीक हुए। जैसाकि **अनुलग्नक 2.4.2** में दिया गया है। यह दर्शाता है कि सिं.बा.नि.वि. मानसून के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था।

(ii) सिं.वा.नि.दि. तीन लगातार वर्षों 2010, 2011 तथा 2012 में नसीरपुर नाले की सफाई मानसून से पहले कराने में असफल रहा। 2010 में, सौंपे गये डिसिल्टिंग के कार्य पर अक्टूबर में प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि ठेकेदार कार्य के निष्पादन में असफल रहा। 2011 में, नालियों की सफाई का कार्य अप्रैल 2012 में निरस्त कर दिया गया क्योंकि नवम्बर 2011 तक ठेकेदार नालियों के किनारों से मलबा/कूड़े को हटाने के कार्य में असफल रहा। 2012 में भी, ठेकेदार अगस्त 2012 तक नालियों में अवरोधन को साफ करने में असफल रहा तथा कार्य दिसम्बर 2012 में ही पूरा हुआ। कार्यकारी अभियंता (सीडी-1) ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि अब (2013) नाले की गाद निकाल दी गई है तथा कचरा भी साफ कर दिया गया है।

(iii) लो.नि.वि. द्वारा लिए निर्णय के अनुसार, का.अ. को निविदा उपयुक्त पैकेज में समय पर खोली एवं सौंपी जानी चाहिए ताकि नालियों से गाद निकालने के कार्य की समयपूर्वक समाप्ति सुनिश्चित की जा सके। तैयार एक्शन प्लान के अनुसार, सभी कार्य 5 मई 2012 तक सौंपे जाने चाहिए एवं 31 मई 2012 तक निपटाए जाने चाहिए।

लो.नि.वि. के सभी चार जोनों के रिकार्डों एवं सूचनाओं की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारित समयसीमा का या तो पालन नहीं किया गया अथवा स्टेट्स रिपोर्ट में कार्य की समाप्ति की वास्तविक तिथि दर्ज नहीं की गई, जैसा कि **अनुलग्नक 2.4.3** में वर्णित है।

अपने उत्तर में लो.नि.वि. ने कहा (नवंबर 2013) कि दि.न.नि. से हस्तान्तरित सड़कों तथा नालियों के जुड़ने के कारण लो.नि.वि. को बड़े पैमाने पर गाद निकालने का

कार्य करना पड़ा तथा कार्य अंतिम समयसीमा के अनुसार समाप्त किया जाना था, जोकि आमंत्रित निवदाओं के मानकों का पालन करते हुए कभी कभी परिवर्तन किया गया। इन्होंने आगे कहा (मार्च 2014) कि किसी अन्य आकस्मिकता का सामना करने के लिए मानसून पहुंचने से 30 दिन पहले का लक्ष्य रखा गया। यद्यपि, लो.नि.वि. चयनित संवेदनशील स्थानों के मामले में गाद निकालने के कार्य की वास्तविक समाप्ति के समर्थन में निरीक्षण रिपोर्ट को शामिल करते हुए कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके द्वारा गाद निकालने तथा जल जमाव के प्रति संवेदनशील स्थानों की सफाई के बारे में दि.न.नि. से प्राप्त शिकायतों के संबंध में कोई विवरण नहीं दे सका जबकि ये माँगे गए थे।

(iv) दि.न.नि. के एक्शन प्लान के अनुसार सभी नालियों से मानसून के प्रारंभ से पहले गाद हटाई जानी चाहिए। यद्यपि एस.डी.एम.सी. के केन्द्रीय जोन के एम-1 डिवीजन में यह देखा गया कि शीघ्रता की प्रार्थना पर कुशक नाला के गाद निकालने का कार्य जून 2012 तथा जनवरी 2013 में ₹ 88.54 लाख में अल्पसूचना निविदा आमंत्रित कर सौंपा गया। लेखापरीक्षा में चयनित 13 कार्यों में से केवल एक कार्य गाद निकालने के उद्देश्य को परास्त करते हुए जुलाई 2012 के अंत में पूरा हुआ। विभाग ने देरी का कारण (अक्टूबर 2013) नाले की लंबाई (8 कि.मी.) बताया तथा आश्वासन दिया कि क्षतिपूर्ति की राशि बिलों को अंतिम रुप देने के समय वसूली जाएगी।

(v) शहरी सड़क मैनुअल के अनुसार, प्रत्येक नाले में गाद का अनुमान निकाले गाद के नमूने पर आधारित होना चाहिए। यद्यपि, इन मानकों का लो.नि.वि. के चयनित चार डिवीजनों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा था तथा नाले में गाद के अनुमानित स्तर के आधार पर कार्य सौंपा गया था अपने उत्तर (मार्च 2014) में, लो. नि.वि. ने कहा कि दि.न.नि. ने 2012 में सड़क हस्तांतरण के बाद नालियों में पूर्वअनुमानित गाद पर किसी सूचना को शेयर नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि नालियों का निरीक्षण फील्ड यूनिटों द्वारा गाद की अनुमानित मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जा रहा है। गाद की मात्रा वर्ष-दर-वर्ष बदल रही थी तथा किन्हीं दो नालियों की अनुमानित गाद की मात्रा की तुलना हेतु ये वास्तविक नहीं थी। वास्तव में उत्तर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण से सहमत है कि नमूना गाद निकालना सबसे आवश्यक है क्योंकि किन्हीं दो नालियों में गाद की मात्रा एक जैसी नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, चयनित फील्ड यूनिट गाद के अनुमान के समर्थन में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहे।

### 2.4.4.2 निकाले गए गाद पदार्थों का निराकरण न करना

नालियों में जल अथवा निस्सरण के स्वतंत्र प्रवाह को बनाए रखने के लिए नालियों से गाद तथा अवरोधों जैसे नियमित रूप से घरेलू अपशिष्ट, कूड़ा-करकट, मलबा, पालीथीन बैग इत्यादि जैसे अवरोधनों का हटाया जाना तथा इन हटाए गए गाद पदार्थों का तत्काल निपटान किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर आखिर में यह निकास को घना बना देता है क्योंकि गाद मलबा इत्यादि यदि मानसून प्रारंभ होने से पहले नहीं हटाए गए तो इनके नालियों में लौटने की सम्भावना रहती है। इस क्षेत्र में नमूना जाँच मामलों में निम्नलिखित प्राप्तियाँ पायी गईं:

**(क)** आई.एफ.सी.डी. में, यांत्रिक संभाग (एम.डी.) नालियों से गाद हटाने का कार्य करता है जबकि उत्खनित गाद, मलबा, मिट्टी इत्यादि के हटाए जाने का कार्य सिविल संभाग (सीडी) के द्वारा किया जाता है। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2010-13 के दौरान, यांत्रिक संभाग ने (एम.डी.) सीडी-I, सीडी-III एवं सीडी-

IV के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नजफगढ़ नाला तथा ट्रंक नाला के भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपनी मशीनों को लगाया था। उस अवधि के दौरान संबंधित सीडीज के द्वारा उत्खनित एवं हटायी गई गाद की मात्रा का विवरण नीचे **तालिका 2.4.1** में दिया गया है:

**तलिका 2.4.1**
**गाद के उत्खनन तथा हटाए जाने के ब्यौरे**

| संभाग | अवधि | उत्खंनित गाद (क्यूबिक मीटर) | हटायी गई गाद (क्यूबिक मीटर) |
|---|---|---|---|
| सीडी – I | 01.01.10 से 31.03.13 | 2,09,555 | शून्य |
| सीडी – III | 01.01.10 से 31.03.13 | 1,95,035 | 52,100 |
| सीडी – IV | 01.01.10 से 31.03.13 | 4,24,615 | 46,626 |
| **कुल** | | **8,29,205** | **98,726** |

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, ₹ 7.34 करोड़ की लागत पर ₹ 8.29 लाख क्यूबिक मीटर गाद के उत्खनन में से ₹ 0.98 लाख क्यूबिक मी. को हटाया गया था, शेष गाद ड्रेन्स के किनारों पर रह गई थी। सिं.बा.नि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि किनारों पर रह गई गाद की बहुत बड़ी मात्रा को सिं.बा.नि.वि. ने विभागीय मशीनों द्वारा हटा कर समायोजित किया तथा गाद मानसून के दौरान ड्रेन में वापिस नहीं गिर सकती थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है मुख्य सचिव तथा सचिव (रा.वि.वि.) के फरवरी 2013 के निर्देशों की दृष्टि से गाद को हटाए जाने तथा उसके निपटान का कार्य48 घंटो में किया जाना चाहिए था।

**(ख)** यह देखा गया कि लो.नि.वि. को 15 जून 2013 से यह प्रमाण पत्र दिया कि सभी ड्रेन्स से गाद निकालने का कार्य समाप्त हो गया और ड्रेन में गाद नहीं थी। यद्यपि लो.नि.वि. ने 10 सितम्बर 2013 को ड्रेन्स में गाद निकालने पर स्थिति रिपोर्ट में दर्शाया कि सड़क के किनारे स्थित नालियों की 80.077 कि.मी. लम्बाई से गाद/मलबा को नहीं हटाया गया था तथा 157.688 कि.मी. लम्बाई से केवल अंशतः मलबा हटाया गया था, जबकि लोक निर्माण विभाग के पास सड़क के किनारे स्थित नालियों की 40.78 कि.मी. लम्बाई हेतु कोई सूचना नहीं थीं। अपने जवाब में लो.नि. वि. (मार्च 2014) ने कहा कि मानसून से पूर्व गाद हटाने का कार्य 20 जून 2013 तक पूरा कर लिया था तथा कहा कि बड़ी संख्या से ड्रेन्स जोकि सीवरेज तथा लगातार गिराई गई गाद की निकासी करते है से सम्बन्धित रिपोर्ट दैनिक अथवा साप्ताहिक रुप से बनाई जा रही है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट की स्थिति, स्पष्ट रुप से मई 2013 तक सभी मामलों में 100 *प्रतिशत* उपलबधि को दर्शाती है।

### 2.4.4.3 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए तंत्र का अभाव

1995 में शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) द्वारा 'आपरेशन मिशन' तैयार किया गया, अन्य बातों के साथ-साथ इसने जल जमाव हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान का प्रयास किया। सिं.बा.नि.वि. तथा लो.नि.वि. के पास सर्वे करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए उचित तंत्र नहीं था। सिं.बा.नि.वि. में फील्ड कर्मचारियों द्वारा जब भी जरूरत हो कार्यस्थलों के निरीक्षणों द्वारा स्थानों की संवेदनशीलता तय की जाती हैए जबकि लो.नि.वि. तथा उत्तरी एम.सी.डी. मुख्यतः ट्रेफिक पुलिस द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर निर्भर थे। इसी प्रकार, एनडीएमसी के पास अपने क्षेत्रों में जल-जमाव वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए कोई मानदंड तय नहीं किया था। जबकि एसडीएमसी ने सर्वे

के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कीए ई.डी.एम.सी. में, यह जनता, जनप्रतिनिधियों, ट्रैफिक पुलिस तथा इंजीनियरिंग स्टॉफ के निरीक्षणों पर आधारित थी।

अपने उत्तर में लो.नि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि इसके पास फील्ड यूनिटों के द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए अपना तंत्र था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई संवेदनशील क्षेत्रों की सूची काफी विस्तृत थी तथा पिछले अनुभवों पर आधारित थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लो.नि.वि. के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की सूची 2010 में 60 से 2012 में 103 हो गई जोकि विभाग द्वारा अपने मूल्यांकन में संवेदनसील क्षेत्रों की पहचान हेतु प्रयासों की कमी को इंगित करता है। इसके अतिरिक्त, जुलाई तथा अगस्त 2013 में वर्षा के दौरान, **अनुलग्नक 2.4.4** में वर्णित 82 नए क्षेत्रों में जल जमाव देखा गया।

### 2.4.4.4 उचित सीवरेज़ प्रबंधन का न होना

लेखापरीक्षा ने देखा कि दि.ज.बो. में सीवरेज़ का नियमित तथा उपचारी अनुरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। चयनित आठ डिविजनों में से पांच डिविजनों के रिकॉर्डों की समीक्षा दर्शाती है कि सीवर लाइन तथा मेनहॉल्स के बहाव की मरम्मत, बनी हुई सीवर लाइनों को बदलने तथा टूटी हुई सीवर लाइनों की मरम्मत के निर्माण का कार्य क्षेत्र के संसद सदस्यों की प्रार्थना या निवासियों की शिकायत पर ही किया गया था। शिकायतों की प्राप्ति पर, संबंधित डिविजन कार्य के पालन करने के लिए प्रारंभिक प्रस्तावों तथा कारणों का पता लगाता था। लेखापरीक्षा ने देखा कि दि.ज.बो., ऐसे मामलों में भी जहां मानसून के दौरान या उससे ठीक पहले त्रुटियॉ पता लगा ली गई हैं वहां डिसिल्टिंग/सीवर लाइन कार्य में सुधार के कार्य को प्रदान करने में भी शीघ्रता नहीं दर्शाता था। 26 मामलों की नमूना जांच में से 15 कार्य मानसून से पूर्व पूरे नहीं हुए थे क्योंकि दि.ज.बो. ने कार्य सौंपने में 49 से 335 दिन का समय लिया था जैसा कि **अनुलग्नक-2.4.5** में उल्लिखित है।

### 2.4.4.5 बाढ़ नियंत्रण कार्यों को शुरू नहीं किया जाना

बाढ़ नियंत्रण आदेशों के अनुसार, पुराने रेलवे ब्रिज के पास यमुना में 204.83 मी. (672 फीट) जलस्तर के खतरे का निशान माना जाता है। इसके अतिरिक्त, जब यह स्तर 206.04 मी तक पँहुच जाता है तो बाढ़ का प्रभाव नजफगढ़ नाले में बैक फ्लो के रुप में दिखाई पड़ता है। 2008, 2009 तथा 2010 में नदी को खतरे के निशान से क्रमशः 1.17, 0.5 तथा 2.28 मी. ऊपर आ गई तथा सिं.बा.नि.वि. ने 16 जुलाई 2008 से 9 मई 2011 तक बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों से संबंधित कोई नया कार्य प्रारंभ नही किया। अपने उत्तर में, सिं.बा.नि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि क्या नदी प्रशिक्षण कार्य केवल आवश्यकता के अनुसार ही प्रस्तावित किए जाते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सिं.बा.नि.वि. ने कोई नया कार्य प्रस्तावित नहीं किया जबकि यमुना 2008, 2009 तथा 2010 में खतरे के निशान को पार कर गई थी।

### 2.4.5 संबंधित एजेंसियों द्वारा जल-जमाव को रोकने हेतु अपर्याप्त कार्रवाई

**(क)** 2012 तथा 2013 के मानसून से संबंधित जल-जमाव, विभिन्न स्थलों पर जल जमाव की घटना को रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा की गई उपचारी कार्रवाई का मूल्यांकन करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा ट्रैफिक पुलिस/मीडिया रिपोर्ट तथा विभाग के रिकॉर्डों की नमूना जाँच की गई। पुलिस तथा मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए मुख्य स्थान जहाँ जल-जमाव होते हैं, अनुवर्ती पैराग्राफों में वर्णित है।

**(i) पुराना किला रोड तथा मथुरा रोड, न्यायधीशों के बंगलों को शामिल करते हुए-** अगस्त 2009 में भारी वर्षा के दौरान, उच्च न्यायालय के न्यायधीशों

के घर पूर्णतः जलमग्न हो गए। उच्च न्यायलय के माननीय न्यायधीशों की एक समिति ने अगस्त 2009 में संबंधित एजेंसियों की एक बैठक बुलाई तथा एनडीएमसी को इस समस्या का समाधान करने को कहा। एनडीएमसी ने आई. आई.टी. दिल्ली से एक परामर्शदाता नियुक्त किया जिसने नवम्बर 2010 में सुझाव दिया कि इस समस्या के समाधान हेतु नाली संख्या 14 का पुननिर्माण किया जाए। जनवरी 2011 में रिपोर्ट दि.न.नि. तथा सिं.बा.नि.वि. को अग्रेषित की गई तथा उन्हें कहा गया कि परामर्शदाता द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार संबंधित एजेंसियों से कार्य कराए। चूँकि नाली का पुनरनिर्माण केवल दि.न.नि. के क्षेत्र में आवश्यक था अतः उन्हें आवश्यक कार्य उच्च प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने को कहा गया। दूसरी एजेंसियों जैसे सिं.बा.नि.वि. से तथा वन-विभाग से वृक्षों की कटाई के लिए अनुमति प्राप्त करने में देरी के कारण कार्य में देरी हो गई। कार्य अंतिम रूप से मार्च 2013 में सौंपा जा सका तथा सितम्बर 2014 तक पूरा होना निश्चित हुआ है। यद्यपि जनवरी 2014 तक केवल 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ।

न्यायधीशों की समिति लगातार उपरोक्त कार्य की प्रगति तथा साथ ही 2009 से अल्पावधि कार्य जैसे नालियों से गाद निकालकर, पंप सेट इत्यादि का अधिष्ठापन की स्वयं निगरानी कर रही थी ताकि जल-जमाव की घटनाओं की रोकथाम की जा सके। यद्यपि, इस निगरानी तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा अल्पावधि कार्य के विषय में आश्वासन के बावजूद जुलाई 2013 में तीन बार मथुरा रोड/पुराना किला रोड पर जल-जमाव देखा गया। इस प्रकार, 2009 से 2013 तक जल-जमाव की समस्या जारी रही।

**(ii) तिब्बत बाजार-** 2010 के मानसून के दौरान, यमुना की बाढ़ में तिब्बत बाजार डूब गया तथा सिं.बा.नि.वि. ने ₹ 10.61 करोड़ की लागत पर 'चंदगीराम अखाड़ा तथा कुदसिया घाट के मध्य यमुना के दाएँ तट पर दीवार बनाने' की योजना तैयार की गई। (जनवरी-2011)। यद्यपि, योजना पुनःपरीक्षण के लिए आस्थगित हो गई क्योंकि स्थानीय एमएलए ने बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (बा.नि.बो.) के समक्ष आपत्ति की कि तिब्बत-कॉलोनी में जल-जमाव तथा बाढ़ सीवर जल के रूकने से हुई थी ना कि बाढ़ के कारण। बा.नि.बो. द्वारा जुलाई 2013 में अंतिम रूप से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। कार्य अभी सौंपा जाना था (फरवरी 2014)। इस प्रकार, बा.नि.बो. द्वारा देरी से निर्णय लिए जाने के कारण दो भारी वर्षाकाल के दौरान (2011 तथा 2013 ) तिब्बत बाजार बाढ़ग्रस्त हो गया। विभाग ने कहा (मार्च 2014) कि यमुना स्टैडिंग कमेटी (बाईएससी) से क्लीयरेंस की प्राप्ति प्रक्रियारत थी जिसके बाद कार्य सौंपा जाएगा।

**(iii) अरबिदों मार्ग पर अधचीनी टी पाइंट-** मानसून 2012 के दौरान इस स्थान में बार-बार जल-जमाव हुआ। लो.नि.वि. ने इसका कारण उचित निकास की अनुपस्थिति को बताया तथा अल्पकालिक कार्रवाई के तौर पर जल को पोर्टबल पंपों द्वारा बाहर निकाला गया। आगे, स्थायी समाधान के रुप में, सड़क संख्या 11 में एक नए नाले का निर्माण (जनवरी-2013) अधचीनी की तरफ आने वाले वर्षा जल के लिए कराए जाने के लिए कहा गया। जनवरी तथा जुलाई 2013 में लो.नि.वि. द्वारा आश्वासन देने के बावजूद 2013 में जल-भराव था। संबंधित विभाग सिं.बा.नि.वि. द्वारा दिए अवक्षेपण-डाटा के आधार पर दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएँ तैयार करने का कार्य किसी एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया में थे ताकि समस्या को स्थायी रुप से हल करते हुए समन्वय समिति के निर्देशों (नवम्बर 2012) की अनुपालना हो।

**(iv) अनुव्रत मार्ग-**अनुव्रत मार्ग में जल-जमाव की समस्या समुचित निकास प्रणाली की अनुपस्थिति में थी। अप्रैल 2012 में 100 फुट टी-प्वांईट के पास एक छिद्र तैयार किया गया ताकि यहाँ जलजमाव नहीं हो। यद्यपि, 2012 तथा 2013 में जल-जमाव पुन: देखा गया। लो.नि.वि. ने कहा कि समन्वय समिति के निर्देशों की अनुपलना में वे क्षेत्र में जल-जमाव रोकने के लिए सिं.बा.नि.वि. द्वारा दिए गए अवक्षेपण डाटा के आधार पर दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना बनाने हेतु एक एजेंसी को कार्य पर लगाने की प्रक्रिया में है।

**(v) आश्रम चौक-**लो.नि.वि. के अनुसार, 2012 में इस स्थान पर जल-जमाव बेल-माउथ की चोकिंग की वजह से हुई थी जिसके बारे में कहा गया था कि यह साफ कर लिया गया है। यद्यपि, ट्रैफिक पुलिस की 2013 की रिपोर्टों के अनुसार इस स्थान पर निकास अपरोधन कि संभावना थी क्योंकि जुलाई अगस्त 2013 में कई बार यहाँ जल-जमाव देखा गया।

**(vi) आई.टी.ओ / तिलक ब्रिज / आई.पी.फ्लाईओवर के नीचे-**2012 में इन स्थानों पर जल-जमाव के कारण आउटफाल्स पर कम अपवहन, नालियों की चोकिंग तथा पंपो का टूटना थे। लो.नि.वि. द्वारा नालियों की सफाई तथा पंपो की मरम्मत के बारे में आश्वासन दिया गया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 2013 के दौरान स्थिति वैसी ही रही तथा इन स्थानों पर कई बार जल-जमाव देखा गया।

**(vii) मोती बाग-**ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार यह भी संवेदनशील स्थानों में से एक है। लो.नि.वि. ने 2012 में जल-जमाव का कारण बेल माउथ जाली के पाईपों में अवरोधन को बताया तथा आश्वासन दिया कि बेल माउथ की सफाई कर दी गई है तथा नाली की पाईप को बदल दिया गया। यद्यपि, ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्टों के अनुसार 2013 में इस स्थान पर अभी भी जल-जमाव की संभावना थी।

आगे यह भी देखा गया कि लो.नि.वि. ने शहरी विकास विभाग के जनवरी तथा जुलाई 2013 में आश्वासन दिया कि उपरोक्त क्रम संख्या (iii) से (vii) के संवेदनशील स्थानों के विषय में इन स्थानों पर जल-जमाव को रोकने के लिए पर्याप्त उपचारी कार्रवाई की गई है यद्यपि इन तथा अन्य स्थानों पर जैसा कि **अनुलग्नक 2.4.6** मे वर्णित है बार-बार जल-जमाव पाया गया।

सचिव (श.वि.) ने भी इन रिपोर्टों का संज्ञान किया तथा (अगस्त 2013) सचिव (ले.नि.व.) को 11 मुख्य स्थानों[25] पर जल-जमाव के कारणों का विश्लेषण करने के बाद उत्तरदायित्व तय करने को कहा। यद्यपि, श.वि.वि. तथा लो.नि.वि. के प्रत्युत्तर मार्च 2014 तक प्रतीक्षित थे।

जैसा कि देखा जा सकता है कि मुख्य रुप से अल्पकालीन मानदण्ड प्रभावित जगहों से पानी को पंप द्वारा बाहर निकालने के लिए किए गए। यद्यपि लो.नि.वि. ने

[25] मिंटो ब्रिज, आई.टी.ओ. मूल चंद, धौला कुँआ, आश्रण चौक, शांतिवन चौक, अरविंदो मार्ग, युसुफ सराय, अधचीनी से पीटीएस मालवीय नगर, सरिता विहार फ्लाईओवर तथा डी सी ऑफिस (एम.बी. रोड)

विद्यमान पंपिंग स्टेशनों का आवश्यकता के अनुरूप पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतन नहीं कराया।

**(ख)** भारतीय मौसम विभाग (भा.मौ.वि.) को प्रतिदिन वर्षा रिपोर्ट की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि यद्यपि जिन दिनों में वर्षा की तीव्रता मध्यम थी तथा यमुना नदी में जल स्तर खतरे के निशान से नीचे थी, ट्रैफिक पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर जल-जमाव की सूचना दी गई जैसा कि **अनुलग्नक 2.4.7** में वर्णित है। दिल्ली के तीव्र बहाव वाले नाले आई.आर.सी. के प्रति घंटे 62.5 मि.मी. दर से 30 मिनट की अवधि को वर्षा तीव्रता की डिजाइन क्षमता के सुझाव के प्रति एक घंटे में 25 मि.मी. जल के बहाव (वर्षा) को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो कि क्षमता अवरोधन को दिखाते हैं उस मामले ने जबकि अवरोधन दिए गए समय में बढ़ता हो जो यह इंगित करता है कि समस्या को कम करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए।

यद्यपि इंगित किए जाने पर लो.नि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि फील्ड स्टॉफ को पूर्वानुमान तथा चेतावनी दूरभाष पर दे दी गई थी ताकि वे सजग एवं जागरूक रहे किन्तु इसने माना कि वर्षा की तीव्रता के संदर्भ में बदलते वातावरण के साथ सामंजस्य हेतु इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसने 2010-13 के दौरान भा.मौ.वि. के पर्यवेक्षण के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों के मामले में किए गए उपायों पर कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की। आगे, किसी चयनित डिवीजन के पास संवेदनशील स्थानों से संबंधित अवक्षेपण डाटा नहीं थे, उस दिन के भी नहीं जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा जल-जमाव की सूचना दी गई। नोडल विभागों जैसे श.वि.वि. से मार्च 2014 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

### 2.4.6 निर्माण कार्य प्रबंधन में कमियाँ

**(i)** लो.नि.वि., जब अनुमानों को बना रहा था, उन्होंने निर्णय किया कि प्रतिदिन एक-एक ट्रक के लिए केवल दो ट्रिप लगाने सम्भव होंगे क्योंकि दि.न.नि. के प्राधिकृत डम्पिंग ग्राउण्ड पर प्रतीक्षा करने के कारण समय बीत जाता है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि दो डिवीजनों में ट्रकों ने निर्धारित सीमा से अधिक 4 से 7 ट्रिप लगाई जबकि यह संदेहास्पद था कि वास्तविक रुप से मलबा का निपटान किया गया है। अपने जवाब मे लो.नि.वि. ने जवाब (मार्च 2014) दिया कि ट्रिप लगाए जाने की संख्या कार्य क्षेत्र के डम्पिंग ग्राउण्ड की निकटता पर निर्भर करता है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमानों को बनाते समय लो.नि.वि. को निर्धारित दूरी की जानकारी थी तथा इन सब पर विचार करने के पश्चात लगाई गई ट्रिपों की संख्या को निर्धारित किया जाता है।

सिं.बा.नि.वि. ने भी, गाद हटाए जाने के दौरान वास्तविक रुप से उत्खनित किए गए गाद की मात्रा को निर्धारित किए जाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सिं.बा.नि. वि. ने बताया कि मात्रा को करार के नियम तथा शर्तों के अनुसार मापा जाता था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करार के अनुसार भुगतान को प्राथमिकता तथा निपटान की अन्तिम अनुप्रस्थ काट के आधार पर कर दिया गया था, परन्तु इसके ब्यौरों को लॉग बुक में नहीं दिया गया था। सिं.बा.नि.वि. ने बताया (मार्च 2014) कि ठेकेदार द्वारा कार्य कर दिया गया था गाद को हटाए जाने के लिए गाद की मात्रा को उसकी प्राथमिकता तथा सतह द्वारा माप लिया गया था तथा विभागीय मशीनों द्वारा कार्य कर दिया गया था तथा गाद की मात्रा बाल्टी के साईज को कार्य के घंटो से गुणा करके अनुमानित किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि करार के मामलों में, इस प्रकार के ब्यौरों को लॉग बुक में नहीं दिया गया था तथा

विभागीय मशीनों के मामलों में, उत्खनित गाद की मात्रा के संबंध में सम्बन्धित डिविजनों के पास रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे।

(ii) जब लिंक ड्रेन-II की पुरानी आर.आर. मैसूबरी आउटफॉल की संरचना बनाई जा रही थी, उसमें एक रिसाव को देखा गया, तथा लिंक ड्रेन-II के लिए आउटफॉल स्ट्रक्चर के साथ रैगुलेटर के निर्माण का कार्य ₹ 67.71 लाख पर सौंपा (मई 2012) गया, जिसे अक्तूबर 2012 तक पूरा किया जाना था। हालांकि अक्तूबर 2013 तक केवल 75 *प्रतिशत* कार्य पूरा किया गया था। जिसमें आगामी दो मानसूनों (2012 तथा 2013) के दौरान चल रही खराबियों को भी अनुमत किया गया था। सिं.बा.नि.वि. ने बताया (जनवरी 2014) कि दि.ज.बो. की वर्तमान वाटर लाईन के कारण पूरा नहीं किया जा सका था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन बाधाओं को कार्य सौंपे जाने तथा आरम्भ करने से पूर्व पता नहीं लगाया गया तथा किया गया भुगतान निष्फल रहा।

(iii) यमुना के किनारे के पास स्टोन फिल्ड वायर क्रेटस को उपलब्ध कराए जाने तथा बिछाए जाने का निर्माण कार्य तीन स्थानों पर होना था (मई 2012 में दो तथा सितम्बर 2012 में एक सौंपा गया) जिसे क्रमश: 23 अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 तक पूरा किया जाना चाहिए था। दिसम्बर 2013 तक पूरा नहीं किया गया था। चूँकि इन स्कीमों को मानसून 2011 के बाद बनाया गया था, उसे 2012 के मानसून समाप्त होने से पहले समाप्त किया जाना था। सिं.बा.नि.वि. ने बताया (मार्च 2014) कि कुछ काम पूरा होना बाकी था जोकि विभाग के नियन्त्रण से बाहर था; हालांकि वह अब पूरा हो चुका था, जबकि जवाब वर्तमान की सही स्थिति बताता है कि वह क्यों चुप्पी साधे हुए था कि कार्य की योजना क्यों नहीं बनाई तथा उसे आगामी मानसून की समाप्ति से पूर्व समाप्त क्यों नहीं किया गया।

(iv) जैसाकि बुराड़ी बांध के पास लिंक ड्रेन II के किनारों की ढलान के ढहने से उसकी बहने की क्षमता कम हो गई थी। आर.डी. 495 मी. से आर.डी. 1130 मी. तक आर.सी.सी. ड्रेन का निर्माण कार्य ₹ 128.08 लाख पर सौंपा गया (मई 2009) था जिसे नवम्बर 2009 तक पूरा किया जाना था। इस कार्य को किये जाने से ड्रेन की बहने की क्षमता 10.00 क्यूसेक से 24.50 क्यूसेक तक बढ़ गई थी, जिससे, संगम विहार बुराड़ी की जल-भराव की समस्या कम हो गई। हालांकि कार्य 30 जून 2011 तक पूरा नहीं किया जा सकता था। ₹ 89.16 लाख के भुगतान के पश्चात 60*प्रतिशत* कार्य पूरा हो गया तथा जुलाई 2011 में कार्य बंद हो गया। शेष कार्य का ठेका 11 जुलाई 2013 तक समाप्त किए जाने की अनुबंधित दिनांक के साथ दिसम्बर 2012 में ₹ 38.88 लाख पर सौंप दिया गया था। हालांकि जुलाई 2013 तक केवल दो *प्रतिशत* कार्य समाप्त किया गया था। विभाग ने तथ्य को स्वीकार (जनवरी 2014) किया कि जगह की खराब दशा कि कारण कार्य बंद कर दिया गया था।

(v) नालियों में जन साधारण द्वारा कूड़ा-करकट फेंकने तथा निर्बाध रुप से सब कुछ बहाए जाने से नालियों को बचाने के लिए, सिं.बा.नि.वि. ने उन नालियों पर चारदिवारी के निर्माण के लिए 11 निर्माण कार्यों की पहल की। लेखापरीक्षा ने देखा कि इन निर्माण कार्यों को करने में विलम्ब के कारण, उनमें से आठ निर्माण कार्य बंद कर दिये गये। इन निर्माण कार्यों को विलम्ब से किए जाने के कारण तथा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को सम्मिलित करते हुए ब्यौरों को **अनुलग्नक 2.4.8** में दिया गया है।

(vi) किराड़ी सुलेमान नगर की नालियों का पुनःनिर्माण/सुधार का कार्य आर.डी. 3700 मी. से आर.डी. 6090 मी. तक मार्च 2010 में ₹ 742.25 लाख पर सौंपा गया जिसे

मार्च 2012 तक पूरा किया जाना था। अवरोध मुक्त स्थल की गैर-उपलब्धता के कारण नवम्बर 2013 तक केवल 67 *प्रतिशत* कार्य पूरा किया गया था जिसके लिए विभाग ने ₹ 665.17 लाख का भुगतान किया गया था। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया।

(vii) यद्यपि अक्तूबर 2007 में आर.डी 3700 मी. से आर.डी 2445 मी. किराड़ी सुलेमान नगर ड्रेन के पुर्ननिर्माण के लिए अक्तूबर 2007 में ₹ 458.00 लाख की मंजूरी जारी की गई थी, जैसाकि योग्य ठेकेदारों से बोलियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं आवश्यक मानदण्डों में शिथिलता करने के पश्चात् केवल अक्तूबर 2012 में कार्य सौंपा जा सकता था। कार्य को अक्तूबर 2013 तक समाप्त किया जाना था परन्तु नवम्बर 2013 तक केवल 26 *प्रतिशत* कार्य समाप्त हुआ था जिसके लिए विभाग ने ₹ 170.74 लाख का भुगतान किया था।

सिं.बा.नि.वि. ने बताया (दिसम्बर 2013) कि प्रशासन द्वारा निर्णय लिए जाने में देरी का कारण ठेकेदार का निम्न श्रेणी वर्ग तथा मुख्य रुप से अवरोध युक्त स्थल तथा स्थान की कमी का होना था। जवाब विभाग द्वारा ठेकेदार को बाधा मुक्त स्थल उपलब्ध कराए जाए की अयोग्यता को दर्शाता है।

(viii) नरेला काम्पलैक्स के अन्तर्गत लगभग 2866 हेक्टेयर भूमि से नाली सं. 6 के पुनःनिर्माण की योजना बनाई गई जिससे बहाव को बढ़ाया जा सके। ₹ 744 लाख की अनुमानित लागत को अक्टूबर 2007 में अनुमोदित किया गया। कार्य को अक्टूबर 2009 तक पूरा किया जाना था। यहाँ तक कि अनुमोदन के छः वर्षों पश्चात, ₹ 625.87 लाख के व्यय के प्रति जून 2013 तक स्कीम की प्रगति प्रत्यक्ष रुप से केवल 55 प्रतिशत हुई। विभाग ने बताया कि राष्ट्रमंडल खेल के कारण बजट की कमी विलम्ब का कारण थी तथा जिसे दिसम्बर 2014 तक पूरा कर लिया जायेगा। 2.4.7 निकास प्रणाली पर सीवेज का प्रभाव

### (क) निकास प्रणाली में गिर रहे सीवेज के प्रभाव का गैर-निर्धारण

यद्यपि ले.नि.वि. जानती थी कि उनके तीव्र प्रवाहित नालों में लगभग 324 किमी. सीवेज बह रहा है, उन्होने तीव्र प्रवाहित नालों में गिराए जा रहे सीवेज की मात्रा के निर्धारण का कोई कार्यान्वयन (सितम्बर 2013 तक) नहीं किया। यहाँ तक कि वह जिन नालियों में सीवेज प्रवाहित हो रहा था। उसके ब्यौरे भी उपलब्ध कराने में असफल रही। इसी प्रकार, दि.न.नि. ने अपने तीव्र प्रवाहित नालों में गिराए जा रहे असंसाधित सीवेज की मात्रा के सर्वेक्षण के विश्लेषण का कोई प्रबन्ध नहीं किया।

अपने जवाब में लो.नि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि, लो.नि.वि. की बहुत बड़ी मात्रा में नालियों में सीवेज जाता है तथा विभाग बार-बार केवल नालियों में गाद हटाए जाने, सफाई तथा अनुरक्षण का कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त रा.रा.क्षे.दि.स., ने पहले से ही आई.आई.टी. दिल्ली को गाद प्रवाहित नालियों पर जाँच के लिए कार्य पर लगा रखा था। जवाब स्वीकार्यन नहीं है क्योंकि आई.आई.टी के आबन्ध होने से, लो.नि.वि. बारम्बार गाद हटाए जाने की जरूरत पर विचार किए जाने के लिए अपने आवश्यक डाटाबेस के अनुरक्षण की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती थी।

### (ख) उपयुक्त सीवरेज प्रबन्धन तथा उसके अनुवीक्षण का अभाव

दि.ज.बो. द्वारा सीवरेज के अनुरक्षण में कमी को लेखा परीक्षा मे देखा गया, जैसा कि नीचे ब्यौरे दिए गए हैं, जिनके कारण निकास प्रणाली में सीवेज गिराया जा रहा था:

(i) दि.ज.बो. द्वारा 2012-13 के दौरान सीवेज नेटवर्क की कार्यशैली को संचालित किया गया था, कि जांच का मूल्यांकन नहीं किया गया। यहाँ तक कि चयनित डिविजनों में सीवेज नेटवर्क के नक्शे तथा ब्लू प्रिंट उपलब्ध नहीं थे।

(ii) दि.ज.बो. के केन्द्रीय-I तथा उत्तरी-I के अधीन कुछ क्षेत्रों[26] के सीवर तथा तीव्र प्रवाहित नाले आपस में जुड़े हुए थे। जैसाकि सीवर्स केवल सीवेज के तात्पर्य से बनाए गये थे, वे वर्षा के दौरान पानी के तेज धार को समायोजित करने में असफल, जोकि करीब के निम्न स्तर क्षेत्रों में जा कर एकत्रित हो गए तथा जल-भराव का कारण बने।

### 2.4.8 नगरपालिका के ठोस एवं निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट के लिए पर्याप्त डम्पिंग स्थलों की अनुपलब्धता

दिल्ली में प्रतिदिन 5000 टन निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (नि.एवं.वि.) जनित होता है, जबकि इस के पास बुराड़ी में 500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला केवल एक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट संसाधन संयंत्र है। मौजूदा कचरा भराई स्थलों में से अधिकांश अपनी क्षमता से अधिक समय तक टिके हैं, अपशिष्ट का सड़कों के किनारे खुले स्थान और यमुना के किनारे डम्पिंग आम बात है। इसके परिणामस्वरूप प्रवेशिकाएं अवरूद्ध अथवा नालियां बन्द हो जाती हैं। कुछ मामलों पर आगे के अनुच्छेदों में विचार विमर्श किया गयाहै।

**(क)** एन.डी.एम.सी. के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, मलबा, गाद इत्यादि का निपटान गाजीपुर डम्पिंग स्थल पर किया जाना था। हालांकि, एस डब्ल्यू डी के सड़क डिविजनों के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि एन.डी.एम.सी. ने 16 से 20 किमी की दूरी हेतु निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट/मलबा के 6578.54 क्यूबिक मीटर के निराकरण के लिए 17 मामलों में ₹ 11.25 लाख का भुगतान बिना यह सुनिश्चित किए ही कर दिया था कि अपशिष्ट का निपटान वास्तव में केवल प्राधिकृत कचरा-भराई स्थल पर ही किया गया था।

इसके जवाब में, एन.डी.एम.सी. ने कहा (जनवरी 2014) कि वास्तविकता यह थी कि ठेकेदारों ने इसके क्षेत्र में मलबा डम्प नहीं किया था। अन्य प्राधिकृत डम्पिंग क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसने ठेकेदारों को कार्यों में सुविचारित दूरी के अनुसार भुगतान किया था। इनका जबाव संदर्भ से परे है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एनडीएमसी की केवल प्राधिकृत स्थल पर मलबा के निपटान को सुनिश्चित करने की विफलता पर था।

इसी तरह सि.बा.नि.वि. तथा लो.नि.वि. में भी कोई एकरूप तथा प्रमाणित तंत्र यह सुनिश्चित करने हेतु नहीं था कि केवल प्राधिकृत स्थान पर निकाले गए कीचड़ तथा मलबे का निपटान हो गया है। लो.नि.वि. ने अपने उत्तर (मार्च 2014) में 2012 के दौरान निपटान प्रणाली के गैर-मानकीकरण को स्वीकार किया। आगे यह कहा कि दि.न.नि. पर्याप्त डम्पिंग स्थल उपलब्ध नहीं करा रहा था तथा 2013 में जब निर्धारित निविदाओं की केवल प्राधिकृत स्थलों पर डम्पिंग की गई, बोलियां नहीं आ रही थी। विभाग ने तथापि सभी ई.ई को दि.न.नि. के डम्पिंग भू-स्थलों पर गादी हटाने के लिए सामान के निपटान के मानक व्यवहार का अनुपालन करने के अनुदेश दिए। सि.एवं बा.नि.वि. ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि पहले गाद वाला मलबा नीचे बने क्षेत्रों में इकट्ठा किया जा रहा था और चालू वर्ष से गाद वाले मलबे को प्राधिकृत दि.न.नि. स्थल में इक्ट्ठे करने का प्रस्ताव किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि नीचे

---

[26] कश्मीरी गेट और मजनू का टीला, जामा मस्जिद और चाँदनी चौक, मिन्टो रोड और तुर्कमान गेट, कूंचा पंडित और बाजार सीताराम, ईदगाह और बल्लीमारन, नवी करीम और कसाब पूरा और मल्का गंज

बने क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मात्रा को केवल एक डिविजन (सीडी-IV) द्वारा दावित किया गया तथा इसके अतिरिक्त मात्राएं बहुत कम जैसे लगभग 10*प्रतिशत* है।

(ख) एन.आई.टी. शर्तें तथा भा.स. की राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अनुसार सीवर लाइन की गाद का दि.न.नि. के सैनेटरी लैंटफिल क्षेत्र अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत किसी क्षेत्र/स्थान में निपटान किया जाना चाहिए। दि.ज.बो. की सात[27] डिविजनों के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2010-13 के दौरान 103 गाद हटाने वाले कार्यों में 24389.18 क्यू.मी. गाद के निपटान को प्रलेखित किया गया था। जैसाकि प्राधिकृत लैंडफिल स्थान में गाद के निरापद निपटान को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

डम्पिंग स्थल में पर्याप्त स्थान की गैर-उपलब्धता के मामले को समापन सम्मलेन में चयनित एजेन्सियों द्वारा अपशिष्ट सामान की अप्राधिकृत डंपिग के लिए एक मुख्य कारण अभिस्वीकार किया गया। आगे यह कहा गया कि दि.वि.प्रा. नये डम्पिंग स्थालों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा रहा था।

### 2.4.9 एजेन्सियों की बहुलता तथा समन्वय का अभाव

बाढ़ एवं अपवहन-तंत्र संकुलन की परिवार्षिक समस्याओं का स्वीकार्य समाधान केवल तभी संभव है जब सभी संबंध एजेंसियों का प्रयास इन समस्याओं का समकालिक दृष्टि से सामना करने के लिए समन्वित हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभागों एवं एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव था, जैसा कि आगे के अनुच्छेदों में बताया गया है।

(i) आई आई टी, दिल्ली ने सुझाव दिया कि इसके अध्ययन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा नामांकित/मनोनीत दो सदस्यों को शामिल करना चाहिए। प्रधान सचिव, आई एफ सीडी के अधीन बुलाई गई बैठक (अगस्त 2012) में यह निर्णय लिया गया था कि इस उद्देश्य हेतु संबंधित विभाग 2-3 स्नातक अभियंताओं को नामांकित कर सकते हैं। तथापि एस डी एम सी सी तथा एन डी एम सी ने दिसम्बर 2013 तक अधिकारियों को नामांकित किया था।

(ii) वर्षा के दौरान ई.डी.एम.सी. क्षेत्र से प्रवाहित होकर सिं. एवं. बा. नि. वि तथा लो.नि.वि. नालियों को जोड़ने के असमर्थता के मामले पर ई डी एम सी ने कहा कि इस मुद्दे पर भिन्न-2 एजेंसियों के द्वारा मानसून आने से पूर्व एवं मानसून के दौरान समुचित कदम उठाने हेतु विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है। लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण यह है कि केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय लोक निर्माण विभाग अथवा आई एफ सी डी की नालियों की वहन क्षमता स्थायी रुप से बढ़ाने हेतु समान्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) लोक निर्माण विभाग को अप्रैल 2012 में सड़कों को हस्तान्तरित करने से पहले, दिल्ली नगर निगम अपने एवं लो.नि.वि. के स्वामित्व वाले सभी तीव्र बहाव वाली नालियों से गाद हटाने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि दिल्ली नगर निगम के द्वारा 2010 एवं 2011 के दौरान इसके सड़क के किनारे स्थित नालियों से हटाए गए गाद की स्थिति पर रिपोर्ट न तो लो.नि.वि. के मुख्यालय और न ही क्षेत्रीय संभागों

[27] पूर्व-II, पश्चिम-III, केन्द्रीय-I, पूर्व-II, उत्तर-I, उत्तर-पश्चिम-II, दक्षिण-VI

के पास थी लो.नि.वि. ने अपने उत्तर (मार्च 2014) में संतोष प्रकट किया कि दि.न.नि. ने इसे लगातार समन्वित किया और इसका अनुपालन किया परंतु यह निष्फल था। सड़कों के मालिक होने के कारण लो.नि.वि. द्वारा गाद हटाने के कार्य की अंतिम स्थिति नियत करने को मॉनीटर किया जाना चाहिए।

(iv) वर्ष 2012-13 के दौरान, दिल्ली जल बोर्ड ने लेखापरीक्षा के द्वारा चयनित आठ में से सात डिविजनों में पाया कि इसकी ट्रंक सीवर लाइनें 272 स्थानों पर अवैध रुप से छिद्रित थीं, जहाँ दि.न.नि. तथा लो.नि.वि. की तीव्र बहाव वाली नालियाँ सीवर लाइन से जुड़ी थीं जिससे संकेत होता है कि दि.न.नि. तथा लो.नि.वि. की तीव्र बहाव वाली नालियों के नेटवर्क में उचित निकासी बिन्दु नहीं थे।

### 2.4.10 आन्तरिक नियंत्रण ढाँचा तथा मॉनीटरिंग तंत्र

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक प्रबंधन उपकरण है जिसको यह आश्वासन देने के लिए उपयोग किया गया कि उद्देश्य योजना के अनुसार प्राप्त किए जा रहे थे। पूर्व पैराग्राफों में इंगित आंतरिक नियंत्रणों में पाई गई कमियों के अतिरिक्त पाई गई अन्य कमियों को निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लिखित किया गया है।

#### 2.4.10.1 निकास प्रणाली की निगरानी में विद्यमान तंत्र की विफलता

सि.एवं बा.नि.वि., दि.वि.प्रा., लो.नि.व. एन डी एम सी एवं डी.जे.बी के सदस्यों के साथ इंजीनियर-इन-चार्ज के अधीन मई 1995 में एक 'आपरेशन मिशन' का गठन तीव्र बहाव वाली नालियों एवं सीवरों में से गाद हटाए जाने, मॉनीटर करने, आपवहन-तंत्र संकुलन की समस्या का सामना करने तथा तीव्र बहाव वाली नालियों से सीवरों को अलग करने हेतु किया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकार को अल्पावधि उपायों को कार्यन्वित करने के लिए तथा नए सिरे से संकलित सूचना के आधार पर मानकों को तैयार करने हेतु फिर से बैठक बुलानी पड़ी थी। इससे नियंत्रण आदेशों एवं अन्य निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने हेतु निगरानी एवं आन्तरिक नियंत्रण क्रियाविधि की अदक्षता प्रतिविम्बित होती है। इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था।

#### 2.4.10.2 रिपोर्टिंग तंत्र में विसंगतियाँ

(क) लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 5 अगस्त 2013 को यद्यपि डिविजन एम-413 ने छ: स्थानों में अर्थात निजामुद्दीन ब्रिज टी-प्वाइंट, आई जी स्टेडियम के पास आई पी फ्लाईओवर, गांधी दर्शन के पास, लोठियन ब्रिज, रेलवे अंडर ब्रिज और भैरो रोड प्लाजा में जल भराव की सूचना दी, सूचना लो.नि.वि. के मुख्य सचिव और लो. नि.वि. के सचिव को प्रेषित की गई, जो इन प्रतिवेदनों में बताए किसी जल भराव को नहीं दर्शाती, अत: अविश्वसनीय है। लो.नि.वि. ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2014) कि दलीय इकाईयों को केवल उन स्थानों के लिए वर्षा के दिनों पर रिपोर्ट देने के अनुदेश दिए गए जहाँ जल भराव वर्षा के बाद निकासी की सामान्य समय सीमा के पश्चात् भी बना रहता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जल भराव हो गया था जबकि इसे निरंतर निकाला गया था। उत्तर में स्टोर्म वाटर निकासी पर सेवा स्तर बैंचमार्क की हैंडबुक में दिए सुझावो को भी ध्यान में कम लाया गया जिसमें व्यवस्था है कि आंकड़े, उपाय की विश्वसनीयता के लिए बाढ़ के समय, तिथि, स्थान तथा सीमा तक लिए जाने चाहिए।

(**ख**) नमूना जाँच प्रतिवेदनों में यह पाया गया कि ट्रैफिक पुलिस **(अनुलग्नक 2.4.9)** द्वारा बताए गए जल भराव के कुछ उदाहरणों को उनकी विश्वसनीयता पर संदेह करते हुए लो.नि.वि. के प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था।

**(ग)** जैसा कि आपरेशन मिशन के अन्तर्गत अपेक्षित था, सि.एवं बा.नि.वि (सिवाय 2013 के दौरान) और लो.नि.वि. ने शहरी विकास विभाग को उस कार्य जो लक्षित था कि 2010-13 के लिए गाद हटा ली गई थी और उसका निपटान कर दिया गया था के अपेक्षित प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया था।

**(घ)** नालियों में से गाद हटाए जाने, जलावरोधन एवं बाढ़ के रिपोर्टों एवं विवरणों को उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किए जाने पर, जैसा कि प्रभागों के द्वारा अधीक्षण अभियंता को, अधीक्षण अभियंता के द्वारा इंजीनीयर-इन-चीफ इत्यादि को सौंपा गया था, ई डी एम सी ने कहा (दिसम्बर 2013) कि गाद हटाए जाने की रिपोर्ट टेलीफोन अथवा मेल के माध्यम से संग्रहीत की जाती थी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के भिन्न-2 स्तरों पर आयोजित विभिन्न बैठकों में उनकी समीक्षा की जाती थी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवधिक रिपोर्टिंग की उचित प्रणाली को वरियता में प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकित किये जाने की आवश्यकता है ताकि गतिविधियों की उचित मॉनीटरिंग को सुनिश्चित किया जा सके।

**(ड)** उसी प्रकार, दिल्ली जल बोर्ड के मामले में, प्रभागों के द्वारा उच्चतर अधिकारियों को सीवेज रख-रखाव के समर्थन में कोई आवधिक विवरण नहीं सौपा गया था।

### 2.4.10.3 अपर्याप्त समीक्षा बैठकें एवं निरीक्षण

लोक निर्माण विभाग के मानसून आदेश में उपबंध है कि मानसून से संबंधित समस्याओं का समाधान करने हेतु व्यवस्था बनाने के लिए इंजीनियर-इन-चीफ एवं प्रधान सचिव तक के स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकों एवं निरीक्षणों का आयोजन किया जाना चाहिए। यद्यपि निवेदन किया गया था, फिर भी लोक निर्माण विभाग ने की गई बैंठको में किए गए निरीक्षणों के विवरण तथा जारी आदेश, ऐसी बैठकों/निरीक्षणों के परिणाम उपलब्ध नहीं कराए। इसके अतिरिक्त मानकों के अनुसार डिविजन स्तर पर निरीक्षण भी नहीं किए गए थे। इसी प्रकार पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तथा प्रभावी मॉनीटरिंग के बारे में आश्वासन लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका।

लो.नि.वि. ने अपने उत्तर (मार्च 2014) में कहा कि 20 जुलाई 2013 को जल भराव की सूचना 152 मे से 34 स्थानों पर दी गई जिसमें यह संकेत था कि इसकी प्रणाली प्रभावी थी। आगे यह कहा गया कि निरीक्षण नियमित ढंग से किए गए थे। उत्तर इस प्रसंग से परे था क्योंकि यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नहीं बताता। इसके अतिरिक्त विभाग इस विचार के समर्थन में निरीक्षण प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विफल रहा।

### 2.4.11 जन शिकायत सुधारक प्रणाली

मुख्य सचिव द्वारा 17 जून 2013 को बुलाई गए बैठक में यह निर्णीत किया गया कि सभी एजेनसियाँ शीघ्रता से प्रेस विज्ञापन/सूचनाएँ दे तथा अपनी वेब-साइट की सुधारक प्रणाली पर सूचना अपलोड़ करें, तथा पदस्थ कर्मचारियों के नाम व फोन नम्बर भी दें। जबकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि लो.नि.वि. ने कोई विज्ञापन देकर अपनी शिकायत सुधारक प्रणाली के बारे मे सामान्य सभा को सूचित नहीं किया। लो. नि.वि. ने बताया (मार्च 2014) की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य की अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया।

दि.न.नि. के नियंत्रण कक्ष में, निकासी समस्याओं से सम्बन्धित शिकायतों के लिए पृथक पंजिका नहीं रखी गई थी। सभी विवध शिकायतो जैसे कुत्तों का खतरा,

सड़कों पर कूड़ा करकट, मृत जानवर इत्यादि को एक पंजिका में दर्ज कर रखा गया था। न तो शिकायतों को डिवीजन-वार श्रेणीगत किया गया था न ही यह जानने के लिए विश्लेषित किया गया था कि कही उन्ही क्षेत्रों ये शिकायते बार-2 तो नही हो रही। यहां तक कि शिकायतों से संबंधित सार प्रतिवेदनों को उच्च प्राधिकारियों को नहीं भेजा जा रहा था।

दि.ज.बो. में जबकि शिकायत पंजिकाएं रखी गई थी, उनके सुधार के लिए सुधारक कार्रवाई के पूरे ब्यौरो को दर्ज नही किया गया था। पंजिका में शिकायतों की प्रविष्टि प्रति केवल 'शिकायत पर कार्रवाई हो चुकी थी' दर्शाया गया था।

नियंत्रण कक्ष ने केवल शिकायतों के दर्ज करने तथा उनके सुधार का कार्य किया था। यहाँ बाढ़ आने तथा जल भराव की शिकायतों को विश्लेषित करने की कोई विद्यमान विशेष प्रणाली नहीं थी जिससे संभाव्य संवेदनशील बिन्दुओं को पहचाना जाए तथा आवश्यक निवारक उपाय किए जाए।

### 2.4.12 निष्कर्ष

निकास प्रणाली के रखरखाव तथा अद्यतन के लिये पृथक से निधियां चिन्हित नही की गयी थी। ड्रेनेज-1981 का मास्टर प्लान का अद्यतन नहीं किया जा सका था क्योंकि सरकार परामर्शदाता को वांछित डाटा देने में असफल रही थी। ड्रेनेज नेटवर्क को लगातार जारी रखने का यह परिणाम हुआ कि यह वर्तमान मांगो को पूरा किए जाने में अपर्याप्त तथा असक्षम रहा। इसी प्रकार, दिल्ली के पास सीवरेज से संबंधित कोई मास्टर प्लान नही था जिसके कारण अनाधिकृत कालोनियो को सम्मलित करते हुये 46 *प्रतिशत* जनसंख्या सीवरेज के नेटवर्क से वंचित रही जिसके परिणामस्वरूप स्टॉर्म वाटर ड्रेन क्षेत्र में सम्मलित होने वाले सीवेज के कारण नालियों में अवरोधन उत्पन्न हो गया। अनाधिकृत कालोनियों की नालियों में उचित निकासी बिंदु नहीं थे तथा संबंधित एजेंसियों ने इन कालोनियों पर स्टॉर्म वाटर निकासी नेटवर्क के प्रभाव के निर्धारण के लिये कोई प्रयास नही किये। आई.एफ.सी.डी. ने मानसून से पहले अपने आप को तैयार करने के लिये प्रत्येक वर्ष यमुना नदी का टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण नही कराया। निरीक्षण के आधार पर उठाये गये बाढ़ नियंत्रण के उपाय अपर्याप्त थे। निकासी में अवरोधन तथा जल भराव की समस्या से निपटने के लिए एजेंसियां पूरी तरह तैयार नहीं थी। विभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिये पर्याप्त क्रियाविधि नही विकसित की गयी, जोकि जल भराव तथा निकासी में अवरोधन के मामले में हल करने में कमियों को दर्शाता है। आश्वासन के बाद भी जल भराव की समस्या बार-बार देखी गयी। इसको रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई। डिसिल्टिंग तथा डि-सिल्ट सामग्री के निपटान के संदर्भ में नालियों के रखरखाव में कमियां पायी गयी। शहर के सीवरेज प्रणाली के रखरखाव में कमियां पायी गयी। विभिन्न विभागो/एजेंसियों के मध्य समन्वय की कमी तथा कमजोर आंतरिक नियंत्रण तथा मानिटरिंग प्रणाली ने समस्या को अधिक बढ़ा दिया, जिसके कारण वर्ष दर वर्ष नालो में अवरोधन तथा जल भराव की समस्या होती रही।

### 2.4.13 सिफारिशें

सरकार को विचार करना चाहिए:

- शहरी स्थानीय निकायों के लिये 13 वें वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के सन्दर्भ में प्रत्येक वर्ष ड्रेनेज तथा सीवरेज सेवायें के लिये सेवाओं के मानदण्ड के न्यूनतम स्तर उपलब्ध कराने के लिये बेंचमार्क निर्धारित करना चाहिए। सेवाओं के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए अलग से निधि भी होनी चाहिए;

- निकासी के मास्टर प्लान को दिल्ली विकास प्राधिकरण के दिल्ली 2021 और दिल्ली सीवेज पुनर्स्थापना के लिये मास्टर प्लान के साथ अद्यतन किया जाना चाहिये।
- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान तथा बाढ़ नियंत्रण तथा ड्रेनेज/चैनल सुधार कार्य से संबंधित क्रियाकलाप की योजना बनाने हेतु नियमित आधार पर आवश्यक सर्वेक्षण करवाने चाहिये;
- मानसून के दौरान नालियों में अनुकूलतम वहन क्षमता को सुनिश्चित करने के लिये डी-सिल्टिड की मानिटंरिग को मजबूत करे तथा सी एण्ड डी वेस्ट, मलबा तथा सिल्ट इत्यादि की डंपिंग के लिये पर्याप्त स्थान का प्रावधान हो। संबंधित एजेंसियो को नालियो की सफाई तथा डि-सिल्टिंग की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिये आर.डब्ल्यू.ए. को भी सम्मलित करना चाहिये;
- विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य समन्वय को दिल्ली में निकास प्रणाली के सीवनहीन एकीकरण के लिये सुधार करना चाहिये।

लेखापरीक्षा उपलब्धियों को जनवरी 2014 में सरकार को प्रेषित कर दिया गया था। लो.नि.वि. तथा आई एफ सी डी के उत्तर मार्च 2014 में प्राप्त हुये तथा दि.न.नि.,न.दि. न.नि. तथा दि.ज.बो. के उत्तर फरवरी 2014 तक प्रतीक्षित है।

## 2.5 रा.रा.क्षे.दि.स. के वे. एवं ले. क्रियाकलापों के कम्प्यूटरीकरण की सूचना तकनीकी लेखापरीक्षा तथा विनियोग एवं वित्त लेखों को तैयार करना

सूचना प्रोद्योगिकी लेखापरीक्षा वे. व ले. कार्यालयों के सार कार्यों तथा विनियोग एवं वित्त लेखों की तैयारी के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखा संगठन में कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण हेतु किया गया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है:

मुख्य बातें

- *काम्पैक्ट पीएओ 2000 रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखा कार्यों के लिए औचित्य अध्ययन के बिना अपनाया गया तथा एक पूराना सिस्टम जहां लेखांकन के महत्वपूर्ण कार्य मैनुअली किये जा रहे है जारी था ।*

  *(पैराग्राफ 2.5.7.1)*

- *कान्टेक्ट सॉफ्टवेयर में बजट तथा व्यय नियंत्रण के लिए कोई सुविधा नहीं थी कान्टेक्ट ऑकड़ों से विनियोग तथा वित्त लेखों को तैयार करने की प्रक्रिया मैनुअल थी और वहां मुख्य वित्तीय सूचना के वास्तविक समय आधार पर किए गए एकत्रण, प्रस्तुतिकरण तथा उपयोग के लिए शेयरधारियों के बीच कोई सामान्य अंतरापृष्ठ नहीं था जिसके परिणामस्वरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलंब था ।*

  *(पैराग्राफ 2.5.7.1)*

- *यूजर मैनुअल, ऑपरेशन मैनुअल व सिस्टम मैनुअल की अनुपस्थिति तथा प्रशिक्षित स्टॉफ की सामान्य कमी, काम्पेक्ट का श्रेष्ठतम उपयोग नहीं किया जा सका। वे.व.ले. कार्यालय अपने मैनुअल अभिलेखों अथवा एम.आई.एस. उद्देश्यों के लिए एमएस एक्सल पर उपलब्ध आंकड़ों के समेकन पर अधिक निर्भर रहे।*

  *(पैराग्राफ 2.5.7.3 व 2.5.7.4)*

- *विभाग में डाटा बैक–अप लेने की आवृति, इसके संग्रहण की अवस्थिति तथा पुनरूद्धार दर्शाने वाला कोई डिसास्टर रिकवरी प्लान नहीं था।*

  *(पैराग्राफ 2.5.7.7)*

- *आंकड़ों के विश्लेषण से आंकड़ों की असंगति के मामलों दिखे जोकि आंकड़ों की विश्वसनीयता का विस्तार दर्शाता था।*

  *(पैराग्राफ 2.5.8.1)*

### 2.5.1 प्रस्तावना

रा.रा.क्षे.दि.स. का प्रधान लेखा कार्यालय (प्र.ले.का.) प्रत्येक वर्ष रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोग लेखे तथा वित्त लेखे तैयार करता हैं। वह लोक लेखों तथा सेवानिवृत्त व पेंशन के लाभों से संबंधित केन्द्रीय लेनदेनों की विवरणी तैयार करता है जोकि भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक (सी.जी.ए.), वित्त मंत्रालय (वि.मं.) को केन्द्रीय लेखों में शामिल किए जाने हेतु भेजे जाते हैं।

1980 के बाद में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) ने डीबेस में कांटेक्ट सॉफ्टवेयर सी.जी.ए. कार्यालय वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श में विकसित किया और यह प्र.ले.का. के उपयोग के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखा संगठन में प्रस्तुत किया गया। एन.आई.सी. ने नि.म.ले., वित्त मंत्रालय की सलाह के साथ विजुअल बेसिक 6.0 के अगले हिस्से और एस.क्यू.एल. सर्वर 7.0 के पिछले हिस्से के साथ विंडो एन.टी.वर्जन-4 एनवायरमेन्ट में काम्पेक्ट (विस्तृत वेतन एवं लेखा) पी.ए.ओ 2000 विकसित किया और वर्ष 2002-03 में रा.रा.क्षे.दि.स. के वे. व ले.का. के सभी मुख्य लेखा कार्यो जैसे पूर्वजांच, लेखों का संकलन, जी.पी.एफ., बजट तथा पेन्शन को कंप्यूट्रीकृत किया गया। काम्पेक्ट के अभिष्ट उद्देश्य रिपोर्ट और पूछताछ की क्षमता को बढाना, अधिक प्रबन्धन सूचना, लेखों के संकलन को कम समय में करना, कान्टेक्ट के लिए सक्षम फार्म में विभिन्न रिपोर्टों और विवरणियों को सृजित करना, वे. व ले.का. के विभिन्न अनुभागों को एकीकृत करना, ऐतिहासिक डाटा रखना इत्यादि।

### 2.5.2 संगठनात्मक ढांचा

दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लेखा संगठन मुख्य सचिव, (रा.रा.क्षे.दि.स.) के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करता है जिसके सहायक प्रधान सचिव (वित्त), सचिव (वित्त), लेखा नियंत्रण, उप लेखा नियंत्रक तथा 25 वेतन एवं लेखा अधिकारी होते हैं।

प्र.ले.का. 1650 आहरण एवं वितरण अधिकारियों (आ.व स.अ.) को कवर करते हुए 23 वे.व.ले.का. से मासिक लेखे प्राप्त करता हैं। इसके अतिरिक्त 37 आ.व स.का. को कवर करते हुए दो वे. व ले.का. (IV व XVI) दिल्ली पुलिस के लेखों का कार्य करते हैं तथा भा.स. के गृह मंत्रालय के प्र.ले.का. को ई-लेखा पर ऑनलाइन अथवा केन्द्रीय सरकारी लेखों में उनके सम्मिलिन द्वारा सीधे तौर से मासिक लेखे प्रस्तुत करते हैं।

रा.रा.क्षे.दि.स. की वर्तमान प्रणाली के अनुसार एक वे. व ले.का. बहु-संख्यक विभागों के कार्य करता हैं और विभिन्न वे. व ले.का. एक विभाग की देख-रेख करते हैं। तथापि इन 25 वे. व ले.का. के बीच प्रचालन हेतु कोई अंतर-संपर्क नहीं है और प्रत्येक वे. व ले.का. के कार्य इसको सौंपे गए आ.व स.का. के लिए पृथक हैं।

### 2.5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सू.प्रौ. लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था क्या

- सू.प्रौ. प्रक्रियाओं का आरम्भ तथा मानवीय प्रक्रियाओं का समाप्ति का सामांजस्य ठीक तथा उचित है, और
- सिस्टम के प्रचालन से उत्पन्न आंकडे विश्वसनीय है।

### 2.5.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र व कार्यप्रणाली

सू.प्रौ. लेखापरीक्षा में पुनरीक्षण सम्मिलित हैः

- 2002-03 से आरंभ कम्प्यूटरीकरण का लागू होना,

- वर्ष 2012-13 में बनाए गए मैनुअल अभिलेखों के साथ काम्पेक्ट किए और 2000 सॉफ्टवेयर में रा.रा.क्षे.दि.स. के छः[28] चयनित वे. एवं ले.का. द्वारा लेखा कार्य किया जाना,
- वर्ष 2012-13 में प्र.ले.का. में कांटेक्ट साफ्टवेयर में ऑकड़ों की अपलोडिंग व प्रक्रिया तथा इसे आगे भा.स. के सी.जी.ए, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने हेतु भारत सरकार के लोक लेखों व समेकित निधि से संबंधित लेनदेनों का पृथक्करण,
- वर्ष 2012-13 के प्रधान लेखा कार्यालय में रा.रा.क्षे.दि.स. का अंतिम आऊटपुट अर्थात विनियोग लेखे व वित्त लेखे।

एक प्रारूप प्रतिवेदन नवम्बर 2013 में प्रधान सचिव (वित्त) को प्रतिवेदन पर सरकार के विचार प्राप्त करने हेतु जारी किया गया। प्र.ले.का. तथा वे. व ले.का. के जवाब सम्बन्धित पैराग्राफ में सम्मिलित किए जा चुके है।

### 2.5.5 लेखापरीक्षा कसौटी

लेखापरीक्षा कसौटी को निम्नलिखित स्रोतों से लिया गया थाः

- सिविल लेखा मैनुअल, प्राप्ति एवं भुगतान नियम तथा सामान्य वित्त नियमों के प्रावधान,
- मैनुअल, कार्यक्रम पद्धतियां अथवा नीतियां तथा सू.प्रौ. सिस्टम की प्रक्रियाओं की प्रस्तावना और कार्यान्वयन, और
- सामान्यतः एक सू.प्रौ. सिस्टम की उत्तम पद्धतियों को स्वीकार करना जैसे कोबिट।

### 2.5.6 कार्य गति चार्ट

वे. एवं ले. का. में बिलों की प्रक्रिया तथा उनके लेखांकन के लिए कार्य गति चार्ट और विनियोग लेखे तथा वित्त लेखे तैयार करना **अनुलग्नक-2.5.1 व अनुलग्नक-2.5.2** में दर्शाया गया है।

---

[28] वे.व.ले.का –IV,VI,IX,XV,XXI,XIII (आ.व स.का. की संख्या पर आधारित आ.व स.का. की अधिकतम संख्या के दो वे.व.ले.का. अर्थात वे.व.ले.का.Ix तथा वे.व.ले.का. XXIII, आ.व स.का. की मध्यम संख्या का एक वे.व.ले.का.xv, आ.व स.का. की न्यूनतम संख्या का एक वे.व.ले.का.vi दिल्ली पुलिस के साथ कार्य करने वाला एक वे.व.ले.का. तथा लेखों को सीधे वित्त मंत्रालय के लेखा नियंत्रक अर्थात वे.व.ले.का.IV को प्रस्तुत करना और एक वे.व.ले.का. को प्राप्तियॉ अर्थात वे.व.ले.का. XXI के साथ कार्य करता है)

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.5.7 सामान्य सू.प्रौ. नियंत्रणों की कमी

#### 2.5.7.1 व्यापार नियमों व आवश्यकताओं के साथ सामाधान का सामंजस्य

**(अ) काम्पैक्ट**

काम्पैक्ट रा.रा.क्षे.दि.स. के वे. एवं ले. का. मुख्य लेखाकंन कार्य को कम्प्यूट्राईज करने हेतु प्रस्तुत किया गया था जैसेकि पूर्व-जांच, लेखों का संकलन, जी.पी.एफ., बजट तथा पेन्शन कम्प्यूट्राईजेशन प्रक्रिया की संवीक्षा में कमियॉ पाई जिसकी आगे पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

**(क) वे. एवं ले. का. के कार्य पैरामीटरों के अनुरूप काम्पैक्ट को न अपनानाः** काम्पैक्ट पीएओ 2000 सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा केवल केन्द्र सरकार के वे.व.ले.का. की कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था। यह रा.रा.क्षे.दि.स. के वे. व ले.का. के लिए 2002-03 में अपनाया गया था, यघपि वहां रा.रा.क्षे.दि.स. के विशेष लेखाकंन कार्य जैसे लोक लेखों से संबंधित लेनदेन तथा सेवानिवृत्ति, पेंशनरी लाभों तथा लेखाकंन कार्य का आबंटन) थे। रा.रा.क्षे.दि.स. ने काम्पैक्ट को अपनाने से पहले औचित्य अध्ययन नहीं किया और इन विशिष्ठ कार्यो को काम्पैक्ट में नही जोडा, जिससे कि पूरे लेखा कार्य केवल काम्पैक्ट में किए जाते है।

इसके लागू होने के 10 वर्ष पश्चात भी, काम्पैक्ट में पृथक केन्द्र तथा राज्य प्राप्तियों व व्यय प्रतिवेदनों के लिए आवश्यक तरीकें/समाधान उपलबध नहीं थे। ई-लेखा पर पीएओस काम्पेक्ट आंकड़ों के समेकन हेतु प्र.ले.का. के प्रयासों को भी लेखों के पृथ्क्कीकरण न होने के कारण मूर्त रूप नहीं दिया गया।

लेखा नियंत्रक ने स्वीकार किया (जनवरी 2014) कि रा.रा.क्षे.दि.स. के वे. व ले.का. में काम्पैक्ट को बिना उचित औचित्य अध्ययन के संचालित किए लागू किया गया। काम्पैक्ट तथा ई-लेखा के द्वारा लेखों को तैयार करना तथा संकलित करना उनकी लेखों को संचित निधि और लोक लेखों में बॉटने में अयोग्य होने के कारण नही हो सका।

**(ख) एकमात्र सिस्टमः** काम्पेक्ट सॉफ्टवेयर 25 वे. एवं ले.का. में एकमात्र सर्वरस पर चलाया जा रहा था। वहां प्रचालनों के लिए इन 25 वे. एवं ले.का. के बीच कोई संबंध नहीं था। इन वे. एवं ले.का. द्वारा बनाए गए प्रतिवेदन वसूल की गई प्राप्तियों और उनके आ.व स.का. द्वारा एक विशेष शीर्ष के अंतर्गत किए गए व्यय पर केवल सूचना उपलब्ध करा सका और वह भी मासिक आधार पर जब उस माह के लेखे संकलित किए गए। वे. व ले.का. अथवा प्रधान ले.प.का. केवल आ.व स.का. वार प्राप्तियों तथा व्यय की सूचना उपलब्ध करा सकते थे। वहां पर विभाग के प्रगामी व्यय अथवा प्राप्तियों पर कोई प्रतिवेदन बनाने के लिए कोई तंत्र नहीं था। व्यय की प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु विशेष लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रगामी व्यय अथवा प्राप्तियों पर कोई वास्तविक समय सूचना भी उपलब्ध नहीं थी।

उपर्युक्त सीमाओं के अतिरिक्त विद्यमान एकमात्र सिस्टमों ने कुछ ऐसे व्यवहारों को भी बढ़वा दिया जो सिस्टम के समापन के लिए स्पष्ट थे। ऐसे व्यवहारों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि स.ले.प.अ. तथा वे. एवं ले.अ. बिलों की मैनुअली छँटनी कर रहे थे और बिलों के ऊपर ही अपनी टिप्पणी देते थे। फिर भी काम्पेक्ट के पूर्व जांच मॉडयूल में बिलों के पास करने को डीलिंग हैंड/सहायक प्रोग्रार्मस के ऊपर छोड़ दिया गया जिसने स.ले.प.अ. तथा वे.व ले.अ. के पासवर्ड का उपयोग करते हुए इन बिलों को बहुतायत (बल्क) में पास किया। यह देखा गया कि काम्पेक्ट के पूर्व-जांच मॉडयूल में पास हुए 3074 बिल **(अनुलग्नक-2.5.3)** डीलिंग हैंड, स.ले.प. अ. तथा वे.व ले.अ. के तीन स्तरों के जरिए पाँच मिनट की अल्पावधि के भीतर पास किए गए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ऐसे मामलें दर्शाता है जहां बिलों पर स.ले.प.अ. अथवा वे. व ले.अ. द्वारा मैनुअली टिप्पणी की गई जबकि वे काम्पेक्ट के पूर्व जांच मॉडयूल से पास किए गए थे। सिस्टम में ऐसे बिलों पर चैक संख्याएं निर्धारित करते समय ही त्रुटियां ध्यान में आई। सिस्टम के अनुसार काम्पेक्ट से एक बार बिल पास हो जाने पर उस पर चैक संख्या डाली जाती है तथापि गलत ढंग से पास हुए बिलों पर चैक संख्याएं नहीं दी गई। इस समस्या को हल करने के लिए इन बिलों को नकली चैक संख्या दी गई तथा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कम्प्यूटर द्वारा प्रति निकाली गई इसके पश्चात नकली चैक संख्याओं के निरस्तीकरण की प्रविष्टयों को काम्पेक्ट में पास किया गया तथा बजट रखा गया। जब सही बिल अगले समय पर आया, इसे आगे संख्या डालकर कुछ सुधार के साथ सिस्टम में प्रविष्ट किया गया तथा अगले समय में पास किया।

2012-13 के काम्पेक्ट डॉटा की जांच दर्शाता है कि 31 मार्च 2013 को बकाया चैकों की सूची में ₹ 5.20 करोड़ वाले 228[29] डम्मी चैक नम्बर थे। **(अनुलग्नक-2.5.4)** जिसका अर्थ डम्मी नम्बर निस्तारित नहीं हुए थे, एक कमजोर बजटीय नियन्त्रण दर्शाता है।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सभी डम्मी चैकों को निरस्त कर दिया गया था तथा व्यय वापस प्राप्त हो गए थे। जवाब तथ्यपरक असत्य है जैसाकि वहां 228 निर्दिष्ट मामले थे जहां डम्मी चैक 31 मार्च 2013 तक निरस्त नहीं थे।

(ii) पांच में से चार[30] चुने गऐ वे. व ले. का. द्वारा प्राप्ति का ब्यौरा काम्पेक्ट में नहीं डाला गया और प्राप्ति से संबंधित सारा रिकॉर्ड मैनुअल था। वे. एवं ले.का.-IV द्वारा प्राप्ति लेखा-शीर्ष अनुसार एकमुश्त काम्पेक्ट में डाली जा रही थी जबकि चालान-वार डाली जानी थी जैसा कि पब्लिक सैक्टर बैंकों से प्राप्त हुई थी।

वे. एवं ले.का.-VI, के मामले में, रिफण्ड के चैक काम्पेक्ट के द्वारा नहीं जारी किए गऐ, ऐसे ही मैनुअली जारी किए गऐ, इस कारण इन चैकों से संबंधित डाटा काम्पेक्ट में नहीं डाला जा सका। अर्थात काम्पेक्ट के माध्यम से प्राप्ति एवं रिफण्ड के कार्य पर नियंत्रण सही नहीं था।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि मामला प्रत्यायित बैंको के साथ प्राप्ति स्क्रोल की सॉफ्टकॉपी में आपूर्ति करने के लिए किया जा रहा था जिसे सीधे काम्पेक्ट में सम्मिलित किया जा सके।

---

[29] (वे. व ले.का.-XXIII: 101 चैक जिनकि कुल राशि है ₹ 17710639 तथा वे.व ले.का.-IV: 127 चैके कि कुल राशि ₹ 34294080)।

[30] वे.व ले.का.-VI,IX,XV एवं XXIII

(iii) सभी चयनित पांच देय वे. एवं ले.का. में से कुछ मामले चैक मैन्युली जारी करने के थे। लेखापरीक्षा में पाया कि 2132 चैक, चार चयनित वे.व ले.का.[31] को जारी चैकों की प्राधिकृत सूची में शामिल थे, कम्पेक्ट में जारी चैकों की सूची में नहीं पाये गए। इस कारण चैकों के एनसर्कलिंग का कार्य तथा बैंक स्क्रोल से मिलान का कार्य जो कि काम्पेक्ट के द्वारा किया गया, समझौता था। इस कारण दो मुख्य शीर्षों 8658: सस्पैन्स पी.एस.बी. शेष तथा 8670: चैक एवं बिलों तथा बकाया चैकों का बयौरा जो काम्पेक्ट में है वह विश्वसनीय नहीं था।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि मात्र विरले अवसरों पर ही हार्डवेयर के कार्य न करने के कारण काम्पेक्ट में मैनुअली जारी चैकों का डाटा दर्ज नहीं था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसेकि वहां 2132 मामले थे जहां डाटा काम्पैक्ट में दर्ज नहीं था जिसका अर्थ कि काम्पैक्ट में डाटा पूर्ण व विश्वसनीय नहीं था।

(iv) काम्पेक्ट के बजट मॉडयूल में वार्षिक बजट आ.व स.का. एवं शीर्ष वार मैनुअली डाला गया। विशेष प्रकार के लेखा शीर्षों के अधीन आ.व स.का. के खर्चे जो कि आबंटित बजट के द्वारा नियंत्रित हैं। तथापि कुछ भुगतान जैसे पेंशन, अवकाश नकदीकरण, उपदान इत्यादि भारत की समेकित निधि के एम एच 2071 पर भारित थे क्योकि इन भुगतानों का राज्य बजट में कोई प्रावधान नहीं हैं। ऐसे प्रत्येक भुगतान के लिए बजट में अनुपस्थिति के लिए सिस्टम लाल सिंग्नल बजट की कम या अनुपलब्धता दशाते हुए प्रदिप्त करता है परन्तु ये भुगतान काफी हद तक नियमित रूप से वे. व ले.का. के यूज़र आई.डी. से किए गऐ चूंकि काम्पेक्ट में वे.व ले.का. द्वारा बजट से अधिक भुगतान रद्द कर सकने का प्रावधान था।

तथापि, यह पाया गया कि आधिक्य के बिलों की सूची में अन्य औबजैक्ट शीर्षों के अन्तर्गत भुगतान जैसे वेतन, कार्यालय खर्च, चिकित्सा तथा अन्य भुगतान पर किया गया था जिसका अर्थ है कि वे. व ले.का. ने निश्चित बिलों के भुगतान की अनुमति बजट की उपलब्धता के बिना बजट की ओवरराईडिंग सुविधा का प्रयोग करते हुए दी।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि निश्चित मामलों में बिल वित्त विभाग (एफ.डी.) से संशोधित अनुमान (आर.ई.) स्तर पर बजट के लम्बित आबंटन के प्राधिकृत होने पर वे. व ले.का. लेवल पर काम्पेक्ट में प्रदान बजट की ओवरराईडिंग सुविधा का प्रयोग करके, जमा किये थे। तथापि उत्तर एफ.डी. से प्राधिकृत दिखाए प्रलेखों का समर्थन नहीं करता।

**(ग) कारोबारी नियमों की नॉन-मैपिंगः** लेखापरीक्षा में पाया गया कि काम्पेक्ट साफ्टवेयर में पास किए बिल की जांच करने का सिस्टम नहीं था (केन्द्रीय लेखा मैन्युअल, जी.एफ.आर, प्राप्ति भुगतान नियम के साथ लाईन में)। यह डीलिंग हैंड, स. ले.प.अ. और वे.व ले.का. द्वारा मैनुअली किया जा रहा था। इसलिए वहां समान प्रकृति के बिल समान कमी के साथ विवेकाधिकार और कार्रवाई अधिकारी के संबंधित नियम के बारे में जानकारी के आधार पर पास या रिजेक्ट किए जाते रहे थे तथा इस क्षेत्र में काम्पेक्ट कोई रोल नही निभा रहा था।

[31] वे. व ले.का.-IV, VI, XV एवं XXIII. वे.व ले.का.-IX ने 2012-13 के दौरान प्रयोग चैको की प्राधिकृत सूची नहीं दी।

(घ) **सामान्य भविष्य निधि माडयूल का अनुरूप न होना:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि काम्पेक्ट साफ्टवेयर का जी.पी.एफ. माडयूल रा.रा.क्षे.दि.स. के वे. व ले.का. द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा था इस प्रकार यह उनकी व्यवहारिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं था। रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों के जी.पी.एफ. खातों के अनुरक्षण के लिए वे.व ले.का. नया जी.पी.एफ. साफ्टवेयर 'जी.पी.एफ.' सूचना तंत्र प्रयोग कर रहे थे जो एन.आई.सी. द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार विकसित था।

(ड़) **काम्पेक्ट में निश्चित लेखांकन कार्यों का प्रावधान न होना:** काम्पेक्ट में निम्नलिखित कार्यों का प्रावधान नहीं था:

- मूल्यवान प्रविष्टि को क्लिअर करना जब बैंको में उन्हें जमा कर देता, उस रीति से वर्ष के अन्त में ये प्रविष्टियॉ सिस्टम में बकाया रह जाती थी,
- लम्बे समय तक की कटौतियॉ जैसे कि एच.बी.ए. और एम.सी.ए. की निगरानी, और
- ए.सी.अग्रिम के अगले बैच की अनुमति से पहले ए.सी.बिलों के विरूद्ध डी.सी. बिलों को प्रस्तुत करने पर निगरानी।

(च) **आ. एवं स. अ. के संयोजन स्थान्तरण अथवा विलोप के तिथि वार आंकड़ों की अनुपलब्धता:** प्रचलित व्यवस्था के अनुसार, वे. एवं ले.का. आ. एवं स. अ. पर क्षेत्रानुसार क्षेत्राधिकार रखते हैं इस प्रकार उनकी स्थिति के आधार पर उन्हें वे. व ले.का. का आबंटन किया जाता है। प्रशासनिक कारणों एवं नए आ.व स.का. के बनने से आ.व स.का. के स्थानान्तरण, संयोजन एवं विलोप के मामले वे. व ले.का. को सौंपे गए थे। काम्पेक्ट साफ्टवेयर पर आ. एवं स.अ. इन परिवर्तनों के तिथिवार ऑकडें इक्कठा नहीं करता था अतः एक निश्चित वे. एवं ले.का. से आ. एवं स.अ. के स्थानान्तरण तथा संयोजन की प्रभावी तिथि काम्पेक्ट साफ्टवेयर द्वारा सुनिश्चित नही की जा सकती।

**(ब) कान्टेक्ट**

काम्पेक्ट साफ्टवेयर द्वारा जनित भारत का समेकित निधि एवं राज्य का समेकित निधि व लोक लेखे के संयुक्त लेखे कान्टेक्ट साफ्टवेयर सरलता से द्विभाजित नहीं करता। इसीलिए वे.व. ले.का. को भारत के समेकित निधि तथा राज्य की समेकित निधि एवं लोक लेखा के लेन-देन का अलग डाटा अलग से एम-एस एक्सैल में तैयार करना पड़ता है। वे. व ले. का. के प्रतिनिधि मासिक आधार पर प्र.ले.का. जाकर अपने एम.एस एक्सैल आँकड़े कॉम्पेक्ट पर एक अलग कम्प्युटर में राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखे तथा भारत की समेकित निधि के लिए अलग से क्रमशः सी ड्राठव (राज्य) तथा डी ड्राईव (केन्द्र) में मैनुअली डालते है तदनुसार सारे आँकड़ों को समेकित किया जाता है। कान्टैक्ट अलग से वित्तिय वर्ष के लिए राज्य की समेकिन निधि के लिए वार्षिक क्रमिक समेकित लेखे जनित करता है जिससे रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोग व वित्त लेखे तैयार किए जाते हैं। कान्टैक्ट लोक लेखा एवं भारत की समेकित निधि के लिए एक टैकस्ट फाईल भी जनित करता है, जिसे प्रत्येक माह केन्द्र सरकार के लेखों में समाविष्ट करने के लिए ई-लेखा में चढ़ाया जाता है।

विनियोग तथा वित्त लेखें तैयार करने की उपरोक्त प्रक्रिया में कमियों की आगे पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(क) **बजट के विरूद्ध खर्चे पर नियंत्रण के कार्यान्वयन का प्रावधान न होना:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि वहां कान्टेक्ट साफ्टवेयर में अनुदानों के लिए ब्यौरा मॉग (डी.डी.जी.) के अनुसार बजट के आंकड़े शीर्षवार चढाने या पोषित करने का

प्रावधान नहीं था। और इसलिए इसने बजट के साथ साथ व्यय पर प्रभारी नियंत्रण करने के लिए सही लेखा-शीर्षों में बुकिंग या एक निश्चित लेखा शीर्ष में उपलब्ध बजट से अधिक की बुकिंग के सत्यापन की सुविधा प्रदान नहीं की। इसलिए प्र.ले.का. को यह कार्य डी.डी.जी., अनुदानों के लिए पूरक मांग (एस.डी.जी.), पुनःविनियोजन और समर्पण आदेश इत्यादि की सहायता से मैनुअली करना पड़ा है।

**(ख) गलत वर्गीकरण की त्रुटियों का पता लगाने की कमजोर प्रणालीः** बजट के विरूद्ध अधिक व्यय पर नियन्त्रण करने, गलत वर्गीकरण की त्रुटियों को सही करने, व्यय या प्राप्तियों की कम/ज्यादा बुकिंग की सामने लाई मैनुअल कार्रवाई के पश्चात प्र.ले.का. कॉन्टैक्ट साफ्टवेयर में दिए गए प्रगतिशील समेकित लेखों में सही व संकलित ऑकडे विभिन्न वे. व ले.का. को त्रैमासिक आधार पर मिलान हेतु अग्रेषित करता है। अप्रैल के महिने में वित्तिय वर्ष के लिए अलग से प्रगतिशील समेकित लेखे बनाए जाते हैं राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखा तथा भारत की सकेकित निधि के लिए वार्षिक खातों के सहीं सुनिश्चित होने की जांच कि एम.एच 8450 के अन्तर्गत बुक प्राप्तियों एवं व्यय का अंकिय संतुलन तथा लोक लेखों तथा भारत की समेकित निधि के लिए मिलान होता है।

यद्यपि लेखों का मिलान व संतुलन हो जाए, वे.व ले.का. सपलीमेन्टरी-I खातों को तैयार करते हैं, गलत वर्गीकरण की त्रुटी सही करने के पश्चात वार्षिक समेंकित लेखों से जो उनके द्वारा आ.व स.का. से मिलान के परिणामस्वरूप है, सप्पलीमेन्टरी-I को तैयार करने के पश्चात, प्र.ले.का. सपलीमेन्टरी-I साथ ही साथ मैनुअल अभिलेख (जैसेकि डी.डी.जी., एस.डी.जी., व्यय की वसूली, पुनःविनियोजन और समर्पण आदेश इत्यादि) तथा प्र.ले.का. द्वारा ध्यान लाई गई गलत वर्गीकरण की त्रुटियॉ सही करने के पश्चात सपलीमेन्टरी-II (यदि आवश्यक हो तो सपलीमेन्टरी-III या IV) तैयार किऐ जाते हैं। अंतिम सही प्रति एस 042-अनुपूरक लेखों के रूप में जाने जाते है।

लेखापरीक्षा में पाया कि वर्गीकरण की त्रुटियों को खोजने का तथा उसे सही करने की उपरी प्रणाली जिसमें वे. व ले.का. ऑकडों की मैन्युअल रिकॉर्ड के साथ तुलना उन लेखा शीर्षो तक सीमित थी जिनमें बुकिंग की त्रुटि लेखा शीर्ष में शुन्य प्रावधान या आबंटित बजट की तुलना में अधिक बुकिंग के कारण दिखाई दी थी। यह प्रणाली लेखा शीर्षों में गलत वर्गीकरण के मामले जहां बचत थी, पता नहीं लगा सकती थी और इसलिए बुक किए व्यय आबंटित बजट बढ़ने से प्रभावित नही थे। इसका ताप्पर्य यह है कि विभिन्न स्तरों पर मिलान के बाद भी वहां बिना सूचित गलत वर्गीकरण हो जाने की संभावना थी, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा वे.व ले.का.-XV तथा वे. व ले.का.-XXIII (पैराग्राफ 2.5.8.2 में चर्चा की गई है) के मामले में पाया था या पूँजीगत व्यय की बुकिंग राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत नीचे चर्चा की गई हैः

वित्तीय शक्ति हस्तान्तरण नियम 1978 के नियम 8 के अनुसार आबजैक्ट शीर्ष जैसे 51-मोटर वाहन, 52-मशीनरी व उपकरण तथा 53-मुख्य कार्य, वस्तु वर्ग–6 के अन्तर्गत आते हैं (पूँजीगत सम्पतियों का अधिग्रहण तथा अन्य पूँजीगत व्यय)। तथापि वर्ष 2012-13 के लिए वास्तविक व्यय के कॉन्टैक्ट सॉफ्टवेयर डाटा का विश्लेषण दर्शाता है कि 91 मामलों में एक औसतन व्यय जो ₹ 87.67करोड़ त्रुटिपूर्ण राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत हुआ, पूँजीगत व्यय के बजाय जैसाकि विवरण नीचे **तालिका 2.5.1** में हैः-

तालिका 2.5.1
राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किए गए पूँजीगत प्रकृति के व्यय

(रूपये में)

| क्र.सं. | वस्तु शीर्ष | मामलों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 51-मोटर वाहन | 25 | 63045493 |
| 2. | 52-मशीन व उपकरण | 64 | 730541849 |
| 3. | 53-मुख्य कार्य | 02 | 83139776 |
| | **कुल** | **91** | **876727118** |

(ग) **विनियोग तथा वित्तीय लेखा बनाने में कॉन्टैक्ट का सीमित प्रयोगः** केन्द्रीय लेन-देन का विवरण (सी.एस.टी) होता है जो कि राज्य की समेकित निधि के लिए तथा लोक लेखा के लिए तथा भारत की समेकित निधि के लिए अलग बनाया जाता है जिसमें केवल वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्ययों का लघु शीर्षवार डाटा दिया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोग तथा वित्तिय लेखों के निर्माण की प्रक्रिया एम.एस.एक्सैल पर निर्धारित प्रपत्र में कार्यान्वित थी। इस प्रक्रिया में वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का डाटा जो कान्टेक्ट द्वारा प्रदान किया गया है लघु शीर्षों में परिवर्तित कर मैनुअल शामिल किया गया। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक अन्य डाटा अन्य स्रोतों जैसे डी.डी.जी., एस.डी.जी., पुर्नविनियोजन तथा समर्पण आदेश इत्यादि से लिया गया। प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली है और इसलिए जो समय - सीमा विनियोजन लेखें तथा वित्तिय लेखें बनाने के लिए दी गई से कभी नही जुडा जा सकता। उदाहरण के लिए वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित तिथि 16 जुलाई 2013 थी परन्तु यह लेखें 16 सितम्बर 2013 तक पूर्ण हुए थे।

(घ) **योजना एवं वित्त विभागों को अपर्याप्त सूचना की आपूर्तिः** लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना एवं वित्त विभाग को हार्ड-कॉपी के रूप में मासिक आधार पर डाटा की आपूर्ति होती थी, जिसमें प्रप्तियों एवं व्यय का ब्यौरा केवल शीर्ष-वार था न कि विभाग-वार। इन विभागों के पास व्ययों पर वास्तविक बजट नियन्त्रण के लिए सही समय डाटा उपलब्ध नही था।

(ङ) **समेकन के दौरान डाटा स्रोत की हानिः** वहां कॉन्टैक्ट में एक बन्धन था, जब और जैसे वे.व ले.का. के ऑकड़ों का मासिक समेकित लेखें या प्रगतिशील समेकित लेखें बनाने हेतु विलय किया गया वे.व ले.का. वार रखा गया डाटा प्रक्रिया में लुप्त हो जाता है तथा ऑकडों के संग्रह से समेंकन की प्रक्रिया के पश्चात के मासिक समेकित तथा प्रगतिशील लेखों को बचाया जा सकता था इसलिए, वे. व ले. का. वार ऑकडों के प्रिंटआउट को रिकार्ड रखना पडता था क्योंकि कॉन्टैक्ट से साफ्टकॉपी को नहीं बचाया जा सकता था।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि खांचा रहित वित्त और विनियोजन लेखों को तैयार करने तथा योजना व वित्त विभाग को वास्तविक समय ऑकडों की उपलब्धता के लिए प्रावधान एकीकृत वित्तिय लेखांकन तथा प्रबन्धन सिस्टम (आई.एफ.एएम.एस.) में लाने हेतु प्रस्ताव अनुसूचित है।

### 2.5.7.2 कोर कमेटी (सू.प्रौ.) का रोल

यह देखा गया कि एक कोर कमेटी सितम्बर 2003 में लेखा नियंत्रण की अध्यक्षता में, लेखा संगठन के कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग प्रगति का मॉनिटर करने के लिए

बनाई गई। तथापि कमेटी की बैठकों के एजेंडा, बैठक के कार्यवृत्तों इत्यादि से संबंधित सूचनाएं 2003–04 के बाद से रिकार्ड में नहीं पाई गई जिसमें यह सुझाव था कि काम्पेक्ट के पाठयक्रम में बदलाव, सुधार तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अपलोडिंग को किसी कमेटी द्वारा मॉनीटर किया जा रहा था। इस प्रकार सू.प्रौ. निर्देशन के स्टीयरिंग में तथा संगठनात्मक उद्देश्यो को प्राप्त करने में कमेटी के रोल को लेखापरीक्षा में निर्धारित नहीं किया जा सका।

### 2.5.7.3 डाक्युमेन्टेशन प्रणाली

एक संगठन को सभी कम्प्यूटर सिस्टमों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को प्रलेखित करना चाहिए जिससे प्रचालनों में उनकी शुद्धता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तथापि वे. व ले.का. तथा प्र.ले.का. की छः नमूना जांचों में कान्टेक्ट के संबंध में यूजर मैनुअल, आपरेशन मैनुअल तथा सिस्टम मैनुअल एस ओ पीस के अंश के रूप में उपलब्ध नहीं थे।

### 2.5.7.4 प्रशिक्षण

रा.रा.क्षे.दि.स. के सू.प्रौ. विभाग ने प्र.ले.का. में ₹ 39 लाख की अनुमानित लागत से एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण लैब की स्थापना का प्रस्ताव तकनीकी रूप से पास किया (मार्च 2006)। तथापि उसके बाद कोई प्रशिक्षण आधारभूत ढांचा नहीं निर्मित हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोई प्रशिक्षण कैलेंडर नहीं था परन्तु जब कभी अधिकारियों के लिए आवश्यक लगा 'इन-हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रमों' का प्रबंध किया गया। सभी छः चयनित वे.व ले.का. ने कहा (जून 2013) कि सहायक प्रोगामर[32] सहित उनके स्टॉफ को काम्पेक्ट पर कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। वे.व ले.का. तथा प्र.ले. का. का स्टाफ नियमित रूप से स्थानांतरित हुए और नये आने वालों को 'ऑन द जॉब' सीखना पड़ा था क्योंकि प्रशिक्षण की कोई सुविधा नहीं थी।

### 2.5.7.5 प्रबन्धन प्रक्रिया में बदनाव नहीं किया

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.आई.सी. द्वारा कॉम्पैक्ट साफ्टवेयर का प्रथम रूपांतर (1.0) 17 सितम्बर 2001 तथा नवीनतम रूपांतर (6.01) 12 फरवरी, 2010 को निकाला गया। एन.आई.सी. द्वारा सिस्टम में बदलाव नवीनतम परिवर्तन को थोड़ा-थोड़ा करके लाया गया।

एन.आई.सी. ने काम्पेक्ट साफ्टवेयर में नि.महा.ले., वित्त मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव किया। बदलाव/नवीनतम रूपांतर के कोई अभिलेख नहीं रखे गये और उनका प्राधिकरण रा.रा.क्षे.दि.स. के स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रखा गया। पॉलिसी अथवा प्रक्रिया के रिकार्ड की कमी के कारण, प्रबन्धन यह निश्चित करने में अयोग्य था कि (i) साफ्टवेयर के नवीनतम रूपांतर को रा.रा.क्षे.दि.स के विभिन्न वे एवं ले. कार्यालयों द्वारा क्रियान्वित करने में मुशकिलों का सामना करना पडा और (ii) साथ ही साथ सभी स्तरों पर साफ्टवेयर का नवीनतम रूपांतर प्रयोग किया जा रहा था। यह डाटा के अप्राधिकृत नवीनतम रूपांतर क्रियात्मक के अप्राधिकृत बदलाव के जोखिम को बढाता है या आवश्यक बदलाव प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

[32] 14 सहायक प्रोग्रामर रा.रा.क्षे.दि.स. के 25 वे. व ले.का. की सू.प्रौ. आवश्यकताओ को देखने हेतु एड-हॉक/ठेका आधारपर नियुक्त किए थे (हार्डवेयर और साफ्टवेयर दोनो)।

### 2.5.7.6 सू.प्रौ. सिस्टम की सुरक्षा

(क) **प्रत्यक्ष प्रवेश नियंत्रणः** प्रत्यक्ष प्रवेश नियंत्रण का उद्देश्य अप्राधिकृत प्रवेश तथा सू.प्रौ. सेवाओं में हस्तक्षेप को रोकना है। सू.प्रौ. की परिसंपत्तियों की आग, पानी, आद्रता, भूकंप, विद्युत पॉवर के उतार-चढ़ाव, लोड रौड इत्यादि से होने वाली पर्यावरणिक क्षति से सुरक्षा की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वे. व ले. का. में सू.प्रौ. प्रचालनों के लिए पृथक सैल उपलब्ध नहीं था जिससे अप्राधिकृत व्यक्तियों के सू.प्रौ. सिस्टमों तक प्रत्यक्ष प्रवेश प्रतिबंध को सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी वे. व ले.का. में प्रत्याशित तथा अप्रत्याशित कारणों से सुरक्षा के प्रर्यावरणिक नियंत्रणों हेतु कोई प्रबंध भी नहीं पाए गए थे। पॉवर फेलयर के कारण डाटा के खराब या अशुद्ध होने से बचने के लिए कम्प्यूटर मशीन की तुलना में पर्याप्त संख्या में बैटरी बैक-अप के साथ यू.पी.एस. स्थापित नहीं किए गए।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि बाहर वालों की पहुँच से परे वे. व ले.अ. के कमरे में सरवर लगा दिये गये थे और इस प्रकार सुरक्षित थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरवर के लिए अलग कमरे नहीं थे। इसके अतिरिक्त वे. व ले. अधिकारी लोक व्यवहार अधिकारी है, बाहर वालों के लिए आगमन प्रतिबन्धित नहीं है।

**(ख) तार्किक प्रवेश नियंत्रणः** तार्किक प्रवेश नियंत्रण अप्राधिकृत प्रवेश तथा नवीनतम रूपांतर के प्रति कम्प्यूटर संसाधनों (डाटा और प्रोग्राम) को बचाने में सहायता करते हैं। नियंत्रण प्रक्रियाएं जैसे यूजर प्रवेश प्रबन्धन तथा पासवर्ड, पहचान करने, प्रमाणीकरण तथा गैर-प्रत्यापन में मदद करते हैं। लेखापरीक्षा ने प्रवेश नियंत्रण में कमजोरियॉ पाई जिनकी चर्चा नीचे दी गई हैः

- काम्पेक्ट में एक साथ विभिन्न कलाइंट मशीनों में एक समान यूजर आई डी से लॉगइन किया जा सकता था जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम में त्रुटिपूर्ण प्रवेश नियंत्रण तथा इन-बिल्ट यूजर जवाबदेही की कमी थी,
- प्रशिक्षण के अभाव में वे. व ले.का. ने पूर्व जांच तथा डीलिंग हैंड के लिए मास्टर मोडयूल अथवा सहायक प्रोग्रामर्स के संबंध में उनके विशेष अधिकार निर्धारित किए थे जिसके परिणाम में प्राधिकरण के स्तर को कम कर दिया,
- काम्पेक्ट में एक यूजर बिना किसी प्रतिबंध के बहुत बार लॉग-इन कर सकता था वहां यूजर द्वारा निर्धारित,
- डीलिंग हैंड द्वारा सिस्टम में की गई प्रविष्टियों का वे.व ले.का. द्वारा सुधार किया जा सकता है परन्तु सिस्टम में ऐसे सुधारों का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया,
- यदि सिस्टम का लम्बे समय से उपयोग नहीं किया जा रहा तो यूजर्स के लॉगइन सैशन की स्वतः समाप्ति का प्रावधान काम्पेक्ट में शामिल नहीं किया गया था,
- वे.व ले.का. में पासवर्ड पॉलिसी विद्यमान थी परन्तु वहां आवधिक पासवर्ड बदलाव पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं था। सिस्टम को 15 दिनों से अधिक से उपयोग में लाए जा रहे उसी पासवर्ड को स्क्रीन पर मैसेज दिखाकर जारी रखा गया।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014 ) कि एन.आई.सी. प्रवेश नियंत्रणों में कमजोरी के विरूद्ध सुरक्षा के प्रावधान बनाने हेतु प्रस्ताव करेगा।

### 2.5.7.7 बिजनस कंटीन्यूटी तथा डिसास्टर रिकवरी प्लान

प्र.ले.का. तथा वे. व ले.का. के पास कम्प्यूटर सुविधा की अस्थायी अथवा स्थायी हानि होने के डिसास्टर के मामले में सामयिक कार्रवाई के लिए कोई प्रलेखित आई टी

पॉलिसी, बिजनेस कन्टीन्यूटी तथा डिसास्टर रिक्वरी प्लान नहीं थे। बैक-अप प्रक्रियाओं में निम्नलिखित कमियाँ थीं:

- आंकड़ों के बैक-अप को किसी सुनिश्चित स्थान पर नहीं रखा गया था बल्कि सहायक प्रोग्रामर की सुरक्षा में मौसम तथा अग्नि से सुरक्षित स्थान पर रखने की बजाए खुले दराज में रखा गया था,
- चयनित वे. व ले.का. में वहां एन्टी वायरस नहीं थे और यह उद्यचित नहीं था,
- वहां पर बैक-अप कार्यविधि, इसको रखने की अवधि बैक-अप तंत्र, जमा किए गए साधनों की अवधि के संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी।

### 2.5.8 इनपुट प्रक्रिया तथा आऊटपुट नियंत्रणों की अपर्याप्तता

#### 2.5.8.1 काम्पेक्ट में डाटा की असंगतता

लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, चुने गए पांच वे. एवं ले.का.[33] अप्रेल 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए काम्पेक्ट का बेकार हुए डाटा को (एन.आई.सी. के अनुमोदन सहित) एक सिस्टम की सतह पर रीड ओनली रूप में तथा त्रुटिपूर्णता, असंगतता और असाधरणता की परीक्षण जांच के लिए रिस्टोर किया था। परीक्षण जांच निम्नलिखित प्रर्दशित करता है:

- वहां जारी किए चैको तथा बैंक स्क्रोल भिन्नता थी, इसप्रकार 4651 चैक बैंक-स्क्रोल में दिखे जोकि वे. व ले.का. के जारी चैक ऑकडों के अनुसार जारी नहीं थे,
  विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि कई बार काम्पैक्ट में डाले गये चैकों की संख्या मैनुअली डालने के कारण बैंक से प्राप्त स्क्रोल से भिन्न होती है। लेकिन उन्हे चैक करते समय सही कर दिया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि लेखापरीक्षा ने यह मुद्दा उठाया कि चैक करने की कार्रवाई के बावजूद वहां असंगतता रह जाती है।
- 639 जारी चैकों की राशी बैंक स्क्रोलों में दिखाई राशि के साथ मिलान नहीं करती थी,
- जारी चैको के आंकडों में, 12 चैक दो बार जारी किए पाए गए थे और 1723 चैकों की संख्या अधूरी या जारी चैको की अधिकृत सूची[34] में नहीं थे,
- वित्त वर्ष 2012-13 के अन्त में 12407 चैक बकाया दिखलाए गऐ, न तो वर्ष 2013-14 में उनका नगदीकरण हुआ और न ही बकाया के रूप में दिखाऐ गए,
- वित्त वर्ष 2012-13 के अन्त में तीन चैक बकाया दिखाऐ गऐ, वर्ष 2013-14 में नकदीकृत दिखाऐ गए परन्तु राशि में विभिन्नता थी,

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि चैक की वैधता तीन महीने की थी। वित्त वर्ष के जनवरी और मार्च के दौरान जारी किये गये चैक प्रस्तुत नहीं किये गये और उन्हें

[33] वे. व ले.का.-IV और IX का बैक-अप डाटा वर्ष 2012-13 के लिए पूर्व-जॉच मॉडयूल का डाटा एकत्रित नहीं करता

[34] वर्ष 2012-13 के दौरान प्रयोग चैको की प्राधिकृत सूची वे.व ले.का.-IX अभी तक प्रतीक्षित है।

अगले वित्त वर्ष में नकद करा लिया गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि अप्रैल के मार्च की अवधि के दौरान जारी तथा प्राप्त चैको में अंतर आ गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि लेखापरीक्षा में मुद्दे उठाये गयेः (i) राशि का मिलान नहीं हुआ (ii) दोहरी चैक संख्या प्रयोग हुई (iii) वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया चैक न तो नकद कराये गये न ही अगले वित्तीय वर्ष में बकाया दिखाये गये।

- कुछ मामलों में (वे.व ले.का.–IV, IX तथा XV) टोकन जो उत्पन्न एवं जारी किए गए बिलों की प्राप्ति की पावती के रूप में, व्यय नियन्त्रण पंजिका में नकारात्मक संख्याओं के साथ पाए गऐ,
- व्यय नियंत्रण पंजिका में, वहां 162 मामलें आबंटित बजट के अधिक बजट शेष रहने के थे,
- छः मामलों में, बिलों की तारीख टोकन की तारीख से बाद की थी,
- 101 मामलों में, बिना औचित्यता अभिलेखित किए वे. एवं ले.का. ने उस राशि का बिल पास किया था जोकि डीलिंग हैन्ड द्वारा पास की गई राशि से ज्यादा थी।

अतः काम्पेक्ट का डाटा विश्वास की कमी तथा असंगततापूर्ण था।

### 2.5.8.2 मासिक लेखों के संकलन-नियंत्रण की कमी

जैसा कि पहले भी विचार विमर्श किया है, वे. व ले.का. ने (वे. व ले.का.-IV तथा XVI के अलावा) मासिक लेखों का संकलन काम्पेक्ट पर नहीं एम.एस. एक्सैल पर किया। काम्पेक्ट पर प्री-चैक खण्ड से प्राप्ति बाद, एक महीने के पास किए हुए बिलों को डीलिंग हैन्ड्स में बांटा गया। जहां इसे मैनुअली से आबंटित आ.व स.का. तथा लेखा शीर्षों के विरूद्ध एम.एस. एक्सेल में प्रविष्टि किए जाते है। उसके पश्चात आंकड़ों का संकलन मासिक लेखों के निर्माण, एम.एच. 8658-पी.एस.बी., सस्पैन्स (प्राप्ति एवं भुगतान), 8658-वे.व ले.का. सस्पैन्स तथा 8670-सस्पैन्स चैक तथा बिल्स में पडी राशि लेखों में लेने के पश्चात प्राप्तियों व व्ययो (केन्द्र व राज्य दोनो) का सन्तुलन करने के लिए किया जाता है। लेखों का बराबर व्यय तथा प्राप्ति शेषों से मिलान होता है। प्राप्तियों व व्यय का मिलान हुआ मासिक लेखा प्र.ले.का. के कान्टैक्ट साफ्टवेयर में विनियोग तथा वित्त लेखों में समाहित करने के लिए प्रविष्ट किया जाता है।

यह पाया गया कि डीलिंग हैन्डस व्यय की राशि लेखा शीर्ष के अन्तर्गत आ.व स.का. द्वारा अभिलेखित बिलों की सूचना के अनुसार प्रविष्ट करता है। यह पाया गया कि आ.व.स.का. द्वारा बिलों के मुख पर जो लेखा शीर्ष अभिलेखित किए संस्वीकृति पत्रों पर से अलग थे। यद्यपि डीलींग हैण्ड द्वारा एकसलशीट में की शुरूआती प्राविष्टि के बाद डाटा प्रोसेस अन्त में स.ले.प.अ; (संकलन) को किया जाता था, पर बाद में मात्र व्यय की सकल राशि को मिलान व जांच काम्पेक्ट तथा एम.एस. एक्सैल के अनुसार करता था तथा प्रत्येक-प्रत्येक प्रविष्टि की जांच नहीं करता था। जैसाकि अगर संबंधित काम करने वाला व्यक्ति व्यय को लेखे के गलत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज कर लेता है तो यह स.ले.प.अ./वे. व .ले.अ. के स्तर पर पला लगे बिना होने का जोखिम है। अतः वहां प्रयोगकर्ताओं द्वारा किया निष्पादन के लिए लेखापरीक्षा जवाबदेही निर्धारण हेतु लेखापरीक्षा ट्रेल की कमी था।

मासिक खातों का संकलन करते समय, वे.व ले.का. का संबंधित आ.व स.का. के साथ मिलान ट्रासंफर प्रविष्टि इत्यादि से भिन्नता या अनियमितता को सही करने हेतू लाया गया। तथापि मार्च 2013 के माह के लिए लेखापरीक्षा द्वारा बिलों का एक क्रास सत्यापन किया गया, जो चयनित आ.व स.का. से संबंधित डीलींग हैन्डस द्वारा वे. व

ले.का. में एम-एस एक्सैल शीट में बनाई प्रविष्ठियों के साथ दर्शाता है कि चार मामलें जहां बुक हुए लेखा शीर्षों में आ.व.स.का. द्वारा प्रस्तुत बिलों के अनुसार, भिन्नता थी। संस्वीकृति आदेश, तथा वास्तविक बुक किए गऐ वे. व ले.का. में (**अनुलग्नक**-2.5.5), जिसकी संबंधित वे. व ले.का.[35] पुष्टि कर चुका था। वे. व ले.का.-VI ने लेखापरीक्षा को संबंधित अभिलेख क्रास सत्यापन के लिए प्रदान नही किए।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि विद्यमान संस्वीकृति प्रक्रिया तथा एक्सल में बिल इन्द्राज मैनुअल है और यह ऐसा था कि निश्चित गलतियॉ की गई थी जो बाद में लेखों के मिलान पर सही कर दी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि उपरोक्त चार मामलों में गलत वर्गीकरण की गलती लेखों के मिलान पर भी पता नहीं चल सकी।

### 2.5.9 निष्कर्ष

रा.रा.क्षे.दि.स. की लेखा इकाई में काम्पेक्ट के द्वारा कम्प्यूटरीकरण की प्रस्तुति के 10 वर्ष से ज्यादा बीत जाने पर भी व्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता से कार्यरत नहीं थी। जो सॉफ्टवेयर प्रयोग में था वे. व ले.का. की प्रायोगिक आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं था। अनुप्रयोग द्वारा जनित ऑकडों की सीमाए तथा व्यवस्था में कमियॉ, परिणामस्वरूप वैकल्पिक मैनुअल अनुप्रयोगो का विकास तथा बहुत अधिक मात्रा में कार्य मैनुअली होता रहा। मूल रूप में लेखापरीक्षा की कमी साथ ही साथ वैकल्पिक विकसित मैनुअल अनुप्रयोगों ने प्रयोगकर्ताओं के द्वारा निष्पादित कार्यवाही हेतु उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना कठिन बना। वहां बैक-अप, आपदा रिकवरी तथा व्यापार निरन्तरता, परिवर्तित प्रबन्धन, सूचना प्रौद्यौगिकी सम्पदा तक भौतिक तथा तार्किक पहुंच इत्यादि के संबंध में कोई दस्तावेजी नीति नहीं थी।

### 2.5.10 सिफारिशें

विभाग को प्रयास करने चाहिए:

- प्र.ले.का. की आवश्यकताओं के अनुसार तथा लेखों के द्विभाजन के आधार पर कॉन्टैक्ट सॉफ्टवेयर के लिए काम्पेक्ट सॉफ्टवेयर से विषयक फाईल उत्पन्न करना,
- पब्लिक सैक्टर बैंक से प्राप्ति-स्क्रोल की सॉफ्ट कॉपी उत्पन्न करना ताकि प्राप्ति के आंकड़ें काम्पेक्ट पर अपलोड किए जा सकें,
- सभी व्यापार नियमों का मानचित्रकरण सुनिश्चित करना कम्प्यूटरीकृत वातावरण में तथा काम्पेक्ट सॉफ्टवेयर में बाकि बचे हुए लक्षणों का कम्प्यूटरीकरण करना ताकि कम से कम मैनुअल हस्तक्षेप आवश्यक हो,
- सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों से संबंधित ऑकडों की काम्पेक्ट सॉफ्टवेयर में आवश्यक तौर पर प्रविष्टी,
- वे. व ले.का. के स्टॉफ तथा सहायक प्रोग्रामरों प्रयोग में सॉफ्टवेयर के सभी लक्षणों का प्रभावी प्रयोग हेतु नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना, और
- ऑकडों के बैक-अप, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, आपदा रिकवरी तथा आंकडों के बदलने या व नष्ट करने तथा अप्राधिकृत पहुँच रोकने हेतु सुदृढ़ भौतिक पहुँच तथा तार्किक पहुँच नियंत्रणों के लिए सुगठित नीति तैयार करना।

लेखापरीक्षा उपलब्धियों को नवम्बर 2013 में सरकार के पास भेजा गया, उनके जवाब प्राप्त नहीं हुए (फरवरी 2014)।

[35] वे. व ले.का- XV एवं वे. व ले.का.- XXIII

# अध्याय-III
# अनुपालना लेखापरीक्षा

# अध्याय-III
# अनुपालना लेखापरीक्षा

## सहकारी सोसायटियों के विभाग

### 3.1 रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

**रजिस्ट्रार ने पंजीकृत सहकारी सोसायटियों के वर्षवार ब्यौरों का अनुरक्षण नहीं किया था। उन सोसायटियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जो अपने लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करने, कॉपरेटिव शिक्षा फण्ड के अंशदान, वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन, वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने, निर्वाचन कराए जाने इत्यादि में असफल रही। सोसायटियों में निवेशित शेयर पूँजी तथा बकाया ऋणों की वसूली किए जाने को सुनिश्चित नहीं किया गया था। एस.ई.ई.एफ. फण्ड का वित्तीय प्रबन्धन भी दोषपूर्ण पाया गया था।**

यह लेखापरीक्षा जिसमें रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रा.रा.क्षे, दिल्ली सरकार की वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि को सम्मिलित किया गया है, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण में विभाग के निष्पादन का निर्धारण करने के लिए आयोजित किया गया। नीचे महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा उपलब्धियाँ दी गई है:

#### 3.1.1 पंजीकृत सोसायटियों का अविश्वसनीय डाटाबेस

दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 4(1) तथा 7(1) विभिन्न प्रकार की सोसायटियों को रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराने का प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्नलिखित अनियमितताओं को दर्शाया:

- रजिस्ट्रार ने पंजीकृत सहकारी सोसायटियों के लिए प्रपत्र 4 में पुस्तिका या इलैक्ट्रानिक किसी भी रुप में भी वर्षवार पंजिका का अनुरक्षण नही किया, जबकि दि.स.सो. नियम, 2007 के नियम 7 के अन्तर्गत ऐसा करना अपेक्षित है। तथापि विभाग के कम्प्यूटर स्कन्ध द्वारा प्रदत्त डाटा के अनुसार, 31 मार्च 2013 तक विभाग के अन्तर्गत 5558 सहकारी सोसाइटियाँ पंजीकृत थी। सोसाइटियों को श्रेणीवार स्थिति (**अनुलग्नक 3.1.1**) में दी गई हैं।

विभाग ने जवाब (दिसम्बर 2013) दिया कि सभी क्षेत्रीय प्रभारियों को प्रपत्र 4 में तुरन्त प्रभाव से मैनुअल/इलैक्ट्रानिक रजिस्टर का अनुरक्षण आरम्भ किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

- 66 सोसाईटियों को जिन्हें विभाग ने ऋण दिया था और 121 गैर सरकारी सोसाइटियों को जिनमें विभाग ने पूर्व में अंश पूंजी में निवेश किया था, 5558 सोसायटियों के डाटाबेस में सम्मिलित नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए अगस्त 1970 में पंजीकृत की गई दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड जिसमें विभाग ने ₹ 30.26 रोड़ का निवेश किया था, डाटाबेस में नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 1784 सोसाइटियाँ (1063 क्रियाशील और 721 निष्क्रिय) 1 जनवरी 1974 को पंजीकृत दर्शाई गई, तथा इन सोसाइटियों के तत्संबंधी कोई अभिलेख विभाग के पास नही थे। इस प्रकार की सोसायटियों के लिए किसी अभिलेख की अनुपस्थिति में विभाग

के द्वारा इन 1063 सहकारी सोसायटियों के द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी हेतु अपनाई गई क्रियाविधि को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

विभाग ने जबाव (दिसम्बर 2013) दिया कि उन सभी सोसायटियों जिनमें ऋणों/पूंजी निवेश किया था का पता लगाया गया तथा सभी क्षेत्रीय प्रभारियों को इन मामलों में वसूली कार्रवाई किए जाने तथा डाटाबेस का अद्यतन किए जाने के लिए एक संकलित सूची दी गई हैं।

- जैसाकि केवल कुछ ही सोसाइटियाँ वार्षिक प्रतिवेदन (आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है) नियमित रूप से प्रस्तुत कर रही थीं, यह आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता था कि डाटाबेस मे क्रियाशील दर्शाई गई 3822 सोसाइटियाँ वास्तव में क्रियाशील है और काम कर रही है।

- निरन्तर, तीन वर्षों तक निष्क्रिय रहने वाली सोसायटी को 'निष्क्रिय सोसायटी' के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाना अपेक्षित है, 2009-10 से 2011-12 के दौरान 415 सहकारी सोसाइटियाँ निरन्तर तीन वर्षों तक निष्क्रिय थीं, परन्तु उन्हें 2012-13 के दौरान निष्क्रिय के रुप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग द्वारा रख रखाव की जा रही पंजीकृत सोसायटियों के डाटा बैंक सही स्थिति नहीं दर्शाते।

विभाग ने जवाब (दिसम्बर 2013) दिया कि वार्षिक आधार पर दोषपूर्ण सोसइटियों को मैनुअल/सिस्टम जेनेरिटिड नोटिस की प्रस्तावना के लिए उनके कार्यकारी स्थिति को दिखाते हुए पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिटर्न/रिपोर्ट की वर्तमान क्रियाविधि का पुनरीक्षण किया जाएगा।

### 3.1.2 सोसाइटियों को परिसमाप्त न किया जाना

अधिनियम की धारा 94 निर्धारित करता है कि आवास निर्माण सहकारी सोसाइटी के मामले में, जिसमें सभी भूखण्ड उसके सदस्यों को आवंटित किए गए हैं और आधारभूत नागरिक सेवाएँ एक स्थानीय नागरिक निकाय को स्थानांतरित की गई है, रजिस्ट्रार को ऐसी सहकारी सोसाइटी को 60 दिनों का नोटिस देने के बाद उसको परिसमाप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए। ऐसे मामले में, जहाँ भूमि को निरंतर पट्टा आधार पर दिया गया है, परिसमाप्त करने से पूर्व पट्टेदार की पूर्व सहमति आवश्यक है। ऐसे मामले में जहाँ सोसाइटी को स्कूल सामुदायिक केन्द्र, औषधालय इत्यादि चलाने के लिए भूमि प्रदान की गई है, तो यदि सोसाइटी का सामान्य निकाय निवासियों के लाभ हेतु इन गतिविधियों को चलाने का निर्णय लेता है, तो ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने ऐसे कोई आंकड़े संकलित नहीं किए थे। तथापि उसने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि अधिकांश आवास निर्माण सोसाइटियों में, नागरिक सेवाएँ पहले ही स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं किन्तु सोसाइटियों को उनके पट्टेदारों (एल.एण्ड.डी.ओ/दि.वि.प्रा) की सहमति के बिना परिसमाप्त नहीं किया जा सकता था। तथापि वह पट्टेदारों से कोई पत्राचार प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसमें धारा 94 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मिलित सोसाइटियों को परिसमाप्त करने हेतु उनकी सहमति माँगी गई हो। अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा में परिसमाप्त की जाने योग्य सोसाइटियों की संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

अपने जवाब में विभाग ने कहा (दिसम्बर 2013) कि डाटा के संकलन तथा पट्टेदार के साथ की गई कार्ड़वाई के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा उपलब्धियों की शीघ्रता से अनुपालना की जाएगी।

### 3.1.3 2010-11 से 2012-13 के दौरान नए पंजीकरण

2010-11 से 2012-13 के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा 92 सहकारी सोसाइटियाँ पंजीकृत की गई, इनमें से लेखापरीक्षा में परीक्षण हेतु 46 सोसाइटियों (50 *प्रतिशत)* का चुनाव किया गया। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए 44 मामलों के अभिलेखों के परीक्षण से निम्न तथ्य सामने आए:

**3.1.3.1 सहकारी सोसाइटियों के पंजीकरण में अनियमितताएँ:** अधिनियम की धारा 5 निर्धारित करती है कि एक प्राथमिक सहकारी सोसाइटी के मामले में प्रत्येक सदस्य एक भिन्न परिवार का सदस्य होगा। नियम 5(1) (न) प्रत्येक संप्रवर्तक सदस्य से शपथ पर इस आशय की घोषणा की अपेक्षा करता है कि वह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र में शामिल किसी अन्य संप्रवर्तक सदस्य के परिवार का सदस्य नहीं है। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि 13 मामलों में 92 सदस्य सम्बन्धी थे। तीन सोसाइटियों में, पति और पत्नी दोनों अथवा पिता/माता व पुत्र प्रबंध समिति में पदासीन थे। इस प्रकार, विभागों के सम्बन्धित डिविजनों के कर्मचारियों ने ब्यौरों की जांच पड़ताल किए बिना सोसाइटियों के पंजीकरण की सिफारिश की थी।

विभाग ने अपने उत्तर मे कहा (दिसम्बर 2013) कि लेखापरीक्षा उपलब्धियों को सुधारकारी उपायों जैसे क्षेत्रीय सहायक रजिस्ट्रारों को सम्बंधित सोसाइटियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के अतिरिक्त आवेदन पत्रों की यथोचित संवीक्षा करने हेतु निर्देश जारी करने के लिए नोट कर लिया गया हैं।

**3.1.3.2 नई सहकारी सोसाइटियों के पंजीकरण में विलम्ब:** अधिनियम की धारा 9 में उपबन्ध है कि पंजीकरण हेतु आवेदन को प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर निपटा देना चाहिए। यदि 90 दिनों के भीतर आवेदन का निपटान करने में असमर्थ हो तो, रजिस्ट्रार सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसा किए जाने की उसकी असमर्थता के कारण बताए गए हो तथा सरकार उसे इस प्रकार के आवेदनों के निपटान के लिए अधिकतम अतिरिक्त 90 दिनों की अनुमति प्रदान कर सकती है। तथापि 44 सोसाइटियों में से 36 सोसाइटियाँ 477 दिनों तक के विलम्ब से पंजीकृत की गई थी तथा रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया था जिसमें सरकार से समयावधि बढ़ाने की मॉग की गई हो। विभाग ने अपने जवाब में (दिसम्बर 2013) में बताया कि दि.स.स. अधिनियम में निर्धारित मानकों के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदनों के निपटान के संबंध में सावधानी तथा समय पर अनुपालना किए जाने के लिए लेखापरीक्षा उपलब्धियों को नोट कर लिया गया है।

### 3.1.4 लेखों की लेखापरीक्षा

#### 3.1.4.1 सहकारी सोसाइटियों द्वारा लेखापरीक्षित लेखों का प्रस्तुत न किया जाना

समुचित एवं समय पर लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है कि सहकारी सोसाइटियों का प्रबन्ध सहकारिता सिद्धान्तों एवं विवेकपूर्ण वाणिज्यिक पद्धतियों के अनुसार किया जाए। अधिनियम के प्रावधान यह अपेक्षा करते हैं कि निर्धारित तिथि से या वर्ष के लिए (अर्थात् 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

30 अप्रैल) अपने लेखे तैयार करने के 120 दिनों के भीतर अपने लेखों की लेखापरीक्षा वार्षिक रूप से विभाग द्वारा गठित पैनल से एक लेखापरीक्षक द्वारा करानी होगी और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिन सहकारी समितियों ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत नहीं किया, उनकी प्रतिशतता कुल क्रियाशील सोसाइटियों का 59 से 64.23 *प्रतिशत* के बीच थी। विभाग ने पंजीकृत सोसाइटियों से लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने का मुद्दा उठाने का कोई प्रयत्न नहीं किया, जबकि 2007-12 के दौरान 11382 लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए। चूककर्ता सोसाइटियों के विरूद्ध ₹ 1500 प्रतिवर्ष की दर से, जैसा कि नियम 167 के अन्तर्गत निर्धारित है, ₹ 1.71 करोड़ का अर्थदण्ड/जुर्माना नहीं लगाया गया। यह सोसाइटियों द्वारा लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत किया जाना तथा चूककर्ता सोसाइटियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निगरानी प्रणाली के अभाव की ओर संकेत करताहै।

जहाँ लेखापरीक्षित लेखे प्राप्त हुए भी, वहाँ विभाग के पास इन सोसाइटियों की कार्य पद्धति में कमियाँ पहचानने और अधिनियम की धारा 62 और 67 के अनुसार उपचारात्मक कार्यवाही हेतु इन प्रतिवेदनों की समीक्षा हेतु कोई तन्त्र नहीं था।

विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2013) में बताया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुवीक्षण हेतु प्रभावी क्रियाविधि बनाने, दोषपूर्ण मामलों इत्यादि के मामलों में जुर्मानों की उगाही से सम्बन्धित लेखापरीक्षा उपलब्धियों को सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने हेतु नोट कर लिया गया है।

### 3.1.4.2 लेखापरीक्षित लेख प्रस्तुत न करने पर पंजीकरण निरस्त न किया जाना

अधिनियम की धारा 20(5) में अनुबन्धित है कि ऐसी कॉपरेटिव सोसाइटियों के मामलें में जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है अथवा कोई वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग निरन्तर पाँच वर्षों से नहीं की गई है, ऐसी सोसाइटियों को निरस्त मान लिया जाएगा तथा बताए गए पाँच वर्षों की अवधि के समाप्त होने पर कारपोरेट निकाय के रूप में बन्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त धारा 60(6) में अनुबन्धित है कि रजिस्ट्रार समय पर लेखापरीक्षा नहीं करवाने वाली कॉपरेटिव सोसाइटियों की लेखापरीक्षा करवाएगा तथा कमेटी के चूक करने वाले अधिकारियों पर शुल्क भारित करेगा जिसकी वसूली उसी प्रकार की जाएगी जैसे भूमि राजस्व के रूप में वसूली की जाती है। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि 2007-12 के दौरान 1871 सोसाइटियों के लेखों की एक बार भी लेखापरीक्षा नहीं हुई। अतः इन 1871 सोसाइटियों को भंग कर देना चाहिए था और अधिनियम की धारा 20(5) के अनुसार वर्ष 2012-13 में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए था, तथापि विभाग ने उनका पंजीकरण निरस्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की और उन्हें अपने क्रियाकलापों को जारी रखने की अनुमति दी। विभाग ने लेखापरीक्षा आयोजित कराने और समिति के चूककर्ता अधिकारियों पर शुल्क प्रभारित करने हेतु धारा 60(6) के प्रावधानों का आह्वान नहीं किया।

विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2013) में बताया कि अधिकतर सोसाइटियों ने परिसम्पतियाँ तथा बाह्य देयतायों को नियत किया हुआ था, इसलिए उनको भंग नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने आगे कहा (दिसम्बर 2013) कि जहाँ कही भी धारा 60(6) के प्रावधानों की पालना की जा सकेगी तथा अधिनियम

की धारा 20(5) के अधीन उचित तथा सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने संबंधित लेखापरीक्षा उपलब्धियों को नोट कर लिया गया है।

### 3.1.5 सहकारी शिक्षा निधि (स.शि.नि.)

अधिनियम की धारा 55 यह निर्धारित करती है कि सहकारी सोसाइटी किसी भी वर्ष में उसके शुद्ध लाभ में से लाभ का इतना हिस्सा स.शि.नि. में जमा करेगी, जितना स.शि.नि. नियमों में निर्धारित किया जाए, जो पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त 74(1) अनुबन्धित करता है कि प्रत्येक कॉपरेटिव सोसाइटी सी.ई.एफ. के अंशदान के रूप में प्रत्येक वर्ष के निबल लाभ का दो *प्रतिशत* की परिकलित राशि अधिकतम पचास हजार को क्रेडिट करेगा। इस निधि को सहकारिता शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अन्य सहकारिता विकास गतिविधियाँ करने हेतु दिल्ली राज्य सहकारी संघ और दिल्ली राज्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र को सहायता अनुदान हेतु उपयोग किया जाएगा। 2010-13 के दौरान विभाग ने स.शि.नि. को अंशदान के रुप में ₹ 3.35 करोड़ प्राप्त किए और इसी अवधि के दौरान निधि में से ₹ 2.28 करोड़ व्यय किए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि विभाग ने सोसाइटियों द्वारा स्वैच्छिक रुप से जमा की गई धनराशि का लेखा-जोखा रखा, उनके पास इस फंड में अंशदान करने वाली सोसायटियों के ब्यौरे नहीं थे।

### 3.1.6 सहकारी सोसाइटी की अन्य वैधानिक बाध्यताएँ

पंजीकृत सोसाइटियों को कुछ निश्चित वैधानिक बाध्यताओं की पूर्ति करना आवश्यक है, जैसाकि अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट है। सोसाइटियों द्वारा वैधानिक बाध्यताओं की पूर्ति की नीचे चर्चा की गई है:

#### 3.1.6.1 वार्षिक सामान्य निकाय बैठक (सा.नि.बै.)

धारा 31(1) के अनुसार प्रत्येक सोसाइटी वर्ष के लिए अपने लेखे तैयार करने के 180 दिनों की अवधि के भीतर अपनी गतिविधियों के कार्यक्रम, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखों, इत्यादि के अनुमोदन हेतु अपने सदस्यों की एक सामान्य निकाय बैठक आयोजित करेगी। विभाग ने ऐसी सोसाइटियों के किसी अभिलेख का रखरखाव नहीं किया था, जिन्होंने सा.नि.बै. का आयोजन नहीं किया, जैसा कि निर्दिष्ट है। विभाग इन बैठकों का आयोजन कराने हेतु धारा 31(2) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने में भी असफल रहा।

अपने जवाब में विभाग ने स्वीकार (जुलाई 2013) किया कि सभी सोसायटियों की सांविधिक गतिविधियों के अनुवीक्षण की कोई कार्यप्रणाली नहीं थी तथा विभाग में जनशक्ति की बहुत कमी को इसका कारण बताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा (दिसम्बर 2013) कि वार्षिक रिर्टनों की मैनुअल/कम्प्यूटर पर आधारित अनुवीक्षण किए जाने की कार्यप्रणाली वा.सा.बैं. के लिए डाटा बेस बनाने की कार्यप्रणाली, तथा दोषपूर्ण सोसायटियों को नोटिस जारी करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गयाहै।

#### 3.1.6.2 सोसाइटियों द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल किया जाना

सभी सोसाइटियाँ विभाग को वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत करती थीं, जैसा कि अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अपेक्षित था को सुनिश्चित करने की कोई क्रियाप्रणाली नहीं थी। 2010-11 में क्रियाशील सोसाइटियों में से मात्र 10.32 *प्रतिशत* और 2011-12 में 19.74 *प्रतिशत* ने वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत की। विभाग ने

विवरणियाँ प्रस्तुत करने हेतु चूककर्ता सोसाइटियों के साथ यह मुद्दा उठाने का कोई प्रयत्न नहीं किया।

विभाग ने अपने जवाब मे बताया (दिसम्बर 2013) कि दोषपूर्ण सोसायटियों को मैनुअल/सिस्टम जेनेरेटिड नोटिस जारी करने के द्वारा प्रभावी अनुवीक्षण प्रणाली को अपनाया जाएगा।

### 3.1.6.3 सोसाइटियों द्वारा चुनाव आयोजित किया जाना

अधिनियम की धारा 34 तथा 35 के अन्तर्गत सभी सहकारी सोसाइटियों को सा.नि.बै. आयोजित करने की तिथि पर चुनाव आयोजित करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ऐसी सोसाइटियों के अभिलेखों का रखरखाव नहीं कर रहा था जिनकों चुनाव आयोजित करवाने थे परन्तु आयोजित नहीं किए गए। नौ क्षेत्रों में से मात्र एक क्षेत्र उन सोसाइटियों की संख्या बता पाया जिसने 2010-11 से 2012-13 की अवधि में चुनाव आयोजित कराया था।

विभाग ने समर्थित की जा रही लेखापरीक्षा उपलब्धियों के जवाब में बताया (दिसम्बर 2013) कि अधिनियम की धारा 34 तथा 35 के अधीन आने की कार्रवाई किए जाने के लिए मैनुअल/सिस्टम जेनेरिटिड नोटिस के द्वारा सुधारात्मक/उपचारी कार्यवाही किए जाने के लिए प्रभावी अनुवीक्षण प्रणाली को अपनाया जाएगा।

### 3.1.7 सहकारी सोसाइटियों का बकाया ऋण

रा.रा.क्षे.दि.स. सहकारी सोसाइटियों को सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के माध्यम से ऋण प्रदान करती है जिसे 5.25 से 12.5 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ 10 समान किश्तों में पुनर्भुगतान किया जा सकता है। चूक के मामले में सामान्य दर से 2.75 *प्रतिशत* अधिक की दर से दण्डात्मक ब्याज देय होता है।

सरकार ने 1962 से 2003 के दौरान 257 सोसाइटियों को ₹ 0.96 करोड़ ऋण के रुप में प्रदान किए। 31 मार्च 2013 तक ₹ 2.29 करोड़ (मूलधन– ₹ 0.64 करोड़ और ब्याज ₹ 1.65 करोड़) अभी वसूला जाना शेष था तथा विभाग ने ₹ 2.29 करोड़ के बकाया ऋणों की वसूली का कोई प्रयत्न नहीं किया।

विभाग ने अपने जवाब में बताया (अगस्त 2013) कि नोटिस/सम्मन जारी करने की प्रक्रिया स्टाफ की कमी के कारण विलम्बित हुई और वसूली विशेषतः दिसम्बर 2006 में उपनिदेशक (नियोजन) की सेवानिवृत्ति के बाद बाधित हो गई। आगे बताया गया (दिसम्बर 2013) कि लेखा परीक्षा प्राप्तियों के अनुसार ऐसी सभी चूककर्ता सोसायटियों की सूची को संकलित कर लिया गया है तथा उसे क्षेत्रीय सहायक रजिस्ट्रार्स/सहायक कलेक्टर्स को वसूली किए जाने के लिए भेज दिया गया है तथा उसकी प्रगति पर नियमित रुप से अनुवीक्षण किया जाएगा।

### 3.1.8 अंश पूंजी निवेश

सरकार ने मार्च 1958 से फरवरी 1994 के दौरान 15 वर्षों की अवधि के लिए 606 सहकारी सोसाइटियों में अंश पूंजी के रुप में ₹ 1.59 करोड़ का निवेश किया था। जिसमें से ₹ 1.59 करोड़ के निवेश के विरुद्ध विभाग मार्च 2013 तक ₹ 24.20 लाख की ही वसूली कर पाया था, शेष बिना वसूले रह गए ₹ 1.35 करोड़ परिणामस्वरूप अवरोधित हुए।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि चूककर्ता सोसायटियों से ₹ 1.35 करोड़ में से ₹ 55 लाख की वसूली नहीं की जा सकी थी जिसकी सूची को वसूली किए जाने के लिए संकलित कर दिया गया है तथा शेष ₹ 80 लाख जिसे दिल्ली राज्य

सहकारी बैंक में निवेश किया गया था जहाँ से विभाग द्वारा ₹ 10 लाख का वार्षिक लाभांश प्राप्त किया जा रहा था। तथ्य बताते है कि 2013 तक विभाग ने ₹ 55 लाख की बकाया राशि की वसूली किए जाने के प्रयत्न नहीं किए थे।

### 3.1.9 निपटान एवं कार्यान्वयन व्यय शुल्क निधि (नि.का.व्य.शु.नि.)

नियम 164(3) एक नि.का.व्य.शु.नि. के सृजन का उपबन्ध करता है जिसका प्रबंधन तथा नियंत्रण एक समिति करेगी जिसका अध्यक्ष रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी होगा तथा आठ सदस्य (दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक विक्रय केन्द्र लि., उप विकास आयुक्त, प्रत्येक से एक सदस्य और रजिस्ट्रार कार्यालय से चार पदेन सदस्य) होगें। रजिस्ट्रार को विवादों के अभिनिर्देश के कारण उद्ग्रहणीय शुल्क[1] को इस निधि में जमा करना चाहिए और विवादों के अभिनिर्देश से सम्बन्धित सभी व्यय इस निधि में से भुगतान करने चाहिए।

### 3.1.9.1 निधियों का खराब वित्तीय प्रबंधन

नियमों के अनुसार, नि.का.व्य.शु.नि. को समिति द्वारा प्रबंधित तथा नियंत्रित किया जाना था परंतु 2010-13 के दौरान इसकी कोई बैठक नहीं हुई। अधिशेष निधि के निवेश सहित सभी वित्तीय निर्णय रजिस्ट्रार के अनुमोदन से किए गए। लेखापरीक्षा में नि.का.व्य.शु.नि. का खराब वित्तीय प्रबंधन पाया गया क्योंकि वास्तविक आवश्यकता से अधिक पर्याप्त अधिशेष बचत/चालू बैंक खाते में निष्प्रयोज्य पड़े थे। सभी व्यय की पूर्ति करने के बाद औसत मासिक व्यय 2010-13 के दौरान औसत मासिक व्यय के 24 से 53 गुणा के बीच था। 31 मार्च 2013 को नि.का.व्य. शु.नि. में ₹ 18.51 करोड़ का संचित अधिशेष था। विभाग ने बताया (जुलाई 2013) कि वह समिति की एक बैठक आयोजित करने जा रहा है और अब तक किया गया संपूर्ण व्यय समिति के समक्ष रखा जाएगा। हालाँकि उत्तर में समिति की बैठक और व्यय के अनुमोदन के लिए किसी निर्धारित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया।

### 3.1.9.2 नि.का.व्य.शु.नि. के लिए वार्षिक लेखे तैयार न किया जाना

विभाग ने अगस्त 2013 तक ''नि.का.व्य.शु.नि.'' के वार्षिक लेखे अर्थात प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलनपत्र तैयार नहीं किए थे। अभिलेखों की जाँच में पता चला कि रोकड़ बही के अंत शेषों का बैंक विवरणों से समाधान करने हेतु विभाग द्वारा बैंक समाधान विवरण भी तैयार नहीं किए जा रहे थे। वार्षिक लेखों एवं बैंक समाधान विवरण न होने से लेखापरीक्षा द्वारा निधि में अधिशेष की परिशुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

[1] निर्णीत ऋणियों से वसूली अधिकारी द्वारा वसूली गई सभी धनराशियों पर 5 प्रतिशत

### 3.1.9.3 रोकड़ बही और बैंक विवरण में अधिशेषों के बीच अन्तर

2010-11 से 2012-13 की अवधि हेतु नि.का.व्य.शु.नि. के रोकड़ बहियों और बैंक विवरणों के परीक्षण में रोकड़ बही और बैंक विवरणों[2] में दर्शाए गए अधिशेषों के बीच ₹ 1.11 रोड़ का अन्तर पाया गया यहाँ समाधान की आवश्यकता है।

विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2013) कि पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय की सूची प्रक्रियाधीन थी। लेखों की लेखा परीक्षा के लिए एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर ली गई है जो नि.का.व्य.शु.नि. में शेषों की परिशुद्धता को सुनिश्चित किए जाने के लिए लेखों के समाधान कार्य को भी करेगा।

### 3.1.10 जन शिकायत निवारण प्रणाली–मध्यस्थता कार्यवाहियों के निपटान में देरी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक बड़ी संख्या में विवाद वार्षिक रुप से पंजीकृत कराए जाते और निपटान हेतु मध्यस्थों को अभिनिर्देशित किए जाते हैं। 2012-13 के दौरान निपटान के लिए पंजीकृत किए गए 3894 मामलों में से 2302 मध्यस्थों को अभिनिर्देशित किया गया और 1592 मामले सहायक रजिस्ट्रारों के पास मध्यस्थों को अभिनिर्देशित करने हेतु निर्णय के लिए लम्बित थे।

धारा 70 एवं 71 के साथ पठित नियम 84 और 85 के अनुसार रजिस्ट्रार विवाद मध्यस्थ को अभिनिर्देशित करने के बारे में 90 दिनों के भीतर निर्णय करेगा और मध्यस्थ अपना अधिनिर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर दर्ज करेगा और इसे पक्षों को सूचित करेगा। मध्यस्थ पंजिका में सांख्यिकीय आँकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि विवादों का निपटान 180 दिनों के भीतर नहीं किया गया जैसाकि अनुबंधित था। अप्रैल 2012 से सितम्बर 2012 के दौरान थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट तथा बैंकिग सोसाइटियों के दायर किए गए विवादी मामलों तथा निपटारे के लिए मध्यस्थ को भेजे गए विवादों से सम्बन्धित आंकड़ो को आगे दर्शाया गया है:

| अप्रैल से सितम्बर 2012 के दौरान पंजीकृत किए गए मामले | वापिस लिए गए/निरस्त किए गए मामलों की संख्या | मध्यस्थता कार्रवाई के लिए धारा 71 के अधीन फैसले हेतु भेजे गए मामलों की संख्या | धारा 70 तथा 71 के अधीन 180 दिनों की अनुबन्धित अवधि से अधिक विलम्ब से रखे मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1560 | 350 | 1210 | 460 |

यह देखा गया कि यहाँ 180 दिनों की अनुबंधित अवधि से अधिक 460 मामलों (38 *प्रतिशत)* में विलम्ब हुआ। विलम्ब की श्रेणी 242 दिनों तक थी। डाटा के विश्लेषण ने आगे दर्शाया कि इन 460 मामलों में 71 मामलों में विलम्ब 90 से 200 दिनों के मध्य था, नौ मामलों में विलम्ब 200 दिनों से अधिक था तथा शेष रह गए 380 मामलों मे विलम्ब 180 दिनों की अनुबंधित अवधि से अधिक 90 दिनों तक था।

विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2013) कि वर्तमान में मध्यस्थों के पैनल में मुख्य रूप से सरकारी/स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल थे जोकि मध्यस्थता के मामलों तथा लेखापरीक्षा उपलब्धियों से पूरी तरह अनभिज्ञ तथा

---

2

| चालू खाता | | | | बचत खाता | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| इस दिनांक को शेष | रोकड़ बही के अनुसार राशि | इस दिनांक को शेष | रोकड़ बही के अनुसार राशि | इस दिनांक को शेष | रोकड़ बही के अनुसार राशि | इस दिनांक को शेष |
| **31-3-2011** | 22084011 | 15320650 | (-)6763361 | 3361470 | 4770200 | 1408730 |
| **31-3-2012** | 29082200 | 15410915 | (-)13671285 | 6809286 | 4836877 | (-)1972409 |
| **31-3-2013** | 23992130 | 13147752 | **(-)10844378** | 3882939 | 3604912 | **(-)278027** |

परिचित नहीं थे, विभाग द्वारा भविष्य में शीघ्र ही सूची में दिए गए मध्यस्थों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

## 3.2 दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन

**दिसंबर 2013 तक 37 में से आठ सरकारी अस्पतालों में अग्नि शमन अनुभाग द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं थे। अग्निशमन उपकरणों का अक्रियाशील रहना एवं तहखानों का अनुचित उपयोग देखा गया। चुने हुए अस्पतालों में न तो अग्नि सुरक्षा के ऊपर कर्मचारियों का प्रशिक्षण और ना ही दिल्ली अग्निशमन सेवा की मदद से नमूना ड्रिल कराये गये।**

लेखापरीक्षा 2010-13 की अवधि के लिए संचालित की गई ताकि यह तय किया जा सके कि क्या सरकारी अस्पतालों ने आग लगने कि स्थिति से जूझने एवं रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये है। लेखापरीक्षा ने 37 सरकारी अस्पतालों में से उन 10 अस्पतालों[3] का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा के लिये किया जिन्हें दिल्ली अग्निशमन सेवा (दि.अ.श.से) ने एन.ओ.सी. जारी नहीं किए। लेखापरीक्षा के निम्नलिखित निष्कर्ष हैः

### 3.2.1 रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अस्पताल भवनों में अग्नि सुरक्षा की संवीक्षा

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग (स्वा.एवं प.क.वि.) ने सभी सरकारी अस्पतालों के उनके अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने के लिए कदम उठाने के निर्देश जारी किए (16 दिसम्बर 2011) एवं दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम के अनुसार भवन के मालिक अथवा उपयोगकर्ता की जिम्मेदरियों जैसे अग्नि सुरक्षा प्रबंधों, अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति इत्यादि से संबंधित प्रावधानों के लिए धारा 29 (जी), 31 एवं 34 की अनुपालना नोट करने को कहा। विभाग ने अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों एवं लो.नि.वि. के कार्मिकों की अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्थिति की संवीक्षा की। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने दिसंबर 2011 में सभी 37 अस्पतालों में निरीक्षण किया एवं आवश्यक मानकों की पूर्ति के आधार पर 21 अस्पतालों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए। जबकि छः अस्पतालों को दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता से छूट दी गई, 10 अस्पतालों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किये गए क्योंकि वे तय सुरक्षा मानकों का पालन करने में असफल रहे।

### 3.2.2 चयनित अस्पतालों में एन.ओ.सी. की वर्तमान स्थिति

दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भवन अथवा परिसर के मालिक या प्रयोगकर्त्ता को अनापत्ति प्रमाणपत्र उस शर्त के साथ जारी करेगा जो कि अनापत्ति प्रमाणपत्र में अनुपालना हेतु निर्दिष्ट किए गए है। अस्पताल भवनों के लिए धारा 36 के अनुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता तीन वर्ष है। दिल्ली अग्निशमन सेवा अस्पतालों का निरीक्षण विभिन्न समयान्तरालों पर कर रहा था एवं अग्नि सुरक्षा मानकों के संबंध में नोटिस, निर्देश तथा चेतावनी जारी कर रहा था। पुराने तथा विद्यमान अस्पतालों में कमियाँ मुख्यतः आग से जूझने वाली प्रणाली, जैसे अग्नि

[3] लेकनायक अस्पताल, गुरु तेगबहादुर अस्पताल, गोबिंद बल्लभ पंत अस्पताल, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल, मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान, मातृत्व अस्पताल, आचार्य भिक्षु अस्पताल, डा.बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नेहरु होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गुरूनानक नेत्र केंद्र

पंप, डिटेक्शन प्रणाली, स्प्रिंकलर प्रणाली, अग्निशामकों, निकास चिह्नों इत्यादि तथा आवश्यक मार्गो, रैम्पों एवं अग्नि रोकथाम दरवाजे आदि के काम न करने के कारण थी। कुछ विशिष्ट विवरण इस प्रकार है:

दिसंबर 2012 में दिल्ली अग्निशमन सेवा ने मातृत्व अस्पताल में पाया कि सीढियों की चौड़ाई आवश्यक 2 मी. की जगह 1.4 मी. थी। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने (जून 2013) में प्रथम तथा द्वितीय तल में रिफ्यूज क्षेत्र के निर्माण की शर्त में छूट दे दी। जबकि डा.बी.आर.सुर होम्योपैथी कॉलेज एवं अस्पताल तथा नेहरू होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल के मामले में मुख्य पूँजीगत प्रकृति के कार्य कराए जाने आवश्यक थे। मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान के मामले में सीएचआरआई, रुड़की या किसी प्राधिकृत लैब द्वारा अग्नि निरोधक दरवाजे तथा स्टील दरवाजे के लिए प्रमाणपत्र एन.ओ.सी. के लिए आवश्यक था। इन कमियों को दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों एवं लो.नि. विभागों को सूचित किया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के निरीक्षण के बावजूद आठ चयनित अस्पताल अनापत्ति प्रमाणपत्र (जनवरी 2014) प्राप्त कर नहीं सकें। लेखापरीक्षा के दौरान, दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल को 29 जुलाई 2013 को तथा मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान को 27 नवंबर 2013 को मानकों के पूरे किए जाने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। शेष आठ अस्पतालों द्वारा अभी भी जनवरी 2014 तक शर्ते पूरा करना शेष था।

### 3.2.3 अस्पतालों के भौतिक निरीक्षण में पाई गई कमियॉ

बिल्डिग बाईलॉज एवं नेशनल बिल्डिग कोड ऑफ इंडिया (2005) तथा डी.एफ.एस. अधिनियम की धारा 25 से 27 एवं 32 से 35 के प्रावधानों के अंतर्गत दि.अ.से. से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए 20 न्यूनतम शर्ते है जिनका अनिवार्य रुप से पालन किया जाना चाहिए। 10 चयनित अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधों की स्थिति का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने इन 20 न्यूनतम अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं को विस्तृत रुप से तीन वर्गों में बाँटा– (i) आधारभूत एवं पूँजीगत कार्य (ii) प्रचालन एवं रखरखाव मामले तथा (iii) सामान्य जागरुकता। वास्तविक दौरों के दौरान पायी गयी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वा.एवं प.क. विभाग को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु प्रेषित कर दिया गया था। विभाग ने अस्पतालों के जवाबों को संलिप्त किया। जवाबों के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी बहुत सी कमियों/आपत्तियों को संबंधित अस्पतालों द्वारा दूर कर लिया गया था। लेखापरीक्षा ने वास्तविक स्थिति के सत्यापन हेतु अस्पताल का पुन: दौरा किया तथा वे कमियां जिनमें अभी भी सुधार किया जाना है कि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

### 3.2.4 आधारभूत तथा पूँजीगत कार्य

अग्नि सुरक्षा से संबंधित आधारभूत संरचनाएँ और पूँजीगत कार्यों को तीन समूहों जल प्रबंधन, आंतरिक संरचना और अतिरिक्त कार्यों में बाँटा गया है। अस्पतालों के प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान इन समूहों के अन्तर्गत पायी गयी कमियों और दोषों को अनुवर्त्ती सब पैराग्राफ में वर्णित किया गया है:

**3.2.4.1 जल प्रबंधन:** इस समूह के अन्तर्गत जल नलिका, वेट राइजर, डाउन कमर, होजरील, स्प्रींकलर, भूमिगत जल टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक आदि आवश्यकताएँ होती है जिनका निम्न मामलों में ध्यान नहीं दिया गया है।

- भूमिगत जल टैंक खाली पाये गए (डॉ बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल) इनकी नियमित रुप से सफाई नहीं की थी (गुरू नानक नेत्र केन्द्र और जी.बी. पंत अस्पताल) तथा इनका इस्तेमाल पीने के उद्देश्य से किया जा रहा था। (जी.टी.बी. अस्पताल और गुरु नानक नेत्र केन्द्र)।
- गुरू नानक नेत्र केन्द्र में जल नालिका और वेट राइजर भूमिगत जल टैंक से जुड़े हुए नहीं थे।
- जी.टी.बी. हॉस्पिटल में होजरील को पानी के हाईड्रेण्ट के साथ नही रखा गया था एवं हाईड्रेण्ट के नल के नोजल टुटे हुए थे या अधिकांश जगहों से गायब पाये गए।
- गुरु नानक नेत्र केन्द्र और जी.टी.बी हॉस्पिटल में यही टैंक सामान्य कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे थे।
- मातृत्व अस्पताल के पंप रुम के डी जी सेट कार्य नही कर रहे थे।

अपने उत्तर में, स्वा.एवं प.क. विभाग ने अस्पताल के उत्तरों को लेखापरीक्षा को पृष्ठांकित कर दिया (18 दिसम्बर 2013)। जीटीबी अस्पताल ने कहा कि सभी कार्य प्रगति पर हैं। डा. बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, मातृत्व अस्पताल तथा गुरू नानक नेत्र चिकित्सालय ने सूचित किया कि मामले को लो.नि.वि. के साथ उठाया गया है।

**3.2.4.2 आंतरिक संरचना:** इसके अन्तर्गत सीढियाँ (आंतरिक एवं बाह्य), रैम्प, शुद्ध वायु निकास तंत्र, रिफ्यूज क्षेत्र, निचला तल प्रबंधन और अग्नि जाँच दरवाजे आते है।

- मातृत्व हॉस्पिटल में निकास और प्रवेश द्वार, आंतरिक और बाह्य सीढ़ियाँ जरुरत से छोटे आकार के थे एवं प्रथम एवं दूसरे तल पर लोगों के निकास हेतु रिफ्यूज क्षेत्र उपलब्ध नहीं थे।
- मातृत्व हॉस्पिटल में अग्नि सुरक्षा दरवाजे नहीं थे।
- लोक नायक हॉस्पिटल एवं जी.बी. पंत हॉस्पिटल में भूमिगत तल का प्रयोग दवाओं के स्टोर रुम, रसायनों, सामान्य मदें और फर्निचरों के रखने हेतु किया जा रहा था। बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में इसका प्रयोग ऑक्सीजन सिलेन्डर के स्टोर, ओ.पी.डी एवं फार्मेसी उद्देश्यों हेतु किया जा रहा था।
- जी.टी.बी. हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर ब्लॉक का रैम्प वे बंद था और आंतरिक सीढ़ियों को यू.पी.एस. के द्वारा बाधित किया गया था।

मातृत्व हॉस्पिटल ने कहा कि उप-राज्यपाल ने सीढ़ियों की चौड़ाई कम करने में छूट प्रदान कर दी है तथा अन्य मामलों को लो.नि.वि. को संदर्भित किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह छूट प्रथम एवं द्वितीय तल पर आश्रय क्षेत्र के प्रावधानों के आधार पर प्रदान की जाती है जो कि इसका पालन नहीं करता है। बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल ने स्वीकार किया कि भू-तल का प्रयोग ओ.पी.डी. एवं फार्मेसी चलाने के लिये किया जा रहा था साथ ही कहा कि आक्सीजन सिलेंडर तथा अन्य सिलेंडरों को भूखण्ड से हटाने की प्रक्रिया चल रही है।

**3.2.4.3. अतिरिक्त कार्य:** अतिरिक्त कार्य के अन्तर्गत सतर्कता तंत्र, जन जागरूकता तंत्र, धुआं जॉच यंत्र और निवास एवं प्रवेश द्वार तक पहुँच आदि आते हैं।

- जन सूचना तंत्र एवं धुआँ जाँच यंत्र जी.टी.बी, हॉस्पिटल के द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गए थे।
- डां.बी.आर. सुर होमियोपैथिक मैडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जन सूचना तंत्र पर कार्य प्रगति पर था।
- नेहरू होमियोपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल में सतर्कता तंत्र और धुआँ जाँच यंत्र कार्य नहीं कर रहे थे।
- लोक नायक हॉस्पिटल में एकल पथ वे द्वारा सभी तलों को जोड़ने के कार्य के साथ–साथ अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर था।

अपने उत्तर में हॉस्पिटल ने कहा कि जन सूचना तंत्र प्रणाली तथा धुआं जॉच यंत्र उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर था (जीटीबी हॉस्पिटल), मामले को कार्यवाही हेतु लो.नि.वि. को संदर्भित कर दिया गया (डा.बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल)। नेहरू होम्योपैथिक कालेज एवं हॉस्पिटल ने कहा कि मामला लो.नि.वि./दिल्ली अग्निशमन सेवा से संबंधित है जब उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी इसे सूचित कर दिया जायेगा। यह हॉस्पिटल में अग्नि सुरक्षा प्रावधानों पर लापरवाहीपूर्ण रवैये को दर्शाता है।

### 3.2.5 संचालन और रख–रखाव

बिल्डिंग/भवन के सुरक्षित रख–रखाव के लिए पोर्टेबल फायर एक्सटींग्यूसर, सिग्नेज, पार्टीसन फायरमैन स्वीच, वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति लटके हुए विद्युत तारों के वाहिकायें, सर्किट ब्रेकर, आपातकालीन प्रकाश आदि आते है। प्रत्यक्ष निरीक्षण में निम्न कमियाँ पायी गई।

- जी.टी.बी. हॉस्पिटल, नेहरू होमियोपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल में लगभग 10% ए.बी.सी.[4] फायर एक्सटींग्यूसर या तो खाली थे या दोषप्रद थे।
- सभी 10 चयनित अस्पतालों में आग बुझाने की सामग्री से संबंद्ध (जल और गैस दोनों प्रकार की) आवधिक जांच की कोई लिपिबद्ध पुस्तिका नहीं थी।
- जी.टी.बी हॉस्पिटल, डॉ.बी.आर. सुर हॉस्पिटल और नेहरु होमियोपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल में पथ संकेतक उपलब्ध नहीं थे।
- नेहरु होमियोपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल में (आग की स्थिति में लिफ्ट को जमीन पर लाने के लिए आवश्यक) फायरमैन स्वीच उपलब्ध नही थे।
- गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में विद्युत वाहिकायें समुचित रुप में नहीं थे।

अपने उत्तर में, जी.टी.बी. हॉस्पिटल ने कहा कि खाली फायर एक्सटींग्यूसर को पुनः भरने के लिये भेज दिया गया है तथा संकेतक तथा विद्युत वाहिकायें उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। नेहरू होम्योपैथी कालेज एवं हॉस्पिटल तथा डॉ. बी.आर. सुर हॉस्पिटल ने कहा कि ये मामले आवश्यक कार्यवाही हेतु लो.नि.वि. को प्रेषित कर दिये गये है।

---

[4] (i) वर्ग ए फायर एक्सटींग्यूसर –यह लकड़ी, कागज, कपड़े, प्लास्टिक इत्यादि से लगने वाली अग्नि के लिये प्रयुक्त होते हैं।
(ii) वर्ग बी फायर एक्सटींग्यूसर – यह ज्वलनशील लिक्विड फायर जैसे कुकिंग लिक्विड, गैसोलीन, किरोसीन, पेंट इत्यादि के प्रति प्रभावी है।
(iii) वर्ग सी फायर एक्सटींग्यूसर – यह जीवित विद्युत उपकरणों में अग्नि से बचाव के लिये उपयुक्त हैं।

### 3.2.6 सामान्य जागरुकता

कर्मचारियों और आम जनता को आग से सुरक्षा की जरुरतों को समझाना सामान्य जागरुकता की आधारभूत संरचना होती है। इसे ट्रेनिंग, पोस्टरों, पुस्तिकाओं और छदम अग्नि ड्रिल के जरिए बताया जा सकता है। फिर भी किसी भी चयनित हॉस्पिटलों में कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा का प्रशिक्षण नही दिया गया था। दिल्ली अग्निशमन सेवा की मदद से किए जाने वाले छदम अग्नि ड्रिल भी नहीं कराये गए थे।

### 3.2.7 अन्य अभियुक्तियां

दिल्ली अग्नि सेवा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता से छूट पाये हुये छः अस्पतालों में से पॉच अस्पतालों (बे.जे.आर.एम. अस्पताल, अतर सेन नेत्र चिकित्सालय, डॉ. एन.सी. जोशी अस्पताल, ए. एवं यू. तीबिया कालेज एवं अस्पताल तथा पुअर हाऊस अस्पताल) का ही लेखापरीक्षा ने प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण किया और पाया किः

- अतर सेन नेत्र चिकित्सालय में वॉटर हाइड्रेंस लगाये जाने के छः महीने बाद भी यह चालू नही किये गए।
- बाबू जगजीवन राम अस्पताल में बैटरी उपलब्ध न कराये जाने के कारण जन जागरुकता प्रणाली चालू नही थी।
- ए. एवं यू. तिबिया कॉलेज एवं अस्पताल में कोई अग्नि अलार्म प्रणाली नहीं थी। महिला एवं पुरूष वार्डों में फायर एक्सर्टिगिजर नहीं थे।
- डॉ. एन. सी. जोशी मैमोरियल हॉस्पिटल में अग्नि अलार्म प्रणाली नहीं थी तथा 13 फायर एक्सर्टिगिजर खाली थे।
- पुअर हाउस अस्पताल में कोई फायर एक्सटींग्यूसर या डिवाइस/उपकरण अग्नि सुरक्षा प्रबंधन हेतु नहीं थे।

## 3.3 दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 करोड़ का अधिक भुगतान

**जल भण्डारण तंत्र (जं.भ.तं.)/जल संशोधन संयंत्र (ज.सं.सं.) स्थापित करने पर ₹ 2.61 करोड़ के व्यय के बावजूद दिल्ली सरकार के चिकित्सालय अपने पानी के बिलों पर 15 *प्रतिशत* की छूट प्राप्त करने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।**

दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) ने दिसम्बर 2009 में सरकारी संस्थाओं/कार्यालयों को, जल भण्डारण तथा/या अपशिष्ट जल पुनःचक्रण को अपनाने पर जनवरी 2010 से पानी के बिलों पर 15 *प्रतिशत* छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने मार्च 2010 में चिकित्सालयों के सभी चिकित्सा अधीक्षकों को जल भण्डारण तंत्र (जं.भ.तं.), जल पुनःचक्रण संयंत्र (ज.सं.सं.) का प्रतिष्ठान करके 15 *प्रतिशत* छूट का लाभ उठाने हेतु दि.ज.बो. के आदेशों को पृष्ठांकित किया।

सात चिकित्सालयों[5] (2010-13) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच में पता चला कि जल भण्डारण तंत्र/जल संशोधन संयंत्र स्थापित करने पर ₹ 2.61 करोड़ के व्यय के बावजूद ये चिकित्सालय अप्रैल 2010 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान अपने

[5] (i) चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, (ii) डॉ हेडगेवर आरोग्य संस्थान, (iii) गुरू गोबिन्द सिंह राजकीय चिकित्सालय, (iv) गुरू तेग बहादुर चिकित्सालय, (v) लोक नायक चिकित्सालय, (vi) महर्षि बाल्मिकी चिकित्सालय, एवं (vii) सुपर स्पेसिलिटी चिकित्सालय, जनकपुरी

पानी के बिलों पर 15 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 7.28 करोड़ की छूट प्राप्त करने में असफल रहे। विस्तृत विवरण **अनुलग्नक 3.3.1** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के (जून/जुलाई 2013) में सात चिकित्सालयों ने कहा (सितंबर/अक्टूबर 2013) कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से पानी के बिलों पर 15 *प्रतिशत* की छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।

अतः जं.भ.तं./ज.सं.सं. स्थापित करने पर ₹ 2.61 करोड़ के व्यय के बावजूद दिल्ली सरकार के चिकित्सालयों ने पानी के बिलों पर 15 *प्रतिशत* की छूट नहीं प्राप्त की जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 रोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

मामला सरकार को अगस्त 2013 में भेजा गया परंतु उत्तर (फरवरी 2014) तक प्रतीक्षित था।

## 3.4 लोक नायक अस्पताल

### आर्थोपेडिक ब्लॉक के निर्माण तथा सम्बन्धित उपकरणों की खरीद पर ₹ 20.66 करोड़ की निधियों का अवरोधन

लोक नायक अस्तपताल ने मार्च 1997 में आर्थोपेडिक रोगियों के इलाज हेतु एक पृथक आर्थोपेडिक ब्लॉक (भवन) के निर्माण का निर्णय लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने नवम्बर 1997 में अस्पताल में आर्थोपेडिक ब्लॉक के निर्माण हेतु ₹ 18.60 रोड़ की व्यय की स्वीकृति प्रदान की।

निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) को नवम्बर 1997 में सौंपा गया। तत्पश्चात्, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने अप्रैल 1998 में इस परियोजना को एक उच्च प्राथमिकता का स्थान प्रदान किया और इस भवन को हाई-टेक परियोजनाओं में सम्मिलित किया। अतः कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन एवं अतिरिक्त कार्य के कारण प्रशासकीय अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति की धनराशि बढ़ाकर नवम्बर 1999 में ₹ 34.50 करोड़ और फरवरी 2008 में आगे बढ़ाकार ₹ 45.88 करोड़ कर दी गई।

भवन के पूर्ण होने की लक्षित तिथि मार्च 2009 थी परन्तु इसे अस्पताल द्वारा दो वर्षों के विलम्ब के बाद जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया इस भवन की कुल लागत ₹ 34.41[6] करोड़ थी।

आर्थोपेडिक ब्लॉक में भू-तल के अतिरिक्त सात तल है और प्रत्येक तल पर तीन विंग ए, बी और सी है। 24 ब्लॉकों में से 13 ब्लॉक (54.16 *प्रतिशत*) नवंबर 2013 तक खाली पड़े हुये थे।

यह भी पाया गया कि अस्पताल ने मार्च 2009 में ₹ 1.72 करोड़ की आर्थोपेडिक ऑपरेशन टेबलें खरीदी और ये टेबलें अभी तक नवम्बर 2013 अर्थात खरीद के चार वर्षो के बाद भी भण्डारण गृह में अप्रयुक्त पड़ी थीं। अस्पताल में एक्स-रे कमरों में शीशों की परत लगाने हेतु भी ₹ 30.00 लाख का व्यय (दिसम्बर 2009) भी किया गया परन्तु नवम्बर 2013 तक इनका प्रयोग नहीं हो रहा था।

अस्पताल ने रोगियों हेतु आर्थोपडिक ब्लॉक में सात, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स (ओ.टी.) प्रतिष्ठापित करने का निर्णय लिया (मई 2011)। इन मॉड्यूलर ओ.टी. की अनुमानित लागत, ₹ 4.61 करोड़ थी, जोकि तदन्तर में बढ़कर ₹ 8.11 करोड़ हो

[6] सिविल कार्य ₹ 25 करोड़ तथा इलैक्ट्रिक कार्य ₹ 9.41 करोड़

गई। यह पाया गया है कि मॉड्यूलर ओ.टी. नवम्बर 2013 तक प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे।

मुख्य सचिव रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने फरवरी 2012 में आर्थोपेडिक ब्लॉक के दूसरे तल पर स्पोर्टस इंजरी एवं रीहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना हेतु अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया परन्तु यह सेन्टर अभी तक (मार्च 2014) स्थापित नही किया गया है।

इस प्रकार, भवन का बड़ा भाग अप्रयुक्त ही पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरूप भवन के निर्माण, आपरेशन टेबलों की खरीद तथा एक्स-रे कक्षों में शीशों की परत लगाने में व्यय की गयी ₹ 20.66[7] करोड़ की निधियों का अवरोध हुआ।

लो.ना. अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने कहा (नवम्बर 2013) कि सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के साथ हुई बैठक में निश्चित किया गया है कि पूरा आर्थोपेडिक ब्लॉक एक आर्थेपेडिक-सह-ट्रोमा सुविधा के रुप में चलाया जायेगा जिसमें आपरेशन थियेटर, आई.सी.यू. और रेडियोलाजिकल सुविधायें सम्मिलित होगी। सिर्फ स्पोर्टस इन्जरी सेन्टर से संबंधित प्रस्ताव को अस्थायी रुप से रोका गया है क्योंकि ट्रामा प्राथमिकता पर है। इस कार्य के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति को सम्मिलित करते हुये एक संशोधित प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजा जा रहा है।

निर्णय में लगातार परिवर्तन होने के कारण आर्थोपेडिक ब्लॉक, इसके निर्माण के दो वर्ष बीत जाने तथा ₹ 20.66 करोड़ के व्यय के बाद भी नवंबर 2013 तक आंशिक रुप से ही क्रियाशील था।

मामला सितम्बर 2013 को विभाग को प्रेषित किया गया परंतु उत्तर (जनवरी 2014) तक प्रतिक्षित था।

## 3.5 निधियों का अवरोधन एवं व्यर्थ व्यय

**पश्चिमी तथा पूर्वी दिल्ली में दो सुपर स्पेशिलटी अस्पताल के निर्माण व प्रचालन पर ₹ 191.80 करोड़ की निधियों का अवरोधन तथा ₹ 80.20 लाख का अपव्यय जिन्हें रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं कर सकी।**

रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने दो सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, पूर्वी दिल्ली, ताहिरपुर में - 650 बैड वाले राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (आरजीएसएस एच) एवं जनकपुरी पश्चिमी दिल्ली में 300 बैड वाले जनकपुरी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल (जेएसएसएच) को क्रमशः ₹ 86.66 करोड़ तथा ₹ 70.26 करोड़ की लागत पर निर्माण कराने का निर्णय लिया।

दि.वि.प्रा. ने आरजीएसएसएच के निर्माण हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 6.00 करोड़ की लागत पर 5.39 हेक्टेयर भूमि आबंटित की (जनवरी 1999)। ₹ 86.66 करोड़ की प्रशासकीय मंजूरी और व्यय की संस्वीकृति दिसम्बर 2000 में जारी की गई। कार्य प्रारंभ तथा पूर्ण होने की निर्धारित तिथियॉ क्रमश: जनवरी 2001 और जनवरी 2004 थीं, तथापि निर्माण कार्य जुलाई 2013 तक पूर्ण नहीं हो पाया।

[7] कुल 24 ब्लॉकों में 13 खाली ब्लॉकों की अनुपतिक निर्माण लागत ₹ 18.64 करोड़ + आर्थोपेडिक टेबल की लागत ₹ 1.72 करोड़ + एक्स-रे कक्षों में शीशे लगवाने की लागत ₹ 0.30 करोड़ = ₹ 20.66 करोड़

एक अन्य मामले में दि.वि.प्रा. ने रा.रा.क्षे.दि.स. पश्चिमी दिल्ली में ₹ 1.18 रोड़ की लागत पर एक 100 बैड वाले कैंसर अस्पताल के निर्माण हेतु 8.82 एकड़ भूमि आबंटित की (जनवरी 1993)। यद्यपि रा.रा.क्षे.दि.स. ने कैंसर अस्पताल के बजाय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (अर्थात् जेएसएसएच) के निर्माण का निर्णय लिया (नवम्बर 1996)। तथापि अस्पताल का निर्माण कार्य जून 2003 (भूमि के क्रय से 10 वर्ष बाद) में प्रारंभ किया गया और वास्तविकता में मार्च 2007 में ₹ 71.95 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया।

ठन दोनों अस्पतालों हेतु पीपीपी मॉडल के संकल्पना हेतु अप्रैल 2008 में एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया और परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु ₹ 80.60 लाख का व्यय किया गया। परामर्शदाता ने व्यवहार्यता रिपोर्ट अगस्त 2008 में सौंपी उसने आबंटन पत्र के उपबन्ध 1(vi) को इंगित किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि दि.वि.प्रा. ने इन अस्पताल को भूमि इस शर्त पर प्रदान की थी कि रा.रा.क्षे.दि.स. को दि.वि.प्रा. की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना स्थल या किसी भवन को संपूर्णत: या उसका कोई भाग बेचने, हस्तांतरित करने, सौंपने या किसी अन्य तरीके से उसका अधिकार त्यागने की अनुमति नहीं है परंतु सरकार ने परामर्शदाता की अभ्युक्तियों पर ध्यान नहीं दिया और इन अस्पताल को पीपीपी मॉडल पर चलाने के प्रस्ताव पर कार्य आरंभ कर दिया।

जुलाई 2009 में, रा.रा.क्षे.दि.स. ने निर्णय लिया कि आरजीएसएसएच का शेष कार्य, जिसमें अस्पताल की सेवाएं सम्मिलित हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। अत: आरजीएसएसएच का निर्माण कार्य रोक दिया गया और लो.नि.वि. को निर्माण कार्य "जहॉ है जैसा है" के आधार पर समय पूर्व समाप्त करने को कहा गया (सितम्बर 2009)। कार्य की समय पूर्व समाप्ति के समय, ₹ 153.68 करोड़ की संशोधित लागत (अप्रैल 2013) के प्रति ₹ 110.67 रोड़ की लागत से 98 *प्रतिशत* सिविल और 75 *प्रतिशत* विद्युत कार्य पूर्ण कर लिया गया था।

इसी बीच आरजीएसएसएच ने सितम्बर 2003 में भूमि तल पर निर्मित क्षेत्र के एक भाग में ओपीडी सेवाएँ आरंभ कीं परंतु इन्हें चिकित्सकीय व परचिकित्सकीय स्टॉफ के अभाव में रोक देना पड़ा। ओपीडी सेवाएँ सितम्बर 2008 में पुन: आरंभ की गई। जबकि अस्पताल ने वर्ष 2004-07 के दौरान ₹ 2.00 करोड़ के उच्च गुणवत्ता वाले सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय उपकरण खरीदे। चूंकि केवल ओपीडी सेवायें संचालित थीं, ₹ 1.34 करोड़ के चिकित्सा उपकरण गुरू तेग बहादुर अस्पताल को अस्पताल की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना स्थानांतरित कर दिए गए (अप्रैल 2005 से मई 2010)।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने पीपीपी मॉडल पर अस्पताल के संचालन तथा प्रबंधन हेतु निजी भागीदार (रियायत पाने वाला) को दोनों स्थल सौंपने हेतु माननीय उप–राज्यपाल (उ.रा.) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2010)। उ.रा. और भूमि उपयोग के परिवर्तन हेतु दि.वि.प्रा. के समक्ष इस मामले को (नवम्बर 2010) उठाया जिसे दि.वि. प्रा. ने स्पष्टतः ठुकरा दिया।

पुनः रा.रा.क्षे.दि.स. ने लो.नि.वि. को आरजीएसएसएच के बचे हुए निर्माण कार्य को पूर्ण करने को कहा (अप्रैल 2013) और एक संशोधित प्रशासकीय अनुमोदन तथा ₹ 153.68 रोड़ की व्यय संस्वीकृति का अनुमोदन अप्रैल 2013 मे कैबिनेट द्वारा दिया गया परंतु शेष भाग का निर्माण कार्य मार्च 2014 में निर्माणाधीन था।

अत: एक स्पष्ट दृष्टि, वास्तविक आवश्यकताओं का विश्लेषण और एक सुसंगठित नीति व योजना के अभाव में ₹ 191.80[8] करोड़ के निवेश एवं एक परामर्शदाता की सेवाओं पर ₹ 80.20 लाख के अपव्यय के बावजूद रा.रा.क्षे.दि.स. इन अस्पतालों को कार्यशील नहीं कर पाई।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने प्रारंभ में अस्पताल को पीपीपी मॉडल पर स्थापित करने की योजना बनायी थी परंतु दिनांक 12 जून 2012 के कैबिनेट के निर्णय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अस्पताल को एक सोसइटी के द्वारा चलाया जाना चाहिये। अतः इस अस्पताल को चलाने व इसके प्रबंधन के लिये सितंबर 2013 में आर जी एस एस एच सोसाइटी बनायी गयी। जेएसएसएच में सोसाइटी के निर्माण के संबध में उत्तर में कुछ नही कहा गया है।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि दोनो ही अस्पताल सिर्फ सीमित ओपीडी सेवायें उपलब्ध करा रहे है तथा नीतियों में लगातार परिवर्तन होने के कारण यह अभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नही कर रहे है।

## 3.6 लोक नायक अस्पताल में अस्थायी विद्युत कनेक्शन के नियमितीकरण न करने के कारण ₹ 4.63 करोड़ का अधिक व्यय

**अस्थायी विद्युत कनेक्शन के नियमितीकरण हेतु दिल्ली अग्नि शमन सेवा से अपने नए भवन खण्डों हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में लोक नायक अस्पताल और लोक निर्माण विभाग की ओर से ढिलाई के परिणामस्वरूप ₹ 4.63 करोड़ का अधिक व्यय**

लोक नायक अस्पताल (अस्पताल) ने लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के माध्यम से चार नए न्यू-सर्जिकल ब्लॉक, कैजुअल्टी ब्लॉक, स्पेशल वार्ड व ओपीडी का निर्माण कराया। लो.नि.वि. द्वारा कैजुअल्टी ब्लॉक अस्पताल को मई 2007 में सौंपा गया था।

चूँकि संस्वीकृति विद्युत भार और विद्युत उप-केन्द्र की क्षमता इन नए भवन खण्डों की अतिरिक्त विद्युत मॉग की आपूर्ति नहीं कर सकते थे, इसलिए अस्पताल ने विद्युत वितरण कंपनी अर्थात् बीएसईएस से जनवरी 2008 में चिकित्सा अधीक्षक लोक नायक अस्पताल के नाम से एक 4000 कि.वो.ए. का नया अस्थायी विद्युत कनेक्शन लिया। टैरिफ अनुसूची के अनुसार, अस्थायी विद्युत कनेक्शन के माध्यम से विद्युत आपूर्ति पर उच्च दर प्रभारित की जाती है।

बीएसईएस के अनुसार, एक भवन का विद्युत कनेक्शन तभी नियमित किया जा सकता है जब उस भवन के संबंध में दिल्ली अग्निशमन सेवाओं से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (अ.प्रण्द्ध प्राप्त हो जाए। चूंकि अस्पताल के सिविल तथा विद्युत कार्यों का रखरखाव लो.नि.वि. का उत्तरदायित्व है, इसलिए अस्पताल ने कार्यपालक अभियंता (ई.), एम-151, लो.नि.वि. को दिल्ली अग्निशमन सेवा से अ.प्र. प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने व नए विद्युत कनेक्शन को नियमित कराने हेतु अनुरोध किया (दिसम्बर 2011)। अस्पताल ने फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 में अनुस्मारकों के माध्यम से इस मामले का अनुकरण किया। इसके उत्तर में, सहायक अभियंता (ई.) बी-2441 ने सूचित किया (जून 2013) कि दिल्ली में अग्निशमन सेवा के कार्मिकों ने नए भवन खण्डों का निरीक्षण (जून 2013) में किया और इसमें कई कमियॉ इंगित की गई जैसे (i) तलघर में सीढ़ी के दरवाजे पर

[8] भूमि की लागतः आर.जी.स.स.च. और जे.ल.स.च. हेतु क्रमशः ₹ 6.00 करोड़ और ₹ 1.18 करोड़, निर्माण की लागतः आर.जी.स.स.च. और जे.स.स.च. की क्रमशः ₹ 110.67 करोड़ व ₹ 71.95 करोड़ और चिकित्सा उपकरणः आर.जी.स.स.च. का ₹ 2.00 करोड़

ताला लगा था, (ii) प्रत्येक मंजिल पर लिफ्ट लॉबी अवरूद्ध थी, (iii) तलघर का रैंम्प अवरूद्ध था तथा (iv) प्रत्येक तल पर आपातकालीन सीढ़ियाँ पुराने फर्नीचर से अवरूद्ध थी।

लो.नि.वि. (इलैक्ट्रीकल) ने अस्पताल को पुन: सूचित किया (सितम्बर 2013) कि विद्युत कार्यों से संबंधी कमियों को दूर कर दिया गया है और सिविल कार्यों हेतु सिविल विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अत: दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा इंगित की गई कमियों को पूर्ण रूप से लो.नि.वि. द्वारा सुधारा नहीं गया था और आवश्यक अ.प्र. की अब भी प्रतीक्षा थी (सितम्बर 2013)। परिणामस्वरूप सितम्बर 2013 तक अस्थायी विद्युत कनेक्शन को नियमित नहीं किया जा सका और हास्पिटल के पास बीएसईएस की ऊँची दरों पर ऊर्जा प्रभार अदा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था।

यद्यपि अस्थायी विद्युत कनेक्शन जनवरी 2008 में, दो ब्लॉकों का निर्माण क्रमश: 2002 एवं 2006 में पूरा हो जाने के बाद लिया गया था परंतु अस्पताल ने लो.नि.वि. से दि.अ. से. द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये दिसम्बर 2011 में आग्रह किया था। विद्युत बिलों की लेखापरीक्षा जॉच में पता चला कि अस्पताल मई 2008 से अस्थायी विद्युत कनेक्शन से खपत की गई बिजली से अधिक ऊर्जा प्रभार अदा कर रहा था और जुलाई 2013 तक बीएसईएस को ₹ 4.63[9] करोड़ की अधिक धनराशि अदा कर चुका था।

इस प्रकार लोकनायक अस्पताल तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली अग्निशमन सेवाओं से अपनी नई बिल्डिंग के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किए जाने तथा उसका अस्थायी बिजली कनैक्शन को नियमित किए जाने में शिथिलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.63 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

मामला विभाग को जनवरी 2014 में भेजा गया था परंतु (फरवरी 2014) तक उत्तर प्रतीक्षित था।

## उद्योग विभाग

## दिल्ली इन्स्टीटयूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग

### 3.7 अतिरिक्त ब्याज अर्जन के सुअवसर का खोना

**इन्स्टीट्यूट में फण्ड प्रबन्धन प्रक्रिया के न होने के परिणामस्वरूप ₹ 0.49 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज प्राप्ति के सुअवसर का खोना**

सोसाइटिज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अनुसार दिल्ली सुलभ कार्यशैली तथा उत्तम समन्वय के लिए दिल्ली इन्स्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग (सोसाइटी) को नवम्बर 2007 में टूल कक्ष तथा प्रशिक्षण केन्द्र सोसायटी और हाई टैक वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्र सोसायटी को मिलाकर गठित किया गया था। सोसायटी का गठन टूल मेकिंग तथा टूल–डिजाईनिंग जैसे डाई, मौल्डस, प्रेस टूल्स, जिग्स, फिक्सचरस इत्यादि की सप्लाई के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति को आपूर्ति द्वारा माईक्रो, लघु तथा मध्यम वर्ग के उद्योगों के विकास के लिए किया गया।

[9] अस्थायी कनेक्शन तथा नियमित कनेक्शन पर लागू होने वाली दरों के बीच अंतर के कारण यह अंतर 400 इकाई तथा अधिक के खंड पर लागू मई 2008 में 2.39 प्रति इकाई और मार्च 2013 में 1.95 प्रति इकाई के बीच रहा।

मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन के खंड 3 (XII) के अनुसार सोसायटी फण्ड का अनुरक्षण करती है, जिसमें रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा दी गई सभी धन राशियों के साथ-साथ सोसायटियों द्वारा प्राप्त किए गए सभी शुल्क व अन्य प्रभार सम्मिलित होते हैं।

सोसायटी ने 2009-13 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 32 करोड़ की आवर्ती सहायता अनुदान की राशि, वेतन पर आवर्ती व्यय, बिजली, पानी तथा टेलिफोन इत्यादि के लिए प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा प्राप्त किए गए शुल्कों, उपहारों, दान, वसीयतों तथा अन्य प्रभारों के कारण ₹ 7.17 करोड़ के अपने स्वयं के राजस्व भी सृजित किये। 2009-13 की अवधि के दौरान आवर्ती सहायता अनुदान तथा आन्तरिक सृजित राजस्व के वर्षवार ब्यौरे नीचे **तालिका 3.7.1** में दिए गए हैं:

**तालिका 3.7.1**
**आवृति सहायता अनुदान तथा आन्तरिक सृजित राजस्व**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | आरंभिक शेष (क) | वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए स.अ. (ख) | आन्तरिक सृजित राजस्व (ग) | कुल आवर्ती राजस्व (घ=क+ख+ग) | वर्ष के दौरान व्यय (ङ) | अन्तिम शेष (घ–ङ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 1.98 | 7.00 | 1.14 | 10.12 | 8.66 | 1.46 |
| 2010-11 | 1.46 | 7.00 | 1.90 | 10.36 | 9.38 | 0.98 |
| 2011-12 | 0.98 | 8.50 | 1.61 | 11.09 | 10.63 | 0.46 |
| 2012-13 | 0.46 | 9.50 | 2.52 | 12.48 | 11.30 | 1.18 |

*(उपयोगिता प्रमाणपत्रों से लिए गए वर्ष के दौरान व्यय तथा अन्तिम शेष)*

सोसायटी ने मार्च 2009 में रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 3.14 करोड़ का गैर आवृति सहायता अनुदान भी प्राप्त किया। 2009-13 के दौरान की अवधि के प्रति प्राप्त की गई गैर-आवर्ती सहायता-अनुदान तथा किए गए व्यय का वर्षवार ब्यौरा नीचे **तालिका 3.7.2** में दिया गया है:

**तालिका 3.7.2**
**गैर–आवृति सहायता अनुदान**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | आरंभिक शेष (क) | वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए स.अ. (ख) | वर्ष के दौरान व्यय (ग) | अन्तिम शेष (क+ख-ग) |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 3.28 | शून्य | 0.85 | 2.43 |
| 2010-11 | 2.43 | शून्य | 0.45 | 1.98 |
| 2011-12 | 1.98 | शून्य | 1.17 | 0.81 |
| 2012-13 | 0.81 | शून्य | 0.45 | 0.36 |

*(उपयोगिता प्रमाणपत्रों से लिए गए वर्ष के दौरान व्यय तथा अन्तिम शेष)*

उपरोक्त दो तालिकाएँ दर्शाती हैं कि वर्ष 2009-13 के दौरान सोसायटी के पास प्रर्याप्त अव्ययित शेषों के साथ-साथ गैर-आवर्ती सहायता अनुदान थे, एम.ओ.ए. के खंड 3 (XII) के अनुसार, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अधीन सोसाइटी, किसी भी प्रधिकृत प्रतिभूतियों अथवा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा मंजूर किए गए किसी भी तरीके से धन का निवेश करती, जोकि तत्काल आवश्यक नहीं था।

लेखापरीक्षा में जबकि यह देखा गया कि, अव्ययित शेषों, जो तत्काल आवश्यक नहीं थे बैंक के बचत खाते में रखे हुए थे तथा सोसायटी ने एम.ओ.ए .के खंड 3 (XIII) के अनुसार उनको निवेश किए जाने का कोई प्रयास नहीं किया था। एम. ओ.ए. के अनुसार सोसायटी फण्ड प्रबन्धन प्रणाली का सही अनुसरण कर के अव्ययित शेषों को बैंक बचत खातों में रखने के बजाए फलैक्स डिपोजिप्स टर्म में जमा करा देती तो वह 2009-13 की अवधि के दौरान ₹ 0.49[10] करोड़ के अतिरिक्त देखा गया कि सोसायटी के वित्तिय ब्याज के हित्त के लिए, इन्सीटिटयूट ने वित्तिय समिति अथवा उप–समिति नहीं बनाई थी, जैसाकि सोसायटी की नियमों तथा नियमावली के खंड 46 (XVII) में दिया गया था।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार (जनवरी 2014) किया तथा डी.आई. टी.ई. बैंक बचत खाता के लिए फ्लैक्सी–डिपोजिट सुविधा का आरंभ (अप्रैल 2013) किया तथा अगस्त 2013 से फरवरी 2014 तक की अवधि के दौरान ₹ 7.45 लाख का ब्याज अर्जित किया।

## सेवा विभाग

### 3.8 दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

**बोर्ड ने भर्ती की वार्षिक योजना तैयार नहीं की तथा लक्ष्यों को निश्चति नहीं किया। भर्ती के लिए बहुत बड़ी संख्या में मॉगे अंतिम रूप देने के लिए लंबित थी। यद्यपि बोर्ड के द्वारा मांग की प्राप्ति के 180 दिन के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी की जानी थी किन्तु वह इस निर्धारित अवधि में एक भी मॉग को अंतिम रूप नहीं दे सका।**

2009-10 से 2011-12 की अवधि को कवर करते हुए "दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड" पर लेखापरीक्षा यह देखने के उद्देश्य से की गई कि क्या बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) की आवश्यकता को पूरा कर सका लेखापरीक्षा ने निर्णायक नमूना पर आधारित विस्तृत संवीक्षा के लिए 299 में से 60 माँगों का चयन किया। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

#### 3.8.1 मांगों को अंतिम रूप दिया जाना

**3.8.1.1 वार्षिक योजना तथा लक्ष्यों का अभावः** वार्षिक योजना तथा लक्ष्यों का नियतन एक संगठन के अनिवार्य कार्यों को पूरा करने हेतु कार्यकारियों के हाथों में महत्वपूर्ण प्रबंधकीय उपकरण है। तथापि बोर्ड ने लेखापरीक्षा अर्थात 2009-12 की अवधि के दौरान किसी वार्षिक योजना को तैयार नहीं किया तथा

[10] सोसायटी द्वारा बचत खातों पर 3.5 प्रतिशत की दर से अर्जित किया गया ₹ 0.50 करोड़ के ब्याज की राशि तथा यदि राशि को शॉर्ट टर्म डिपॉजिट/फ्लैक्सी डिपॉजिट में ब्याज की प्रचलित दरों पर जमा किया जाता तो ₹ 0.99 करोड़ के ब्याज का अन्तर (हनि की गणना के लिए 7 प्रतिशत की औसत दर ली गई)

प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को नियत नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 10,959 रिक्तियों वाली 31 माँगें लंबित थी।

बोर्ड ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि इसने अपने योजना एवं सांख्यिकी शाखा को वार्षिक योजना तैयार करने का कार्य सौंपा।

**3.8.1.2 रिक्त पदों की संख्या का निश्चित न किया जाना:** अधिसूचना के पैराग्राफ 4(i) तथा बोर्ड के सिटिजन चार्टर के पैराग्राफ 5(i) के अनुसार अध्यक्ष, समय-समय पर विभागों से ग्रुप 'बी' व 'सी' पदों की संख्या जिनके लिए भर्ती की जानी है, को निश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। तथापि वहाँ कोई अभिलेख नहीं था जिससे पता चल सके कि बोर्ड द्वारा ऐसी कार्यवाही की जा रही थी। यह बोर्ड के प्रभावी तंत्र के अभाव का संकेतक है जिससे इसके भविष्य की गतिविधियों की पूर्वापेक्षा उनको प्राथमिकता देना तथा निष्पादन के बाधित स्तर को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जा सकती है।

**3.8.1.3 मांगों को अंतिम रूप देने में विलंब:** दिनांक 12 मई 2008 के संशोधित प्रस्ताव के पैराग्राफ 3 (क) (iii) के संबंध में बोर्ड के लिए संबंधित विभागों से मांग प्राप्त होने के 180 दिनों की अवधि के लिए चयन प्रक्रिया को पूरा करना तथा उपयुक्त उम्मीदवार की सिफारिश करना आवश्यक है। 2009-12 के दौरान मांगकर्ता विभागों से प्राप्त 19281 पदों के लिए 60 चयनित मांगों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि बोर्ड निर्धारित अवधि के भीतर एक भी मांग को अंतिम रूप नहीं दे सका। चयनित मांगों की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 3.8.1** में है:

**तलिका 3.8.1**
**मार्च 2012 तक प्राप्त 60 चयनित मॉगों की स्थिति**

| क्र. सं. | मांग वर्ष | मांगों / रिक्तियों की संख्या | मांगों की स्थिति | स्थिति (30 सितंबर 2013 को) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | विभाग | विलंब* | |
| | | | | | वर्ष | महीने |
| 1 | मार्च 2008 तक | 4 (102) | एस **- 2 | उत्पादन-शुल्क विभाग तथा मानवीय व्यवहार तथा संबंधित विज्ञान का संस्थान | - | - |
| | | | डब्ल्यू - 2 | जेल महानिदेषक | 2 | 10 |
| 2 | 2008-09 | 9 (382) | एस**- 4 | दिल्ली जल बोर्ड-2 तथा फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला-2 | - | - |
| | | | पी - 5 | दिल्ली नगर निगम-1, | 4 | 11 |
| | | | | एन सी सी-1 तथा डी एस आई डी सी-1, | 4 | 10 |
| | | | | दिल्ली जल बोर्ड-1, | 4 | 7 |
| | | | | दिल्ली जल बोर्ड-1 | 4 | 3 |
| 3 | 2009-10 | 24 (14,389) | एफ - 9 | स्वा.एवं प.क-1, | 2 | 9 |
| | | | | डी.आई.एस.एम.एच.-1 | 2 | 5 |
| | | | | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-2 | 2 | 4 |
| | | | | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-1 | 2 | 2 |
| | | | | शिक्षा विभाग-1 | 1 | 6 |
| | | | | दिल्ली जल बोर्ड-1, | 1 | 4 |
| | | | | दिल्ली परिवहन निगम-1 | 1 | 0 |
| | | | | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-1 | - | - |
| | | | एस**- 2 | शिक्षा विभाग-2 | 2 | 7 |
| | | | डब्ल्यू - 1 | दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पी - 12 | दि.न.नि.-1,<br>षिक्षा विभाग-1<br>दिल्ली जल बोर्ड-1<br>समाज कल्याण-1<br>परिवहन-1<br>डी.टी.टी.ई.-6, दि.ज.बो.-1<br>दि.न.नि.-1 | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | 10<br>9<br>7<br>7<br>1<br>0 |
| 4 | 2010-11 | 14<br>(1,849) | एफ - 2 | शिक्षा विभाग-1 | 2<br>2 | 7<br>0 |
| | | | एस **- 5 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-1<br>न दि न पा-2,<br>दि ज बो-1<br>षिक्षा विभाग-1 | - | - |
| | | | पी -7 | डी.एस.आई.आई.डी.सी-1<br>दि न नि-1, न.दि.न.नि.पा -1<br>दि न नि-1<br>दि न नि-1<br>शिक्षा-2 | 4<br>2<br>2<br>2<br>2 | 10<br>10<br>8<br>6<br>3 |
| 5 | 2011-12 | 9<br>(2,559) | एस **-2 | दि न नि-1, तथा डी एफ एस-1 | - | - |
| | | | पी – 7 | दिल्ली वित्त निगम-1<br>दि न नि-1<br>एफ एस एल - 2, सेवा विभाग-1<br>षिक्षा विभाग-2 | 1<br>1<br>1<br>1 | 9<br>7<br>6<br>1 |

**एस-समाप्त किए गये, डब्ल्यू-वापस लिए गये, पी-लंबित, एफ-अंतिम रूप दिए गये।**
***विलंब की गणना, मांग की प्राप्ति के अगले माह से 180 दिनों के पश्चात् से की गई है।**
****दिनांक 1.6.2012 के उच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत कुल 15 मामले समाप्त किए गए।**

- तालिका से यह देखा गया है कि बोर्ड 3578 पदों के केवल 11 मामलों (18 *प्रतिशत)* को अंतिम रूप दे सका, जिनमें 12 महीनों से 33 महीनों तक का विलंब था। जबकि रिक्तियों के आरक्षण की नीति की अस्पष्टता के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत 1004 पदों के 15 मामले समाप्त कर दिए गए थे, जेल म.नि तथा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने अपनी मांगों को अंतिम रूप देने में बिलंब के कारण अपनी मांगों को वापिस ले लिया। शेष 31 मांगे (52 *प्रतिशत)* जो 2008-12 के दौरान प्राप्त की गईं, तथा उनमें शामिल 12 विभागों से संबंधित 10,959 रिक्तियों को 30 सितंबर 2013 तक अंतिम रूप दिया जाना था। इन मामलों में 13 महीनों से 59 महीनों तक पहले ही विलंब हो चुका था।

बोर्ड ने अपने उत्तर (अक्टूबर व नवम्बर 2013) विलंब के लिए (i) अधिक संख्या में आवेदनों की प्राप्ति, आवेदनों पर कार्रवाई का मैनुअल सिस्टम, 2013 से पूर्व की पुरानी परीक्षा प्रणाली तथा आवेदनों की प्राप्ति के पश्चात् पदों के वर्गीकरण में बदलाव (ii), आवश्यक योग्यताओं में परिवर्तन (iii) भर्ती नियमों में संशोधन (iv), अपूर्ण सूचना/प्रलेख तथा (v) उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी जैसे कारण बताए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि इन सभी मामलों में या तो बोर्ड ने स्वयं दो से तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात् आवश्यक प्रलेखों के लिए पूछा था या विभाग ने भर्ती नियमों अथवा अन्य आवश्यकताओं में परिवर्तन किया। उदाहरण के लिए मांगों को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण शिक्षा विभाग को पूरी तरह से अस्थायी आधार पर गैस्ट टीचर्स की नियुक्ति हेतु बाध्य होना पड़ा।

- अंतिम रूप दिए गए 11 मामलों के संबंध में बोर्ड 7204 उम्मीदवारों की कुल मॉग के प्रति केवल 3578 उम्मीदवारों की डोजियर भेज सका था। बोर्ड ने सूचित किया कि कमी के प्रति कोई नियुक्त उम्मीदवार नहीं पाए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसने इस दावे के समर्थन में प्रलेखित प्रमाण नहीं दिए कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं पाए गए थे।

### 3.8.2 बोर्ड का गठन

अधिसूचना जैसा कि (मई 2008 में संशोधित) की शर्तों के अनुसार बोर्ड में एक अध्यक्ष, दो सदस्य, एक परीक्षा नियंत्रक, एक सचिव तथा सहायक स्टॉफ होना चाहिए। तथापि बोर्ड, जबकि जुलाई 1997 में बन गया था, दिसम्बर 2012 तक जब इसमें पहला सदस्य आया, बिना किसी सदस्य के कार्य कर रहा था। बोर्ड में दूसरे सदस्य तथा परीक्षा नियंत्रक के पद रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अभी तक (सितम्बर 2013) भरे जाने थे।

अध्यक्ष रिक्तियों की संख्या निश्चित करने हेतु उत्तरदायी है तथा सदस्यों तथा परीक्षा नियंत्रक के द्वारा उसकी सहायता की जाती है। परीक्षा नियंत्रक परीक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है।

सदस्यों तथा परीक्षा नियंत्रक की उच्च-स्तर पर नियुक्ति में सरकार के दृष्टिकोण तथा निम्न स्तर पर 25 *प्रतिशत* कमी (134 संस्वीकृत पदों के प्रति 100 की तैनाती) ने बोर्ड के निष्पादन को बुरी तरह से प्रभावित किया, जैसाकि पूर्व पैराग्राफों में चर्चा की गई। किसी भी मामले में बोर्ड, मांगकर्ता विभागों की मांगों को निर्धारित समय सीमा में अंतिम रूप देने में सफल नहीं हुआ और इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मांगें अंतिम रूप देने के लिए लंबित पड़ी थी। सितम्बर 2013 तक बोर्ड द्वारा 18283 पदों के लिए अभी तक 224 परीक्षाएँ आयोजित की जानी थी।

### 3.8.3 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

अधिसूचना (2008 में आंशिक रूप से संशोधित) के अनुसार बोर्ड का प्राथमिक कार्य रा.रा.क्षे.दि.स. के विभागों विभागों तथा स्थानीय निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ग्रुप 'बी' व 'सी' वर्गों के पदों की सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत नियुक्ति हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बोर्ड को, अपने स्टॉफ की संख्या पूरी करने के अतिरिक्त एक अच्छी ढांचागत नीति तथा प्रणाली को अपनाना चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चयन प्रक्रिया दक्ष, पारदर्शी है और निर्धारित समय के भीतर पूरी की जाती है।

तथापि, यह पाया गया कि बोर्ड के पास मैनुअलों, स्थाई आदेशों, दिशानिर्देशों, नियमों, विनियमों, आवधिक रिपोर्टों, रिटर्नस तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के रूप में एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र नहीं था। बोर्ड की बैठकें जिनमें नीति मामलों, विभिन्न शाखाओं के निष्पादन की समीक्षा, प्राप्त मागों पर आधारित चालू भर्ती कार्यों की निगरानी पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिए गए, कोई रिकार्ड नहीं रखा गया। यद्यपि बोर्ड रा.रा.क्षे.दि.स. के सेवा विभाग का संलग्न कार्यालय है इसने अधिसूचना के तहत वांछित, इसके सेवा विभाग व अन्य प्रधिकारियों को कार्य का वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

बोर्ड ने केवल फरवरी 2013 और उसके बाद की बैठकों के कार्यवृत उपलब्ध (जुलाई 2013) करवाये, किन्तु लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान की गई बैठकों का कोई कार्यवृत लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। बोर्ड ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2013) कि बैठक सूचनाएं व बैठकों के कार्यवृत मामले की गोपनीयता

को देखते हुए दर्ज नहीं किए गए उत्तर अस्वीकार्य है। चूंकि वास्तव में हुई बैठकों को दर्शाने हेतु कुछ अभिलेखों को रखा जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ सरकार को सितम्बर 2013 में भेजी गई थी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2014)।

## शहरी विकास विभाग

## दिल्ली नगर निगम

### 3.9 दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुरक्षित सामुदायिक भवन

**सामुदायिक भवनों में मूलभूत सुविधायें तथा साधन जैसे पेय जल, स्वच्छता, निकासी तथा सीवरेज, इलेक्ट्रिक फिटिंग इत्यादि या तो नहीं थे या फिर निम्न गुणवत्ता के थे। पार्किंग सुविधा में, रसोईघर की सुविधा तथा अग्नि सुरक्षा के प्रबंध मानकों के अनुरूप नहीं थे। सा.भ. के कार्यप्रणाली की प्रभावी निगरानी नहीं थी। सा.भ. का अधिभोग इष्टतम से कम था।**

मई 2012 में दि.न.नि. को तीन भागों में विभाजित करने के बाद तीन निगम-दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (द.दि.न.नि.), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (उ.दि.न.नि.) तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम (पू.दि.न.नि.) अपने सम्बन्धित क्षेत्राधिकार में आने वाले सामुदायिक भवनों (सा.भ.) का सामुदायिक सेवा विभागों (सा.से.वि.) के माध्यम से अनुरक्षण कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुरक्षित 266 में से 41 सामुदायिक भवनों की 2010-11 से 2012-13 की अवधि की लेखापरीक्षा सामुदायिक भवनों में प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए की गई। निम्नलिखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैं:

#### 3.9.1 वित्त

2010.13 के दौरान दि.न.नि. के सभी सा.भ. की मरम्मत तथा रख.रखाव हेतु बजट आबंटन, वास्तविक व्यय, साथ ही वसूला गया राजस्व निम्न **तालिका 3.9.1** में दिया गया है:

**तलिका 3.9.1**
**बजट, वास्तविक व्यय व वसूला गया व्यय (2010-13)**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | सा.भ. की संख्या | बजट आबंटन | व्यय | बचत (%) | सा.भ. के प्रयोग से वसूला गया राजस्व |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 216 | 2.00 | 0.84 | 1.16 (58) | 0.92 |
| 2011-12 | 235 | 3.00 | 0.47 | 2.53 (84) | 4.69 |
| 2012-13 | 266 | 3.00 | 0.42 | 2.58 (86) | 11.90 |
| **कुल** | **-** | **8.00** | **1.73** | **6.27** | **17.51** |

यह तालिका संकेत करती है कि इन सभी तीन दि.न.नि. के सा.भ. की मरम्मत तथा रख-रखाव पर व्यय 2010-13 के दौरान ₹ 1.73 करोड़ था जिसमें इन सभी तीन वर्षों के दौरान बचत की बढ़ती हुई प्रवृत्ति (58 से 86 *प्रतिशत*) दिखाई देती है।

### 3.9.2 नागरिक जन सुविधायें और अन्य सुविधाओं का प्रावधान

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच और दि.न.नि. के सामुदायिक सेवा विभागों के प्रतिनिधियों के साथ किये गये 41 चयनित सा.भ. के प्रत्यक्ष दौरों से पता चला कि उपभोक्ताओं को मूलभूत जन-सुविधायें व अन्य सुविधायें नहीं प्रदान की गयी थी और जहां पर प्रदान की गयी थी वहां वह अल्प गुणवत्ता वाली थी। प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान, सा.भ. में प्रदान की गयी सेवाओं में पायी गयी कमियों और त्रुटियों की आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गयी है:

#### 3.9.2.1 पेय जल

41 चयनित सा.भ. में से 32 सा.भ. में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल की आपूर्ति नहीं थी। इसलिये, कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को या तो बोरबेल के असंशोधित जल का प्रयोग करना पड़ रहा था, जिसके कारण स्वास्थ्य समस्यायें उत्पन्न हो रही थी, या फिर उन्हें जल की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ रही थी।

#### 3.9.2.2 स्वच्छता सेवायें

22 फरवरी 2011 के आयुक्त के आदेश जो कि निदेशक (सा.भ.वि.), द्वारा ज्ञापित किया गया, के अनुसार जोनल सहायक निदेशक स्वच्छता मदों की आवश्यकता का आकलन करने के लिये तदनुसार इसे सा.भ.वि. (मुख्यालय) को सूचित करने के लिए उत्तरदायी है जिससे कि यह मदें समय से खरीदी और आपूर्ति की जा सके। यदि यह मदें स्टोर में उपलब्ध नहीं है तो आपातकाल के समय वह ₹ 1000 की सीमा तक इन मदों की खरीद के लिये प्राधिकृत है। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि सा.भ. में न तो स्वच्छता मदों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया और न ही उपलब्ध करायी गई। किसी भी सामुदायिक भवन में स्वच्छता मदों (उपभोग्य वस्तुयें जैसे झाड़ू, पोंछा, फिनायल, क्लीनिंग एजेंट, साबुन आदि) के क्रय और भंडारण का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया था। दौरों के दौरान यह भी पाया गया कि किसी भी सा.भ. में स्वच्छता मदें नहीं पायी गयी और यहां पर निम्न स्तरीय स्वच्छता व्यवस्था थी। 24 सा.भ.[11] में शौचालय और स्नानघर विशेष रूप से बहुत बुरी स्थिति में थे इनमें से ज्यादातर में कमोड, यूरीनल, फ्लश सिस्टम, वाशबेसिन, लाईट और दरवाजे आदि टूटे पाये गये। चार सा.भ.[12] में महिलाओं के लिये पृथक शौचालय सुविधा की व्यवस्था नहीं थी, जबकि सी ब्लॉक, सुल्तान पुरी के सा.भ. में कोई शौचालय सुविधा नहीं थी। 20 सा.भ.[13] में लगभग 50 *प्रतिशत* में पानी के नल या तो टूटे हुये थे या कार्य नहीं कर रहे थे।



**(सैक्टर-13, रोहिणी में सा.भ.)**



**(कोटला मुबारकपुर में सा.भ.)**

[11] राहिणी सैक्टर 5.13.11.3 साहबाद डेयरी, शालीमार बाग, नाईवाला, अमरज्योति कॉलोनी, बल्लीमरान, सी-ब्लॉक मंगोलपुरी, डी.बी. गुप्ता रोड़, तिकोना पार्क कश्मीरी गेट, महावीर वटिका, हकीकत नगर, त्रिलोकपुरी 17-ब्लॉक घोंडा चौक, मंडावली, कोटला मुबारकपुर, सेवा नगर, नेहरू नगर, बाटला हाउस, श्रीनिवासपुरी, पश्चिमपुरी पॉकेट-2, मालवीया नगर।

[12] नाईवाला, तिकोना पार्क कश्मीरी गेट, हकीकत नगर, त्रिलोकपुरी 17 ब्लॉक

[13] रोहिणी सैक्टर 5.13.11 शाहबाद डेयरी, शालीमार बाग, नाईवाला, अमर ज्योति कॉलोनी, सी-ब्लॉक सुल्तानपुरी, डी.बी. गुप्ता रोड, महावीर वाटिका, मुखर्जी नगर, कोण्डली, मयूर विहार फेस-1 घोंण्डा चौक, ताहिरपुर, पूर्वी लोनी, कोटला मुबारकपुर, सेवा नगर, बाटला हाऊस, श्रीनिवासपुरी

### 3.9.2.3 जल निकास एवं सीवर व्यवस्था

छः सा.भ.[14] सीवर व्यवस्था से नहीं जुड़े थे जबकि पॉच[15] अन्य में सीवर व्यवस्था अवरोधयुक्त थी। अमर ज्योति कॉलोनी और श्री निवासपुरी में सा.भ. में जल निकास प्रणाली उचित नहीं थी जिससे परिसर में जल रोधन हो रहा था व कीचड़ इकट्ठा हो रहा था।



(अमर ज्योति कॉलोनी में सा.भ.)



(श्री निवासपुरी मे सा.भ.)

### 3.9.2.4 विद्युत फिटिंग, पंखे, ट्यूब–लाईट इत्यादि

खुले और लाइव वायर प्रतिष्ठान, सर्किट, जंक्शन बॉक्स, इत्यादि मानव जीवन के लिए स्थायी खतरे का खुला निमंत्रण है। तथापि प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान 24 सा.भ.[16] में लटकते बिजली के तार, खुले और टूटे स्विच बोर्ड पाए गए। सात सा.भ.[17] में अधिकांश पंखे और ट्यूब लाइटों असुधार्य स्थिति में थीं और काम नहीं कर रही थीं।



(मयूर विहार, फेस-I में सा.भ.)



(घोंडा चौक में सा.भ.)

### 3.9.2.5 भवनों की दुर्दशा

प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा अभिलेखों की जॉच से पता चला कि 12 सा.भ.[18] के भवनों की दशा खराब थी और उनकी तुरन्त मरम्मत की जानी थी। भवनों के टूटे दरवाजे, खिड़कियाँ, दिवारों तथा छतों इत्यादि के प्लास्टर उतर रहे थे। यह पाया गया कि इन सा.भ. में से दो (शाहबाद डेरी और अमर ज्योति-सैक्टर-17 रोहिणी) 2004-05 में ही निर्मित हुए परन्तु खराब रख-रखाव के कारण ये जर्जर हो गए हैं। यद्यपि सा.भ.वि. भवन के दोषों के बारे में शिकायतें करता रहा है, दि.न.नि. के अभियांत्रिकी विभाग ने, जो मरम्मत और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है, कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। यह दि.न.नि. के दो विभागों के बीच समन्वय के अभाव को दर्शाता है।

---

14 त्रिलोकपुरी 17-ब्लॉक शाहबाद डेयरी, अमर ज्योति कॉलोनी, सी-ब्लॉक मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी, मुखर्जी नगर

15 पूर्वी लोनी, कोटला मुबारकपुर, सेवा नगर, नेहरू नगर, बाटला हाऊस

16 शाहबाद डेयरी, ए-ब्लॉक नांगलोई, शालीमार बाग, रोहिणी सैक्टर 3.11.13, सी-ब्लॉकि मंगोलपुरी, डी.बी. गुप्ता रोड, हकीकत नगर, त्रिलोकपुरी 17-ब्लॉक कोंडली, मयूर विहार फेस-1, घोंडा चौक, मण्डावली, ताहिरपुर, पूर्वी लोनी, कोटला मुबारकपुर, सेवा नगर, भोगल, नेहरू नगर, बाटला, मादीपुर ए-ब्लॉक, पश्चिमपुरी पॉकेट-2, विकासपुरी

17 शाहबाद डेयरी, ए-ब्लॉक नांगलोई, सी-ब्लॉक मंगोलपुरी, मयूर विहार, मण्डावली, बाटला हाऊस कोटला मुबारकपुर

18 शाहबाद डेयरी, नाईवाला, अमर ज्योति कॉलोनी, रोहिणी सैक्टर 13, सी-ब्लॉक सुल्तानपुरी, हकीकत नगर, मुखर्जी नगर प्रथम तल, त्रिलोकपुरी 17 ब्लॉक सी.पी.जे. ब्लॉक सीलमपुर, कोटला मुबारकपुर, बाटला हाऊस, नेहरू नगर



(शाहबाद डेयरी में सा.भ.)



(नेहरू नगर में सा.भ.)

### 3.9.2.6 पार्किंग व्यवस्था

सा.भ. 41 में से मात्र चार में पार्किंग की सुविधाएँ है। बाकी 37 में, समारोहों में आने वाले लोग अपने वाहन खड़े करने के लिए गलियों में जहाँ भी स्थान उपलब्ध हो, वहाँ पार्किंग हेतु विवश हैं जिससे आस-पास के मोहल्लों में, दैनिक जनजीवन बाधित होता है।

### 3.9.2.7 रसोईघर

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सा.भ. में रसोईघर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, आकार में बहुत छोटे थे कि वे ऐसे समारोहों के दौरान खाना पकाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अतः उन्हें भण्डार गृह की तरह प्रयोग किया जा रहा था ना कि रसोईघर की तरह। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 सा.भ.[19] में रसोईघर की सुविधा ही नहीं थीं और प्रयोगकर्त्ता खाना पकाने हेतु खुले स्थान का प्रयोग कर रहे थे, जिससे फर्श खराब और क्षतिग्रस्त हो रहे थे।

### 3.9.2.8 अग्नि सुरक्षा प्रबंध

किसी भी सामुदायिक भवन में अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रबंध अर्थात अग्नि शामक, फॉयर बकेट, फॉयर अलार्म, और फॉयर डिटेक्टर नहीं पाये गये।

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दर्शाया कि औसतन, प्रति वर्ष प्रत्येक सा.भ. में विवाह, धार्मिक कार्यक्रम जैसे 42 समारोह आयोजित किए गए थे। प्रति वर्ष प्रत्येक सा.भ. में औसतन व्यय केवल ₹ 0.22 लाख किया गया था जो कि जन साधारण को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में अपर्याप्त प्रतीत होता है। इस प्रकार, स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सा.भ. में लोक जन को गुणवत्ता सुविधाएं मुहैया कराना दि.न.नि. की प्राथमिक सूची में नहीं था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए (नवंबर 2013) दि.न.नि. ने कमियों के लिए निधियों और स्टॉफ की कमी पर आरोप लगाया। जहाँ तक निधियों की कमियों का प्रश्न हैए उत्तरए तत्थ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान 'सा.भ. की मरम्मत और रखरखाव' मद के अन्तर्गत 58 से 86 *प्रतिशत* की बचत की गई थी एवं दि.न.नि. ठन 266 सा. भवनों से पर्याप्त राजस्व अर्जित कर रहा था (2010.13 के दौरान ₹ 17.51 करोड़ अर्जित किया गया)।

### 3.9.3 मानव संसाधन

सा.भ. चलाने और उनके रख-रखाव हेतु स्टॉफ की अत्याधिक कमी थी। अगस्त 2013 तक, 351 (44 सामुदायिक आयोजक, 69 सहायक सामुदायिक आयोजक और 238 सामुदायिक कार्यकर्ता) की संस्वीकृत संख्या के विरूद्ध मात्र 178 कर्मचारी

[19] ए-ब्लॉक नांगलोई, नाईवाला, बल्लीमरान, सी-ब्लॉक सुल्तानपुरी, डी.बी. गुप्ता रोड, तिकोना पार्क कष्मीरी गेट, मुखर्जी नगर, त्रिलोकपुरी 17 ब्लॉक, सीलमपुर, कोंण्डली, सेवा नगर, नेहरू नगर, मादीपुर ए-ब्लॉक, विकास पुरी, मालवीय नगर

तैनात थे। इसके अतिरिक्त, 54 चौकीदार और 128 सफाई कर्मचारी भी कम थे। स्टॉफ की कमी गुणवत्ता सामुदायिक सेवाएं पहुँचाने में और पर्यवेक्षी स्टाफ द्वारा निगरानी को प्रभावित कर रही थी।

अपने उत्तर मेंए दि.न.नि.ने (नवंबर 2013) बताया कि स्टॉक की कमी के कारणए सा.भ. के निरीक्षण सहित रोजमर्रा की समस्या का सामना कर रही थी। हालांकि कार्यप्रणाली की क्षमता में सुधार के प्रयास किये गये थे।

### 3.9.4 सा.भ. की कार्यपद्धति की निगरानी

#### 3.9.4.1 निरीक्षण

निदेशक (सा.से.वि.) द्वारा कर्त्तव्यों के नियतन के अनुसारए क्षेत्र के सामुदायिक आयोजक (सा.आ.) अपने संबंधित प्रभार के अन्तर्गत आने वाले सा.भ. के दैनिक निरीक्षण और पर्यवेक्षण हेतु और निरीक्षण रिपोर्ट को सा.से.वि. के निदेशक को प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। सा.आ. का कार्य सामुदायिक कार्यकर्ताओं (सा.का.) की गतिविधियों तथा कार्यक्रमों के आयोजन या ऐसे ही किसी अन्य मामलों पर मार्गदर्शन और सलाह देना होता है। तथापि, यह पाया गया कि सा.आ. ने 2010-13 के दौरान न कोई निरीक्षण किया और न ही निदेशक को कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह दर्शाता है कि सा.आ. और सा.का. के कार्य की निगरानी हेतु कोई प्रणाली नहीं थी क्योंकि यह चूक किसी भी समय उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा संज्ञान में नहीं ली गई।

दि.न.नि. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और (नम्बर 2013) बताया कि पर्यवेक्षी को ठीक करने के लिए मुख्यालय स्तर पर आवधिक बैठकों के संचालित करने के प्रयत्न किये जा चुके है। सा.भ. में निरीक्षण प्रफोर्मा उपलब्ध कराया गया है और निरीक्षण संबंधित निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

#### 3.9.4.2 सा.भ. का इष्टतम से कम उपयोग

सा.से.वि. द्वारा प्रदत्त सूचना (दि.न.नि. की वेबसाईट से डाउनलोड की गई एक प्रति) से संकेत मिलता है कि सा.भ. का उपयोग इष्टतम से कम था। 2010-13 के दौरान 110 सा.भ. का औसत वार्षिक उपयोग 20 दिनों से कम था और मात्र चार मामलों में यह 180 दिन से अधिक था। बाकी सा.भ. में वार्षिक उपयोग 20 और 180 दिनों के बीच था। यह भी पाया गया कि लेखापरीक्षा हेतु चुने गए 41 में पॉच मामले[20] में प्रथम तलों पर स्थित सा.भ. लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान एक बार भी बुक नहीं कराए गए। उपयोग न होने के कारणों में से एक यह था कि दो सा.भ. के लिए केवल एक गेट वाला परिसर था, जो एक भूमितल और दूसरा प्रथम तल पर स्थित थे।

ये सूचनाएँ इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि प्रदत्त सुविधाएँ सा.भ. में अपने समारोहों के आयोजन हेतु लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं थी।

अपने उत्तर में द.दि.न.नि. ने (नवम्बर 2013) बताया कि सा.भ. का आरक्षण आम लोकजन का विशेषाधिकार था। विद्यमान स्थिति के अंतर्गत इस मामले में विभाग का कोई नियंत्रण नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दि.न.नि. द्वारा उपलब्ध

[20] कोंडली, मण्डावली, अमर ज्योति कॉलोनी, रोहिणी सैक्टर-2, मुखर्जी नगर

कराई गई सुविधायें, लोकजन को सा.भ. में अपने कार्यक्रम आयोजन करने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता वाली नहीं थी।

पू.दि.न.नि. ने भी बताया कि उसने सामुदायिक भवनों को उपयोगिता की चर्चा और सा.भ. का आरक्षण और राजस्व में वृद्धि के लिए नियमित स्टाफ बैठकों का संचालन किया है। स्टॉफ को निर्देश दिये गये हैं कि कार्यक्रम के दौरान पार्टी को साफ स्थान और सहयोग दिया जाए।

### 3.9.5 नए सा.भ. का निर्माण व सुपुर्दगी

दि.न.नि. के सम्बद्ध अभियांत्रिकी विभाग नए भवन के निर्माण तथा भवन में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में सा.से.वि. से परामर्श के बाद निर्माण आरंभ करने हेतु उत्तरदायी है। रा.रा.क्षे.दि.स. नए सा.भ. के निर्माण हेतु सहायता अनुदान के रूप में निधियां प्रदान करता है। 2012-13 के दौरान योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत सा.भ. के निर्माण पर बजट आबंटन व वास्तविक व्यय निम्न **तालिका 3.9.2** में दिया गया है:

**तालिका 3.9.2**

**योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत बजट व वास्तविक व्यय (2010–13)**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | आबंटित बजट | व्यय | बचत (%) |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | 25.00 | 24.06 | 0.94 (3.76) |
| 2011-12 | 60.94 | 42.32 | 18.62 (30.55) |
| 2012-13 | 62.10 | 35.20 | 26.90 (43.32) |
| **कुल** | **148.04** | **101.58** | **46.46 (31.38)** |

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि दि.न.नि. ने 2010-13 की अवधि के दौरान ₹ 148.04 करोड़ के आबंटन के विरूद्ध ₹ 101.58 करोड़ का व्यय किया जिससे ₹ 46.46 करोड़ (31.38 *प्रतिशत*) का अव्ययित शेष रहा। यह संकेत करता है कि दि.न.नि. को उपलब्ध अनुदान का उपयोग करने हेतु अधिक प्रयत्न करने चाहिए जिससे अन्ततोगत्वा नए सा.भ. के निर्माण की प्रगति पर प्रभाव पड़ता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य एजेंसी से भूमि का अधिकार प्राप्त करने के बाद सा.से.वि. अभियान्त्रिकी विभाग को नए सा.भ. के निर्माण हेतु मॉगपत्र भेजती है। तथापि कोई ऐसा नियम या समय सीमा नहीं है जिसके भीतर अभियान्त्रिक विभाग को भवन के निर्माण को पूर्ण कर उसे सा.से.वि. को सौंप देना चाहिए। न ही मॉगपत्र में इस सम्बन्ध में कोई नियम या शर्तें हैं। जबकि सीपीडब्ल्यूडी नियमावली का अनुच्छेद 15.4(7) यह निर्धारित करता है कि 4 मंजिले भवनों का निर्माण 8-12 महीनों में पूर्ण किया जाना चाहिए।

55 मामलों की नमूना जॉच में पता चला कि सात सा.भ.[21] के भवन ₹ 11.13 करोड़ की लागत पर जनवरी से दिसम्बर 2012 के दौरान पूर्ण किए गए, परंतु इन्हें इनके पूर्ण होने के 8 से 19 माह बीत जाने पर भी अगस्त 2013 तक अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सा.से.वि. को सौंपा नहीं गया था। 26 मामलों में अभियान्त्रिकी विभाग ने नए सा.भ. के निर्माण तथा इनकी सा.से.वि. को सुपुर्दगी करने में 29 से 93 माह लगाए। अन्य 22 मामलों में मॉगपत्रों की तिथि से 20 से 60 माह की समाप्ति के बाद भी

[21] गीता कॉलोनी, शहीद अपार्टमेंट, विजय नगर डबल स्टोरी, एल-ब्लॉक जे.जे. कॉलोनी वजीरपुर, ई-ब्लॉक सुल्तानपुरी, पी-ब्लॉक मंगोलपुरी, एफ-ब्लॉक सुलतानपुरी

निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। इस प्रकार, नए सा.भ. के निर्माण तथा सुपुर्दगी में विलम्ब से जनता विलम्ब की अवधि के दौरान सुविधाओं से वंचित रही।

सा. से. वि. ने अपने जबाब (नवम्बर 2013) में नये सामुदायिक भवनों के निर्माण पर देरी का आरोप अभियांत्रिक विभाग पर लगाया क्योंकि अपूर्ण ढांचे को सोंपा नहीं जा सका। अभियांत्रिक विभाग के अनुसार माँग करने से पूरा होने तक साधारणतया एक सामुदायिक भवन के लिए 50 महीने आवश्यक थे। जवाव स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 26 सा.भ. में से 14 सामुदायिक भवन 53 से 93 महीनों के अन्दर निर्माण के उपरान्त सा.से.वि. को सौंप दिये गये थे। अभियांत्रिक विभाग ने आगे कहा है कि एल ब्लाक झु.झो. कॉलोनी वजीर पुर के सामुदायिक भवन के मामले में सा.से.वि. को नव निर्मित भवन सौंपने के लिए मई 2013 में सूचित किया गया था किन्तु अक्तुबर 2013 तक उनका जबाब प्रतीक्षित था। नये सामुदायिक भवनों के निर्माण एवं उन्हें सा.से.वि. को सौपने की समय सीमा के मानकों के बारे में कोई जबाब नही है। उससे भी दों विभागों के बीच समन्वय की कमी प्रदर्शित होती है।

### 3.9.6 अन्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 3.9.6.1 सुरक्षा जमा सरकारी खाते में जमा नहीं की गई

प्राप्ति एवं भुगतान नियमों का नियम 6 यह प्रावधान करता है कि सरकार के राजस्व या प्राप्तियों या बकायों के कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गयी या उन्हें निविदाकृत धनराशियॉ बिना किसी विलम्ब के सरकारी खाते में सम्मिलित किए जाने हेतु अनुमोदित बैंक में जमा की जाय। अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पता चला कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रयोगकर्ताओं से संग्रहित जमा को सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया। इसे समारोह के बाद प्रयोगकर्ता को जारी करने तक सामुदायिक कार्यकर्ता द्वारा रखा गया। यह भी पाया गया कि कई मामलों में डिमांड ड्राफ्टों की वैधता समारोह की तिथि से पूर्व समाप्ति हो गई जिससे प्रयोगकर्ता की ओर से किसी हानि, हर्जाने, इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ।

दि.न.नि. ने तथ्यों को स्वीकारा और कहा (नवम्बर 2013) कि मामले को उचित और उपर्युक्त संबोधन देने के लिए उच्चतर प्राधिकारियों के पास लिया जा सकता है।

#### 3.9.6.2 सा.भ. में अप्राधिकृत कब्जा

चार मामलों[22] में, सा.भ. के परिसर में निजी पार्टियों द्वारा अपने जनरेटर सेट, टेन्स आईटम, टेबल, बेड, सोफे, इत्यादि रखने तथा इनका भण्डारण करने हेतु अप्राधिकृत रूप से कब्जा किया गया था। अनुबंध के पुनःआरंभ किये बिना सीपीजे ब्लॉक, सीलमपुर में सा.भ. में पुराने भवन में अप्राधिकृत रूप से एक एनजीओ (केयर निधि) द्वारा कब्जा पाया गया है।

सा.भ., कोटला मुबारकपुर और सा.भ., बाटला हाऊस के संदर्भ में द.दि.न.नि. ने बताया कि स्थल से टेंट मदों को लाना और हटाने में काफी समय लगता है और प्रत्येक और हर क्रिया पर निगरानी रखना मुश्किल था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है उत्तर संस्वीकृत सर्वेक्षण के दौरान दोनों सा.भ. के सा.आ. और सा.का. ने अवलोकित किया कि परिसर के अधिभोग्ता अप्राधिकृत थे जिसके लिये मामला

[22] कोटला मुबारकपुर, बाटला हाऊस, मुखर्जी नगर, बल्लीमरान

पहले ही उच्च प्राधिकारियों को सूचित किया जा चुका था। सा.भ., मुखर्जी नगर और सा.भ. बल्लीमरान, सा.शे.वि. सहायक निदेशक (मुख्यालय), उत्तर दि.न.नि. ने बताया (नवम्बर 2013) कि कब्जे का मामला लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था जो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में भेजा जा चुका है। उत्तर दर्शाता है कि उत्तरी दि.न. नि. ने सा.भ. के अप्राधिकृत अधिभोक्ता पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

### 3.9.6.3 सा.भ. में प्रदत्त सुविधाओं के सम्बन्ध में जन मानसिकता

सा.भ. में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जन मानसिकता का अनुमान लगाने हेतु चयनित 41 सा.भ. में से प्रत्येक के पास स्थित दो रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आर.डब्ल्यू.ए.) को एक प्रश्नावली दी गई। प्रश्न प्रमुखतः क्षेत्र में सा.भ. की पर्याप्तता, उनमें प्रदत्त सुविधाओं की पर्याप्तता तथा गुणवत्ता और शिकायत निवारण प्रणाली, इत्यादि पर सूचना प्राप्त करने हेतु तैयार किए गए थे। 82 आर.डब्ल्यू.ए. में से 77[23] से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण से पता चला कि:

- 44 आर.डब्ल्यू.ए. का मानना था कि बुनियादी सुविधाएँ जैसे बिजली, पानी, रसोईघर और शौचालय सुविधाएँ इत्यादि या तो अपर्याप्त थीं, या अनुपलब्ध थीं।
- 39 का विचार था कि सा.भ. में अनुरक्षण तथा सफाई संतोषजनक नहीं थीं।
- 18 ने सा.भ. की आबंटन प्रक्रिया को अभिनिर्णित किया कि वह न तो सरल और न ही प्रयोक्ता–हितैषी है।
- 17 ने महसूस किया कि प्रतिभूति जमा आसानी से वापसी–योग्य नहीं थी।
- 53 आ.क.स. को विश्वास था कि इन क्षेत्रों में समुदाय भवन पर्याप्त नहीं थे एवं 28 ने कहा कि यह आम जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं थे।
- 44 आ.क.स. ने महसूस किया कि वहॉ कोई जन शिकायत सुधारक प्रणाली नहीं थी।

सर्वेक्षण के परिणाम से सूचित हुआ कि एक ओर चयनित सा.भ. के पास आवासीय 68 प्रतिशत आम जनता ने अपने क्षेत्रों में सा.भ. की अपर्याप्त संख्या को अनुभव किया, दूसरी ओर अधिभोक्ता दर 68 प्रतिशत एच.सा.भ. में खराब अनुरक्षण तथा सा.भ. में मूलभूत सुविधाएं प्रदान न कराने के कारण 25 प्रतिशत से कम थी। लेखापरीक्षा के सामने ऐसे उदाहरण भी आए जहॉ सात पूर्ण सा.भ. को जनता के लिए खोला नहीं गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अक्टूबर 2013 में सरकार को भेजा गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2014)।

[23] भोगल (एक) डी.बी. गुप्ता रोड (दो) और रोहिणी सौक्टर-13 (दो) के सा.भ. के समीप कोई भी आर.डब्ल्य.ए. नहीं मिले

## 3.10 दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

**श.वि.मं. द्वारा गाइडलाईन्स में कुछ परिवर्तन किए गए थे जो यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित सुधारों जिनके आधार पर नियमन 2008 बनाए गए थे, के अनुसार नहीं थे। दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों के नियमन के लिए यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स से हटकर नियमन 2008 में जून 2008 तथा जून 2012 में संशोधन किए गए। अस्थायी नियमन प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में गाइड लाईन्स में विचार नही किया गया था। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सीमाओं के नियतन में कुछ विसंगतियॉ पाई गईं। राजस्व विभाग द्वारा खसरों को सत्यापित किए बिना सीमाएँ निर्धारित की गई जिसके परिणामस्वरूप आ.क.स. को अधिक खसरे आबंटित हो गए। संशोधित नियमनों के उल्लंघन में सीमाओं के निर्धारण के दौरान निषिद्ध क्षेत्रों, दि.वि.प्रा. के अवरोधों तथा सीमाओं के अतिव्यापन पर विचार नहीं किया गया। रा.रा.क्षे.दि.स. का शहरी विकास विभाग मार्च 2013 तक ₹ 3029.21 करोड़ व्यय करने के बावजूद भी सभी 895 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनें, पानी की लाईनें, सड़कें तथा नालियों जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने में विफल रहा है।**

### 3.10.1 प्रस्तावना

दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियाँ, 1957 में दि.वि.प्रा. की स्थापना के साथ आरंभ हुए दिल्ली में योजनागत विकास के समय से निद्यमान हैं। शहरी विकास मंत्रालय (श. वि.मं.) ने मई/जून 1993 में रा.रा.क्षे.दि.स. से एक प्रस्ताव प्राप्त किया जिसमें दिल्ली में 31 मार्च 1993 को विद्यमान अनाधिकृत कालोनियों के नियमन की सिफारिश की गई। हालांकि दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने 'कोमनकॉस (रजिस्टर्ड) सोसायटी बनाम यूओआई एंड अन्य' शीर्षक की दायर याचिका सीडब्ल्यूपी सं. 4771/93 के एक मामले की सुनवाई के समय यूनियन ऑफ इंडिया (यूआआई) को दिल्ली में किसी भी कालोनी को नियमित करने पर प्रतिबंध लगा दिया और यूओआई को नियमन के लिए नीति तथा शर्तें एवं निबंधन बनाने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का निर्देश दिया (9 दिसम्बर 1996)। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों तथा जुलाई 2000 के कैबिनेट निर्णय के आधार पर श.वि.मं. ने 2001 में गाइड लाईन्स तैयार की। भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय तथा गरीबी उपशमन ने कैबिनेट नोट (जुलाई 2000) में उल्लेख किया कि दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाएगा यदि वे अनुमोदित गाइड लाईन्स के अनुरूप होंगी तथा लाभार्थी विकास प्रभारों का भुगतान करेंगे। गाइड लाईन्स के अनुसार, 31 मार्च 1993 को विद्यमान अनाधिकृत कालोनियों के नियमन हेतु विचार किया जाना था। रा.रा., क्षे. दि.स. के प्रतिनिधित्व पर गाइड लाईन्स 2001 को 2004 में यूनियन कैबिनेट के अनुमोदन के साथ संशोधित किया गया तथा नियमन हेतु कट–ऑफ तथि को मार्च 1993 से मार्च 2002 तक बढ़ा दिया गया। कैबिनेट नोट (फरवरी 2004) में अनाधिकृत कालोनियों के नियमन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है "थानीय प्राधिकारी द्वारा कुछ गाइड लाईन्स के अनुसार ले–आउट योजनाओं का अनुमोदन तथा कालोनी और उनके ढांचे को दिल्ली के मास्टर प्लान के भीतर लाना और कानून द्वारा भवन के प्रावधान को लागू करना"।

2004 की इन गाइड लाईन्स को 2007 में पुनः श.वि;मं. द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2007 के यूनियन कैबिनेट के निर्णय के आधार पर संशोधित किया गया। इन संशोधित गाइड लाईन्स पर आधारित नियमन 2008 को श.वि.मं. ने अनुमोदित/ अन्तिम रूप

दिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने उन्हें मार्च 2008 में दि.वि.प्रा. अधिनियम 1957 की धारा 57 के अंतर्गत अधिसूचित किया।

नियमन 2008 के खण्ड 4 तथा खण्ड 5 में संशोधन किए गए जिन्हें दि.वि.प्रा. द्वारा क्रमशः जून 2008 तथा जून 2012 में अधिसूचित किया गया। रा.रा.क्षे.दि.स. ने नियमन के लिए 895 अनाधिकृत कालोनियों को निर्दिष्ट करते हुए दिनांक 5 सितंबर 2012 को आदेश जारी किया।

नियमन की प्रक्रिया की लेखापरीक्षा यह देखने के लिए की गई कि श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित गाइड लाईन्स कैबिनेट निर्णय के अनुरूप हैं, किए गए नियमन यूनियन कैबिनेट निर्णयों के आधार पर अनुमोदित गाइड लाईन्स के अनुसार हैं तथा सितंबर 2012 का आदेश भी नियमनों के अनुरूप था। इक्यानवें कालोनियों (895 का 10 प्रतिशतः निजी भूमि पर 312 में से 32 और सार्वजनिक भूमि पर 583 में से 59) को विस्तृत संवीक्षा के लिए यादृच्छिक आधार पर चुना गया। चयनित 91 में से 82 कालोनियों (निजी भूमि पर 27 तथा सार्वजनिक भूमि पर 55) के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए। श.वि.वि. द्वारा नौ चयनित कालोनियों (निजी भूमि पर पाँच तथा सार्वजनिक भूमि पर चार) से संबंधित फाइलों के साथ–साथ **अनुलग्नक 3.10.1** में वर्णित अन्य अभिलेख, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए। महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

**लेखापरीक्षा निष्कर्ष**

दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों के नियमन से संबंधित श.वि.मं. में नीति फाइलों की संवीक्षा ने निम्नलिखित विसंगतियों को दर्शायाः

### 3.10.2 संशोधित गाइडलाईन्स (फरवरी 2007) में किए गए परिवर्तन/ संकलन यूनियन कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार नहीं थे

2004 की गाइडलाईन्स में आंशिक सुधार यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किए गए (8 फरवरी 2007)। तथापि श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित तथा दि.वि.प्रा. को प्रेषित (अक्तूबर 2007) गाइडलाईन्स (2004 तथा फरवरी 2007) जबकि यहाँ अनुमोदित गाइडलाईन्स में कुछ परिवर्तन/विलोपन/अतिरिक्त प्रावधान शामिल थे जिनमें यूनियन कैबिनेट का अनुमोदन नहीं था। यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित मार्गनिर्देशों की तुलना में कुछ अन्तर है (2004 तथा फरवरी 2007) यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स कहा गया है तथा श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइड लाईन्स (अक्तूबर 2007) जिसे यहाँ संशोधित गाइडलाईन्स कहा गया है की तुलना **अनुलग्नक 3.10.2** में दी गई है। लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए मुख्य विपथन इस प्रकार हैं:

- **बेस मैपः** अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के बेस मैप को आवासीय सोसाइटी जो कि योजना की सीमा को निर्धारित करती है तथा पंजीकृत वास्तुशिल्प/शहर योजनाकर्ता से कॉलोनी का नक्शा योजना तैयार करवाता है द्वारा उपलब्ध करवाया जाना था संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार आवासीय सोसाइटी पंजीकृत वास्तुशिल्प/शहर आयोजनकर्ता द्वारा तैयार कॉलोनी के नक्शा योजना को आवासीय सोसाइटी से प्राप्त किया जाना था तथा वही स्थानीय निकाय/दि. वि.प्रा. तथा रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रस्तुत किया जाना था।

- **नियमन के औपचारिक आदेशः** अनुमोदित गाइडलाईन्स के अनुसार नियमन के औपचारिक आदेश स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा ढांचागत कार्यों के

निष्पादन के पश्चात् दिए जाने थे जबकि संशोधित गाइड लाईन्स के अनुसार ये रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए जाने थे।

- **सीमाओं का नियतनः** पहले सीमाएँ स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा उपलब्ध कराए गए बेस मैप पर आवासीय सोसाइटी द्वारा नियत की जानी थी जबकि संशोधित गाइडलाईन्स के अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स., आवासीय सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत एलओपी पर सीमा नियत करेगी।

गाइडलाईन्स में पैरा 4.2 के संकलन ने नियमन के फोकस को 2007 की अनुमोदित गाइडलाईन्स के अनुसार ढांचागत सुविधाओं के प्रावधान प्रावधान के प्वाइंट से बदलकर श.वि.मं. द्वारा प्रेषित 2007 की संशोधित गाइड लाईन्स के अनुसार दि. वि;प्रा./स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित भूमि उपयोग के प्वाइंट पर कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अनाधिकृत के नियमन की शर्त के अनुसार अनाधिकृत कालोनी में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान एक साथ ही उपेक्षित हो गए और समाप्त हो गए। यह न केवल केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स के विरूद्ध था बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध था कि यदि अनाधिकृत कालोनियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराना संभव नहीं है तो उन्हें नियमित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार संशोधित गाइडलाईन्स 2007 में श.वि.मं. द्वारा किए गए संशोधन अनियमित थे।

शहरी विकास मंत्रालय, भा.स. ने बताया (जून 2014) कि मामला विलम्बित हो चुका है इसे इस आधार पर संशोधित गाइडलाईन्स (अक्तूबर 2007 में दि.वि.प्रा. तथा रा. रा.क्षे.दि.स. को जारी की गई) द्वारा अनुमोदित किया गया था, पूर्व गाइडलाईन्स से केवल मामूली सा कार्यविधिक विचलन था तथा इस प्रकार संशोधित गाइडलाईन्स के अन्तिम स्थांतरण पर मंत्रालय अनुमोदन को नहीं लिया गया था तथ्य बताते हैं कि गाइडलाईन्स में कुछ आवश्यक बदलाव किए गए थे जिन्हें मंत्रालय का अनुमोदन नहीं मिला था तथा जैसा कि ऊपर बताया गया है वह कार्यविधिक नहीं थे।

### 3.10.3 नियमन 2008 में अनियमित संशोधन

#### 3.10.3.1 नियमन 2008 के खण्ड 5 में संशोधन

जबकि दि.वि.प्रा./रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को नियमन 2008 के खण्ड 5 के अंतर्गत रखा गया था जिसने चरणों के क्रम जैसे रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नियत सीमाएं, स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा ले-आउट योजना का अनुमोदन, दि.वि.प्रा. द्वारा भूमि उपयोग के परिवर्तन का अनुमोदन, अनाधिकृत कालोनी के नियमन के औपचारिक आदेशों से पहले सभी आवश्यक प्रभारों का भुगतान इत्यादि जारी किए गए हैं। जून 2012 में नियमन 2008 में किए गए संशोधन ने पूरी तरह से क्रम को ऐसे बदल दिया कि ले-आउट योजना का अनुमोदन तथा भूमि उपयोग के बदलाव के अनुमोदन में नियमन के औपचारिक आदेशों को जारी करने का पालन किया जाएगा। वास्तव में जून 2012 में किए गए नियमनों के संशोधन ने अनाधिकृत कालोनी की सीमा के नियतन के पश्चात तत्काल नियतन के आदेश जारी करने को सरल बना दिया। जून 2012 में नियमन में किए गए संशोधन ने अनाधिकृत कालोनी को नियमित करने की प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से बदल दिया जिस पर कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइड लाईन्स में विचार नहीं किया गया।

नियमितीकरण की प्रक्रिया के बदलाव के परिणामस्वरूप निजी भूमि पर 312 अनाधिकृत कालोनियाँ ले-आउट योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया कराए बिना तथा भूमि उपयोग के बदलाव के अनुमोदन के बिना सितंबर 2012 में रा.रा.क्षे.दि.स. के आदेशों के अनुसार नियमित बनी रहीं। जैसा कि ये संशोधन अनुमोदित गाइडलाईन्स के अनुरूप नहीं हैं, निजी भूमि पर 312 अनाधिकृत कालोनियों के संबंध में सितंबर 2012 में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नियमितीकरण घोषित किया गया।

श.वि.मं. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2014 एवं मार्च 2014) कि भा.स. (व्यापार का आबंटन) नियम, 1961 अन्य बातों के साथ–साथ श.वि.मं. को ''बड़े पैमाने पर अधिग्रहरण की योजनाओं, विकास तथा भूमि का निस्तारण के विषय'' आबंटित करती है। इसने आगे कहा कि 2007 के पुनरीक्षित दिशानिर्देशों पर मंत्रिमंडल के निर्णयों की अनुपालना में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए नियम तैयार किए गए तथा इस प्रकार तैयार नियम पर मंत्रिमंडल की आगे सहमति प्राप्त नहीं की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम 2008 की धारा 5 में शामिल नियमितीकरण की प्रक्रिया 2007 के पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 पर आधारित है जिसे संघीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2007)।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा (जून 2014)।

### 3.10.3.2 नियमन 2008 के खण्ड 5.3 में संशोधन

फरवरी 2007 में अनुमोदित गाइडलाईन्स के अनुसार नियमन के लिए कालोनियों की पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि 2002 के हवाई सर्वेक्षण के अनुसार है जबकि नियमन का संशोधित खण्ड 5-3 हवाई सर्वेक्षण 2007 के अनुसार बनाया गया था, जोकि फरवरी 2007 के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुरूप नहीं थी।

श.वि.मं. ने बताया (मार्च 2014) कि संशोधन किया जाना आवश्यक था क्योंकि रा. रा.क्षे.दि.स. बाउण्ड्री बनाए जाने की समस्या का सामना कर रही थी क्योंकि सैटेलाईट इमेजिस अस्पष्ट थीं तथा टेढी-मेढी आकार की थी जोकि बाउण्ड्री में लागए जाने के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती थीं। इसके अतिरिक्त कहा कि 2002 के हवाई सर्वेक्षण को किए जाने का तात्पर्य उन कालोनियों का पता लगाया जाना था जोकि 31 मार्च 2002 में बनाई गई थी तथा 2007 के हवाई सर्वेक्षण को उन कालोनियों की बाउण्ड्री को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए प्रयोग में लाए जाने की आशा की गई थी। तथ्य बताते हैं कि यह मंत्रिमंडल के निर्णय के विपरीत था।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा (जून 2014)।

### 3.10.3.3 अस्थायी नियमन प्रमाणपत्र को अनियमित रूप से जारी किया जाना

दि.वि.प्रा. ने जून 2008 में नियमन 2008 के 4.6.1 के प्रावधान को शामिल किया जिसके अनुसार नियमन 2008 के खण्ड 5 के अधीन जैसाकि वर्णित किया गया था अप्राधिकृत कालोनी के नियमन के लिए आवश्यक कोई कदम उठाए जाने से पूर्व रा.रा.क्षे.दि.स. अस्थायी नियमन प्रमाणपत्र जारी किए जाने में असमर्थ था। अ.नि.प्र. को जारी किया जाना फरवरी 2007 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किए गए नियमन की स्कीम में नहीं था तथा इसलिए यह एक अनियमित तथा गैर जमानती प्रयास था। जिसके परिणामस्वरूप नियमन की स्कीम में जारी किए गए 1218 अ.नि.प्र. का कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

श.वि.मं. ने अपने जवाब (मार्च 2014) में कहा कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के नियमों (व्यापारिक आबंटन) 1961, के अनुसार नियमनों तथा संशोधनों

को (समयानुसार संशोधन किए जाने) अनुमोदन किए जाने में सक्षम था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित गाइड लाईन्स में अस्थायी प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने पर विचार नहीं किया गया था।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा (जून 2014)।

### 3.10.4 जून 2008 तथा जून 2012 में संशोधित किए गए नियमन 2008 का कार्यान्वयन

नियमन के खण्ड 5 में संशोधनों के आधार पर दिनांक 4 सितम्बर 2012 को आदेश जारी किए गए। इन आदेशों के अनुसार, 895 चिन्हित कालोनियों को बनाये जाने को नियमन 2008 के खण्ड 5.3 जो 6 जून 2012 को संशोधित किया गया, के अधीन अन्तिम रूप दिया गया, इसके अतिरिक्त आदेश में उल्लेखित था कि नियमनों के खण्ड 5.4 के अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों को व्यवहार में लाते हुए, निजी भूमि पर बनाई गई 312 कालोनियों को आदेश के जारी किए जाने की तिथि से तथा राजस्व विभाग से (जनवरी 2014) सार्वजनिक भूमि की 583 कालोनियों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सार्वजनिक भूमि की लागत की वसूली की तिथि से नियमित किया गया।

श.वि.वि. के 895 चयनित कालोनियों के रिकॉर्डों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि चार दिवारी के निर्माण में निम्नलिखित त्रुटियाँ थीः

#### 3.10.4.1 संशोधित धारा 5.3 के विरूद्ध तथा राजस्व विभाग द्वारा भूमि रिकॉर्डों के सत्यापन के बगैर चारदीवारी बनाना

नियमों की संशोधित धारा 5.3 के अनुसार, आवासीय कल्याण संघों द्वारा प्रस्तुत एलओपी पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अध्यारोपित अनुमानों द्वारा चारदीवारियों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। राजस्व विभाग ने श.वि.वि. द्वारा निर्मित चारदीवारियों पर आपत्ति दर्ज की क्योंकि 2007 का वांछनीय सर्वे आ.क.सं. द्वारा प्रस्तुत एलओपी पर आधारित नहीं थी तथा चारदीवारी बिंदुओं को न तो तय किया गया था और न ही उन्हें अंतिम रूप दिया गया था। ये आपत्तियॉ दर्शाती हैं कि चारदीवारियों के निर्माण में अपनाई गई पद्धति नियमों की धारा का उल्लंघन करती है।

उपरोक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त, आ.क.सं. द्वारा प्रस्तुत एलओपी को श.वि.वि. द्वारा आदेशित सर्वे में प्रमाणित नहीं किया जा सका क्योंकि श.वि.वि. वैबसाइट पर मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्रों पर राजस्व रिकॉर्डों के अनुसार खसरा संख्या की पहचान के लिए कोई संदर्भ बिंदु अथवा नियंत्रण निशान के बगैर सघन रूप से निर्माण कार्य किया गया था। इस प्रकार, भूमि रिकॉर्डों के उचित सत्यापन के बिना कॉलोनियों की चारदीवारियॉ निर्मित की गई थी।

श.वि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि वर्ष 2007 में वांछनीय सर्वे कॉलोनियों के अस्तित्व तथा संभावित निर्मित क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए किया गया था। उन्होंने आगे जोड़ा कि राजस्व विभाग द्वारा भौतिक सर्वे कराए जाने के बाद चारदीवारी निर्मित करने का कार्य किया गया तथा कहा कि सरकार ने केवल उन्हीं कॉलोनियों की सूची तैयार की जो प्रथम दृष्टया नियमितीकरण के विचारार्थ मानदंडों को पूरा करते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. ने खसरों की सत्यता के सत्यापन के बगैर चारदीवारियॉ निर्मित की तथा सितंबर 2012 में 895 कॉलोनियों को नियमितीकरण के उपयुक्त घोषित किया तथा प्रत्येक चिन्हित कॉलोनी की चारदीवारी को अंतिम रूप दे दिया।

### 3.10.4.2 भूमि स्थिति रिपोर्ट में कमियाँ

थ्सतंबर 2012 के आदेशानुसार, निजी भूमि पर बनी कॉलोनियाँ आदेश जारी होने की तिथि से तथा सार्वजनिक भूमि की कॉलोनियॉ भूमि के लागत की वसूली की तिथि से नियमित होती है। श.वि.वि. के रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि राजस्व विभाग की भूमि स्थिति रिपोर्ट (सितंबर 2012 के पूर्व जारी) के अनुसार, 312 कॉलोनियॉ निजी भूमि[24] पर तथा 583 सरकारी भूमि[25] पर अवस्थित थी। यद्यपि, बाद में श.वि.वि. ने देखा कि राजस्व विभाग द्वारा कुछ कॉलोनियों के खसरे की स्थिति निजी से सरकारी में बदल दी गई जिससे निजी भूमि पर अनाधिकृत कॉलोनियों की संख्या 312 से घटकर 111 हो गई जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निजी भूमि की 201 कॉलोनियॉ भूमि की लागत की वसूली के बगैर नियमित हो गई।

श.वि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित असंबद्धताओं को राजस्व विभाग चारदीवारियों को अंतिम रूप दिए जाने को भौतिक सत्यापन द्वारा सुधार लेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि श.वि.वि. ने भूमि की स्थिति को बगैर-सत्यापित किए चारदीवारियों का निर्माण कर दिया।

### 3.10.4.3 निषेधित क्षेत्र में कॉलोनियों की चारदीवारियों का अनुमोदन

नियमों की धारा 3.3 (क) तथा (घ) वनक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि को सम्मिलित नहीं करती है तथा भा.पु.स. ने ऐसी भूमि के नियमित कॉलोनी का भाग होने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि 10 कॉलोनियों को नियमित किया गया इसके बावजूद कि वे आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः वनों/पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थे तथा तीन कॉलोनियाँ दिल्ली सर्कल के केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों के नियंत्रित क्षेत्र में स्थित थी।

श.वि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि स्थानीय निकायों के द्वारा एलओपी को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान अधिसूचित, नियंत्रित तथा आरक्षित वन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अनधिकृत कॉलोनियों को देखा जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन कॉलोनियों के संबंध में चारदीवारियों को पहले ही निर्मित किया जा चुका है।

### 3.10.4.4 दि.वि.प्रा. की बाधाएँ

उप-धारा 3.3 (ख) के अनुसार, विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान में बाधाओं का सामना करने वाली कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि 201 चिन्हित कॉलोनियों में से, दि.वि.प्रा. ने मास्टर प्लान, क्षेत्रीय प्लान इत्यादि के अनुसार बाधाएँ दिखाई। इसके बावजूद, इन कॉलोनियों को नियमों की धारा 3.3 (ख) के विरूद्ध नियमित किया गया। आठ कॉलोनियों के मामले में, निश्चित खसरा से संबंधित क्षेत्रों जिन्हें दि.वि.प्रा. ने कॉलोनी की चारदीवारी से

---

[24] निजी भूमि के अधिग्रहण कार्यविधि के तहत भूमि के मामलों के सम्बन्ध में जिनको सौंपा जा चुका था परन्तु भूमि स्वानियों को मुआवजा नहीं मिला था तथा प्रत्यक्ष रूप से अधिपत्य लिया जाना था।
दिल्ली भूमि सुधार अधिनयम 1954 की धारा 81 के अधीन गॉव सभा में निहितार्थ की गई गॉव सभा भूमियों, पब्लिक भूमियों की सभी भूमियों के मामलों में जहाँ प्रत्यक्ष अधिग्रहण भूमि स्वामियों के पास था।

[25] निजी भूमि के अधिग्रहण कार्यविधि के तहत भूमि के मामलों के सम्बन्ध में जिनको सौंपा जा चुका था तथा भूमि स्वानियों ने वर्तमान रूप से प्रत्यक्ष कब्जे को ध्यान में न रखते हुए मुआवजा ले लिया था।
दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के आरंभ होने पर ग्राम सभा में वास्तविक रूप से निहितार्थ की गई ग्राम सभा भूमियों, पब्लिक भूमियों की सभी भूमियों के मामले में, प्रत्यक्ष अधिग्रहण के आधार को ध्यान में न रखते हुए तथा बताए गए अधिनियम की धारा 81 के अधीन गाँव सभा में तदुनुरूप निहितार्थ की गई सभी भूमियाँ, यहाँ प्रत्यक्ष अधिग्रहण सरकार के पास था।

बाहर निकालने की प्रार्थना की थी, वे नियमित कॉलोनी की सूची से बाहर नहीं निकाले गए।

### 3.10.4.5 कॉलोनियों का अस्तित्व

नियम 2008 की धारा 3.3 के अनुसार 2002 को विद्यमान कॉलोनियों को नियंत्रित किया जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण तथा दि.न.नि. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में 2002 तक 48 कॉलोनियों के अस्तित्व की पुष्टि नहीं हुई। यद्यपि, सितंबर 2012 में रा.रा.क्षे.दि.स. के आदेश से इसे नियमित कर दिया गया।

### 3.10.4.6 चारदीवारियों का अतिच्छादन तथा आ.क.सं. का बहुगुणन

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 895 कॉलोनियों में से 831 की चारदीवारियाँ अतिच्छादित थी (एक से 100 प्रतिशत की श्रेणी में)। अतिच्छादन एक कॉलोनी की दूसरी कॉलोनियों से निर्देशांक की तुलना नहीं किए जाने के कारण थी। आगे 179 कॉलोनियॉं, जिनमें से कई आ.क.सं.[26] श्रेणी के अंतर्गत आती थी, 895 कॉलोनियों की श्रेणी में शामिल की गई थी।

श.वि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि भौतिक सत्यापन के दौरान अनुच्छेद 3.10.4.4, 3.10.4.5 तथा 3.10.4.6 के तथा चारदीवारियों को अंतिम रूप से निर्मित किए जाने उपरोक्त मामलों में हल निकाला जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चारदीवारियों को बनाए जाने का आदेश चारदीवारियों के अतिच्छादन तथा आ.क.सं. के बहुगुणन के मामले को सुझाए बिना जारी किया गया।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया (जून 2014) कि नियमनों 2008 के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉं **(उप-पैराओं 3.10.4.1 से 3.10.4.6)**, रा.रा.क्षे.दि.स. से सम्बन्धित है तथा भारत सरकार इसमें कार्यान्वयन स्तर पर कार्य नहीं कर रही है। आगे कहा कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने फरवरी 2014 के पत्र द्वारा सूचित किया कि रा.रा.क्षे.दि.स. को दिल्ली अप्राधिकृत कॉलोनियों के नियमन के लिए वर्तमान नियमनों का विस्तृत पुनरीक्षण करना चाहिए।

## 3.10.5 चयनित मामलों में चारदीवारियॉं निर्मित करने में कमियॉं

लेखापरीक्षा ने उपलब्ध कराए गए 91 मामलों में से 82 मामलों के नमूने चयनित किए तथा संवीक्षा से चारदीवारियों के निर्माण में निम्नलिखित कमियों का पता चलाः

### 3.10.5.1 आ.क.सं. को अधिक खसरों का आबंटन

81 कॉलोनियों[27] में 1813 खसरे रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा आ.क.सं. को आबंटित किए गए जिसमें से 369 खसरा की भूमि की स्थिति रिकॉर्ड नहीं की गई थी। 62 मामलों[28] में, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 752 खसरे अधिक आबंटित किए गए थे जबकि आ.क.सं. द्वारा दावा नहीं किया गया था।

18 मामलों में, एलओपी की अनुपलब्धता अथवा एलओपी में अधूरी सूचनाओं के कारण खसरों के आबंटन की शुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

---

[26] एक से अधिक आ.क.सं. का एक कॉलोनी अथवा उसके अन्य हिस्सों पर अधिकार किए जाने का दावा

[27] निजी भूमियों पर 26 तथा पब्लिक भूमियों पर 55

[28] निजी भूमियों पर 22 की पहचान की गई तथा पब्लिक भूमियों पर 40 की पहचान की गई

### 3.10.5.2 चारदीवारी में रिक्त स्थानों का समावेश

81 मामलों में, रिक्त स्थानों को चारदीवारी सीमा के साथ संलग्न चारदीवारी निर्माण में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तय कॉलोनी की चारदीवारी में अधिक भूमि के समावेश की संभावना को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

### 3.10.5.3 निर्मित क्षेत्र प्रतिशतता में कमियाँ

धारा 3.3 (ग) के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनियॉ/निवास जहाँ 50 *प्रतिशत* प्लॉट अनिर्मित हैं उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है, छः मामलों[29] में 2007 में निर्मित क्षेत्र प्रतिशतता 50 *प्रतिशत* से कम थी तब भी कॉलोनियॉ नियमित कर दी गई। 21 मामलों[30] में भिन्न निर्मित क्षेत्र प्रतिशतता के साथ एक से अधिक एलओपी रिकॉर्ड पाए गए।

कॉलोनी के मामले में (पंजीकरण सं. 47-ईएलडी) बेवसाईट पर उपलब्ध मानचित्र में निर्मित क्षेत्र प्रतिशतता 24.18 *प्रतिशत* दिखाया गया जबकि फाईल में उपलब्ध बेवसाईट में निर्मित क्षेत्र प्रतिशत 2007 सर्वे के अनुसार 81 *प्रतिशत* था। निर्मित क्षेत्र प्रतिशतता का आधार, जिस पर कॉलोनियों को नियमित किया गया था परिवर्तित कर दिया गया। सही की गई प्रविष्टि को सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित नहीं कराया गया। उपरोक्त कॉलोनी का नियमितीकरण अनियमित था क्योंकि कॉलोनी नियम 2008 की धारा 3.3 (ग) के अंतर्गत निर्धारित 50 *प्रतिशत* निर्मित क्षेत्र के मानदंड को पूरा नहीं करती है।

श.क.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि उपरोक्त सभी कमियाँ भौतिक सत्यापन के दौरान देखी जाऐंगी तथा अनधिकृत कॉलोनियों की चारदीवारियों को तय किया जाएगा। फिर भी आ.क.सं. को आबंटित अधिक खसरा तथा चारदीवारियों के निर्माण द्वारा नियमों के उल्लंघन का तथ्य शेष रहता है।

### 3.10.5.4 भूमि के स्वामित्व की स्थिति

81 मामलों में, आ.क.सं. ने खण्ड 4.5.2 के नियमनों 2008 के अधीन जैसा कि आवश्यक थे स्वामित्व दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया था। श.वि.सं. ने भी राजस्व विभाग से (जनवरी 2014) से भूमि स्वामित्व की स्थिति को सुनिश्चित नहीं किया था। जबकि, श.वि.मं. ने भूमि स्वामित्व को बिना कोई सत्यापन किए चारदीवारी के बनाए जाने को अन्तिम रूप दिया। संवीक्षा ने यह भी दर्शाया कि इस प्रकार श. वि.मं. द्वारा 16 निजी कॉलोनियों को घोषित किया गया। संवीक्षा में भी दर्शाया गया कि भारत के सर्वेक्षण द्वारा बनाए गए नक्शे में जैसा कि दिखाया गया है कि सरकार अथवा निहितार्थ ग्राम सभा से सम्बन्धित भूमि पर वर्तमान में आंशिक रूप से बनाई गई 16 कॉलोनियों को उसी रूप में घोषित कर दिया गया।

### 3.10.5.5 सम्बन्धित एजेंसियों से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की गैर–प्राप्ति

उपखण्ड 3.3 (ख) के अनुसार, कालोनियों में विभिन्न अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रावधान में रूकावटें दिखाई गई जिनको नियमित नहीं किया जा सका था। जबकि, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा की गई 82 फाइलों में से किसी में भी, विभिन्न एजेंसियों जैसे दि.वि.प्रा., रेलवे, दि.ज.बो., दि.न.नि., एन.एच.ए.आई. इत्यादि से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' शामिल नहीं किया गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा

[29] निजी भूमियों पर 2 की पहचान की गई तथा पब्लिक भूमियों पर 4 की पहचान की गई

[30] निजी भूमियों पर 7 की पहचान की गई तथा पब्लिक भूमियों पर 14 की पहचान की गई

सकता कि कालोनियों के नियमन की प्रक्रिया में वास्तव में उप–खण्ड 3.3 (ख) के प्रावधानों पर विचार किया गया था।

श.वि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि बाउण्ड्री के प्रत्यक्ष सत्यापन तथा अन्तिम रूप से लगाए जाने के दौरान इन मामलों को सुलझाया जाएगा। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बाउण्ड्री को लगाए जाने वाले आदेशों को विभिन्न एजेंसियों से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किए बिना ही जारी किया गया था।

### 3.10.5.6 नियमित कालोनियों में सड़कों की चौड़ाई

82 चयनित मामलों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 65 मामलों में सड़कों की चौड़ाई अग्नि विभाग के मानकों के अनुसार नहीं थी। नौ मामलों में, सड़कों की चौड़ाई का उल्लेख एल.ओ.पी. में नहीं किया गया था तथा आठ में, आ.क.सं. द्वारा एल. ओ.पी. प्रस्तुत नहीं की गई थी।

श.वि.मं. ने कहा (मार्च 2014) कि मामला मा.प्ला.दि.-2021 के सम्बन्धित प्रावधानों के अंतर्गत दि.वि.प्रा./स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए विशेष नियमनों से सम्बन्धित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बाउण्ड्री लगाये जाने का कार्य सड़क की चौड़ाई पर विचार किए बिना ही पूरा हो चुका था।

### 3.10.6 विकास निर्माण कार्यों की कमी

मा.प्ला.दि.-2021 के खण्ड 4.2.2.2 (ख) के अनुसार, सभी अप्राधिकृत कालोनियों में यह सुनिश्चित किया जाना था कि प्रत्यक्ष तथा सामाजिक अवसंरचना के सुधार के लिए कम से कम आवश्यक तथा व्यवहार्यता स्तर की सेवायें तथा सामुदायिक सुविधायें दी जानी चाहिए थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 14 फरवरी 2006 के 1994 के डब्ल्यू.पी. (सी.) सं. 725 में निर्णय किया कि "किसी मामले में राज्य प्राधिकरण मूल सेवाओं को प्रदान करने की स्थिति में न हो जिसके संदर्भ में वह स्वीकार करे कि वहाँ बहुत अधिक प्रतिबन्ध है, तब वहाँ अप्राधिकृत कालोनियों का नियमन नहीं किया जाएगा"। इसके अतिरिक्त, संशोधित गाइड लाईन्स 2007 के पैराग्राफ 7.2, में अनुबन्धित है कि अप्राधिकृत कालोनियों का नियमन सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अधीन होगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि श.वि.वि. ने अप्राधिकृत कालोनियों में मूल सेवायें प्रदान कराने के लिए 2007-13 के दौरान ₹ 3666.81 करोड़ दिए। इसके बावजूद ₹ 3029.21 करोड़ का उपयोग हुआ था। लेखापरीक्षा को विकास निर्माण कार्यों के ब्यौरे प्रदान नहीं किए गए थे। जबकि, 895 कालोनियों में निर्माण कार्यों की संवीक्षा की स्थिति को श.वि.वि. की वेबसाइट पर डाल दिया गया **(अनुलग्नक-3.10.3)** जिसने दर्शाया कि कार्यकारी एजेंसियों (दि.रा.औ.अ.वि.नि., सिं. एवं बा.नि., द.दि.न.नि., न.दि.न.नि. तथा लो.नि.वि.) ने इन एजेंसियों को आबंटित 891 कालोनियों में से 416 कालोनियों में सड़क तथा नालियों के निर्माण कार्यों को पूरा नहीं किया। दि.ज.बो. 31 मार्च 2013 को 895 कालोनियों में से 797 कालोनियों में सीवर लाइन तथा 197 में पानी की लाइनें उपलब्ध कराने में विफल रहा। आवश्यक सेवाओं के प्रावधान के बिना नियमन के लिए चिन्हित अनधिकृत कालोनियों की बाउण्ड्री के नियतन के अनुमोदन से निवासी इन सुविधाओं से वंचित रह गए।

श.वि.वि. ने स्वीकार किया कि वहाँ कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति की कोई मॉनीटरिंग नहीं थी।

उपरोक्त मुद्दों को रा.रा.क्षे.दि.स. को (मार्च 2014) भेजा गया। रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (मार्च 2014) कि बाउण्ड्री नियतन की प्रक्रिया अन्तिम रूप से अभी तक पूरी नहीं

की गई है। सरकार का उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है कि दिनांक 4 सितंबर 2012 के रा.रा.क्षे.दि.स. के आदेशों में घोषित किया गया कि प्रत्येक चिन्हित कालोनी की बाउण्ड्री को नियमन 2008 के खण्ड 5.3 जो 6 जून 2012 को संशोधित किया गया, के अंतर्गत अंतिम रूप दिया गया है इसके अतिरिक्त, आदेश में उल्लेख था कि निजी भूमि पर 312 कालोनियों को आदेश जारी करने की तिथि से नियमित किया जाना है तथा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सार्वजनिक भूमि पर 583 कालोनियों को समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली भूमि का मालिकाना हक रखने वाली एजेंसी की ओर से रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सार्वजनिक भूमि की लागत की वसूली की तिथि से नियमित किया जाना था।

डौली चक्रवर्ती

नई दिल्ली
दिनांकः 30 जून 2014

(डौली चक्रबर्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षर

शशिकान्त शर्मा

नई दिल्ली
दिनांकः 1 जुलाई 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

# अनुलग्नक

**अनुलग्नक–1.1**
**(पैराग्राफ 1.10 देखें, पृष्ठ 6)**
**31 मार्च 2013 को स्वायत्त निकायों के लेखों की स्थिति दिखाने वाला विवरण**

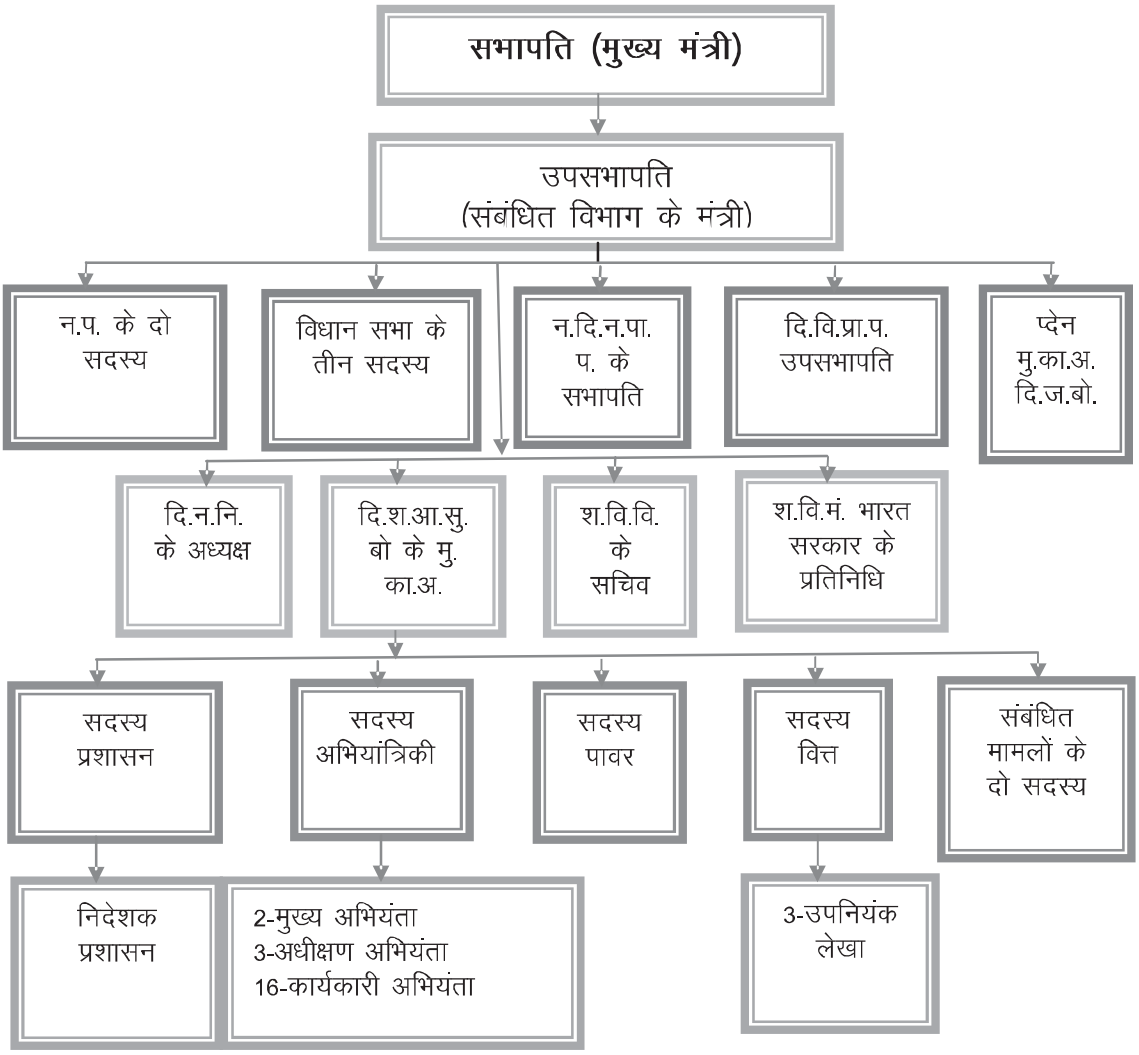
| क्र. सं. | निकाय का नाम | कार्य सौंपने की अवधि | जिस वर्ष तक लेखे बनाए गए | लेखों की प्रस्तुति में विलंब (महीनों में) | जिस अवधि तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया है | विधान मण्डल में पृ.ले.प.प्र.को रखना | पृ.ले.प.प्र. की प्रस्तुति में विलंब (वर्षों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जी.जी.एस.आई.पी.यू. | लेखापरीक्षा के लिए प्रदत्त जीजीआईपीयू अधिनियम 1998 | 2010-11 | 6 महीने | 2010-11 | रखा जाना है | 2 वर्ष |
| 2. | जी.जी.एस.आई.पी.यू. | | 2009-10 | 24 महीने | 2009-10 | रखा जाना है | 3 वर्ष |
| 3. | जी.जी.एस.आई.पी.यू. | | 2011-12 | 3 महीने | 2011-12 | रखा जाना है | 1 वर्ष |
| 4. | इन्द्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टैकनॉलोजी | कार्य को औपचारिक रूप से सौंपना प्राप्त नहीं हुआ | - | - | - | – | - |
| 4. | दिल्ली अर्बन शैल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (डीयूएसआईबी) | –वही– | - | - | - | – | - |
| 5. | अंबेडकर यूनिवर्सिटी | –वही– | - | - | - | – | - |
| 6. | एन.एस.आई.टी. | 2007–08 से पॉच वर्ष | 2005-06 | 53 महीने | 2005-06 | रखा जाना है | 2 वर्ष |
| 7. | एन.एस.आई.टी. | | 2006-07 | 41 महीने | 2006-07 | रखा जाना है | 2 वर्ष |
| 8. | एन.एस.आई.टी. | | 2007-08 | 51 महीने | 2007-08 | रखा जाना है | 2 वर्ष |
| 9. | एन.एस.आई.टी. | | 2008-09 | 43 महीने | 2008-09 | रखा जाना है | 1 वर्ष |
| 10. | एन.एस.आई.टी. | | 2009-10 | प्रतीक्षित | - | – | - |
| 11. | एन.एस.आई.टी. | | 2010-11 | प्रतीक्षित | - | – | - |
| 12. | एन.एस.आई.टी. | | 2011-12 | प्रतीक्षित | - | – | - |
| 13. | दिल्ली जल बोर्ड | माना गया कि कार्य को दि.ज.बो. अधिनियम 1998 के अनुसार सौंपा गया | 2001-02 | 100 महीने | 2001-02 | रखा जाना है | 5 वर्ष |
| 14. | दिल्ली जल बोर्ड | | 2002-03 | 78 महीने | 2002-03 | रखा जाना है | 4 वर्ष |
| 15. | दिल्ली जल बोर्ड | | 2003-04 | 60 महीने | 2003-04 | रखा जाना है | 3 वर्ष |
| 16. | दिल्ली जल बोर्ड | | 2004-05 | 63 महीने | 2004-05 | रखा जाना है | 1 एवं ½ वर्ष |
| 17. | दिल्ली जल बोर्ड | | 2005-06 | 50 महीने | 2005-06 | रखा जाना है | 1 एवं ¼ वर्ष |
| 18. | दिल्ली जल बोर्ड | | 2006-07 | 58 महीने | 2006-07 | रखा जाना है | 1 वर्ष |
| 19. | दिल्ली जल बोर्ड | | 2007-08 | प्रतीक्षित | - | - | - |
| 20 | दिल्ली जल बोर्ड | | 2008-09 | प्रतीक्षित | - | - | - |
| 21 | दिल्ली जल बोर्ड | | 2009-10 | प्रतीक्षित | - | - | - |
| 22 | दिल्ली जल बोर्ड | | 2010-11 | प्रतीक्षित | - | - | - |

| क्र. सं. | निकाय का नाम | कार्य सौंपने की अवधि | जिस वर्ष तक लेखे बनाए गए | लेखों की प्रस्तुति में विलंब (महीनों में) | जिस अवधि तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया है | विधान मण्डल में पृ.ले.प.प्र.को रखना | पृ.ले.प.प्र. की प्रस्तुति में विलंब (वर्षों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | दिल्ली जल बोर्ड | | 2011-12 | प्रतीक्षित | - | - | - |
| 24 | दिल्ली बिल्डिंग एवं अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वैल्फेयर बोर्ड (डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) | माना गया कि कार्य को डीबीसीडब्ल्यू | 2002-03 | 119 महीने | 2002-03 | - | -- |
| 25 | डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी | डब्ल्यू बी अधिनियम 1996 के अनुसार सौंपा | 2003-04 | 107 महीने | 2003-04 | - | - |
| 26 | डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी | | 2004-05 | 95 महीने | 2004-05 | - | - |
| 27. | डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी | | 2005-06* | 83 महीने | - | - | - |
| 28. | डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी | | 2006-07* | 71 महीने | - | - | -- |
| 29. | डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी | | 2007-08* | 59 महीने | - | - | - |
| 30. | डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी | | 2008-09* | 47 महीने | - | - | - |
| 31. | डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी | | 2009-10* | 36 महीने | - | - | - |
| 32. | डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी | | 2010-11 | प्रतीक्षित | - | - | -- |
| 33. | डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी | | 2011-12 | प्रतीक्षित | - | - | - |
| 35. | दिल्ली इलैक्ट्रीसिटी रैगुलेरिटी कमीशन | धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई | 2012-13 | - | 2012-13 | रखा जाना है | - |
| 36. | दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी | माना गया कि कार्य को एलएसए अधिनियम 1987 के अनुसार सौंपा गया | 2012-13* | - | - | - | - |

*कार्य प्रगति पर

अनुलग्नक–2.1
(पैराग्राफ 2.1.1.1 देखें, पृष्ठ 10)

## दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का संगठन चार्ट



## अनुलग्नक–2.2
## (पैराग्राफ 2.2.2.1 देखें, पृष्ठ 27)
## अनावश्यक प्रावधान

| वर्ष | मुख्य शीर्ष | उपशीर्ष | नामांकन | मूल बजट | पुनःविनियोजन | कुल | व्यय | कुल बचत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 2203 | बी 1(5)(7) | संस्थानों में उत्पादन–सह–प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रारंभ करना | 0.80 | 0.80 | | - | |
| | –वही– | बी 1(5)(8) | सभी संस्थाओं में नेटवर्किंग | 0.50 | 0.50 | | - | |
| | –वही– | बी 1(5)(9) | सीखने में प्रयुक्त सामग्री का विकास | 0.20 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 |
| | –वही– | बी 1(5)(13) | दिल्ली ज्ञान हॅब का विकास | 1.00 | 1.00 | | - | |
| | –वही– | बी 1(5)(14) | प्रसिद्ध संस्थाओं में उच्च अध्यापक | 0.40 | 0.40 | - | - | |
| | –वही– | बी 1(6)(3) | इडीयूएसएटी नेटवर्किंग | 0.40 | 0.40 | - | - | |
| | –वही– | बी 1(6)(4) | आईटीआई की स्थापना | 1.10 | 1.10 | | - | |
| | –वही– | बी 1(6)(7) | तकनीकी शिक्षा निधि | 0.10 | 0.10 | - | - | |
| | –वही– | 1(6)(8) | प्रसिद्ध संस्थाओं के साथ सहयोगी व्यवस्था का विकास | 0.10 | 0.10 | - | - | |
| | 2230 | बी 1 (2)(5) | सरकारी आईटीआई (सीसीएस) में प्रशिक्षण और व्याख्यान का स्तर उठाना | 0.13 | 0.03 | 0.10 | - | 0.10 |
| 2009-10 | 2203 | बी 1(5)(8) | सभी संस्थाओं में नेटवर्किंग | 0.50 | 0.50 | | - | |
| | –वही– | बी 1(5)(9) | सीखने में प्रयुक्त सामग्री का विकास | 0.10 | 0.10 | | - | |
| | –वही– | बी 1(5)(16) | दिल्ली ज्ञान विकास संस्थान का विकास | 1.00 | 1.00 | | - | |
| | –वही– | बी 1(6)(4) | विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना | 0.30 | 0.30 | | - | |
| कुल | | | | **6.63** | **6.43** | **0.20** | | **0.20** |

## अनुलग्नक– 2.3.1
## (पैराग्राफ 2.3.5.9 देखें; पृष्ठ 56)
## डबल टैक कोट उपलब्ध कराने पर व्यय

| क्र.सं./ करार सं. | कार्य का नाम | अनुमानित संख्या | अधिक संख्या (टैक कोट) | दर | परिहार्य व्यय (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| **सिविल रोड अनुरक्षण डिविजन एम–111** | | | | | |
| 1/75 | नजफगढ़ रोड (राजा गार्डन से सुभाष नगर चौक), नई दिल्ली का सुदृ. | 166600 | 105467 | 6.50 | 685536 |
| 2/76 | ऊपरी रिज रोड (वंदे मातरम मार्ग) (धौला कुआं फ्लाईओवर से सीमोन बोलीवर मार्ग टी–प्वाइट 1.5 किमी) तथा शंकर रोड चौक से दयाल (1.5) नई दिल्ली का सुदृ (वाऊचर संसं. 211/मार्च 2013) | 180042 | 72520 | 6.03 | 437296 |
| 3/78 | गुरू रवि दास मार्ग (न्यू रोहतक रोड़ से पूसा रोड़) तथा मिलिट्री रोड़ (डीबी गुप्ता रोड़ से न्यू रोहतक रोड़), करोल बाग, नई दिल्ली, का सुदृ. | 115830 | 66000 | 6.5 | 429000 |
| 4/80 | राजौरी गार्डन की आंतरिक सड़कों जैसे मेजर सुदेश मार्ग (नजफगढ़ रोड से रिंग रोड) व मेजर सुदेश गडोक मार्ग (नजफगढ़ रोड से जे–ब्लाक राजौरी गार्डन), नई दिल्ली का सुदृ. | 111738 | 55869 | 6.50 | 363149 |
| **सिविल रोड अनुरक्षण डिविजन एम–113** | | | | | |
| 5/94 | आर.के.पुरम, नई दिल्ली में मेजर सोम नाथ मार्ग तथा तमिल संगम मार्ग का सुदृ. | 137960 | 80600 | 9.55 | 769730 |
| 6/104 | वसंत कुंज क्षेत्र की आंतरिक सड़कों जैसे अरूणा आसफ अली रोड के डी.ए .स्कूल से दिल्ली जल बोर्ड ट्यूब वैल (2) महरौली महिपालपुर रोड के बी–1 टेलीफोन एक्सचेंज से बी–5 तथा बी–6 रोड (3) शिव मंदिर के बी–2 तथा बी–3 रोड से बी–5 तथा बी–6 रोड (4) एम.एम.रोड के डी–1व डी–2 रोड से आई.एल.बी. एस. अस्पताल (5) आई.एल.बी.एस. के स्पोर्टस काम्प्लैक्स से एम. एम. रोड (6) एम.एम. रोड के वाटिका रोड से डी.पी.एस. स्कूल का सुदृ. | 126750 | 67575 | 9.55 | 645341 |
| 7/95 | ग्रीन पार्क, हौज़ खास व कुतुब इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र की आंतरिक सड़कों जैसे (1) नरेन्द्र कुमार पांडे मार्ग, (2) कुतुब औद्योगिक क्षेत्र के सी एवं बी ब्लॉक की परिधीय सड़क तथा अन्य रोड का बाह्य रोड का सुदृ. | 109190 | 54595 | 9.55 | 521382 |
| **सिविल रोड अनुरक्षण डिविजन एम–142** | | | | | |
| 8/02 | नजफगढ़ डासना रोड से घुरेला बोर्डर, नई दिल्ली की रोड का सुदृ. | 356460 | 237640 | 9.55 | 2269462 |
| 9/1 | नजफगढ़ झरोदा रोड से बहादुरगढ़ बोर्डर, नई दिल्ली का सुदृ. | 264600 | 176400 | 9.55 | 1684620 |
| 10/3 | नजफगढ़ फिरनी रोड, नई दिल्ली का सुदृ. | 89100 | 59400 | 9.55 | 567270 |
| **सिविल रोड अनुरक्षण डिविजन एम–313** | | | | | |
| 11/45 | माल रोड एक्सटेंशन में कैरिजवे का सुधा., उप.शीः मुख्य रास्ते का सुदृ. व पुनः सतहीकरण और सीमेंट कंक्रीट सेवा रोड व पटरी इत्यादि का निर्माण | 206787 | 100320 | 9.55 | 958056 |
| 12/48 | बख्तावरपुर पाल का सुधा. व सुदृ. उप.शी.: सड़क कार्य | 48000 | 24000 | 9.08 | 217920 |
| 13/55 | माल रोड से पी.एस तिमारपुर के लखनऊ रोड के रास्ते, पटरी, नालियों का सुधा., उप.शीः रोड का सुदृ. तथा पटरी व नाली का सुधा. | 47600 | 23800 | 9.08 | 216104 |
| 14/60 | किंग्सवे कैंप से रोड सं. 50 के बुरारी रोड का सुधा. उप.शीः रोड का सुदृ. तथा पटरी व नाली का सुधा. | 105000 | 52500 | 9.08 | 476700 |

| क्र.सं./ करार सं. | कार्य का नाम | अनुमानित संख्या | अधिक संख्या (टैक कोट) | दर | परिहार्य व्यय (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/59 | शाह आलम बॉध रोड जी.टी.रोड से रोड सं. 51 के रास्ते का सुधा. व निर्माण, उप.शीः रास्ते केन्द्रीय किनारे, पटरी व एस.डब्ल्यू. नाली का सुधा. व निर्माण | क) 51800<br>ख) 103600 | क) 25900<br>ख) 51800 | क) 13.79<br>ख) 9.08 | 357161<br>470344 |
| 16/61 | तिवेतिया मार्ग लाइट से प्रेरणा चौक के गुलाब सिह मार्ग का सुधा., उप.शीः रोड का सुदृ. तथा पटरी व नाली का सुधा. | 100800 | 50400 | 9.08 | 457632 |
| **सिविल रोड अनुरक्षण डिविजन एम–312** | | | | | |
| 17/63 | रोहिणी, दिल्ली के सैक्टर–3 की रोड पर पटरी का सुधा. व सुदृ. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना तथा स्ट्रीट लाईटिंग का सुधा., उप.शीः रोड का सुदृ. तथा पटरी का सुधा. | 42948 | 19522 | 9.08 | 177260 |
| 18/50 | रोहिणी दिल्ली के सैक्टर–6 की रोड पर पटरी का सुधा. व सुदृ. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना तथा स्ट्रीट लाईटिंग का सुधा., उप.शीः रोड का सुदृ. तथा पटरी का सुधा. | 28800 | 12912 | 9.08 | 117241 |
| 19/58 | रोहिणी, दिल्ली के सैक्टर–6 की रोड पर पटरी का सुदृ. व सुधा. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना तथा लगाना और स्ट्रीट लाईटिंग का सुधा., उप.शीः रोड का सुदृ. तथा पटरी का सुधा. | 20600 | 9322.5 | 9.08 | 84648 |
| 20/74 | रोहिणी, दिल्ली के सैक्टर–11 की रोड पर पटरी का सुधा. व सुदृ. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना तथा स्ट्रीट लाईटिंग का सुदृ. व सुधा., उप.शीः रोड का सुदृ. व पटरी का सुधा. | 68975 | 35760 | 9.08 | 324701 |
| 21/56 | सर छोटू राम मार्ग रोहिणी, दिल्ली के सैक्टर–2 में (अवंतिका चौक से कंझावला रोड का रोड सं. ए–2 तथा जयपुर गोल्डन अस्पताल होकर जाने वाली रोड से जुड़ने वाली रोड सं.ए–1 से ए–42) की पटरी का सुदृ. व सुधा. और रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना तथा स्ट्रीट लाईटिंग का सुधा., उप.शीः रोड का सुदृ. व पटरी का सुधा. | 34456 | 7128 | 9.08 | 64722 |
| 22/72 | रोहिणी, दिल्ली के सैक्टर–14 में पटरी का सुदृ. व सुधा. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना तथा स्ट्रीट लाईटिंग का सुधा., उप.शीः रोड का सुदृ. व पटरी का सुधा. | 76430 | 32044 | 9.08 | 290960 |
| 23/51 | रोहिणी, दिल्ली के सैक्टर ए–1 में से एफ–3 को जाने वाली रोड तथा सैक्टर–2 व 4 में टैंक रोड से होकर जाने वाली रोड पर रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना तथा पटरी का सुदृ. व सुधा., उप.शीः रोड का सुदृ. व पटरी का सुधा. | 56250 | 25130 | 9.08 | 228180 |
| 24/62 | रोहिणी, दिल्ली के सैक्टर–14 में पटरी का सुदृ. व सुधा. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना तथा स्ट्रीट लाईटिंग का सुधा., उप.शीः रोड का सुदृ. व पटरी का सुधा. | 22200 | 9880 | 9.08 | 89710 |
| 25/54 | मंगोलपुरी, दिल्ली के बी–ब्लाक रोड में पटरी का सुधा. व सुदृ. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना तथा कालीमंदिर रोड (एल.पी.रोड 9, टैंक रोड) की स्ट्रीट लाईटिंग का सुधा., उप.शीः रोड का सुदृ. व पटरी का सुधा. | 120520 | 54400 | 9.55 | 519520 |
| 26/68 | पुलिस लाइन, अमर बिस्मिल मार्ग तथा फिरनी रोड, दिल्ली की पटरी का सुदृ. व सुधा. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना तथा लगाना, उप.शीः रोड का सुदृ. व पटरी का सुधा. | 42948.40 | 19522 | 9.08 | 177260 |
| | | | **कुल** | | **13600905** |

## अनुलग्नक – 2.3.2
## (पैराग्राफ 2.3.5.13 को देखें, पृष्ठ 58)
## उद्देश्यों की गैर–प्राप्ति के लिए न रोकी गई राशि

| क्र.सं. | करार सं. | कार्य का नाम | टी.सी. | एस.डी.ओ.एस./ एस.डी.ओ.सी./ ए.डी.ओ.सी. | उद्देश्य जो प्राप्त नहीं हुए | रोकी जाने वाली राशि | रोकी गई राशि | रोकी गई राशि का अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सिविल रोड अनुरक्षण डिविजन एम–3 | | | | | | | | |
| 1 | 60/12-13 | रोहिणी सैक्टर 13 के साथ लगे 15 व 19 की अंतः संबंधित सड़कें में सिगनेज कार्य का सुदृ. व स्ट्रीट लाइट का सुधार, उप.शीः सड़क का सुदृ. | 26009406 | 20.12.12/ 19.3.13 | 4 | 1040376 | शून्य | 1040376 |
| 2 | 12/12-13 | नेताजी सुभाष प्लेस (पीतमपुरा) दिल्ली के सड़क सं. 41 को पार करने वाले पदयात्रियों के लिए सीढ़ी व लिफ्टों के साथ फुटओवर ब्रिज का निर्माण, उप.शीः सिविल कार्य | 44113513 | 30.5.12/ 28.11.12 | 4 | 1764541 | शून्य | 1764541 |
| 3 | 6/12-13 | विभिन्न सड़कों का ए/आर तथा एम/ओ उप.शीः गड्डों की मरम्मत | 13359831 | 3.5.12/ 2.7.12 | 4 | 534393 | शून्य | 534393 |
| 4 | 61/12-13 | रोहिणी सैक्टर–17 के साथ परस्पर जुड़ी सड़कों में निकासी प्रणाली, सिगनेज कार्य का सुदृ. व सुधा. तथा स्ट्रीट लाइट के स्तर में वृद्धि, उप.शीः रोड का सुदृ. व निकास प्रणाली का सुधा. | 28387888 | 20.12.12/ 19.3.13 | 4 | 1135516 | शून्य | 1135516 |
| 5 | 72/12-13 | अलीपुर से होलंबी क्रोसिंग (शाहपुर गढ़ी मोड़), नरेला अलीपुर रोड में पटरी व नाली का सुदृ., सुधार, रिटरों रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना होर्टीकल्चर अनुरक्षण कार्य तथा स्ट्रीट लाईटिंग का सुधार, उप.शीः रोड का सुदृ. तथा पटरी व नाली का सुधा. | 58860614 | 8.2.13/ 6.8.13 | 4 | 2354425 | शून्य | 2354425 |
| 6 | 57/09-10 | (i) ब्रिटेनिया चौक के पास (ii) मोती नगर 'टी' प्वाइंट के पास रिंग रोड के साथ साथ पदयात्रियों के लिए सीढ़ी तथा लिफ्ट के साथ फुटओवर ब्रिज का निर्माण | 33976135 | 2.2.10/ 26.8.10 | 4 | 1359045 | शून्य | 1359045 |
| | | | | | | | कुल | **8188296** |

## अनुलग्नक 2.4.1
## (पैराग्राफ 2.4.1.1 को देखें, पृष्ठ 64)
## निकास प्रणाली के प्रबंधन में भूमिका एवं उत्तरदायित्व

| क्र.सं. | एजेन्सी | कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व |
|---|---|---|
| 1. | सि.बा.नि.वि. | 1000 क्यूसेक से अधिक उत्सर्जन क्षमता वाले मुख्य नालों एवं कुछ छोटे नालों को सम्पोषित करता है। कुल मिलाकर वह 400 कि.मी. की लम्बाई वाले 61 स्टार्म नालों को भी प्रबन्धित करता है। |
| 2. | दि.न.नि. | मई 2012 में त्रिशाखा हुई, दि.न.नि. 480 नालों (चौड़ाई या गहराई 4 फीट और ऊपर वाले) एवं 2530 नालों (चौड़ाई या गहराई 4 फीट से कम वाले), उसके अधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत, को सम्पोषित करता है। |
| 3. | लो.नि.वि. | लो.नि.वि. 60 फीट और ऊपर की चौड़ाई वाली सड़कों के साथ, 1250 कि.मी. की कुल लम्बाई तक चलने वाले नालों को सम्पोषित करता है। |
| 4. | न.दि.न.नि. | न.दि.न.नि. अपने अधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 43 वर्ग कि.मी. में 14 निकास प्रणालियों को सम्पोषित करने के लिए उत्तरदायी है। |
| 5. | दि.ज.बो. | दि.ज.बो. दि.न.नि. के अधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अपजल एवं सीवेज के निस्तारण और अभिक्रिया को प्रबन्धित करता है। उसके पास 7000 कि.मी. की सीवर लाईनों का तंत्र है जिसके साथ 196 कि.मी. की ट्रंक सीवर एवं लगभग 1508 कि.मी. का परिधीय तंत्र है। |

## अनुलग्नक 2.4.2
## (पैराग्राफ 2.4.4.1 (i) को देखें; पृष्ठ 68)
## मानसून प्रारंभ होने के पहले कार्यों के पूरा होने मे देरी

| क्र.स. | कार्य का नाम | सौंपे जाने की तिथि | पूरा होने की तिथि |
|---|---|---|---|
| **2010 का मानसून** | | | |
| 1 | कार्यक्षेत्र की स्थिति के अनुसार संविदा आधार पर मजदूरों को लगाकर निकास नाला के आर डी 2560 मी. से आर डी 2770 मी. की गाद निकालने का कार्य | 08.04.2010 | 13.12.2010 |
| 2 | ट्रंक नाला सं. 1 के आर डी 6690 मी. से आर डी 7970 मी. के मध्य बहने वाली सामग्री को निकालना | 21.05.2010 | 27.02.2011 |
| 3 | ट्रंक नाला सं. 1 के आर डी 9370 मी. से आर डी 10740 मी. के मध्य बहने वाले सामग्री को निकालना | 21.05.2010 | 27.02.2011 |
| 4 | ट्रंक नाला सं. 1 के आर डी 12230 मी. से आर डी 10740 मी. के मध्य बहने वाली सामग्री को निकालना | 21.05.2010 | 27.02.2011 |
| 5 | ट्रंक नाला सं. 1 के आर डी 13387 मी. से आर डी 12230 मी. के मध्य बहने वाली सामग्री को निकालना | 22.05.2010 | 28.02.2011 |
| 6 | बुराड़ी नाला तल के आर डी 2280 मी. से आर डी 6038 मी. के अवरोध को निकालना | 06.03.2010 | 06.11.2010 |
| **2011 का मानसून** | | | |
| 7 | कार्य क्षेत्र की स्थिति के अनुसार संविदा पर मजदूरों तथा जे सी बी. मशीन को लगाकर बंद नाला के आर डी 0 मी. से आर डी 800 मी. की गाद निकालना | 09.02.2011 | 24.01.2012 |
| 8 | निकास नाला सं. 1 के आर डी 345 मी. से आर डी 2560 मी. की गाद निकालने का कार्य | 14.02.2011 | 24.11.2011 |
| 9 | ट्रंक नाला सं. 1 के आर डी 6690 मी. से आर डी 7970 मी. | 15.03.2011 | 20.12.2011 |
| 10 | ट्रंक नाला सं. के आर डी 10330 मी. से आर डी 7970 मी. की (डी/एएस आट्रियल हाइवे ब्रिज से पाईप लाइन ब्रिज) बहने वाली सामग्री को निकालने का कार्य | 21.03.2011 | 31.12.2011 |
| 11 | ट्रंक नाला सं. 1 के लाइन सेक्शन में आर डी 6350 मी. से आर डी 6690 मी. के मध्य इसकी डिजाइन सेक्शन तक गाद निकालना तथा छ: माह की अवधि के लीये अनुरक्षण करना | 13.05.2011 | 12.02.2012 |
| 12 | ट्रंक नाला सं. 1 के आर/एस चैनल के आर डी 5800 मी. से आर डी 6250 मी. इसके डिजाइन सेक्शन तक गाद निकालना तथा छ: माह की अवधि के लिए अनुरक्षण करना | 25.05.2011 | 24.02.2012 |
| 13 | ट्रंक नाला सं. 1 के आ/एस चैनल के आर डी 5260 मी. से आर डी 5800 मी. इसके डिजाइन सेक्शन तक गाद निकालना तथा छ: माह की अवधि तक अनुरक्षण करना। | 26.05.2011 | 25.02.2012 |
| 14 | एल एफ बंद स्टोर के जलाशय से अवरोधन/बहने वाली सामग्री को निकालना साथ ही निकाले गए अवरोधन/बहने वाली सामग्री को गाड़ना तथा जलाशय की नौ माह की अवधि तक अनुरक्षण करना | 30.06.2011 | 04.04.2012 |
| 15 | एल एफ बंद नाले के आर डी 0 मी. से आर डी 900 मी. की वार्षिक सफाई/अनुरक्षण (नौ माह की अवधि के लिए) | 30.06.2011 | 05.03.2012 |

| क्र.स. | कार्य का नाम | सौंपे जाने की तिथि | पूरा होने की तिथि |
|---|---|---|---|
| 16 | निम्न स्तरीय रोड के साथ एल. एफ. बंद नाले की 254 दिन का अवधि के लिए आर डी 900 मी. से आर डी 3800 मी. के नाले की वार्षिक सफाई/अनुरक्षण | 25.07.2011 | 10.11.2012 |
| 17 | बुराडी क्रीक नाला तक की आर डी 6900 मी. से आर डी 8863 मी. के मध्य अवरोध हटाना | 27.04.2011 | 15.07.2011 |
| 18 | नाला सं. 6 के आर डी 0 मी. से आर डी 14725 मी. के मध्य तल से अवरोध जैसे पुराना टूटा हुआ बड़ा पेड़, पटेरा, अस्वास्थ्यकर निक्षेप, झाडियाँ इत्यादि हटाना | 08.07.2011 | 22.07.2011 |
| **2012 का मानसून** | | | |
| 19 | टी डी सं. 1 के आर डी 8600 मी. से आर डी 8950 मी. तक इसके डिजाइन सेक्शन (दाया मांग केवल) की गाद निकालने का कार्य | 10.04.2012 | 14.07.2012 |
| 20 | टी डी सं. 1 के आर डी 7600 मी. से आर डी 7970 मी तक इसके डिजाइन सेक्शन (दाया भाग केवल) की गाद निकालने का कार्य | 17.04.2012 | 18.07.2012 |
| 21 | टी डी सं. 1 से आर डी 7200 मी. से आर डी 7600 मी. तक उनके डिजाईन किए गए सेक्शन से डि–सिल्टिंग (केवल दायी ओर से) | 26.05.2012 | 21.08.2012 |
| 22 | टी डी सं. 1 मे बी/डब्लयू. आर डी 6690 मी. से आर डी 5260 मी. पटरी से एकत्रित किए गए कूडा करकट मलबा को डाला जाना तथा बहि:स्राव नाले से कचरा बहाया जाना तथा छ: महीनों की अवधि के लिए उसके नालियों का अनुरक्षण | 19.06.2012 | 24.02.2013 |
| 23 | वर्तमान में आर डी बाउण्ड्री वॉल की मरम्मत तथा आर डी 10330 मी. से आर डी 11270 मी. के मध्य टी डी न. 1 की आर./डब्लयू. के पास मलबा तथा कचरे का हटाया जाना | 22.06.2012 | 26.08.2012 |
| 24 | पटरियों से एकत्रित किए गए मलबा को हटाना तथा बी./डब्लयू. आर डी 6690 मी. से आर डी 8950 मी. तक में टी डी सं. 1 के बहिस्राव नाले से कचरा बहाया जाना तथा छ: महीनों की अवधि के लिए उसका अनुरक्षण | 09.10.2012 | 13.04.2013 |
| 25 | आर डी. 6900 मी. से आर डी 8863 मी. के मध्य बुराडी क्रीक ड्रेन के तल मे एकत्रित कूड़े का हटाया जाना | 29.05.2012 | 26.09.2012 |
| 26 | आर डी 1800 मी. से आर डी 2100 मी. के मध्य नई ड्रेन के तल से वायी और के किनारे पर आर डी 4875 मी. से आर डी 5400 तथा दायी ओर के किनारे पर आर डी 1800 मी. से आर डी 2800 मी. और आर डी 4475 मी. से आर डी 4975 तक कचरे को हटाया जाना | 08.06.2012 | 24.09.2012 |
| **2013 का मानसून** | | | |
| 27 | पटरियों का निर्माण तथा आर डी 11300 मी. से आर डी 13387 मी. तक के मध्य टी. डी न. 1 के एकत्रित कचरे का हटाया जाना। | 12.03.2013 | 16.07.2013 |

**अनुलग्नक 2.4.3**
**(पैराग्राफ 2.4.4.1 (iii) को देखें; पृष्ठ 68)**
**लो.नि.वि. की नालियों के गाद हटाए जाने की गतिविधियों में विलंब**

| क्षेत्र | कमियाँ |
|---|---|
| एम-1 | एम–1 क्षेत्र में सभी 24 पैकेजों में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया । एम–113 डिविजन के अन्तर्गत में सात मामलों में (जहाँ सड़कें दि.न.नि. से ली गईं थीं), गाद हटाने की स्थिति की रिपोर्ट 11 मई 2012 को लो.नि.वि. के प्रधान सचिव तथा ई–इन–सी को भेजी गई जिसमें यहाँ तक कि सड़कों तथा उनके रूटों के विवरण उल्लिखित नहीं थे जिनके लिए कार्य के सौंपे जाने को अंतिम रूप दिया जा रहा था । इसके अतिरिक्त नौ मामलों में निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाना था, जबकि गाद हटाने के लिए नियत अवधि पहले ही आधी से अधिक बीत चुकी थी । |
| एम-2 | एम–2 क्षेत्र की 22 मई 2012 की स्थिति रिपोर्ट में 25 सड़कों में से यहाँ तक कि एक भी सड़क के लिए गाद हटाए जाने के कार्य को पूरा करने की तिथि निर्धारित नहीं थी। |
| एम-3 | एम–3 क्षेत्र में 21 मई 2012 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सभी तीन डिविजनों को दि.न.नि से ली गई सड़कों के किनारे स्थित नालियों से गाद हटाए जाने के लिए 24 मई 2012 को निविदाएं प्राप्त करनी थीं। लो.नि.वि. की सड़कों के संबंध में कोई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। |
| एम-4 | एम–4 क्षेत्र के अंतर्गत गाद हटाने के कार्यों के लिए 21 मई 2012 की स्थिति रिपोर्ट ने दर्शाया कि 14 में से चार मामलों में कार्यों को पूरा करने की निर्धारित तिथि जून के दूसरे सप्ताह के दौरान थी। छः मामलों में निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाना था जबकि चार मामलों में कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि 18 तथा 25 अक्तूबर 2012 के बीच अर्थात लगभग मानसून के वापस लौटने तक नियत की गई थी । |

**अनुलग्नक 2.4.4**
**(पैराग्राफ 2.4.4.3 को देखें; पृष्ठ 71)**
**2013 के मानसून के दौरान प्रकट होने वाले नये अति संवेदनशील स्थान**

| दिनांक | स्थान |
|---|---|
| 09.07.2013 | नुक्कड फैज़ बाजार के से के.जी. अस्पताल तक, दिल्ली गेट से राजघाट अंसारी मोड़, रोशनारा 'टी' प्वाइंट मैट्रो पिलर, पुराना किला रोड से सी–हैक्सागॉन इंडिया गेट, शालीमार बाग अंडर पास, दिल्ली हॉट रोड सं. 41, फ्लाईओवर के पास नेताजी सुभाष प्लेस, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, राम चरण अग्रवाल चौक, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, पूर्वी बारापुला, आऊटर रिंग रोड, संसद विहार, मंगोल पुरी, जेल रोड, बादली, आऊटर रिंग रोड हैदरपुर, माता चौक के पास महीपालपुर से वसंत कुंज की ओर, महीपालपुर चौक, धौला कुआं लूप, रिंग रोड, बवाना चौक, प्रहलादपुर गॉव, बवाना, बरबाला गॉव, पूठ खुर्द गॉव, निगम बोध घाट 'यू' टर्न, बाबा खड़क सिंह मार्ग, सराय काले खां फ्लाईओवर के नीचे, मथुरा रोड, आली 'टी' प्वाइंट से खादर 'टी' प्वाइंट तक, रिंग रोड एन एच–24, लैंडिंग प्वाइंट के समीप एन एच–8, भगवान दास रोड–मथुरा रोड क्रोसिंग, सिरी फोर्ट रोड, रिंग रोड, जन्माष्टमी पार्क के सामने पंजाबी बाग, सैक्टर 6–7 द्वारका। |
| 20.07.2013 | न्यू फ्रैंडस कॉलोनी लाल बत्ती, नं. 1 पार्क लेन, बी–3 फोर्टिस अस्पताल, नेहरू प्लेस से चिराग दिल्ली, अली गॉव, जामिया से सुखदेव नगर, होटल जनपथ, जामा मस्जिद, आर/ए तीन मूर्ति, साउथ एवेन्यू, आर/ए रेल भवन, सफदरजंग रोड, सत्य निकेतन गुरूद्वारा से मोती बाग चौक, के.एन. काटजू मार्ग, लक्ष्मी नगर से प्रीत विहार, शास्त्री पार्क से गांधी नगर, पार्क स्ट्रीट, लक्ष्मी नारायण मंदिर मार्ग, मंदिर मार्ग कॉम्प्लैक्स, डाबरी से द्वारका–राजापुरी, कड़कड़डूमा मैट्रो मार्ग, अमन होटल के समीप लोधी रोड सीजीओ काम्प्लैक्स, एस्कोर्ट अस्पताल, पंजाबी बाग से माया पुरी, ईएसआई अस्पताल, गिरधारी लाल चौक, डाबरी से पालम फाटक, सराय काले खां से राजघाट, नजफगढ़ रोड से उत्तम नगर, तिलक नगर चौराहा, विष्णु दत्त मार्ग–नांगल राय, पंखा रोड पर सागर पुर बस स्टैंड, उत्तम नगर पूर्वी मैट्रो स्टेशन, मैट्रो पिलर सं. 720 से 730, ककरोला मोड़ बत्ती सिगनल। |
| 22.07.2013 | मंदिर मार्ग टी–प्वाइंट, पहाड़ गंज चौक, महारानी बाग रिंग रोड, नेहरू नगर बस स्टैंड, गुप्ता मार्किट |
| 30.07.2013 | आर/ए झंडेवालान, राजपुर रोड दि.न.नि. कार्यालय, ए–प्वाइंट, मोरी गेट, आयरन पुल, जी–ब्लाक आऊटर सर्किल कनॉट प्लेस, भवभूति मार्ग, उच्च न्यायालय से डब्ल्यू प्वाइंट, शेर शाह सूरी रोड, मधुबन चौक से प्रीत विहार, सरिता विहार फ्लाईओवर |
| 05.08.2013 | एनएसजी के सामने पिलर सं. 308, मॉ आनंदमयी मार्ग कन्टेनर डिपो, सावित्री फ्लाईओवर, भारताई चौक, ब्रिटेनिया फ्लाईओवर |

अनुलग्नक 2.4.5
(पैराग्राफ 2.4.4.4 को देखें; पृष्ठ 71)
कार्य प्रदान करने में देरी

| क्रम सं. | डिविजन | कार्य का नाम | पाई गई त्रुटि की तिथि | कार्य प्रदान करने की तिथि | कार्य पूरा करने की तिथि | कार्य प्रदान करने में देरी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **मनसून 2010** | | | | | | |
| 1 | पश्चिम III | जनकपुरी मेन लाइन में डी सिल्टिंग में सुधार | 07.04.2010 | 20.09.2010 | 24.10.2010 | 166 दिन |
| 2 | पश्चिम III | उत्तम नगर ट्रंक सीवर की डी–सिल्टिंग | 06.05.2010 | 24.12.2010 | 21.03.2011 | 232 दिन |
| **मनसून 2011** | | | | | | |
| 3 | पश्चिम III | ज्वालापुरी में सीवर प्रणाली मे सुधार | 04.06.2011 | 09.11.2012 | 10.03.2012 | 158 दिन |
| 4 | पश्चिम III | मेन हॉल की मरम्मत तथा डी–सिल्टिंग द्वारा सीवर सिस्टम में सुधार | 08.06.2011 | 30.07.2011 | 07.09.2011 | 52 दिन |
| 5 | उ.पू. III | शास्त्री पार्क में सीवर लाइन की डी–सिल्टिंग | 12.06.2011 | 09.11.2011 | 03.01.2012 | 150 दिन |
| **मनसून 2012** | | | | | | |
| 6 | उ.पू. III | सीलमपुर में सीवर लाइन की डी–सिल्टिंग | 04.11.2011 | 27.04.2012 | 30.09.2012 | 175 दिन |
| 7 | पूर्व II | अनार कली में सीवर लाइन की डी–सिल्टिंग | 23.03.2012 | 06.06.2012 | 01.10.2012 | 75 दिन |
| 8 | पूर्व II | वार्ड सं. 229 में सीवर लाइन का सुधार | 18.04.2012 | 18.03.2013 | 23.04.2013 | 335 दिन |
| 9 | उत्तर I | मल्का गंज में सीवर लाइन की डी–सिल्टिंग | 06.06.2012 | 25.07.2012 | 21.08.2012 | 49 दिन |
| 10 | उत्तर I | जी.टी. रोड़ में सीवर की डी–सिल्टिंग | 08.06.2012 | 23.08.2012 | 11.10.2012 | 76 दिन |
| 11 | उत्तर I | वार्ड सं. 12 में अवरोधन हटाना | 12.06.2012 | 17.08.2012 | 30.08.2012 | 66 दिन |
| 12 | उ.पू. III | गली नं. 1–30 में सीवर लाइन में सुधार | 26.06.2012 | 25.08.2012 | 22.03.2013 | 60 दिन |
| 13 | पूर्व II | विवेक विहार में सीवर सिस्टम का सुधार | 29.06.2012 | 21.09.2012 | 22.11.2012 | 84 दिन |
| 14 | पूर्व II | ए.सी. 69 हंस अपार्टमेंट में सीवर सिस्टम में सुधार | 03.07.2012 | 08.10.2012 | 22.11.2012 | 97 दिन |
| 15 | पूर्व II | ए.सी. 62 में सीवर सिस्टम में सुधार | 01.08.2012 | 01.10.2012 | 23.03.2013 | 61 दिन |

## अनुलग्नक 2.4.6
(पैराग्राफ 2.4.5 (क) देखें; पृष्ठ 73)
स्थान जहाँ की गई कार्रवाई/दिए गए आश्वासन के पश्चात भी बार–बार जल भराव की सूचना दी गई थी

| स्थान | जल भराव का होना | कारण | की गई कार्रवाई (31 जनवरी 2013 तक) | 31 जनवरी 2013 के बाद जल भराव | की गई कार्रवाई (16 जुलाई 2013 तक) | 16 जुलाई 2013 के बाद जल भराव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **आश्रम चौक** | 6 जुलाई, 21 अगस्त व 28 अगस्त 2012 | पाइप के मुँह बंद हो जाना | पाइप के मुँह साफ किए गए | 5 फरवरी तथा 9 जुलाई 2013 | पाइप के मुँह साफ किए गए। | 22 जुलाई, 30 जुलाई व 5 अगस्त 2013 |
| **आई.टी.ओ/तिलक ब्रिज/आई.पी. फ्लाईओवर के नीचे** | 6 जुलाई व 21 अगस्त 2012 | मुहाने पर धीमी निकासी, नाली का बंद होना, पंप का टूटना | पंपो की मरम्मत की गई तथा नाली साफ करके निकासी ठीक की गई | 5 फरवरी तथा 9 जुलाई 2013 | पंपो की मरम्मत की गई तथा नाली साफ करके निकासी ठीक की गई। | 20 जुलाई, 22 जुलाई, 30 जुलाई व 5 अगस्त 2013 |
| **धौला कुआं अंडरपास/फ्लाईओवर** | 27 अगस्त 2012 | प्लास्टिक के कचरे के कारण निकासी का अवरोधन | वर्षा के दौरान प्लास्टिक के कचरे को तत्काल हटाया गया | – | वर्षा के दौरान प्लास्टिक के कचरे को तत्काल हटाया गया तथा वाटर पंप अधिष्ठापित किए जाने हैं।* | 7 अगस्त व 20 अगस्त 2013 |
| **आरविंदो मार्ग पर अधचीनी टी पवाइंट** | 6 जुलाई, 21 अगस्त, 28 अगस्त व 29 अगस्त 2012 | नालियाँ उचित रूप से नहीं थी | नाली को रोड सं. 11 में निर्मित किया गया है | 9 जुलाई 2013 | नालियों का कार्य पूरा किया गया। | 20 जुलाई तथा 6 अगस्त 2013 |
| **मैक्स अस्पताल से लेकर युसूफ सराय के पहले अरविंदो मार्ग के दोनों तरफ** | 27 अगस्त तथा 29 अगस्त 2012 | निकासी प्रणाली का अनुपयुक्त होना | डिविजन कार्यालय में अनुमान प्रगति पर है | 9 जुलाई 2013 | डीएमआरसी द्वारा नई नालियाँ निर्मित की गई। | 6 अगस्त 2013 |
| **शान्ति वन चौक** | 6 जुलाई 2012 | शान्ति वन बत्ती सिगनल पर निम्न स्थल क्षेत्र तथा पाइपों के मुँह बंद होना | स्थायी पंपिंग प्रणाली के लिए कार्रवाई की जा रही है तथा पाइपों के मुँह साफ किए गए | – | स्थायी पंपिंग प्रणाली अधिष्ठापित की जा रही है तथा पाइपों के मुँह साफ किए गए। | 30 जुलाई व 6 अगस्त 2013 |
| **डीसी कार्यालय एमबी रोड** | 28 अगस्त व 29 अगस्त 2012 | अपर्याप्त निकास प्रणाली | नालियों का पुनर्निर्माण किया जाना | 5 फरवरी 2013 | कार्य प्रगति पर है। अल्पावधि उपाय किए गए। | 7 अगस्त 2013 |
| **अणुव्रत मार्ग** | 28 अगस्त व 29 अगस्त 2012 | नालियाँ उचित रूप से नहीं थीं | पुलिया का कार्य पूरा किया गया तथा कार्यात्मक है। वहाँ जल भराव की कोई संभावना नहीं है। | 17 जून 2013 | पुलिया का कार्य पूरा किया गया तथा कार्यात्मक है। | 20 जुलाई व 7 अगस्त 2013 |
| **आर टी आर रोड** | 27 अगस्त व 29 अगस्त 2012 | पाइप का मुँह टूट जाने के कारण | कार्य प्रगति पर है | 5 फरवरी, 16 जून व 9 जुलाई 2013 | कार्य प्रगति पर है। | 20 जुलाई 2013 |
| **ओल्फ पालमे मार्ग** | 27 अगस्त 2012 | अनुपयुक्त निकास प्रणाली के कारण तथा पाइप का मुँह बंद होने के कारण | फ्लाईओवर क्षेत्र, लो नि वि के द्वारा नए पुलिया का निर्माण प्रगति पर है | 9 जुलाई 2013 | जल भराव रोकने हेतु किए गए अल्पावधि उपाय। | 7 अगस्त 2013 |

| स्थान | जल भराव का होना | कारण | की गई कार्रवाई (31 जनवरी 2013 तक) | 31 जनवरी 2013 के बाद जल भराव | की गई कार्रवाई (16 जुलाई 2013 तक) | 16 जुलाई 2013 के बाद जल भराव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **मॉ आनंदमयी मार्ग** | 28 अगस्त व 29 अगस्त 2012 | एक मेनहोल का टूट जाना | एक मेनहोल का निर्माण तथा नाली की मरम्मत हेतु कार्रवाई की जा रही है | 5 फरवरी व 16 जून 2013 | आवश्यक कार्रवाई की गई। | 5 अगस्त 2013 |
| **छाता रेल** | 6 जुलाई, 27 अगस्त व 28 अगस्त 2012 | निम्न स्थल क्षेत्र | स्थायी पंपिंग स्टेशन हेतु की जा रही कार्रवाई | 5 फरवरी, 17 जून व 9 जुलाई 2013 | स्थायी पंपिंग स्टेशन हेतु की जा रही। कार्रवाई | 6 अगस्त 2013 |
| **धानसा स्टैण्ड** | 21 अगस्त व 6 जुलाई 2012 | स्थानीय कॉलोनियों के पास सीवर सह स्ट्रोम वाटर ड्रेन को मेन रोड के एस.डब्ल्यू.डी जोड़ा गया | नजफगढ़ शहरी क्षेत्र में सड़के धांसा रोड सहित निम्न स्थलीय हैं। स्ट्रोम वाटर की निकासी हेतु बहुत से एस डब्ल्यू डी निर्माणाधीन हैं | 5 फरवरी, 17 जून व 9 जुलाई 2013 | निकासी कार्य प्रगति पर है और पूर्ण होने वाला है** | 20 जुलाई, 22 जुलाई व 6 अगस्त 2013 |
| **लोनी रोड/ लोनी फ्लाईओवर** | 7 अगस्त व 21 अगस्त 2012 | 52 क्यूसैक नाली गाद से भरी है (लो. निगि.वि. के पास नहीं है) | व्यक्ति कार्यरत हैं और मामले को नालियों के स्वामित्व वाले प्राधिकारियों के पास उठाया जाना था | 5 फरवरी 2013 व 16 जून 2013 | श्रमिक लगे हुए है, वहॉ जल भराव की संभावना तब तक नहीं है जब तक की नालियों का जल स्तर 52 क्यूसैक नहीं हो जाता। | 20 जुलाई व 30 जुलाई 2013 |
| **मोती बाग चौक/मोती बाग फ्लाईओवर** | 21 अगस्त व 29 अगस्त 2012 | पाइप के मुँह साफ करने की आवश्यकता है/नालियों के पाइप बंद है | पाइपों के मुँह साफ किए गए/सफाई किए जाने है | 5 फरवरी व 17 जून 2013 | पाइप बदली गई तथा श्रमिक व पंप लगे हुए थे। | 20 जुलाई, 30 जुलाई व 20 अगस्त 2013 |
| **जसोला रोड** | – | पाइपों के मुँह बंद हो गए | पाइपों के मुँह साफ किये गए | 16 जून 2013 | पाइपों के मुँह साफ किये गए। | 20 जुलाई, 22 जुलाई, 30 जुलाई व 6 अगस्त 2013 |

*यह कहा गया कि पम्प मानसून 2013 के अनुसार अधिष्ठापित किये गये।
**पी.डब्ल्यू.सी ने आश्वासन दिया की जल भराव नहीं होगा, यद्यपि कार्य प्रगति पर था।

अनुलग्नक 2.4.7
(पैराग्राफ 2.4.5 (ख) को देखें; पृष्ठ 74)
वर्षा के दौरान रिपार्ट किए गए क्षेत्र जहाँ जल भराव हुआ था

| ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए गए जल भराव की तिथि | पुराने रेलवे पुल पर आई.एम.डी.द्वारा रिपोर्ट किया गया जल का स्तर (मीटर मेंमें) | आई.एम.डी. द्वारा 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट की गई वर्षा की मात्रा (मि.मीमी.में) | | | | ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए गए जल भराव के बिंदुओं की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पलम | सफदरजंग | धानसा | दिल्ली रेवले पुल | |
| 06.07.12 | 202.35 | 34.00 | 40.10 | 9.60 | 62.40 | 73 |
| 21.08.12 | 203.22 | 1.40 | 28.40 | 10.20 | 7.30 | 70 |
| 27.08.12 | 204.28 | 37.80 | 43.10 | 18.40 | 11.60 | 23 |
| 28.08.12 | 204.70 | 29.00 | 59.50 | 5.80 | 8.40 | 41 |
| 29.08.12 | 204.70 | 19.90 | 14.40 | 4.20 | 0.00 | 33 |
| 22.07.13 | 204.48 | 9.40 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 17 |
| 05.08.13 | 203.09 | 0.7 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| 06.08.13 | 203.42 | 38.20 | 13.50 | 24.40 | 6.30 | 27 |

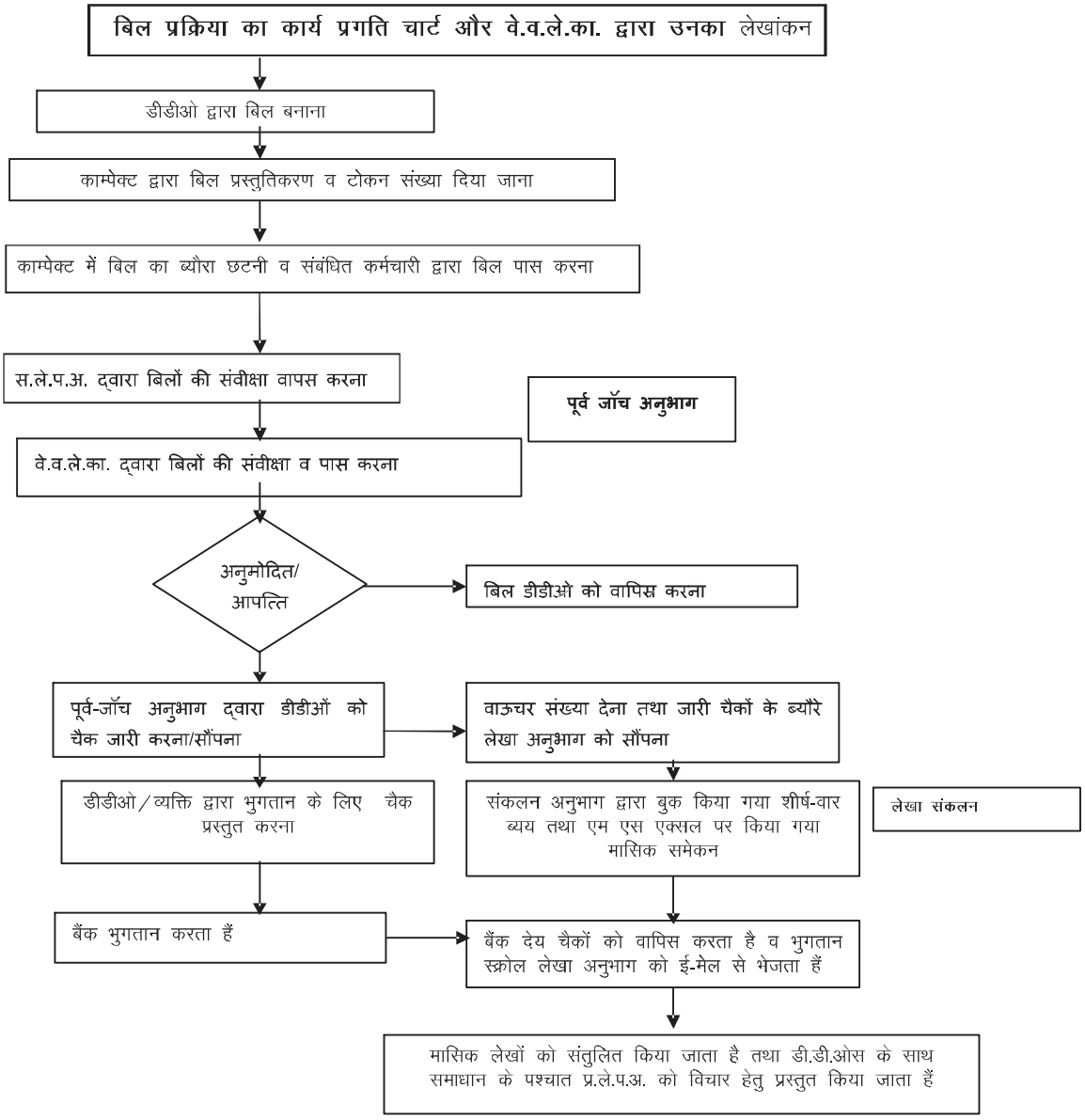
**अनुलग्नक 2.4.8**
**(पैराग्राफ 2.4.6 (v) को देखें; पृष्ठ 75)**
**चारदीवारी के निर्माण के लिए निर्माण कार्यों में किए गए विलम्ब के ब्यौरे**

| क्रम सं. | कार्य का नाम | सौंपा गया मूल्य (₹) | आरम्भ तथा समापन की विनिर्दिष्ट तिथि | समापन की वास्तविक तिथि | समापन की प्रतिशतता सहित कार्य के पहले बंद किये जाने/अवरोधन की तिथि | विलम्ब/पहले बंद किए जाने के कारण | विभाग के जवाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नजफगढ़ नाले के बायीं ओर किनारे पर चारदीवारी का ढहाया जाना तथा पुनर्निर्माण | 65.87 लाख | 10.05.2012 तथा 09.11.2012 | ——— | मार्च 2013, ₹ 47.71 लाख पर (51 *प्रतिशत*) | ठेकेदार ने कारों की पार्किंग के कारण जगह की कमी का हवाला देते हुए तथा खुले बाजार में ईंटों की गैर–उपलब्धता के कारण भी कार्य रोक दिया था। | विभाग ने जवाब दिया कि ठेकेदार को निविदाकरण से पूर्व स्थल के बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी। |
| 2. | बसईदारापुर ब्रिज से स्रावों का यमुना नदी में गिराए जाने वाले नजफगढ़ नाले की पुनर्मरम्मत | 208.31 लाख | फरवरी, 2008 तथा नवम्बर 2008 | ——— | अक्तूबर 2010 (65 *प्रतिशत*) ₹ 172.85 लाख | विभाग ठेकेदार को बाधामुक्त स्थल नहीं सौंप सका था | विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया। |
| 3 | नजफगढ़ नाले के बायें किनारे के साथ–साथ भूमि परिसीमा पर चारदीवारी का निर्माण | 510.92 लाख | जून 2008 तथा जून 2009 | ——— | मार्च 2010, 9 कि.मी. सीमांकन के समापन के पश्चात (45 *प्रतिशत*) ₹ 258.59 लाख | विभाग ने भूमि के शेष सीमांकन के लिए राजस्व विभाग को पत्र लिखा था। | विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया |
| 4 | बुराड़ी नाले के दोनों ओर ईंट की दीवार का निर्माण | 100.81 लाख | अप्रैल 2008 तथा अगस्त 2008. | ——— | 53%, (₹ 53.01 लाख), 28.10.2009 | कार्य को सीमांकित स्थल की गैर–उपलब्धता के कारण रोक दिया गया था तथा कार्य को समय से पहले बंद कर दिया गया। | विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया |
| 5 | बवाना निकास (सात कार्य) का "पुनर्निमाण" | चारदीवारी के सात कार्यों के लिए ₹ 401.03 लाख | छः निर्माण कार्यों के लिए जनवरी 2003 से सितम्बर 2003 के बीच आरंभ हुआ तथा मई 2003 से अक्तूबर 2004 के बीच समापन हुआ। एक कार्य के लिए मई 2009 से अगस्त 2009 | दो कार्य 2005–06 तथा एक कार्य 2009–10 में पूर्ण हुआ | 2005–06 से 2009–10 के दौरान ₹ 149.67 लाख की राशि के चार कार्य समय से पहले बंद कर दिए गए थे। | ठेकेदारों के द्वारा निर्माण कार्य को बन्द कर दिया गया था | विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि विभाग के द्वारा अपूर्ण कार्यों को रद्द कर दिया गया था। ये कार्य अभी विवाचन के अन्तर्गत हैं। |

**अनुलग्नक 2.4.9**
**(पैराग्राफ 2.4.10.2 (ख) को देखें; पृष्ठ 79)**
**ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए गए स्थान जहाँ जल भराव हुआ था परन्तु लो.नि.वि. की स्थिति रिपोर्ट में नहीं दर्शाए गए थे**

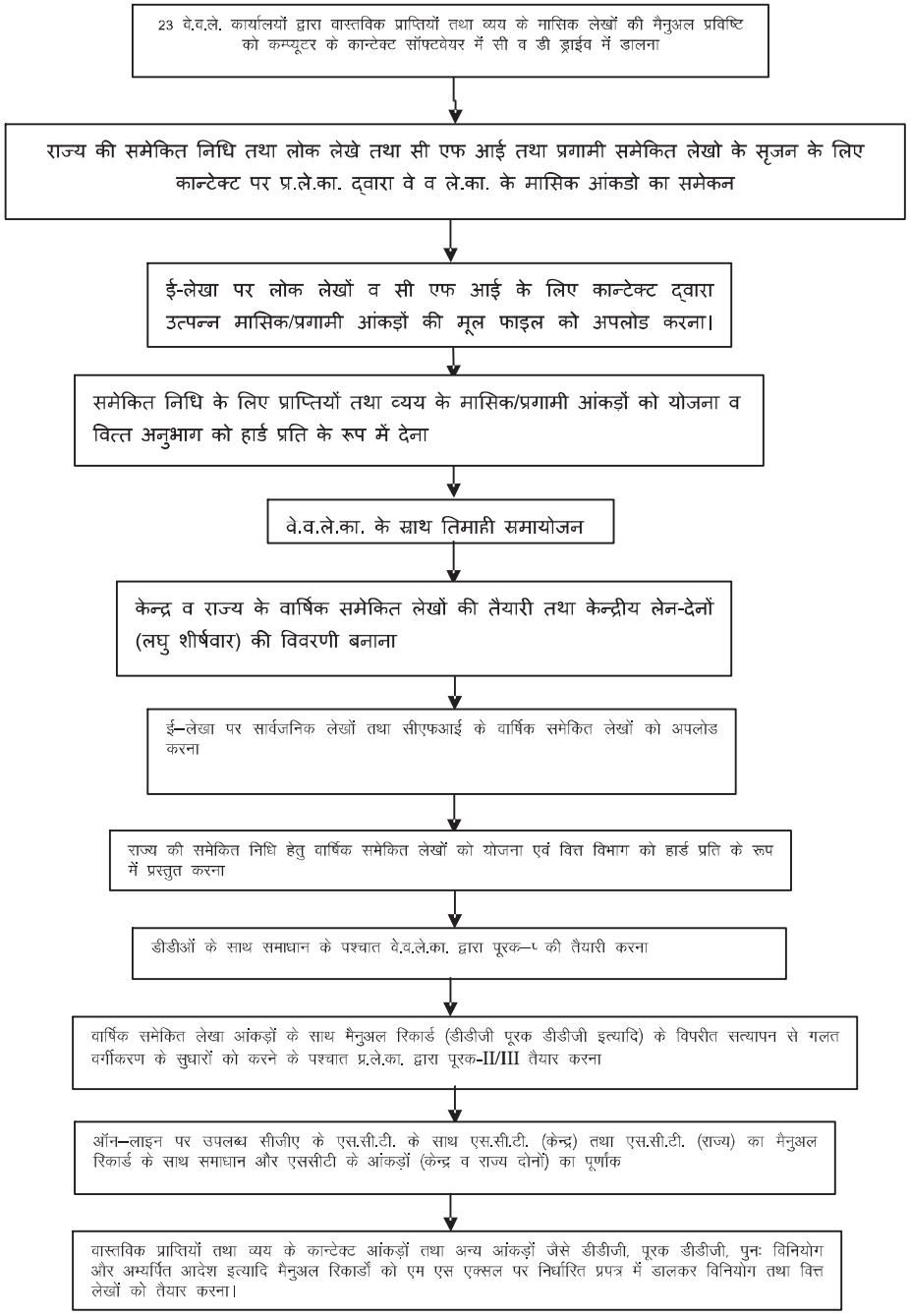
| दिनांक | स्थान |
|---|---|
| 09.07.2013 | अरविन्दो मार्ग, संजय 'टी' पाइंट, छाता रेल, धानसा स्टैन्ड, लॉरेंस रोड अन्डरपास, मायापुरी चौक से घुमाकर लाजवन्ती चौक की ओर वजीरपुर प्राधिकरण के सामने, पूर्वी मार्ग से राव तुला राम मार्ग तक, महिपालपुर चौक, झण्डु सिंह मार्ग, आई.एस.बी.टी., रोड न. 37, रोड न. 41, आजाद मार्किट चौक |
| 06.08.2013 | धानसा स्टैड नजफगढ़, शान्ति वन चौक, छाता रेल, हरकेश नगर, अरबिन्दों मार्ग युसुफ सराय, जसौला रोड न. 13, सरिता विहार फ्लाईओवर के नीचे |
| 07.08.2013 | ओल्फ पालमे मार्ग, पश्चिमी मार्ग, एम.बी.रोड तथा सौ फुटा अणुब्रत मार्ग, डी.सी. औफिस एम.बी.रोड |

**अनुलग्नक 2.5.1**
**(पैराग्राफ 2.5.6; को देखें; पृष्ठ 85)**



## अनुलग्नक– 2.5.2
## (पैराग्राफ 2.5.6; को देखें पृष्ठ 85)

### विनियोग लेखे तथा वित्त लेखों की तैयारी का कार्य प्रगति चार्ट



अनुलग्नक– 2.5.3

(पैराग्राफ 2.5.7.1 (ख) (i) को देखें; पृष्ठ 87)

वे. व ले. का. वार डीलिंग हैन्ड, स.ले.प.अ. एवं वे.व.ले.अ. द्वारा 5 मिनट में पास हुए बिलों की स्थिति

| क्र.सं. | वे. व. ले. का. | मामलों की सं; |
|---|---|---|
| 1 | वे. व. ले. का. – IV | 107 |
| 2 | वे. व. ले. का. – VI | 468 |
| 3 | वे. व. ले. का. – IX | 1564 |
| 4 | वे. व. ले. का. – XV | 621 |
| 5 | वे. व. ले. का. – XXIII | 314 |
| | कुल | **3074** |

अनुलग्नक– 2.5.4

(पैराग्राफ 2.5.7.1 (ख) (i) को देखें पृष्ठ 87)

31 मार्च 2013 तक वे.व.ले.का. वार बकाया चैकों की स्थिति जिसमें डम्मी चैक नम्बर शामिल है

| क्र.सं. | वे.व.ले.का. | डम्मी चैक सं. सहित चैको की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | वे. व. ले. का. – IV | 127 | 1.77 |
| 2. | वे. व. ले. का. – XXIII | 101 | 3.43 |
| | कुल | **228** | **5.20** |

## अनुलग्नक – 2.5.5
## (पैराग्राफ 2.5.8.2 को देखें; पृष्ठ 96)
## लेखा शीर्षों की बुकिंग में विपथन/विषमता की सूची

| क्र. सं. | बिल सं. | दिनॉक | टोकन सं. | डी.वी. सं. | राशि | आ.व स.अ. के अनुसार शीर्ष | संस्वीकृति आदेश के अनुसार शीर्ष | पीएओ द्वारा एम. एस.एक्सेल में बुक्ड शीर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वे.व ले.का.– XV | | | | | (आ. व स.अ कोड सं.: 032768) | | |
| 1 | सीबी/468 | 23.02.13 | 27988 | 23933 | 177913 | 2202 ए 2(3)(2)(4) – स्पोर्टस व गेम्स की उन्नति की गतिविधियॉ – का. व्यय | 2202 ए 2(3)(2)(4) – स्पोर्टस व गेम्स की उन्नति की गतिविधियॉ – का.व्यय | 2202 ए 2(3)(2)(4) – एन पी स्पोर्टस की उन्नति |
| 2 | सीबी/486 | 07.03.13 | 27987 | 23932 | 122188 | 2202 ए 2(3)(2)(4) – स्पोर्टस व गेम्स की उन्नति की गतिविधियॉ – का. व्यय | 2202 ए 2(3)(2)(4) – स्पोर्टस व गेम्स की उन्नति की गतिविधियॉ – का.व्यय | 2202 ए 2(3)(2)(4) – एन पी स्पोर्टस की उन्नति |
| 3 | सीबी/485 क | 07.03.13 | 29161 | 25020 | 126784 | 2202 ए 2(3)(2)(4) – स्पोर्टस व गेम्स की उन्नति की गतिविधियॉ – का. व्यय | 2202 ए 2(3)(2)(4) – स्पोर्टस व गेम्स की उन्नति की गतिविधियॉ – का. व्यय | 2202 ए 2(3)(2)(4) – एन पी स्पोर्टस की उन्नति |
| | वे.व.ले.का. – XXIII | | | | | (आ. व स.अ कोड सं.: 032385) | | |
| 4 | 394 | उ.न | उ.न | उ.न | 4532 | 2012 ए 1(2)(8)(1) (9) – ए एस एफ– मेडिकल ट्रीटमेन्ट योजना | 2012 ए 1(2)(8)(1) (9) – ए एस एफ–मेडिकल ट्रीटमेन्ट योजना | 2012 ए 1(2)(8)(1) (9) – ए एस एफ–मेडिकल ट्रीटमेन्ट योजना |

अनुलग्नक 3.1.1
(पैराग्राफ 3.1.1 को देखें; पृष्ठ 99)
31 मार्च 2013 को विभाग में पंजीकृत सहकारी समितियों की स्थिति

| सहकारी सोसाइटी का प्रकार | पंजीकृत | क्रियाशील | अक्रियाशील | निष्क्रिय | परिसमाप्त | परिसमाप्ति की प्रक्रिया में | अन्य असक्रिय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट | 1294 | 1135 | 21 | 49 | 62 | 15 | 12 |
| उपभोक्ता केन्द्र | 568 | 335 | 46 | 27 | 131 | 5 | 24 |
| समूह आवास | 1972 | 1250 | 207 | 206 | 89 | 66 | 154 |
| आवास भवन | 133 | 105 | 6 | 9 | 5 | 1 | 7 |
| औद्योगिक | 1191 | 785 | 93 | 162 | 100 | 4 | 47 |
| परिसंघ | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| बैंक | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| नई बहुद्देशीय | 175 | 82 | 19 | 23 | 45 | 1 | 5 |
| पैकेज | 182 | 91 | 24 | 23 | 42 | 1 | 1 |
| **कुल** | **5558** | **3822** | **416** | **499** | **477** | **94** | **250** |

31 मार्च को समाप्त अंतिम तीन वर्षों के लिए पंजीकृत तथा
क्रियाशील कॉपरेटिव सोसाइटियों की स्थिति

| वर्ष | कुल पंजीकृत | क्रियाशील | गैर–क्रियाशील/पुरानी/समाप्त हो गई/अन्य |
|---|---|---|---|
| 31 मार्च 2011 तक | **5487** | **3751** | **1736** |
| 31 मार्च 2012 तक | **5515** | **3779** | **1736** |
| 31 मार्च 2013 तक | **5558** | **3822** | **1736** |

## अनुलग्नक 3.3.1
(पैराग्राफः 3.3 को देखें, पृष्ठ 112)
## दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 करोड़ की अधिक अदायगी और वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम/जल शोधन संयंत्र के अधीष्ठापन पर किया गया व्यय

| क्र. सं. | अस्पताल का नाम | स्थापना की तिथि | स्थापना पर खर्च (₹ करोड़ में) | अधिक अदायगी की अवधि | अधिक अदायगी की राशि (₹ लाख में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय | जून, 2005 | 0.01 | 12.05.10 से 14.02.2013 | 10.27 | अस्पताल, लोक निर्माण विभाग को अपेक्षित कार्य करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब इस विषय को मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के स्तर पर भी उठाया जा रहा है। |
| 2 | डा. हेडगेवार आरोग्य संस्थान | 2008-09 | 0.07 | 06.05.2010 से 31.03.2013 | 6.72 | फरवरी 2013 से पानी के बिलों में 10 *प्रतिशत* की छूट ली जा रही है और पॉच प्रतिशत अतिरिक्त छूट के विषय को दिल्ली जल बोर्ड से उठाया गया है। |
| 3 | गुरू गोबिन्द सिंह अस्पताल | 04.10.2011 | 0.71 | 08.03.2011 से 27.02.2013 | 13.61 | पानी के बिलों में 15 *प्रतिशत* छूट लेने के लिए दिल्ली जल बोर्ड से बात की जा रही है। |
| 4 | गुरू तेग बहादुर अस्पताल | 2010, 31.07.2013 30.09.2013 | 0.25 | 08.04.2010 से 07.03.2013 | 379.33 | पानी के बिलों में 15 *प्रतिशत* छूट लेने के लिए दिल्ली जल बोर्ड से बात की जा रही है। |
| 5 | लोक नायक अस्पताल | 15.09.2008 10.03.2010 | 1.13 | 14.04.2010 से 09.04.2013 | 280.06 | लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अस्पताल ने दिल्ली जल बोर्ड के साथ मामला उठाया और यह सहमति बनी कि पानी के बिलों में 15 *प्रतिशत* की दर से छूट दी जाएगी। |
| 6 | महर्षि बाल्मिकी अस्पताल | डाटा उपलब्ध नहीं | 0.07 | 06.05.2010 से 15.03.2013 | 20.05 | पानी के बिलों पर 15 *प्रतिशत* छूट का मामला दिल्ली जल बोर्ड के सामने उठाया गया। दिल्ली जल बोर्ड से उत्तर प्रतीक्षित था। |
| 7 | सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, जनकपुरी | 05.03.2007 | 0.37 | 27.05.2010 से 20.03.2013 | 18.00 | रेनवाटर हारवेस्टिंग की पर्याप्त रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 15 प्रतिशत की दर से छूट देने का आश्वासन दिया गया। साथ–साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। |
| कुल | | | **2.61** | | **728.04** या ₹ **7.28** करोड़ | |

## अनुलग्नक 3.10.1
## (पैराग्राफ 3.10.1 को देखें, पृष्ठ 131)
## सूचना तथा अभिलेखो का गैर प्रस्तुतिकरण (21 फरवरी 2014 तक)

| शहरी विकास विभाग (रा.रारा.क्षे.दि.स.) | | | |
|---|---|---|---|
| क्र.सं. | मीमो नं. | तिथि | रिकार्ड जो माँगा गया |
| 1 | 24 | 10.5.2013 | डीएसएसडीआई को नियुक्त करने से संबंधित फाईल और अन्य सम्बद्ध रिकार्ड |
| 2 | 31 और 44 | 27.5.2013 और 14.06.2013 | ले–आउट प्लान्स जिसमें लोकल बाड़ी की टिप्पणियां, अनिर्णित ले–आउट प्लान्स का ब्यौंरा। ले–आउट प्लान्स की संख्या जो लोकल बाडीज़ को रा. रा.क्षे.दि.स. द्वारा सीमा निर्धारण के बाद स्वीकृति के लिए भेजी गई पर अब तक लोकल बाड़ीज़ को वापिस प्राप्त नहीं हुई। |
| 3 | 61 | 01.8.2013 | फाइलें जिनका रजिस्ट्रेशन नं. 1565, 1276 सी, 1470, 368, 643, 17–एलओ. पी., 77–ई.एल.डी., 59–ई.एल.डी. और 1222 (कुल नौनौ फाइल)। |
| 4 | 8 (पूरक लेखापरीक्षा) | 03..01.2014 | भूमि स्टेटस रिपोर्टों से संबंधित रिकार्ड |
| 5 | 10 (पूरक लेखापरीक्षा) | 13.02.2014 | वन भूमि पर बसी कालोनियों से संबंधित रिकार्ड और इन कालोनियों में किए गए विकास कार्यों पर किया गया खर्च |
| 6 | 12 (पूरक लेखापरीक्षा) | 18.02.2014 | राजस्व विभाग के साथ हुई मीटिंग, आर.टी.आई. और शिकायतों से संबंधित रिकार्ड |
| 7 | 13 (पूरक लेखापरीक्षा) | 21.02.2014 | अनाधिकृत कालोनी जिसका पंजीकरण नं. 53 (साद नगर, दिल्ली) से संबंधित रिकार्ड |
| दिल्ली विकास प्राधिकरण, आई.एन.ए., नई दिल्ली | | | |
| 1 | डीडीए/यू.सी./3 | 18.09.2013 | 91 कालोनियों की भूमि स्टेटस रिपोर्ट के बारे में |

## अनुलग्नक 3.10.2

(पैराग्राफ 3.10.2 को देखें, पृष्ठ 131)

## यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स (2004 तथा फरवरी 2007) और श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाईन्स (अक्टूबर 2007) की तुलना

| यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स (2004 तथा फरवरी 2007) | श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाईन्स 2007 (अक्टूबर 2007) | दोनों गाइडलाईनों के बीच अंतर |
|---|---|---|
| **पैरा 1.5:** प्रत्येक कालोनी में नियमन प्रक्रिया से संबंधित समन्वय, ले–आऊट की तैयारी व सेवा योजनाएं, विकास कार्यों के निष्पादन तथा विभिन्न मामलों के संबंध में संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. के साथ संपर्क के लिए एक पंजीकृत आवासीय सहकारी समिति (अब से आवासीय समिति कही गई) की स्थापना करने को आवश्यक किया जाएगा। | **पैरा 3.1:** प्रत्येक अनधिकृत कालोनी में विभिन्न मामलों में संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा/रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ संपर्क करने हेतु पंजीकृत आवासीय समिति की पूर्व शर्त नियमन के मामले पर विचार करने की होगी। | 1) यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स (2004 तथा फरवरी 2007) के अनुसार सहकारी समिति, कालोनी का प्रतिनिधित्व निकाय मानी जाएगी। श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाईन्स 2007 (अक्टूबर 2008) के अनुसार आवासीय समिति,, कालोनी का प्रतिनिधित्व निकाय होगी। |
| **पैरा 2.1 (क) :** अनधिकृत कालोनी का बेस मैप स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा आवासीय समिति को उपलब्ध कराया जाएगा जो योजना की बाउण्ड्री नियत करेगा तथा आर्किटेक्ट/टाऊन प्लानर से कालोनी की ले–आउट योजना भी तैयार करेगा। अवसंरचनात्मक सेवाओं/सामुदायिक सुविधाओं की आवश्यकता को स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. के साथ परामर्श में निर्धारित किया जाएगा। आवासीय समिति तब कालोनी की अनुमोदित सेवा योजना के अनुसार सेवाओं के विकास कार्यों को अपने अधिकार में तो लेगी तथा उसके पूरा हो जाने पर संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा; को नियमन के लिए आवेदित करेगा। | **पैरा 4.2**<br>क) केवल उन कालोनियों की बाउण्ड्रियों जो इन गाइडलाईन्स के अंतर्गत नियमन के लिए पात्र हैं, का निर्धारण तथा पहचान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किया जाना आवश्यक है।<br>ख) आवासीय समिति कालोनी की ले–आउट योजना प्राप्त करेगी जैसा कि पैरा 1.5 में उल्लिखित था 1:1000 स्केल पर एक माह के समय के भीतर पंजीकृत आर्किटेक्ट/टाऊन प्लानर से तैयार की गई, जो इन गाइडलाईन्स के साथ जुड़ी मानक/यूनिफोर्म जॉच–सूची पर आधारित था। ले–आउट योजना की प्रति भी आवासीय समिति द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. को उसी समय भेज दी जाएगी।<br>ग) स्थानीय निकाय अथवा दि.वि.प्रा. जैसा भी मामला हो उपरोक्त पैरा (ख) में निर्धारित समय से दो माह के भीतर इन गाइडलाईन्स में शामिल सामान्य सिद्धांतों के आधार पर ले–आउट योजना की संवीक्षा को पूरा करेगा।<br>घ) उपरोक्त पैरा (ख) में निर्धारित ले–आउट योजना के प्रस्तुति की अंतिम तिथि से तीन माह के अंदर प्रत्येक चिन्हित कालोनी की बाउण्ड्री को रा.रा.क्षे.दि.स. अंतिम रूप देगा। रा.रा.क्षे.दि.स. 31.032002 को उपलब्ध संबंधित क्षेत्रों के सैटेलाइट/एरियल सर्वे इमेज को कालोनियों की बाउण्ड्री निर्मित करने के लिए उपयोग करेगा। संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान की संवीक्षा करने के बाद रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा बाउण्ड्रीयॉ निर्मित की गई थी। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ले–आउट | 1) यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स (2004 तथा फरवरी 2007) के पैरा 2.1(क) पैरा 3.2 को हटा दिया गया है तथा इसकी बजाए श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाईन्स (अक्टूबर 2007) में पैरा 4.2 को जोड़ा गया है जिसके परिणामस्वरूप दो गाइडलाईन्स में निम्नलिखित अंतर हैं:<br>2) यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स (2004 तथा फरवरी 2007) के अनुसार अप्राधिकृत कॉलोनी का बेस मैप दि.वि.प्रा./स्वा.नि. द्वारा आवासीय समिति को उपलब्ध कराया जाना था। जिसे योजना पर चारदीवारी पर लगाया जाना था तथा कॉलोनी की ले–आउट योजना को पंजीकृत वास्तुलिपि/शहरी योजनाकर्ता को तैयार करना पड़ता है। श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2007) संशोधित गाइडलाईन्स 2007 के अनुसार आवासीय समिति पंजीकृत वास्तुलिपिक/शहरी योजनाकर्ता से बनावाये गये कॉलोनी ले–आउट लिया जाता है। आवासीय समिति द्वारा ले–आउट योजना को सम्बन्धित स्वायत्त निकाय/दि.वि.प्रा. को प्रस्तुत किया जाता है तथा इसकी एक प्रति रा.रा.क्षे.दि.स. को भी भेजी जाती है।<br>3) संघीय पंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों (2004 तथा फरवरी 2007) के अनुसार स्थानीय निकायों/दि.वि.प्रा. द्वारा नियमितीकरण किया जाएगा। श.वि.मं. (अक्टूबर |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | प्लान संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. को अग्रेषित की जानी थी ताकि कालोनी के ले–आउट प्लान की सक्षम प्राधिकारियों से औपचारिक अनुमोदन लिया जा सके।<br>ङ) रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा बाउण्ड्री के निर्माण किए जाने के बाद ले–आउट प्लान की प्राप्ति के एक महीने के भीतर संबंधित स्थानीय निकाय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले–आउट प्लान को अनुमोदित कराया जाना चाहिए। उसके बाद स्थानीय निकाय को प्रत्येक कालोनी के नियमितीकरण के लिए रा;रा.क्षे.दि.स. को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु मामला स्थानीय निकाय को सौंपा जाना चाहिए।<br>च) उसी समय स्थानीय निकाय भी प्रत्येक कालोनी की संशोधित ले–आउट प्लान की भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु दि.वि.प्रा. को भेजेगा।<br>छ) एक बार रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद, संबंधित स्थानीय निकाय के अनुमोदन हेतु भुगतान किए जाने के बाद कालोनी को नियमितीकरण के विचारार्थ समर्थ होना चाहिए।<br>ज) नियमितीरण के औपचारिक आदेश दि.वि.प्रा. द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद भूमि उपयोग प्रभावी होने तथा आवश्यक भुगतान सुनिश्चित होने के बाद रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी किए जाएंगे।<br>झ) रा.रा.क्षे.दि.स. की कालोनी के नियमन के भूमि के उपयोग किए जाने में बदलाव को छोड़कर समूची प्रक्रिया को छः महीने के अन्दर तथा भूमि में प्रभावी बदलाव किए जाने के पश्चात औपचारिक नियमन को नौ महीने के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए था। कुछ कालोनियों के संबंध में उपरोक्त निर्धारित की गई सीमावधि में यदि छूट की आवश्यकता हो तो, रा.रा.क्षे.दि.स. के विशेष निवेदन पर उपराज्यपाल दिल्ली समयावधि में छूट दे सकता है। | 2007), द्वारा अनुमोदित संशोधित दिशानिर्देशों 2007 के अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नियमितीकरण किया जाएगा।<br>4) संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार (2004 तथा फरवरी 2007), आवासीय सोसाइटी द्वारा बाउण्ड्री निर्मित की जानी थी। श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित दिशानिर्देश 2007 के सुधार रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा बाउण्ड्री निर्मित कराया जाना था। | |
| **पैरा 3.2:** कालोनी को केवल समिति द्वारा अनुमोदित सेवा योजना के अनुसार अवसंरचनात्मक कार्यों के निष्पादन के पश्चात् नियमित घोषित किया जाएगा। | **पैरा 5.4:** जैसाकि पैरा 4.2 (ख) में उल्लिखित है रा.रा.क्षे.दि.स. कालोनियों/कालोनियों के हिस्सों में जन–हित में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास निर्माण कार्यों तथा वृद्धि का आरंभ ले–आउट योजना की प्राप्ति के पश्चात् ही कर सकती है यदि वे संतुष्ट हों कि इन कालोनियों अथवा इनके हिस्से गाइडलाईन्स में दिए गए सामान्य नियमों का पालन कर रहे हैं। | 5) यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स (2004 तथा फरवरी 2007) के अनुसार औपचारिक नियमन को केवल स्थानीय निकायों/दि.वि.प्रा. द्वारा अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों के निष्पादन के पश्चात ही जारी किया जाना चाहिए था। श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2007) संशोधित गाइडलाईन्स 2007 के अनुसार, नियमन के औपचारिक आदेश को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा भूमि के उपयोग में बदलाव के पश्चात् जारी किया जा सका था। | संघ मंत्रालय द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स के पैरा 3.1 को हटा दिया गया (2004 तथा फरवरी 2007) था तथा श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2007) संशोधित गाइडलाईन्स 2007 में इसके स्थान पर पैरा 5.4 को सम्मिलित कर लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप दो गाइडलाईनों में निम्नलिखित अन्तर पाए गए:<br>6) संघ मंत्रालय द्वारा अनुमोदित (2004 तथा फरवरी 2007) गाइडलाईन्स के अनुसार विकास कार्य को केवल सर्विस प्लान के अनुमोदन से संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. की प्रक्रिया शुल्क सहित ले–आउट योजना की प्रस्तुति के पश्चात् आरंभ किया जा सकता था। श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2007) संशोधित गाइडलाईन्स 2007 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. विकास कार्य तथा अवसंरचना की वृद्धि को ले–आउट योजनाओं की प्राप्ति के पश्चात् आरंभ कर सकता, यदि वह संतुष्ट होते कि, कालोनियों अथवा उनके हिस्से गाइडलाईन्स में सामान्य प्रावधानों का पालन कर रहे हैं। |
| **पैरा 3.1:** विकास कार्य के निष्पादन को केवल सम्बन्धित एजेंसियों तथा सम्बन्धित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. के ले–आउट प्लान सहित प्रक्रिया शुल्क इत्यादि की प्रस्तुति द्वारा सर्विस प्लान के अनुमोदन के पश्चात् ही आरंभ किया जा। | | | |

अनुलग्नक– 3.10.3

**कार्यान्वयन ऐजेंसियों द्वारा 31 मार्च 2013 तक किए गए विकास कार्यों की प्रत्यक्ष स्थिति**

(पैराग्राफ 3.10.6 को देखें, पृष्ठ 138)

| क्र.सं. | कार्यान्वयन ऐजेंसी | 895 में से आबंटित हुई कालोनियां | कालोनियों की संख्या जहॉ पर कार्य पूरा हो चुका | कालोनियों की प्रतिशतता जहॉ पर कार्य पूरा नहीं हुआ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | डीएसआईआईडीसी | 403 | 261 | 35.24 |
| 2 | सि. एवं बा. नि. | 272 | 111 | 59.19 |
| 3 | दक्षिणी डीएमसी | 85 | 18 | 78.82 |
| 4 | उत्तरी डीएमसी | 4 | 4 | 0 |
| 5 | लो.नि.वि. | 127 | 81 | 71.65 |
| | **कुल** | **891** | **475** | **46.68** |
| 6 | दि.ज.बो. | | | |
| | i) जल आपूर्ति | 895 | 698 | 28.22 |
| | ii) सीवर लाईन | सभी सीवर रहित | 98 | 89.05 |

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agaudelhi.cag.gov.in